

वित्त लेखे

(खण्ड – II)

2018 – 2019

मध्यप्रदेश सरकार

विषय—सूची

विषय	खण्ड—I	पृष्ठ
■ विषय सूची		i-ii
■ भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक का प्रमाण—पत्र		iii-v
■ वित्त लेखे की मार्गदर्शिका		vii-xiii
विवरण पत्रक संख्या 1	वित्तीय स्थिति का विवरण पत्रक	1-2
विवरण पत्रक संख्या 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों का विवरण पत्रक अनुलग्नक — रोकड़ शेष और रोकड़ शेषों का निवेश	3-8
विवरण पत्रक संख्या 3	प्राप्तियों का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	9-11
विवरण पत्रक संख्या 4	व्यय का विवरण पत्रक (समेकित निधि)	12-17
विवरण पत्रक संख्या 5	प्रगामी पूंजीगत व्यय का विवरण पत्रक	18-22
विवरण पत्रक संख्या 6	उधार तथा अन्य दायित्वों का विवरण पत्रक	23-26
विवरण पत्रक संख्या 7	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विवरण पत्रक	27-28
विवरण पत्रक संख्या 8	सरकार के निवेशों का विवरण पत्रक	29
विवरण पत्रक संख्या 9	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विवरण पत्रक	30
विवरण पत्रक संख्या 10	सरकार द्वारा दिये गए सहायता अनुदानों का विवरण पत्रक	31
विवरण पत्रक संख्या 11	दत्तमत और प्रभारित व्यय का विवरण पत्रक	32
विवरण पत्रक संख्या 12	राजस्व लेखे के अतिरिक्त व्यय के लिये निधियों के स्रोतों और अनुप्रयोगों का विवरण पत्रक	33-36
विवरण पत्रक संख्या 13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि तथा लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों के सारांश	37-39
■ लेखों पर टिप्पणियां		40-54
खण्ड—II		
भाग—I :		
विवरण पत्रक संख्या 14	राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	57-92
विवरण पत्रक संख्या 15	राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक	93-135
विवरण पत्रक संख्या 16	पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक	136-251
विवरण पत्रक संख्या 17	उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक	252-263
विवरण पत्रक संख्या 18	सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक	264-296
विवरण पत्रक संख्या 19	सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक	297-352
विवरण पत्रक संख्या 20	सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक	353-355
विवरण पत्रक संख्या 21	आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन—देनों का विस्तृत विवरण पत्रक	356-365
विवरण पत्रक संख्या 22	उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक	366-368

विषय-सूची – समाप्त

विषय	पृष्ठ
खण्ड-II	
भाग-II :	
परिशिष्ट संख्या I	वेतन पर तुलनात्मक व्यय 371-374
परिशिष्ट संख्या II	राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय 375-376
परिशिष्ट संख्या III	राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सहायता (संस्थावार एवं योजनावार) 377-389
परिशिष्ट संख्या IV	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे 390-396
परिशिष्ट संख्या V	आयोजनागत योजना व्यय 397-410
अ.	केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं एवं केन्द्र आयोजनागत योजनाएं)
ब.	राज्य आयोजनागत योजनाएं
परिशिष्ट संख्या VI	राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर) (अलेखापरीक्षित राशियाँ) 411-415
परिशिष्ट संख्या VII	शेषों की स्वीकृति एवं पुनर्मिलान (जैसा विवरण 18 एवं 21 में दर्शाया गया है) 416
परिशिष्ट संख्या VIII	सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम 417-421
परिशिष्ट संख्या IX	सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची 422-427
परिशिष्ट संख्या X	वेतन एवं अवेतन हिस्से के पृथक्करण सहित अनुरक्षण व्यय 428-436
परिशिष्ट संख्या XI	वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं 437-438
परिशिष्ट संख्या XII	सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं 439
परिशिष्ट संख्या XIII	राज्यों के पुनर्गठन – शेषों की मदें जिनका बंटवारा राज्यों के मध्य/बीच अंतिम रूप से नहीं किया गया है। 440

भाग—I

विवरण संख्या 14—22

14 – राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियों का लघु शीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक

शीर्ष	वास्तविक		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) –			
क कर राजस्व –			
(यह आंकड़े वापसियों को लेखे में लेने के बाद निवल हैं)			
(क) सामान एवं सेवा कर –			
0005- केन्द्रीय सामान और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)			
901- राज्यों को सौंपा गया शुद्ध आय का हिस्सा	1,41,87,62.00	7,16,48.00	1880
योग – 0005	1,41,87,62.00	7,16,48.00	1880
0006- राज्यों के सामान और सेवाओं पर कर (एस.जी.एस.टी.)			
101- कर	69,98,35.46	42,30,72.40	65
102- ब्याज	14,12.43	2,37.14	496
103- दण्ड	3,56.24	20.80	1613
104- शुल्क	67,29.86	17,46.20	285
105- केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं राज्यीय जी.एस.टी. में दर्ज जमा कर का उपयोग	41,45,39.67	34,06,87.93	22
106- केन्द्रीय जी.एस.टी. एवं राज्यीय जी.एस.टी. के हस्तांतरण के घटक	51,31,63.11	3,18,89.54	1509
110- एकीकृत सामान एवं सेवा पर कर का अग्रिम विभाग	21,47,44.48	6,71,00.00	220
800- अन्य प्राप्तियां	67.91	48,57.68	(-) 99
योग – 0006	1,85,08,49.16	86,96,11.69	113
0008- एकीकृत सामान एवं सेवा पर कर			
02- माल एवं सेवाओं की घरेलू आपूर्ति पर एकीकृत सामान एवं सेवा कर			
901- राज्यों को सौंपा शुद्ध आय का हिस्सा	11,32,20.00 ^(क)	51,32,48.00	(-) 78
योग – 02	11,32,20.00	51,32,48.00	(-) 78
योग – 0008	11,32,20.00	51,32,48.00	(-) 78
योग – (क) सामान एवं सेवा कर	3,38,28,31.16	1,45,45,07.70	133

(क) यह भारत सरकार द्वारा अविभाजित एकीकृत सामान एवं सेवा पर कर के हस्तांतरण के कारण है जो चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार है, परन्तु जी.एस.टी./आई.जी.एस.टी. की स्कीम के अनुसार नहीं है।

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष		वास्तविक		(₹ लाख में)
		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
क	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	कर राजस्व – जारी			
0020	आय तथा व्यय पर कर –			
	निगम कर –			
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	1,99,90,17.00	1,55,68,92.00	28
	योग – 0020	1,99,90,17.00	1,55,68,92.00	28
0021	आय पर निगम कर से भिन्न कर –			
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	1,47,21,91.00	1,31,46,86.00	12
	योग – 0021	1,47,21,91.00	1,31,46,86.00	12
0023	होटल प्राप्ति कर –			
101	उन होटलों से संग्रहण, जो कम्पनियां हैं	1.64	62.53	(-) 97
	योग – 0023	1.64	62.53	(-) 97
0028	आय तथा व्यय पर अन्य कर –			
107	व्यवसाय, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर	3,21,17.96	3,42,23.36	(-) 6
901	राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	1,04,11.00	--	--
	योग – 0028	4,25,28.96	3,42,23.36	24
	योग – (ख) आय तथा व्यय पर कर	3,51,37,38.60	2,90,58,63.88	21
(ग)	सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर –			
0029	भू-राजस्व –			
101	भू-राजस्व/कर	1,53,28.51	2,36,43.29	(-) 36
102	बागानों पर कर	1,29.34	4,56.57	(-) 72
103	भूमि पर पौरकर और उपकर	16,01.97	22,13.61	(-) 28
104	जमींदारी रहित संपदाओं के प्रबंध से प्राप्तियाँ	5,81.26	1,28.32	353
105	सरकारी संपदाओं की बिक्री से प्राप्तियाँ	4,28.59	4,22.11	2
106	सर्वेक्षण और व्यवस्थापन कार्रवाई की बावत प्राप्तियाँ	4,95.94	8,81.44	(-) 44
107	परती भूमि की बिक्री से आगमन और भू-कर का प्रतिदान	4,95.07	2,59.21	91
800	अन्य प्राप्तियाँ	1,93,31.39	2,10,94.24	(-) 8
900	घटाएँ-वापसियाँ	(-) 0.88	--	--
	योग – 0029	3,83,91.19	4,90,98.79	(-) 22

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
क कर राजस्व – जारी			
(ग) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर – जारी			
0030 स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क –			
01 स्टाम्प-न्यायिक –			
101 स्टाम्पों से उगाहा गया न्यायालय शुल्क	32,18.89	43,90.82	(-) 27
102 स्टाम्पों की बिक्री	52,45.93	47,83.61	10
800 अन्य प्राप्ति	10,97.76	1,04.77	948
योग – 01	95,62.58	92,79.20	3
02 स्टाम्प-न्यायिकेतर –			
102 स्टाम्पों की बिक्री	42,35,91.27	41,32,31.14	3
103 दस्तावेजों पर स्टाम्प-शुल्क लगाना	2,92.86	--	--
800 अन्य प्राप्ति	4,48,02.75	13,48.10	3223
योग – 02	46,86,86.88	41,45,79.24	13
03 पंजीकरण शुल्क –			
104 दस्तावेजों को पंजीकृत करने का शुल्क	26,79.81	46,72.96	(-) 43
800 अन्य प्राप्ति	4,68,70.13	5,03,19.45	(-) 7
योग – 03	4,95,49.94	5,49,92.41	(-) 10
योग – 0030	52,77,99.40	47,88,50.85	10
0032 धन कर –			
60 कृषि भूमि से इतर भूमि			
901 राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	7,34.00	(-) 47.00	(-) 1662
योग – 60	7,34.00	(-) 47.00	(-) 1662
योग – 0032	7,34.00	(-) 47.00	(-) 1662

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तविक		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
क कर राजस्व – जारी			
(ग) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर – समाप्त			
0035 कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर –			
101 साधारण संग्रहण	6,92,93.84	3,07,13.03	126
800 अन्य प्राप्ति	8,20.67	3,36,58.82	(-) 98
योग – 0035	7,01,14.51	6,43,71.85	9
योग – (ग) सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	63,70,39.09	59,22,74.49	8
(घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर –			
0037 सीमा शुल्क –			
901 राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	40,74,58.00	51,30,90.00	(-) 21
योग – 0037	40,74,58.00	51,30,90.00	(-) 21
0038 संघ उत्पाद शुल्क –			
01 हिस्सेदारी योग्य शुल्क			
901 राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	11,19,48.00 ^(क)	--	--
योग – 01	11,19,48.00	--	--
02 राज्यों को समनुदेशित शुल्क –			
901 राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	15,88,32.00	53,63,30.00	(-) 70
योग – 02	15,88,32.00	53,63,30.00	(-) 70
योग – 0038	27,07,80.00	53,63,30.00	(-) 50
0039 राज्य उत्पाद शुल्क –			
101 देशी स्पिरिट	27,92,85.80	4,90,40.92	469
102 देशी किण्वित लिकर	3,14.92	39.20	703
103 यवरस	4,45,13.56	22,56.32	1873
104 लिकर	79.58	25.53	212
105 विदेश लिकर और स्पिरिट	41,04,69.77	15,54,49.84	164
106 वाणिज्यिक और विकृत स्पिरिट तथा औषध युक्त मदिरा	1,18.71	6,66,39.25	(-) 100
107 अल्कोहल, अफीम आदि सहित औषधीय और प्रसाधन निर्मिति	52.99	9,50,32.44	(-) 100
108 अफीम, गांजा और अन्य स्वापक	9,91.75	2,15,74.67	(-) 95

(क) वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ 53,63,30.00 लाख की राशि मुख्यशीर्ष 0038-02-901 के अन्तर्गत दर्ज की गई थी।

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
क कर राजस्व – जारी			
(घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – जारी			
0039 राज्य उत्पाद शुल्क – समाप्त			
150 अर्थदण्ड और समपहरण	9,88.00	98.47	903
800 अन्य प्राप्तियाँ	21,73,99.83	43,43,44.73	(-) 50
योग – 0039	95,42,14.91	82,45,01.37	16
0040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर –			
101 केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	1,38,24.43	5,15,58.12	(-) 73
107 कारोबार कर की प्राप्तियाँ	0.12	--	--
110 व्यापार कर	3,39.47	--	--
111 मूल्य वर्धित कर (वैट) प्राप्तियाँ	97,61,26.58	1,44,68,43.60	(-) 33
800 अन्य प्राप्तियाँ	29.26	1.78	1544
योग – 0040	99,03,19.86	1,49,84,03.50	(-) 34
0041 वाहन कर –			
101 भारतीय मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	6,40,16.00	4,41,07.68	45
102 राज्य मोटर यान कराधान अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	21,25,61.11	20,88,18.92	2
800 अन्य प्राप्तियाँ	2,42,48.68	1,62,35.32	49
योग – 0041	30,08,25.79	26,91,61.92	12
0042 माल तथा यात्री कर –			
106 माल के स्थानीय क्षेत्रों में प्रवेश पर कर	1,17,50.28	11,59,30.18	(-) 90
योग – 0042	1,17,50.28	11,59,30.18	(-) 90
0043 विद्युत कर तथा शुल्क –			
101 बिजली के उपभोग और बिक्री पर कर	21,32,86.44	19,55,78.78	9
102 भारतीय विद्युत नियमावली के अन्तर्गत शुल्क	48,60.24	60,98.47	(-) 20
103 सिनेमा के विद्युतीय निरीक्षण के लिये शुल्क	49.88	50.60	(-) 1
800 अन्य प्राप्तियाँ	4,34,32.01	5,73,00.81	(-) 24
योग – 0043	26,16,28.57	25,90,28.66	1

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
क कर राजस्व – समाप्त			
(घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर – समाप्त			
0044 सेवा कर –			
901 राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	5,31,47.37	57,94,60.00	(-) 91
योग – 0044	5,31,47.37	57,94,60.00	(-) 91
0045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क –			
101 मनोरंजन कर	1,08.91	32,16.39	(-) 97
102 दांव कर	0.11	1.22	(-) 91
103 रेल यात्री किराए पर कर	0.01	0.10	(-) 90
105 विलासिता कर	8.99	8,19.79	(-) 99
106 डाक वस्तुओं पर कर	27.41	0.07	39057
107 अन्तर्देशीय हवाई यात्रा कर	0.25	--	--
109 स्वास्थ्य उपकर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	--	0.17	(-) 100
110 जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	--	1.72	(-) 100
111 सिनेमाघरों में दिखाए जाने वाले विज्ञापनों पर कर	4.34	57.95	(-) 93
112 अन्य अधिनियमों के अंतर्गत उपकरों से प्राप्तियाँ	4,65,45.38	1,34,60.87	246
114 गन्ना (विनियम, आपूर्ति और क्रय नियंत्रण) अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियाँ	--	0.09	(-) 100
115 वन विकास शुल्क	--	50.35	(-) 100
800 अन्य प्राप्तियाँ	35,32.02	2,31.25	1427
901 राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा	29,80.96	--	--
योग – 0045	5,32,08.38	1,78,39.98	198
योग – (घ) वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	3,30,33,33.16	4,61,37,45.61	(-) 28
योग – क – कर राजस्व	10,83,69,42.02	9,56,63,91.67	13

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व –			
(क) राजकोषीय सेवाएं –			
0047 अन्य राजकोषीय सेवाएं –			
105 इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, नासिक	0.09	--	--
800 अन्य प्राप्ति	0.18	--	--
योग – 0047	0.27	--	--
योग – (क) – राजकोषीय सेवाएं	0.27	--	--
(ख) ब्याज प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ –			
0049 ब्याज प्राप्ति –			
04 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की ब्याज प्राप्ति –			
110 नकद शेषों के निवेश पर उगाहा गया ब्याज	1,46,44.89	4,91,39.11	(-) 70
191 स्थानीय निकायों से ब्याज	--	17,15.29	(-) 100
195 सहकारी समितियों से ब्याज	63.23	32,20.84	(-) 98
800 अन्य प्राप्ति	7,33,25.39	98,35.72	645
योग – 04	8,80,33.51	6,39,10.96	38
योग – 0049	8,80,33.51	6,39,10.96	38
0050 लाभांश तथा लाभ –			
101 सार्वजनिक उपक्रमों से लाभांश	81,24.73	6,21,93.63	(-) 87
200 अन्य निवेशों से लाभांश	2,66,01.42	42.25	62862
योग – 0050	3,47,26.15	6,22,35.88	(-) 44
योग – (ख) – ब्याज प्राप्ति, लाभांश तथा लाभ	12,27,59.66	12,61,46.84	(-) 3

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	2018-19	2017-18	
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व –			
(i) सामान्य सेवाएं –			
0051 लोक सेवा आयोग –			
105 राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षा शुल्क	6,42.66	14,45.45	(-) 56
योग – 0051	6,42.66	14,45.45	(-) 56
0055 पुलिस –			
101 अन्य सरकारों को भेजी गई पुलिस	69,33.27	20,19.71	243
102 अन्य दलों को भेजी गई पुलिस	35,54.94	16,38.08	117
103 शुल्क, अर्थदण्ड और समपहरण	2,46.92	7,80.07	(-) 68
104 शस्त्र अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्तियाँ	9,67.27	9,01.27	7
105 राज्य पुलिस मुख्यालयों से प्राप्तियाँ	34.90	6,06.87	(-) 94
800 अन्य प्राप्तियाँ	28,33.67	64,99.67	(-) 56
900 घटाएं—वापसियाँ	(-) 1.07	(-) 12.99	(-) 92
योग – 0055	1,45,69.90	1,24,32.68	17
0056 जेल –			
102 जेल उत्पादों की बिक्री	--	2.53	(-) 100
800 अन्य प्राप्तियाँ	3,64.75	3,83.06	(-) 5
योग – 0056	3,64.75	3,85.59	(-) 5
0058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण –			
101 लेखन सामग्री प्राप्तियाँ	2,34.08	3,29.26	(-) 29
102 राजपत्रों आदि की बिक्री	3,14.93	3,84.99	(-) 18
200 अन्य मुद्रणालय प्राप्तियाँ	5,84.57	5,43.16	8
800 अन्य प्राप्तियाँ	1,08.94	1,08.04	1
योग – 0058	12,42.52	13,65.45	(-) 9

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तविक		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(i) सामान्य सेवाएं – जारी			
0059 लोक निर्माण कार्य –			
01 कार्यालय भवन –			
011 किराया	4.12	8.13	(-) 49
102 मशीन और उपस्कर का भाड़ा	4.97	1.75	184
103 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली	4.60	0.83	454
800 अन्य प्राप्ति	21,91.56	74,33.87	(-) 71
योग – 01	22,05.25	74,44.58	(-) 70
60 अन्य भवन –			
103 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली	0.47	0.39	21
800 अन्य प्राप्ति	61.56	4,19.96	(-) 85
योग – 60	62.03	4,20.35	(-) 85
80 सामान्य –			
011 किराया	10.04	4.69	114
102 मशीन और उपस्कर का भाड़ा	4.04	0.24	1583
103 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली	4.39	0.21	1990
800 अन्य प्राप्ति	1,28,89.34	46,24.09	179
900 घटाएं – वापसियां	0.10	--	--
योग – 80	1,29,07.91	46,29.23	179
योग – 0059	1,51,75.19	1,24,94.17	21

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तविक		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(i) सामान्य सेवाएं – जारी			
0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं –			
01 न्याय प्रशासन –			
102 अर्थदण्ड और समपहरण	3,06,65.98	99,05.35	210
501 सेवाएं और सेवा शुल्क	3.58	9.76	(-) 63
800 अन्य प्राप्तियाँ	1,83.60	27.07	578
योग – 01	3,08,53.16	99,42.18	210
02 चुनाव			
101 चुनाव फार्मों और दस्तावेजों की बिक्री से आगम	--	3.34	(-) 100
104 शुल्क, अर्थदंड और समपहरण	38.81	96.21	(-) 60
800 अन्य प्राप्तियाँ	14,64.23	27,83.25	(-) 47
योग – 02	15,03.04	28,82.80	(-) 48
60 अन्य सेवाएं –			
102 नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	--	4.01	(-) 100
103 विस्फोटक अधिनियम के अंतर्गत प्राप्तियां	--	0.02	(-) 100
105 होम गार्ड	--	3.92	(-) 100
108 विवाह शुल्क	--	0.65	(-) 100
110 सरकारी लेखा परीक्षा के लिये शुल्क	17,19.12	5,50.26	212
112 उत्प्रवास शुल्क	--	0.12	(-) 100
118 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियाँ	90.30	4,49.68	(-) 80
800 अन्य प्राप्तियाँ	23,39.80	5,13.11	356
900 घटाएं – वापसियां	(-) 9,08.81	(-) 11,02.34	18
योग – 60	32,40.41	4,41.47	634
योग – 0070	3,55,96.61	1,32,66.46	168

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तविक		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(i) सामान्य सेवाएं – समाप्त			
0071 पेन्शन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली –			
01 सिविल –			
101 अभिदान और अंशदान	59,98.90	19,78.59	203
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में राज्य सरकारों से वसूल किए गए पेंशन का प्रभार	1,39.35	31.79	338
114 पृथक्करण पूर्व पेंशनिक देयताओं के लिये बर्मा सरकार का अंशदान	--	0.35	(-) 100
500 अन्य लघु शीर्षों को अंतरण के लिये प्रतीक्षित प्राप्तियाँ	11,53,69.87 ^(क)	8,21,45.35	40
800 अन्य प्राप्तियाँ	47,86.82	8,00.97	498
900 घटाएं – वापसियां	(-) 10,40,59.89 ^(ख)	(-) 8,01,63.50	30
योग – 01	2,22,35.05	47,93.55	364
योग – 0071	2,22,35.05	47,93.55	364
0075 विविध सामान्य सेवाएं –			
101 अदावाकृत जमा राशि	8,01,36.97	30,17.14	2556
102 विभाजन पूर्व प्राप्तियाँ	6.03	3.26	85
105 भूमि और संपत्ति की बिक्री	--	0.02	(-) 100
106 आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय XX-क के अन्तर्गत अर्जित सम्पत्ति से प्राप्तियाँ	49.08	3.45	1323
108 प्रत्याभूति शुल्क	14,73.13	25,95.99	(-) 43
800 अन्य प्राप्तियाँ	24,08.60	3,33.42	622
900 घटाएं – वापसियां	(-) 67,55.80	(-) 5,41.98	1147
योग – 0075	7,73,18.01	54,11.30	1328
योग – (i) सामान्य सेवाएं	16,71,44.68	5,15,83.57	224

(क) कर्मचारी अंशदान ₹ 4,24,81.48 लाख एवं ₹ 7,28,88.39 लाख का सरकारी अंशदान शामिल है।

(ख) एन.एस.डी.एल./न्यासी बैंक को हस्तांतरित की गई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबंधित राशि को दर्शाता है।

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(ii) सामाजिक सेवाएं –			
0202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –			
01 सामान्य शिक्षा –			
103 विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा	3,55.51	5,81,85.77	(-) 99
600 सामान्य	42,01.13	7,22,37.55	(-) 94
800 अन्य प्राप्ति	23,20,97.66	6,14.22	37687
900 घटाएं – वापसियां	(-) 20.02	(-) 68.82	(-) 71
योग – 01	23,66,34.27	13,09,68.72	81
02 तकनीकी शिक्षा –			
101 ट्यूशन एवं अन्य फीस	0.51	(-) 0.15	(-) 440
योग – 02	0.51	(-) 0.15	(-) 440
04 कला एवं संस्कृति			
101 अभिलेखागार और संग्रहालय	3.95	--	--
योग – 04	3.95	--	--
योग – 0202	23,66,38.74	13,09,68.57	81
0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –			
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं –			
020 अस्पतालों और औषधालय सेवाओं के लिए रोगियों से प्राप्ति	33.61	69.05	(-) 51
101 कर्मचारी राज्य बीमा योजना से प्राप्ति	84,77.07	61,07.27	39
103 केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए अंशदान	3.31	0.93	256
104 चिकित्सा भण्डार डिपो	1.38	41.28	(-) 97
107 औषधि निर्माण से प्राप्ति	0.11	0.78	(-) 86
800 अन्य प्राप्ति	95,31.70	40,99.36	133
900 घटाएं – वापसियां	(-) 0.23	(-) 8.39	(-) 97
योग – 01	1,80,46.95	1,03,10.28	75

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(ii) सामाजिक सेवाएं –जारी			
0210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – समाप्त			
02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें –			
101 रोगियों तथा अन्य व्यक्तियों से अंशदान	2.30	6.11	(-) 62
800 अन्य प्राप्तियां	5,98.28	73.46	714
योग – 02	6,00.58	79.57	655
03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण और अनुसंधान –			
102 होम्योपैथी	--	3.83	(-) 100
103 यूनानी	13.11	17.96	(-) 27
104 सिद्ध	1,92.37	1,32.23	45
105 एलोपैथी	69.13	1,06.93	(-) 35
200 अन्य पद्धति	19.44	33.38	(-) 42
योग – 03	2,94.05	2,94.33	--
04 लोक स्वास्थ्य –			
102 सेरा/वैक्सीन की बिक्री	0.01	12.66	(-) 100
104 शुल्क और अर्थदण्ड आदि	15,05.92	17,24.00	(-) 13
105 सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं से प्राप्तियां	0.77	5.77	(-) 87
800 अन्य प्राप्तियां	2,09.74	1,79.94	17
योग – 04	17,16.44	19,22.37	(-) 11
80 सामान्य –			
800 अन्य प्राप्तियाँ	7,87.78	3,22.00	145
योग – 80	7,87.78	3,22.00	145
योग – 0210	2,14,45.80	1,28,98.48	66

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष		वास्तविक		(₹ लाख में)
		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	करेतर राजस्व – जारी			
(ii)	अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii)	सामाजिक सेवाएं – जारी			
0211	परिवार कल्याण –			
101	गर्भ निरोधकों की विक्री	1.64	1.26	30
800	अन्य प्राप्तियाँ	21.78	17.82	22
	योग – 0211	23.42	19.08	23
0215	जलपूर्ति तथा सफाई –			
01	जलपूर्ति –			
102	ग्रामीण जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	45.46	58.65	(-) 22
103	शहरी जलपूर्ति योजनाओं से प्राप्तियाँ	54.24	14.39	277
104	शुल्क, अर्थदण्ड आदि	2,67.83	14.31	1772
501	सेवाएं और सेवा शुल्क	10,14.83	6,54.69	55
900	घटाएं – वापसियां	(-) 13.12	--	--
	योग – 01	13,69.24	7,42.04	85
02	मल जल और सफाई –			
103	मल जल योजनाओं से प्राप्तियाँ	2.48	5.73	(-) 57
104	शुल्क, अर्थ दण्ड आदि	0.41	--	--
501	सेवाएं और सेवा शुल्क	25.74	0.23	11091
800	अन्य प्राप्तियाँ	11,35.89	9,76.60	16
	योग – 02	11,64.52	9,82.56	19
	योग – 0215	25,33.76	17,24.60	47

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष		वास्तवित		(₹ लाख में)
		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	करेतर राजस्व – जारी			
(ii)	अन्य करेतर राजस्व – जारी			
	सामाजिक सेवाएं – जारी			
0216	आवास –			
01	सरकारी रिहायशी भवन –			
106	साधारण पूल आवास	27,94.05	25,97.61	8
800	अन्य प्राप्तियां	4.39	2.44	80
	योग – 01	27,98.44	26,00.05	8
02	शहरी आवास			
001	शहरी आवास योजनाओं से प्राप्तियां	0.46	--	--
	योग – 02	0.46	--	--
03	ग्रामीण आवास			
800	अन्य प्राप्तियां	1.58	0.05	3060
	योग – 03	1.58	0.05	3060
80	सामान्य –			
800	अन्य प्राप्तियाँ	1.30	10.82	(-) 88
	योग – 80	1.30	10.82	(-) 88
	योग – 0216	28,01.78	26,10.92	7
0217	शहरी विकास –			
02	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र –			
800	अन्य प्राप्तियाँ	23.77	0.81	2835
	योग – 02	23.77	0.81	2835

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(ii) सामाजिक सेवाएं – जारी			
0217 शहरी विकास – समाप्त			
03 छोटे एवं मध्यम शहरों का एकीकृत विकास			
800 अन्य प्राप्ति	57.00	69.83	(-) 18
योग – 03	57.00	69.83	(-) 18
04 गंदी बस्तियों का सुधार –			
800 अन्य प्राप्ति	0.05	0.01	400
योग – 04	0.05	0.01	400
60 अन्य शहरी विकास योजनाएं –			
191 नगरपालिकाओं आदि से प्राप्ति	0.23	0.13	77
800 अन्य प्राप्ति	14,19.05	17,70.52	(-) 20
योग – 60	14,19.28	17,70.65	(-) 20
योग – 0217	15,00.10	18,41.30	(-) 19
0220 सूचना तथा प्रचार –			
01 फिल्म –			
102 विभाग द्वारा निर्मित फिल्मों से प्राप्ति	6.51	0.34	1815
800 अन्य प्राप्ति	16.38	9.08	80
योग – 01	22.89	9.42	143
60 अन्य –			
106 विज्ञापन और दृश्य प्रचार से प्राप्ति	0.01	0.12	(-) 92
113 अन्य प्रकाशनों से प्राप्ति	0.05	1.00	(-) 95
800 अन्य प्राप्ति	14.89	12.03	24
योग – 60	14.95	13.15	14
योग – 0220	37.84	22.57	68

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष		वास्तविक		(₹ लाख में)
		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	करेतर राजस्व – जारी			
(ii)	अन्य करेतर राजस्व – जारी			
0230	सामाजिक सेवाएं – जारी			
	श्रम तथा रोजगार –			
101	श्रम कानूनों से प्राप्तियाँ	9,58.38	6,68.69	43
102	व्यवसाय संघ के पंजीकरण के लिये शुल्क	0.55	11.86	(-) 95
103	वाष्प बायलरों के निरीक्षण के लिए शुल्क	1,85.86	2,87.62	(-) 35
104	कारखाना अधिनियम के अंतर्गत उगाहा गया शुल्क	8,76.43	9,88.12	(-) 11
105	खान अधिनियम के अंतर्गत परीक्षण शुल्क	--	0.38	(-) 100
106	ढेका श्रमिक के अंतर्गत शुल्क (विनियमन और उन्मूलन नियम)	4,16.11	2,83.40	47
800	अन्य प्राप्तियाँ	2,99.74	4,41.72	(-) 32
900	घटाएं – वापसियां	(-) 19.00	(-) 18.63	2
	योग – 0230	27,18.07	26,63.16	2
0235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –			
01	पुनर्वास –			
101	दंडकारण्य विकास योजना	69.02	58.07	19
102	विस्थापित व्यक्तियों और प्रत्यावासित व्यक्तियों को सहायता और पुनर्वास	34.44	70.91	(-) 51
200	अन्य पुनर्वास योजनाएं	0.27	4.92	(-) 95
800	अन्य प्राप्तियाँ	3,86.30	10,38.31	(-) 63
900	घटाएं – वापसियां	(-) 2.33	--	--
	योग – 01	4,87.70	11,72.21	(-) 58
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम –			
105	सरकारी कर्मचारी बीमा योजना	26.22	2.45	970
106	सुधारात्मक गृहों से प्राप्तियां	1.66	3.68	(-) 55
800	अन्य प्राप्तियाँ	6,50.27	12,35.88	(-) 47
900	घटाएं – वापसियां	(-) 0.14	--	--
	योग – 60	6,78.01	12,42.01	(-) 45
	योग – 0235	11,65.71	24,14.22	(-) 52

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तविक		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(ii) सामाजिक सेवाएं – समाप्त			
0250 अन्य सामाजिक सेवाएं –			
101 आहार (पोषण)	5.75	--	--
102 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण एवं अल्प संख्यक	85,50.52	56,83.64	50
800 अन्य प्राप्ति	7,12.48	--	--
900 घटाएं – वापसियां	--	(-) 5.76	(-) 100
योग – 0250	92,68.75	56,77.88	63
योग – (ii) सामाजिक सेवाएं	27,81,33.97	16,08,40.78	73
(iii) आर्थिक सेवाएं –			
0401 फसल कृषि-कर्म –			
103 बीज	2,18.86	2,08.84	5
104 कृषि खेतों से प्राप्ति	3,80.93	4,35.25	(-) 12
105 खाद और उर्वरक की बिक्री	6.42	7.19	(-) 11
107 वनस्पति रक्षण सेवाओं से प्राप्ति	7.21	4.31	67
108 वाणिज्यिक फसलों से प्राप्ति	11.84	1.22	870
110 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुदान	0.97	1.63	(-) 40
119 बागवानी और वनस्पति फसलों से प्राप्ति	8,51.10	8,11.14	5
120 कृषि औजारों और ट्रैक्टर सहित मशीनों की बिक्री, भाड़ा और सेवाएं	2,73.92	1,73.63	58
800 अन्य प्राप्ति	44,81.38	32,44.76	38
900 घटाएं – वापसियां	(-) 18.32	--	--
योग – 0401	62,14.31	48,87.97	27

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष		वास्तवित		(₹ लाख में)
		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	करेतर राजस्व – जारी			
(iii)	अन्य करेतर राजस्व – जारी			
	आर्थिक सेवाएं – जारी			
0403	पशुपालन –			
102	मवेशी और भैंस पालन के विकास से प्राप्ति	1,00.46	55.10	82
103	मुर्गी पालन के विकास से प्राप्ति	2.98	0.33	803
104	भेड़ पालन और ऊन के विकास से प्राप्ति	8.00	0.67	1094
105	सुअर पालन के विकास से प्राप्ति	--	14.84	(-) 100
106	चारे और चारागाह के विकास से प्राप्ति	0.02	--	--
108	अन्य पशुधन के विकास से प्राप्ति	0.86	0.21	310
110	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुदान	12.12	3.22	276
501	सेवाएं और सेवा शुल्क	0.27	0.11	145
800	अन्य प्राप्ति	1,47.94	4,14.32	(-) 64
	योग – 0403	2,72.65	4,88.80	(-) 44
0404	डेरी विकास –			
110	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से अनुदान	0.51	0.01	5000
800	अन्य प्राप्ति	--	5.30	(-) 100
	योग – 0404	0.51	5.31	(-) 90
0405	मछली पालन –			
011	किराया	2.51	3.38	(-) 26
102	अनुज्ञापन शुल्क, अर्थदंड आदि	11.67	7.03	66
103	मछली, मछली बीज आदि की बिक्री	5,43.74	8,29.57	(-) 34
501	सेवाएं और सेवा शुल्क	0.06	3.39	(-) 98
800	अन्य प्राप्ति	4,35.84	1,05.47	313
	योग – 0405	9,93.82	9,48.84	5

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii) आर्थिक सेवाएं – जारी			
0406 वानिकी तथा वन्य प्राणी –			
01 वानिकी –			
101 लकड़ी और अन्य वन उत्पाद की बिक्री	5,41.60	53,30.24	(-) 90
102 सामाजिक और फार्म वानिकी से प्राप्तियाँ	87.62	2,63.18	(-) 67
103 पर्यावरणीय वानिकी से प्राप्तियाँ	19.53	4.59	325
104 वन-बागान से प्राप्तियाँ	2.67	11.26	(-) 76
201 तेंदूपत्ता का राजकीय व्यापार	0.14	13.36	(-) 99
202 लघु वनोपज का राजकीय व्यापार	0.48	7.25	(-) 93
203 इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	4,71,67.58	7,09,86.45	(-) 34
204 बांसों का राजकीय व्यापार	20,67.95	20,83.64	(-) 1
206 खैर का राजकीय व्यापार	--	0.17	(-) 100
800 अन्य प्राप्तियाँ	5,42,72.15	3,24,86.41	67
900 घटाएं – वापसियां	(-) 12.63	(-) 19.63	(-) 36
योग – 01	10,41,47.09	11,11,66.92	(-) 6
02 पर्यावरणीय वानिकी और वन्य जीवन –			
800 अन्य प्राप्तियाँ	1,46.56	58.26	152
योग – 02	1,46.56	58.26	152
योग – 0406	10,42,93.65	11,12,25.18	(-) 6
0408 खाद्य भंडारण तथा भांडागार –			
101 खाद्य पदार्थ	1,33.34	10.17	1211
800 अन्य प्राप्तियाँ	4.37	2.06	112
900 घटाएं – वापसियां	--	(-) 0.11	(-) 100
योग – 0408	1,37.71	12.12	1036

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष		वास्तवित		(₹ लाख में)
		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	करेतर राजस्व – जारी			
(iii)	अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii)	आर्थिक सेवाएं – जारी			
0425	सहकारिता –			
101	लेखा परीक्षा शुल्क	5,36.46	10,28.41	(-) 48
800	अन्य प्राप्तियाँ	3,03.84	2,45.61	24
900	घटाएं – वापसियां	--	(-) 0.99	(-) 100
	योग – 0425	8,40.30	12,73.03	(-) 34
0435	अन्य कृषि कार्यक्रम –			
102	कृषि उत्पादों के गुणवत्ता नियंत्रण को श्रेणीबद्ध करने का शुल्क	1.48	2.55	(-) 42
104	मृदा और जल संरक्षण	29.92	12.43	141
501	अन्य सेवाएं एवं सेवा शुल्क	0.17	0.09	89
800	अन्य प्राप्तियाँ	1,59.93	1,93.22	(-) 17
	योग – 0435	1,91.50	2,08.29	(-) 8
0515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम –			
101	पंचायती राज अधिनियमों के अंतर्गत प्राप्तियां	3,88.32	46.36	738
102	सामुदायिक विकास परियोजनाओं से प्राप्तियाँ	2,09.73	3,94.22	(-) 47
800	अन्य प्राप्तियाँ	8,99.51	6,79.48	32
900	घटाएं – वापसियां	--	(-) 7.23	(-) 100
	योग – 0515	14,97.56	11,12.83	35
0700	मुख्य सिंचाई –			
11	चंबल परियोजना –			
101	सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	69.82	1,58.44	(-) 56
800	अन्य प्राप्तियाँ	15.32	44.63	(-) 66
	योग – 11	85.14	2,03.07	(-) 58

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii) आर्थिक सेवाएं – जारी			
0700 मुख्य सिंचाई – जारी			
13 बारना परियोजना –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	54.47	30.49	79
800 अन्य प्राप्ति	59.04	25.70	130
योग – 13	1,13.51	56.19	102
14 तवा परियोजना –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	18,87.27	12,70.16	49
102 घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	3.52	--	--
103 अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	58.24	--	--
800 अन्य प्राप्ति	7.52	12.09	(-) 38
योग – 14	19,56.55	12,82.25	53
15 हलाली परियोजना –			
101 हलाली परियोजना	--	0.65	(-) 100
योग – 15	--	0.65	(-) 100
16 कोलार परियोजना –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	56.73	55.69	2
800 अन्य प्राप्ति	24.85	2.67	831
योग – 16	81.58	58.36	40
20 बाण सागर परियोजना, रीवा –			
102 बाण सागर परियोजना, रीवा	0.47	--	--
800 अन्य प्राप्ति	6.84	22.13	(-) 69
योग – 20	7.31	22.13	(-) 67
25 अपर वानगंगा परियोजना –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिये जल बिक्री	75.54	88.81	(-) 15
102 घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	--	1.65	(-) 100
योग – 25	75.54	90.46	(-) 16

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii) आर्थिक सेवाएं – जारी			
0700 मुख्य सिंचाई – समाप्त			
26 सिंध परियोजना, द्वितीय चरण –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	17.66	11.66	51
800 अन्य प्राप्तियाँ	35.26	26.21	35
योग – 26	52.92	37.87	40
32 बरगी नहर नवीकरण परियोजना जबलपुर –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	0.76	1.60	(-) 53
योग – 32	0.76	1.60	(-) 53
34 कार्यालय प्रमुख अभियंता			
800 अन्य प्राप्तियाँ	0.25	0.36	(-) 31
योग – 34	0.25	0.36	(-) 31
80 सामान्य –			
800 अन्य प्राप्तियाँ	13,34.34	7,95.95	68
योग – 80	13,34.34	7,95.95	68
योग – 0700	37,07.90	25,48.89	45
0701 मध्यम सिंचाई –			
01 मुख्य सिंचाई – वाणिज्यिक			
207 चंबल बेतवा कछार	1,14.83	0.94	12116
208 गंगा कछार	21.86	--	--
218 धसान केन कछार, सागर	0.48	--	--
241 रानी अवंतीबाई सागर परियोजना	3.34	33.24	(-) 90
योग – 01	1,40.51	34.18	311

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii) आर्थिक सेवाएं – जारी			
0701 मध्यम सिंचाई – जारी			
11 चम्बल बेतवा कछार –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	1,60.48	2,77.00	(-) 42
102 घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	98.10	2,56.41	(-) 62
103 अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	90,84.93	1,12,77.15	(-) 19
800 अन्य प्राप्ति	2,72.51	193.52	41
योग – 11	96,16.02	1,20,04.08	(-) 20
12 गंगा कछार –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	4.36	5.67	(-) 23
800 अन्य प्राप्ति	1.88	11.82	(-) 84
योग – 12	6.24	17.49	(-) 64
13 नर्मदा ताप्ती कछार –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	1,71.61	1,36.92	25
102 घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	21.94	--	--
104 नर्मदा ताप्ती कछार	1.34	--	--
800 अन्य प्राप्ति	17.92	1,09.66	(-) 84
योग – 13	2,12.81	2,46.58	(-) 14
14 बान गंगा कछार, सिवनी –			
101 सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	3,00.22	2,38.57	26
102 घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	--	0.08	(-) 100
103 अन्य प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	6.74	--	--
800 अन्य प्राप्ति	75.48	2,25.50	(-) 67
योग – 14	3,82.44	4,64.15	(-) 18

विवरण संख्या 14 – जारी

		वास्तवित		(₹ लाख में)
शीर्ष		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	करेतर राजस्व – जारी			
(iii)	अन्य करेतर राजस्व – जारी			
	आर्थिक सेवाएं – जारी			
0701	मध्यम सिंचाई – जारी			
15	यमुना कछार, ग्वालियर –			
101	सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	56.64	74.66	(-) 24
102	घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	18.56	87.18	(-) 79
104	नहर बागानों से विक्रय आगम	3.22	0.19	1595
800	अन्य प्राप्ति	29.20	1,30.20	(-) 78
	योग – 15	1,07.62	2,92.23	(-) 63
17	धसान केन कछार, सागर –			
101	सिंचाई प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	6.39	0.35	1726
102	घरेलू प्रयोजनों के लिए जल की बिक्री	10.60	15.34	(-) 31
800	अन्य प्राप्ति	3.30	17.05	(-) 81
	योग – 17	20.29	32.74	(-) 38
19	विद्युत/यांत्रिकी मशीनों से प्राप्ति –			
800	अन्य प्राप्ति	21.19	48.18	(-) 56
	योग – 19	21.19	48.18	(-) 56
20	बरगी बांध नवीनीकरण परियोजना जबलपुर			
800	बरगी बांध नवीनीकरण परियोजना जबलपुर	--	0.85	(-) 100
	योग – 20	--	0.85	(-) 100

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii) आर्थिक सेवाएं – जारी			
0701 मध्यम सिंचाई – समाप्त			
80 सामान्य –			
203 बारना परियोजना	1.85	--	--
211 सिंचाई परियोजना सिवनी	0.07	1.64	(-) 96
222 कार्यालय प्रमुख अभियंता	2,54.56	--	--
800 अन्य प्राप्ति	1,18,76.41	12,78.78	829
योग – 80	1,21,32.89	12,80.42	848
योग – 0701	2,26,40.01	1,44,20.90	57
0702 लघु सिंचाई –			
01 सतह जल –			
102 उत्पादक सिंचाई योजनाओं से प्राप्ति	0.57	0.04	1325
103 परिवर्तित योजनाओं से प्राप्ति	0.12	--	--
800 अन्य प्राप्ति	1,42,20.38	1,88,46.07	(-) 25
योग – 01	1,42,21.07	1,88,46.11	(-) 25
02 भू-जल –			
800 अन्य प्राप्ति	--	0.12	(-) 100
योग – 02	--	0.12	(-) 100
03 कमान क्षेत्र विकास –			
800 अन्य प्राप्ति	--	0.31	(-) 100
योग – 03	--	0.31	(-) 100
80 सामान्य –			
800 अन्य प्राप्ति	4,02,82.62	1,65,73.64	143
योग – 80	4,02,82.62	1,65,73.64	143
योग – 0702	5,45,03.69	3,54,20.18	54

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii) आर्थिक सेवाएं – जारी			
0801 बिजली –			
04 डीजल/गैस द्वारा विद्युत उत्पादन –			
800 अन्य प्राप्ति	0.40	--	--
योग – 04	0.40	--	--
80 सामान्य –			
800 अन्य प्राप्ति	1,90,32.13	1,95,14.88	(-) 2
योग – 80	1,90,32.13	1,95,14.88	(-) 2
योग – 0801	1,90,32.53	1,95,14.88	(-) 2
0802 पेट्रोलियम –			
104 पेट्रोलियम अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति	0.05	0.61	(-) 92
800 अन्य प्राप्ति	0.40	0.31	29
योग – 0802	0.45	0.92	(-) 51
0810 ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत –			
101 जैव ऊर्जा	6.20	1,10.98	(-) 94
102 सौर	8,16.50	--	--
103 वायु	1,87.20	--	--
800 अन्य	18.03	6,04.99	(-) 97
योग – 0810	10,27.93	7,15.97	44
0851 ग्राम तथा लघु उद्योग –			
101 औद्योगिक क्षेत्र	10,19.70	1,71.77	494
102 लघु उद्योग	13.31	24.94	(-) 47
103 हथकरघा उद्योग	47.67	20.42	133
104 हस्तशिल्प उद्योग	--	1,25.53	(-) 100
106 जूट उद्योग	0.01	31.99	(-) 100

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii) आर्थिक सेवाएं – जारी			
0851 ग्राम तथा लघु उद्योग – समाप्त			
107 रेशम उत्पाद उद्योग	68,31.39	66.73	10137
108 बिजली करघा उद्योग	0.10	--	--
200 अन्य ग्रामोद्योग	32.67	66.71	(-) 51
800 अन्य प्राप्ति	9,50.84	10,60.09	(-) 11
900 घटाएं—वापसियां	(-) 82.99	(-) 60.63	(-) 37
योग – 0851	88,12.70	15,07.55	485
0852 उद्योग –			
02 सीमेंट और अधात्विक खनिज उद्योग			
800 अन्य प्राप्ति	9.03	--	--
योग – 02	9.03	--	--
08 उपभोक्ता उद्योग			
800 अन्य प्राप्ति	75.90	6,81.95	(-) 89
योग – 08	75.90	6,81.95	(-) 89
80 सामान्य –			
900 घटाएं—वापसियां	(-) 0.02	(-) 2,60.44	(-) 100
योग – 80	(-) 0.02	(-) 2,60.44	(-) 100
योग – 0852	84.91	4,21.51	(-) 80

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष		वास्तवित		(₹ लाख में)
		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ख	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	करेतर राजस्व – जारी			
(iii)	अन्य करेतर राजस्व – जारी			
0853	आर्थिक सेवाएं – जारी			
	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग –			
101	भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण	93.25	0.05	186400
102	खनिज रियायत शुल्क, किराया और स्वत्व शुल्क	23,26,68.69	20,00,59.74	16
103	कैल्शियम नियमों के कार्बाइड अन्तर्गत प्राप्ति	1,09.37	--	--
104	खान विभाग	20,73.44	10,06.57	106
800	अन्य प्राप्ति	16,00,29.42	16,57,54.48	(-) 3
900	घटाएं-वापसियां	(-) 16,18.55	(-) 27,48.80	41
	योग – 0853	39,33,55.62	36,40,72.04	8
0875	अन्य उद्योग –			
02	अन्य उद्योग			
102	अनुज्ञापत्र शुल्क	13.57	2.32	485
	योग – 02	13.57	2.32	485
60	अन्य –			
800	अन्य प्राप्ति	0.83	2.39	(-) 65
	योग – 60	0.83	2.39	(-) 65
	योग – 0875	14.40	4.71	206

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – जारी			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – जारी			
(iii) आर्थिक सेवाएं – जारी			
1054 सड़क तथा सेतु –			
101 राष्ट्रीय राजमार्ग स्थाई सेतु	5.00	--	--
102 सड़कों पर पथकर	90.36	2,52.77	(-) 64
800 अन्य प्राप्ति	31.07	24.18	28
900 घटाएं – वापसियाँ	(-) 8.13	(-) 0.62	1211
योग – 1054	1,18.30	2,76.33	(-) 57
1452 पर्यटन –			
800 अन्य प्राप्ति	11,18.43	53,56.00	(-) 79
योग – 1452	11,18.43	53,56.00	(-) 79
1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं –			
012 सांख्यिकी	83.65	2,87.61	(-) 71
101 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के अंतर्गत उगाहा गया शुल्क	4.28	17.04	(-) 75
102 एकस्व शुल्क	4.32	6.59	(-) 34
103 व्यापार-चिन्ह के पंजीकरण के लिए शुल्क	6.91	5.78	20
104 प्रमाणन, मार्किंग तथा परीक्षण शुल्क से प्राप्ति	5.41	1.61	236
105 संयुक्त स्टॉक कम्पनियों के विनियम	12.80	1.40	814
106 बाटों और मापों के मुद्रांकन के लिए शुल्क	15,92.57	20,01.43	(-) 20
107 जनगणना	2.43	2.51	(-) 3
108 व्यापार प्रदर्शन तथा प्रचार	58.55	20.88	180
200 अन्य कारोबारी उपक्रमों के विनियम	10,26.84	6,04.42	70
202 मौसम-विज्ञान	2.78	0.03	9167
800 अन्य प्राप्ति	1,71.07	1,66.09	3

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ख करेतर राजस्व – समाप्त			
(ग) अन्य करेतर राजस्व – समाप्त			
(iii) आर्थिक सेवाएं – समाप्त			
1475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं – समाप्त			
900 घटाएं – वापसियाँ	(-) 0.38	(-) 1.68	(-) 77
योग – 1475	29,71.23	31,13.71	(-) 5
योग – (iii) आर्थिक सेवाएं	62,18,30.12	56,75,35.97	10
योग – (ग) अन्य करेतर राजस्व	1,06,71,08.77	77,99,71.39	37
योग – ख – करेतर राजस्व	1,18,98,68.70	90,61,18.23	31
ग सहायता अनुदान तथा अंशदान –			
1601 केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान –			
01 योजनेतर अनुदान ^(क) –			
109 राज्य आपदा विमोचन निधि के लिए अंशदान हेतु अनुदान	9,14,40.00	7,25,25.00	26
110 राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि से अनुदान	3,34,00.00	5,02,09.00	(-) 33
800 अन्य अनुदान –			
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	--	2,20.00	(-) 100
पुलिस –			
पुलिस बल का आधुनिकीकरण	43,71.38	--	100
रेल्वे सुरक्षा कार्य –	--	39,44.75	(-) 100
12वां वित्त आयोग – वन	--	2,75.77	(-) 100
14वां वित्त आयोग – स्थानीय निकायों को अनुदान	36,28,22.00	3,97,40.00	813
14वां वित्त आयोग – स्थानीय निकायों के लिए कार्यबल अनुदान	--	27,38,97.00	(-) 100
योग – 800	36,71,93.38	31,80,77.52	15
योग – 01	49,20,33.38	44,08,11.52	12

(क) मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची के अनुसार दिनांक 01.04.2017 के बाद से उपमुख्यशीर्ष 01—आयोजनेतर अनुदान तथा उसके अंतर्गत लघुशीर्ष नए लेन—देन के लिए क्रियाशील नहीं है।

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
ग सहायता अनुदान तथा अंशदान – जारी			
1601 केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – जारी			
02 राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान ^(क) –			
101 एक मुश्त (ब्लॉक) अनुदान –			
1037 सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन.सी.ए.)	--	1.10	(-) 100
1038 वाह्य पोषित योजनाओं के लिये अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.)	13,75.79	4,67.25	194
1039 त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.)	49,99.00	--	--
योग – 101	63,74.79	4,68.35	1261
104 संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के परन्तुक के अंतर्गत अनुदान	2,46,26.30	63,65.21	287
800 अन्य अनुदान –			
अन्य प्रशासनिक सेवाएं –			
0294 जनजातीय क्षेत्र के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता उप योजना	12,63.00	--	--
शिक्षा	2,51,24.76	19,11,81.34	(-) 87
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	19,65,47.57	35,00,72.04	(-) 44
2215 जलपूर्ति तथा सफाई	3,41,06.58	5,59,50.97	(-) 39
2216 आवास – प्रधानमंत्री आवास योजना	41,99,21.81	48,69,50.21	(-) 14
2217 शहरी विकास	24,65,34.24	31,57,49.18	(-) 22
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण तथा अल्प संख्यक	10,48,86.37	27,37,46.87	(-) 62
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	27,43,39.99	22,72,30.88	21
2236 पोषण	2,58,49.90	75,52.04	242
2401 फसल कृषि कर्म	8,78,18.91	8,18,08.46	7
2405 मछली पालन	5,36.72	6,72.02	(-) 20
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी	1,41,73.16	3,33,41.14	(-) 57
2408 खाद्य, भंडारण तथा भांडागार	6,26,84.35	4,44,57.64	41

(क) मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची के अनुसार दि.01.04.2017 के बाद से उपमुख्यशीर्ष 02-राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए अनुदान तथा उसके अंतर्गत लघुशीर्ष नए लेन-देन के लिए क्रियाशील नहीं है।

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष		वास्तवित		(₹ लाख में)
		2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ग	प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी			
(ग)	सहायता अनुदान तथा अंशदान – जारी			
1601	अन्य करेतर राजस्व – जारी			
02	केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – जारी			
	राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान – समाप्त			
800	अन्य अनुदान – समाप्त			
	अन्य अनुदान –			
2515	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	4,92,87.62	2,60,03.07	90
2501	ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	64,96.00	99,03.94	(-) 34
2505	ग्रामीण रोजगार	14,92,64.81	9,82,11.65	52
1050	सड़कें एवं सेतु	6,25,70.00	6,44,93.75	(-) 3
	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	--	25,75.03	(-) 100
	जनगणना सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	--	1,14,81.35	(-) 100
	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	--	2,81,65.00	(-) 100
	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	4,71,00.27	--	--
2053	जिला प्रशासन	17,99.37	--	--
2202	सर्व शिक्षा अभियान	19,92,90.74	--	--
2203	तकनीकी शिक्षा	2,59,80.64	--	--
4059	लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	45,00.79	--	--
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय	34,71.00	--	--
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं पोषाहार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	73,57.75	--	--
4705	कमांड एरिया डेवलपमेंट पर पूंजीगत परिव्यय	2,15.00	--	--
योग – 800		2,05,11,21.36	2,30,95,46.59	(-) 11
योग – 02		2,08,21,22.45	2,31,63,80.15	(-) 10

विवरण संख्या 14 – जारी

शीर्ष	वास्तवित		(₹ लाख में)
	2018-19	2017-18	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) – समाप्त			
ख करेतर राजस्व – समाप्त			
(ग) सहायता अनुदान तथा अंशदान – जारी			
1601 केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान – समाप्त			
03 केन्द्रीय योजनागत योजनाओं के लिये अनुदान–			
800 अन्य अनुदान –			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	15,46.25	10,02.00	54
2235 सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,54.19	2,62.45	(-) 41
श्रम एवं रोजगार	--	19.80	(-) 100
फसल कृषि कर्म	--	1,47.02	(-) 100
2403 पशुपालन	3.50	--	--
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	--	53,06.13	(-) 100
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग	8.72	--	--
योग – 800	17,12.66	67,37.40	(-) 75
योग – 03	17,12.66	67,37.40	(-) 75
08 राज्य/विधायिका के साथ केन्द्र शासित प्रदेशों को अन्य स्थानान्तरण/अनुदान			
114 जी.एस.टी.के कार्यान्वयन के कारण हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति	28,66,00.00	25,11,00.00	14
योग – 08	28,66,00.00	25,11,00.00	14
योग – 1601	2,86,24,68.49	3,01,50,29.06	(-) 5
योग – ग – सहायता अनुदान तथा अंशदान	2,86,24,68.49	3,01,50,29.06	(-) 5
योग – (प्राप्ति शीर्ष – राजस्व लेखा)	14,88,92,79.21	13,48,75,38.96	10
प्राप्ति शीर्ष (पूँजीगत लेखा) –			
4000 विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ –			
01 सिविल –			
800 अन्य प्राप्तियाँ	13,03.72	19,34.60	(-) 33
योग – 01	13,03.72	19,34.60	(-) 33
योग – 4000	13,03.72	19,34.60	(-) 33
महायोग – राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ	14,89,05,82.93	13,48,94,73.56	10

विवरण संख्या 14 – जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी

(₹ लाख में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	2017-18 की तुलना में वृद्धि	वृद्धि के कारण
0005- केन्द्रीय सामान और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.)	1,34,71,14.00	मुख्यतः "राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" में वृद्धि के कारण
0006- राज्यों के सामान और सेवाओं पर कर (एस. जी.एस.टी.)	98,12,37.47	मुख्यतः "एकीकृत वस्तु एवं सेवाकर के विभाजन-राज्य वस्तु एवं सेवाकर तथा कर में कर घटकों के स्थानांतरण में वृद्धि के कारण"
0020- निगम कर	44,21,25.00	मुख्यतः "राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" में वृद्धि के कारण
0021- आय पर निगम कर से भिन्न कर	15,75,05.00	मुख्यतः "राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" में वृद्धि के कारण
0030- स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	4,89,48.55	मुख्यतः स्टाम्प-गैर-न्यायिक के अन्तर्गत "अन्य प्राप्तियाँ" में वृद्धि के कारण
0039- राज्य उत्पाद शुल्क	12,97,13.54	मुख्यतः "अल्कोहल", "माल्ट शराब" और "विदेशी शराब तथा अल्कोहल" में वृद्धि के कारण
0041- वाहन कर	3,16,63.87	मुख्यतः "भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्ति" एवं "अन्य प्राप्तियाँ" में वृद्धि के कारण
0045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	3,53,68.40	मुख्यतः "अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरणों से प्राप्ति" में वृद्धि के कारण
0049- ब्याज प्राप्तियाँ	2,41,22.55	मुख्यतः "अन्य प्राप्तियाँ" में वृद्धि के कारण
0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,23,30.15	मुख्यतः "प्रशासनिक न्याय" के अन्तर्गत "जुर्माना और जब्ती" में वृद्धि के कारण
0071- पेन्शन तथा अन्य सेवा-निवृत्ति लाभों के संबंध में अंशदान और वसूली	1,74,41.50	मुख्यतः "अन्य लघु शीर्षों को अंतरण हेतु प्रतीक्षा में प्राप्तियों" में वृद्धि के कारण
0075- विविध सामान्य सेवाएं	7,19,06.71	मुख्यतः "बिना दावे की जमा" में वृद्धि के कारण
0202- शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	10,56,70.17	मुख्यतः "सामान्य शिक्षा" के अंतर्गत "अन्य प्राप्तियाँ" में वृद्धि के कारण
0702- लघु सिंचाई	1,90,83.51	मुख्यतः लघु सिंचाई के "सामान्य" के अन्तर्गत "अन्य प्राप्तियाँ" में वृद्धि के कारण
0853- अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	2,92,83.58	मुख्यतः "खनिज रियायत शुल्क, किराया तथा लायल्टी" में वृद्धि के कारण

विवरण संख्या 14 – समाप्त
व्याख्यात्मक टिप्पणी

(₹ लाख में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	2017-18 की तुलना में कमी	कमी के कारण
0008- एकीकृत सामान एवं सेवा पर कर	40,00,28.00	मुख्यतः "राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" में कमी के कारण
0029- भू-राजस्व	1,07,07.60	मुख्यतः "भू-राजस्व/कर" में कमी के कारण
0037- सीमा शुल्क	10,56,32.00	मुख्यतः "राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" में कमी के कारण
0038- संघ उत्पाद शुल्क	26,55,50.00	मुख्यतः "राज्यों को समनुदेशित शुल्क" के अन्तर्गत "राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" में कमी के कारण
0040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	50,80,83.64	मुख्यतः "मूल्य वर्धित कर (वैट) प्राप्तियाँ" में कमी के कारण
0042- माल तथा यात्री कर	10,41,79.90	मुख्यतः "स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर" में कमी के कारण
0044- सेवा कर	52,63,12.63	मुख्यतः "राज्यों को समनुदेशित निवल आगमों का हिस्सा" में कमी के कारण
0050- लाभांश तथा लाभ	2,75,09.73	मुख्यतः "सार्वजनिक उपक्रमों से प्राप्त लाभांशों" में कमी के कारण
1601 - केन्द्रीय सरकार से सहायता अनुदान	15,25,60.57	मुख्यतः "गैर योजना अनुदान" के तहत "राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से अनुदान" तथा "राज्य/संघ राज्य क्षेत्र योजनाकृत अनुदान" के अन्तर्गत "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के कल्याण और "वानिकी और वन्य जीव" में कमी के कारण

15 राजस्व व्यय का लघुशीर्षवार विस्तृत विवरण पत्रक

(इस विवरण में तिरछे एवं मोटे अंक प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)					
क सामान्य सेवाएं					
(क) राज्य के अंग					
2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल					
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल					
	48.18				
101 विधान सभा	42,60.51	--	43,08.69	42,86.66	1
103 विधान मंडल सचिवालय	40,88.87	--	40,88.87	44,26.03	(-) 8
	48.18				
योग - 02	83,49.38	--	83,97.56	87,12.69	(-) 4
	48.18				
योग - 2011	83,49.38	--	83,97.56	87,12.69	(-) 4
2012 राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक					
03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक					
090 सचिवालय	4,45.82	--	4,45.82	3,97.23	12
101 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों की परिलब्धियां तथा भत्ते	42.15	--	42.15	1.10	3732
102 विवेकाधीन अनुदान	36.80	--	36.80	4.45	727
103 पारिवारिक स्थापना	4,21.84	--	4,21.84	3,76.03	13
104 आतिथ्य भत्ता	1.54	--	1.54	1.00	54
105 चिकित्सा सुविधाएं	1.32	--	1.32	0.36	267
106 मनोरंजन खर्च	0.75				
	28.98	--	29.73	18.43	61
107 संविदा भत्ते से व्यय	29.41	--	29.41	14.49	103
108 यात्रा व्यय	11.80	--	11.80	5.90	100
800 अन्य व्यय	9.01	--	9.01	62.80	(-) 86
	9,63.64				
योग - 03	65.78	--	10,29.42	8,81.79	17
	9,63.64				
योग - 2012	65.78	--	10,29.42	8,81.79	17

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष		2018-19 के वास्तविक आंकड़े		2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
क	सामान्य सेवाएं – जारी				
(क)	राज्य के अंग – समाप्त				
2013	मंत्रि परिषद –				
101	मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का वेतन	2,16.95	--	2,16.95	2,49.17 (-) 13
102	आतिथ्य तथा अन्य भत्ते	5,08.11	--	5,08.11	4,57.98 11
105	मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान	1,50,10.42	--	1,50,10.42	1,56,67.38 (-) 4
108	यात्रा व्यय	97.35	--	97.35	2,12.43 (-) 54
800	अन्य व्यय	8,16.15	--	8,16.15	8,09.43 1
	योग – 2013	1,66,48.98	--	1,66,48.98	1,73,96.39 (-) 4
2014	न्याय प्रशासन –				
		1,33,30.00			
102	उच्च न्यायालय	11,89.58	--	1,45,19.57	1,33,83.18 8
105	दीवानी और सत्र न्यायालय	7,30,11.41	--	7,30,11.41	5,86,97.33 24
114	विधि सलाहकार तथा परामर्शदाता (काउंसिल)	39,08.02	--	39,08.02	29,70.50 32
800	अन्य व्यय	52,32.99	--	52,32.99	43,07.56 21
	योग – 2014	1,33,30.00	--	9,66,72.00	7,93,58.57 22
2015	निर्वाचन –				
101	निर्वाचन आयोग	18,77.81	--	18,77.81	21,67.45 (-) 13
102	निर्वाचन अधिकारी	48,26.34	--	48,26.34	28,22.87 71
103	निर्वाचक नामावली तैयार तथा मुद्रण करना	71,36.23	--	71,36.23	62,49.40 14
105	संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार	5,41.93	--	5,41.93	3,64.34 49
		56.38			
106	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल के चुनाव कराने के लिए प्रभार	1,64,79.63	--	1,65,36.01	4,68.36 3431
108	मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करना	6,53.54	--	6,53.54	2,15.71 203
800	अन्य व्यय	2,00.00	--	2,00.00	2,67.55 (-) 25
	योग – 2015	56.38	--	3,17,68.79	1,25,56.18 153
		1,43,98.20			
	योग – (क) राज्य के अंग	14,01,18.55	--	15,45,16.75	11,89,05.62 30

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
क सामान्य सेवाएं – जारी					
(ख) राजकोषीय सेवाएं –					
(i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण –					
2020 आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण –					
105 संग्रहण प्रभार – वृत्ति, व्यापार, आजीविका तथा रोजगार पर कर	0.20	--	0.20	0.81	(-) 75
योग – 2020	0.20	--	0.20	0.81	(-) 75
योग – (i) आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	0.20	--	0.20	0.81	(-) 75
(ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण –					
2029 भू-राजस्व –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	76,53.05	--	76,53.05	68,77.55	11
102 सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त संक्रिया	62,40.19	--	62,40.19	53,40.85	17
	0.43				
103 भू अभिलेख	6,43,47.25	31.94	6,43,79.62	4,20,03.20	53
	0.43				
योग – 2029	7,82,40.49	31.94	7,82,72.86	5,42,21.60	44
2030 स्टाम्प तथा पंजीकरण –					
01 स्टाम्प-न्यायिक –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	9,57.64	--	9,57.64	16,71.80	(-) 43
101 स्टाम्पों की लागत	3,23.00	--	3,23.00	--	--
102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	1,32.23	--	1,32.23	31.27	323
योग – 01	14,12.87	--	14,12.87	17,03.07	(-) 17
02 स्टाम्प – न्यायिकेतर –					
101 स्टाम्पों की लागत	37,47.22	--	37,47.22	7.27	51444
102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय	3,88.34	--	3,88.34	4,53.65	(-) 14
797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को अंतरण	--	--	--	2,72,00.00	(-) 100
योग – 02	41,35.56	--	41,35.56	2,76,60.92	(-) 85
03 पंजीकरण –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	46,56.82	--	46,56.82	61,08.16	(-) 24
योग – 03	46,56.82	--	46,56.82	61,08.16	(-) 24
योग – 2030	1,02,05.25	--	1,02,05.25	3,54,72.15	(-) 71
	0.43				
योग – (ii) संपत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर करों का संग्रहण	8,84,45.74	31.94	8,84,78.11	8,96,93.75	(-) 1

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
क सामान्य सेवाएं – जारी					
(ख) राजकोषीय सेवाएं – जारी					
(iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण –					
2039 राज्य उत्पाद शुल्क –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	17,15,02.44	--	17,15,02.44 ^(क)	15,06,00.13	14
102 अफीम आदि का क्रय	49.95	--	49.95	38.10	31
104 लिकर तथा स्पिरिट का क्रय	1,12.18	--	1,12.18	10,64.73	(-) 89
800 अन्य व्यय	1.39	--	1.39	15.39	(-) 91
योग – 2039	17,16,65.96	--	17,16,65.96	15,17,18.35	13
2040 बिक्री, व्यापार आदि पर कर –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	4,15.37	--	4,15.37	41,53.52	(-) 90
101 संग्रहण प्रभार	--	--	--	1,40,80.38	(-) 100
योग – 2040	4,15.37	--	4,15.37	1,82,33.90	(-) 98
2041 वाहन कर –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	30,30.79	--	30,30.79	26,79.98	13
101 संग्रहण प्रभार	25,60.70	--	25,60.70	23,11.22	11
102 मोटर वाहनों का निरीक्षण	17,20.05	--	17,20.05	14,02.41	23
योग – 2041	73,11.54	--	73,11.54	63,93.61	14
2043 राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार					
001 निदेशन तथा प्रशासन	26,64.08	--	26,64.08	--	--
101 संग्रहण प्रभार	1,76,28.02	--	1,76,28.02	--	--
योग – 2043	2,02,92.10	--	2,02,92.10	--	--
2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क					
	5,72,00.00^(ख)				
103 संग्रहण प्रभार – विद्युत शुल्क	44,79.52	--	6,16,79.52	5,42,45.04	14
797 आरक्षित निधियों एवं जमा लेखाओं से/को अंतरण	2,41.23	--	2,41.23	--	--
योग – 2045	5,72,00.00	--	6,19,20.75	5,42,45.04	14
योग – (iii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	20,44,05.72	--	26,16,05.72	23,05,90.90	13

(क) विभाग के अनुसार राज्य उत्पाद शुल्क की वास्तविक संग्रहण लागत ₹ 1,40,56.00 लाख है।

(ख) मुख्यशीर्ष 8229-110 विद्युत विकास निधि को अंतरित।

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
क सामान्य सेवाएं – जारी					
(ख) राजकोषीय सेवाएं – समाप्त					
(iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं –					
2047 अन्य राजकोषीय सेवाएं –					
103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि	2,22.77	--	2,22.77	2,03.06	10
योग – 2047	2,22.77	--	2,22.77	2,03.06	10
योग – (iv) अन्य राजकोषीय सेवाएं	2,22.77	--	2,22.77	2,03.06	10
	5,72,00.43				
योग – (ख) राजकोषीय सेवाएं	29,30,74.43	31.94	35,03,06.80	32,04,88.52	9
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन –					
2049 ब्याज अदायगियां –					
01 आंतरिक ऋण पर ब्याज –					
101 बाजार ऋणों पर ब्याज	73,29,73.99	--	73,29,73.99	59,67,86.70	23
115 भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज	1,16.35	--	1,16.35	--	--
123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज	21,63,32.24	--	21,63,32.24	20,55,11.55	5
200 अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज	12,03,65.67	--	12,03,65.67	12,69,30.17	(-) 5
305 ऋण प्रबंधन	12,66.85	--	12,66.85	19,36.70	(-) 35
योग – 01	1,07,10,55.10	--	1,07,10,55.10	93,11,65.12	15
03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज –					
104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	12,11,71.49	--	12,11,71.49	10,78,72.29	12
योग – 03	12,11,71.49	--	12,11,71.49	10,78,72.29	12
04 केन्द्रीय सरकार से ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज –					
101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिये कर्जों पर ब्याज	6,03,60.77	--	6,03,60.77	4,54,72.07	33
104 योजनेत्तर योजनाओं के लिये ऋणों पर ब्याज	3,64.45	--	3,64.45	4,08.24	(-) 11
109 12वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राज्य आयोजना के लिये समेकित ऋणों पर ब्याज	1,66,02.37	--	1,66,02.37	1,93,25.31	(-) 14
योग – 04	7,73,27.59	--	7,73,27.59	6,52,05.62	19

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष		2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी						
क	सामान्य सेवाएं – जारी					
(ग)	ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन – समाप्त					
2049	ब्याज अदायगियां – समाप्त					
60	अन्य दायित्वों पर ब्याज –					
701	विविध	15.18	--	15.18	2,90.74	(-) 95
	योग – 60	15.18	--	15.18	2,90.74	(-) 95
	योग – 2049	1,26,95,69.36	--	1,26,95,69.36	1,10,45,33.77	15
	योग – (ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण शोधन	1,26,95,69.36	--	1,26,95,69.36	1,10,45,33.77	15
(घ)	प्रशासनिक सेवाएं –					
2051	लोक सेवा आयोग –					
102	राज्य लोक सेवा आयोग	22,55.88				
		49.18	--	23,05.06	28,46.04	(-) 19
	योग – 2051	22,55.88	--	23,05.06	28,46.04	(-) 19
2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं –					
090	सचिवालय	1,21,33.24	--	1,21,33.24	1,12,63.67	8
091	संलग्न कार्यालय	65,21.40	--	65,21.40	68,19.20	(-) 4
092	अन्य कार्यालय	7,25.00	--	7,25.00	5,85.00	24
099	राजस्व मंडल	1,10.13				
		4,51.96	--	5,62.09	4,94.41	14
800	अन्य व्यय	58.16	--	58.16	1,05.00	(-) 45
	योग – 2052	1,10.13	--	1,99,99.89	1,92,67.28	4
2053	जिला प्रशासन –					
		5.38				
093	जिला स्थापनाएं	2,41,78.46	--	2,41,83.84	3,34,16.04	(-) 28
094	अन्य स्थापनाएं	3,54,18.95	--	3,54,18.95	2,86,20.80	24
101	आयुक्त	19,87.93	--	19,87.93	19,27.05	3
800	अन्य व्यय	30,74.85	--	30,74.85	30,44.86	1
	योग – 2053	5.38	--	6,46,65.57	6,70,08.75	(-) 4

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
क सामान्य सेवाएं – जारी					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं – जारी					
2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन –					
003 प्रशिक्षण	1,25.13	--	1,25.13	1,24.31	1
095 लेखा तथा खजाना निदेशालय	45,54.33	--	45,54.33	44,30.02	3
097 खजाना स्थापना	66,23.92	--	66,23.92	62,27.17	6
098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा	42,88.71	--	42,88.71	33,04.28	30
800 अन्य व्यय	5.84	--	5.84	29.43	(-) 80
योग – 2054	1,55,97.93	--	1,55,97.93	1,41,15.21	11
2055 पुलिस –					
001 निदेशन और प्रशासन	1,10,74.97	--	1,10,74.97	93,76.06	18
003 शिक्षा और प्रशिक्षण	1,43,98.35	--	1,43,98.35	1,17,85.06	22
101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता	2,96,84.28	--	2,96,84.28	2,33,11.71	27
104 विशेष पुलिस	11,83,39.08	--	11,83,39.08	10,03,00.57	18
105 सीमा सुरक्षा बल	62.09	--	62.09	63.99	(-) 3
108 राज्य मुख्यालय पुलिस	22,25.94	--	22,25.94	19,73.24	13
	1,26.18				
109 जिला पुलिस	37,04,74.35	47,07.38	37,53,07.91	32,00,65.84	17
110 ग्राम पुलिस	1,25.77	--	1,25.77	1,23.37	2
111 रेल पुलिस	1,14,04.33	--	1,14,04.33	1,00,84.64	13
113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण	25,28.32	--	25,28.32	15,67.07	61
114 बेतार और कम्प्यूटर	1,42,81.40	--	1,42,81.40	1,25,07.48	14
115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण	33,57.39	6,17.21	39,74.60	64,99.02	(-) 39
116 न्यायालयिक विज्ञान	19,85.76	--	19,85.76	18,42.67	8
800 अन्य व्यय	1,60,28.51	--	1,60,28.51	1,59,27.08	1
	1,26.18				
योग – 2055	59,59,70.54	53,24.59	60,14,21.31	51,54,27.80	17

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
क सामान्य सेवाएं – जारी					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं – जारी					
2056 जेल –					
001 निदेशन और प्रशासन	11,29.11	--	11,29.11	10,56.10	7
101 जेल	3,12,43.26	--	3,12,43.26	2,77,36.93	13
102 जेल उत्पाद	4,82.07	--	4,82.07	4,81.85	--
योग – 2056	3,28,54.44	--	3,28,54.44	2,92,74.88	12
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण –					
001 निदेशन और प्रशासन	2,65.29	--	2,65.29	1,97.16	35
101 लेखन सामग्री भण्डार क्रय तथा पूर्ति	--	--	--	82.21	(-) 100
103 सरकारी मुद्रणालय	41,29.38	--	41,29.38	39,76.71	4
104 अन्य साधनों से मुद्रण की लागत	1,42.93	--	1,42.93	1,03.24	38
800 अन्य व्यय	11.17	--	11.17	14.99	(-) 25
योग – 2058	45,48.77	--	45,48.77	43,74.31	4
2059 लोक निर्माण कार्य –					
01 कार्यालय भवन –					
053 रख-रखाव तथा मरम्मत	1,40,87.26	--	1,40,87.26	1,43,40.44	(-) 2
800 अन्य व्यय	1,50.19	--	1,50.19	1,77.02	(-) 15
योग – 01	1,42,37.45	--	1,42,37.45	1,45,17.46	(-) 2
80 सामान्य –					
	27.69				
001 निदेशन और प्रशासन	2,67,81.15	--	2,68,08.84	2,64,68.20	1
052 मशीनरी तथा उपस्कर	33,94.66	--	33,94.66	38,25.80	(-) 11
799 उचंत	0.01	--	0.01	--	--
	1,96.20				
800 अन्य व्यय	--	--	1,96.20	1,09.66	79
	2,23.89				
योग – 80	3,01,75.82	--	3,03,99.71	3,02,94.00	--
	2,23.89				
योग – 2059	4,44,13.27	--	4,46,37.16	4,49,21.12	(-) 1

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
क सामान्य सेवाएं – जारी					
(घ) प्रशासनिक सेवाएं – समाप्त					
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं –					
003 प्रशिक्षण	9,41.76	--	9,41.76	12,39.85	(-) 24
104 सतर्कता	33,02.14	--	33,02.14	28,82.90	15
105 विशेष जांच आयोग	31.22	--	31.22	75.48	(-) 59
106 सिविल रक्षा	28.49	--	28.49	24.62	16
107 होमगार्ड	4,19,49.22	--	4,19,49.22	3,02,68.18	39
108 अग्नि से बचाव तथा नियंत्रण	14,24.47	--	14,24.47	12,46.04	14
114 वाहन का क्रय तथा रख-रखाव	8,36.70	--	8,36.70	8,23.93	2
800 अन्य व्यय	12,98.89	--	12,98.89	9,07.77	43
योग – 2070	4,98,12.89	--	4,98,12.89	3,74,68.77	33
	27,21.46				
योग – (घ) – प्रशासनिक सेवाएं	82,77,97.00	53,24.59	83,58,43.02	73,47,04.16	14

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
क सामान्य सेवाएं – समाप्त					
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं –					
2071 पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ –					
01 सिविल –					
	2,13.40				
101 अधिवार्षिकी तथा सेवानिवृत्ति भत्ते	74,08,60.80	--	74,10,74.20	56,66,50.16	31
102 पेंशन का सारांशिकृत मूल्य	78,63.73	--	78,63.73	49,49.94	59
103 क्षतिपूरक भत्ता	18.64	--	18.64	--	--
104 उपादान	13,73,62.76	--	13,73,62.76	12,20,43.02	13
105 परिवार पेंशन	18,97,49.48	--	18,97,49.48	14,63,99.91	30
106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में पेंशन संबंधी प्रभार	85.46	--	85.46	1,30.38	(-) 34
108 सामान्य भविष्य निधि का अंशदान	0.59	--	0.59	--	--
111 विधायकों को पेंशन	31,88.50	--	31,88.50	26,82.41	19
115 छुट्टी नकदीकरण हित लाभ	4,61,48.25	--	4,61,48.25	4,32,87.68	7
117 परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिये शासकीय अंशदान	7,28,88.39	--	7,28,88.39	4,28,81.40	70
200 अन्य पेंशन	2.71	--	2.71	--	--
	2,98.86				
योग – 01	1,19,80,83.85	--	1,19,83,82.71	92,90,24.90	29
	2,98.86				
योग – 2071	1,19,80,83.85	--	1,19,83,82.71	92,90,24.90	29
2075 विविध सामान्य सेवाएं –					
102 विभाजन पूर्व अदायगियां	79.17	--	79.17	80.00	(-) 1
104 विशिष्ट सेवाओं को ध्यान में रखते हुए पेंशन तथा पुरस्कार	13.93		13.93	--	--
797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को अंतरण	0.31	--	0.31	--	--
800 अन्य व्यय	25,44.48	--	25,44.48	22,71.27	12
योग – 2075	26,37.89	--	26,37.89	23,51.27	12
	2,98.86				
योग – (ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	1,20,07,21.74	--	1,20,10,20.60	93,13,76.17	29
	1,34,41,88.30				
योग – क – सामान्य सेवाएं	2,46,17,11.70	53,56.53	3,81,12,56.53	3,21,00,08.23	19

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं –					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति –					
2202 सामान्य शिक्षा –					
01 प्रारंभिक शिक्षा –					
001 निदेशन और प्रशासन	1,36,04.91	--	1,36,04.91	1,24,58.07	9
101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय	60,02,38.84	29,53,16.34	89,55,55.18	75,38,95.93	19
102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता	3,65,86.63	22,30.15	3,88,16.78	2,00,19.78	94
107 अध्यापक प्रशिक्षण	97.26	--	97.26	97.21	--
108 पाठ्य पुस्तकें	6,60.00	--	6,60.00	60,44.40	(-) 89
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	2,13,18.98	--	2,13,18.98	3,15,53.50	(-) 32
193 नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों या उनके समकक्ष समितियों को सहायता	1,27,52.00	--	1,27,52.00	1,85,74.66	(-) 31
196 जिला पंचायतों को सहायता	13,11,73.25	--	13,11,73.25	49,54,65.98	(-) 74
197 विकास खण्ड पंचायतों/मयवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता	2,12,08.91	--	2,12,08.91	--	--
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	2,80,90.20	--	2,80,90.20	--	--
800 अन्य व्यय	--	--	--	5,74,80.98	(-) 100
योग – 01	86,57,30.98	29,75,46.49	1,16,32,77.47	1,39,55,90.51	(-) 17
02 माध्यमिक शिक्षा –					
001 निदेशन और प्रशासन	2,03,65.23	--	2,03,65.23	71,10.05	186
105 अध्यापक प्रशिक्षण	17,13.00	2.94	17,15.94	44,88.25	(-) 62
106 पाठ्य पुस्तक	78,99.79	--	78,99.79	96,74.00	(-) 18
109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय	20,96,45.06	4,46,10.00	25,42,55.06	32,47,58.00	(-) 22
110 अराजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता	--	--	--	1,70,88.02	(-) 100
191 माध्यमिक शिक्षा के लिये स्थानीय निकायों को सहायता	1,35,45.66	--	1,35,45.66	65,25.10	108
196 जिला पंचायतों को सहायता	88,66,54.09	--	88,66,54.09	33,13,51.83	168
197 विकास खण्ड पंचायतों/मयवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता	--	--	--	46,23.60	(-) 100
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	--	--	--	69,05.24	(-) 100
800 अन्य व्यय	--	--	--	9,38.64	(-) 100
योग – 02	1,13,98,22.83	4,46,12.94	1,18,44,35.77	71,34,62.73	66

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति – जारी					
2202 सामान्य शिक्षा – समाप्त					
03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	16,50.57	50.00	17,00.57	17,67.18	(-) 4
102 विश्वविद्यालयों को सहायता	74,08.82	--	74,08.82	74,40.97	--
103 राजकीय महाविद्यालय तथा संस्थान	12,50,21.91	24.80	12,50,46.71	12,49,70.57	--
104 अराजकीय महाविद्यालय तथा संस्थानों को सहायता	3,27,70.00	--	3,27,70.00	2,41,74.41	36
106 पाठ्य-पुस्तक विकास	49.00	--	49.00	50.00	(-) 2
107 छात्रवृत्तियां	68.91	--	68.91	2,23.49	(-) 69
योग – 03	16,69,69.21	74.80	16,70,44.01	15,86,26.62	5
05 भाषा विकास –					
103 संस्कृत शिक्षा	13,45.37	--	13,45.37	15,41.67	(-) 13
योग – 05	13,45.37	--	13,45.37	15,41.67	(-) 13
80 सामान्य –					
	1.58				
001 निदेशन और प्रशासन	1,54,64.65	--	1,54,66.23	1,09,09.37	42
107 छात्रवृत्तियां	10,75.03	--	10,75.03	11,45.93	(-) 6
800 अन्य व्यय	7,06.32	--	7,06.32	14,67.44	(-) 52
योग – 80	1,72,46.00	--	1,72,47.58	1,35,22.74	28
योग – 2202	2,19,11,14.39	34,22,34.23	2,53,33,50.20	2,28,27,44.27	11

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष		2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी						
ख सामाजिक सेवाएं – जारी						
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति – समाप्त						
2203	तकनीकी शिक्षा –					
001	निदेशन और प्रशासन	11,89.81	--	11,89.81	3,19.52	272
104	अराजकीय तकनीकी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता	2,83,56.16	--	2,83,56.16	1,81,28.35	56
105	बहुशिल्प (पॉलिटेक्नीक) विद्यालय	1,49,33.02	--	1,49,33.02	1,56,87.79	(-) 5
106	पुस्तक संवर्धन	5.79	--	5.79	65.27	(-) 91
107	छात्रवृत्तियां	0.42	--	0.42	0.34	24
112	अभियांत्रिकी/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान	41,96.28	--	41,96.28	42,55.41	(-) 1
800	अन्य व्यय	22,63.90	--	22,63.90	5,37.58	321
योग – 2203		5,09,45.38		5,09,45.38	3,89,94.26	31
2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं –					
101	शारीरिक शिक्षा	2,13.53	--	2,13.53	1,37.11	56
102	विद्यार्थियों के लिए युवा कल्याण कार्यक्रम	41,73.81	--	41,73.81	40,55.07	3
103	गैर विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम	15,27.68	--	15,27.68	13,54.04	13
800	अन्य व्यय	1,07,82.52	--	1,07,82.52	1,24,60.87	(-) 13
योग – 2204		1,66,97.54	--	1,66,97.54	1,80,07.09	(-) 7
2205	कला एवं संस्कृति –					
001	निदेशन और प्रशासन	2,40.00	--	2,40.00	2,39.89	--
101	ललित कला शिक्षा	5,15.64	--	5,15.64	4,62.39	12
102	कला एवं संस्कृति का संवर्धन	1,03,69.34	--	1,03,69.34	2,00,64.82	(-) 48
103	पुरातत्व विज्ञान	19,49.13	--	19,49.13	19,26.26	1
104	अभिलेखागार	1,90.37	--	1,90.37	1,84.05	3
105	सार्वजनिक पुस्तकालय	8,88.22	--	8,88.22	7,26.21	22
107	संग्रहालय	22,62.92	--	22,62.92	19,94.49	13
योग – 2205		1,64,15.62	--	1,64,15.62	2,55,98.11	(-) 36
		1.58				
योग – (क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		2,27,51,72.93	34,22,34.23	2,61,74,08.74	2,36,53,43.73	11

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण –					
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य –					
01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी –					
001 निदेशन और प्रशासन	1,63,86.09	--	1,63,86.09	1,42,06.31	15
102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना	1,27,89.10	--	1,27,89.10	1,16,80.26	9
110 अस्पताल तथा औषधालय	8,51,73.94	16,82,51.08	25,34,25.02	29,34,11.20	(-) 14
	6.33				
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	10,42,92.72	--	10,42,99.05	7,91,54.02	32
800 अन्य व्यय	17,87.24	--	17,87.24	58,81.16	(-) 70
	6.33				
योग – 01	22,04,29.09	16,82,51.08	38,86,86.50	40,43,32.95	(-) 4
02 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य चिकित्सा पद्धतियां –					
101 आयुर्वेद	2,53,76.67	45,05.46	2,98,82.13	2,38,62.28	25
102 होम्योपैथी	28,27.47	--	28,27.47	30,03.08	(-) 6
103 यूनानी	17,65.12	--	17,65.12	18,87.84	(-) 7
योग – 02	2,99,69.26	45,05.46	3,44,74.72	2,87,53.20	20
03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – एलोपैथी –					
103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	8,98,95.68	--	8,98,95.68	8,35,16.38	8
197 विकासखण्ड पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता	34,73.27	--	34,73.27	31,40.85	11
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	12,55.12	--	12,55.12	9,13.31	37
योग – 03	9,46,24.07	--	9,46,24.07	8,75,70.54	8
04 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं – अन्य चिकित्सा पद्धतियां –					
101 आयुर्वेद	3,76.57	--	3,76.57	3,26.42	15
योग – 04	3,76.57	--	3,76.57	3,26.42	15
05 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान –					
101 आयुर्वेद	56,94.49	--	56,94.49	45,63.08	25
102 होम्योपैथी	13,39.63	--	13,39.63	5,49.83	144
105 एलोपैथी	1,01,95.48	--	1,01,95.48	3,57,72.51	(-) 72
योग – 05	1,72,29.60	--	1,72,29.60	4,08,85.42	(-) 58

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण – समाप्त					
2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य – समाप्त					
06 लोक स्वास्थ्य –					
003 प्रशिक्षण	4,82.00	--	4,82.00	4,70.34	2
101 रोगों का निवारण तथा नियंत्रण	2,27,69.60	--	2,27,69.60	2,01,81.80	13
102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण	11,66.70	--	11,66.70	11,36.33	3
104 औषध नियंत्रण	8,02.71	--	8,02.71	6,30.66	27
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	1,64,14.05	--	1,64,14.05	1,37,93.10	19
योग – 06	4,16,35.06	--	4,16,35.06	3,62,12.23	15
80 सामान्य –					
800 अन्य व्यय	2,60,74.19	--	2,60,74.19	24,86.72	949
योग – 80	2,60,74.19	--	2,60,74.19	24,86.72	949
योग – 2210	6.33 43,03,37.84	17,27,56.54	60,31,00.71	60,05,67.48	--
2211 परिवार कल्याण –					
001 निदेशन और प्रशासन	--	2,43.15	2,43.15	2,17.82	12
003 प्रशिक्षण	--	21,14.87	21,14.87	20,48.98	3
102 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं	--	22,69.78	22,69.78	19,40.97	17
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	--	52,10.66	52,10.66	47,51.95	10
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	--	3,91,31.82	3,91,31.82	3,13,60.84	25
योग – 2211	--	4,89,70.28	4,89,70.28	4,03,20.56	21
योग – (ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	6.33 43,03,37.84	22,17,26.82	65,20,70.99	64,08,88.04	2

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास –					
2215 जलपूर्ति तथा सफाई –					
01 जलपूर्ति –					
	66.12				
001 निदेशन तथा प्रशासन	1,70,18.22	--	1,70,84.34	1,69,97.38	1
052 मशीनरी तथा उपस्कर	9.54	--	9.54	10.00	(-) 5
101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम	1,69,00.29	--	1,69,00.29	1,89,96.04	(-) 11
102 ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम	3,51,17.09	--	3,51,17.09	3,64,80.88	(-) 4
191 नगर निगमों को सहायता	29,70.00	--	29,70.00	29,66.32	--
192 नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	6,87.34	--	6,87.34	9,22.85	(-) 26
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों या समकक्ष समितियों को सहायता	59.40	--	59.40	54.00	10
800 अन्य व्यय	2,40.00	66.61	3,06.61	2,47.00	24
	66.12				
योग – 01	7,30,01.88	66.61	7,31,34.61	7,66,74.47	(-) 5
02 मल-जल तथा सफाई –					
001 निदेशन और प्रशासन	--	73.17	73.17	70.56	4
106 वायु तथा जल प्रदूषण का निवारण	17,27.90	90.00	18,17.90	13,05.00	39
107 मल-जल सेवाएं	21,55.83	--	21,55.83	23,25.07	(-) 7
192 नगरपालिका/नगर परिषदों को सहायता	--	--	--	(-) 0.16	(-) 100
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	--	6,82,89.22	6,82,89.22	22,74,23.59	(-) 70
800 अन्य व्यय	10,32.00	--	10,32.00	4,90.48	110
	49,15.73	6,84,52.39	7,33,68.12	23,16,14.54	(-) 68
योग – 02	49,15.73	6,84,52.39	7,33,68.12	23,16,14.54	(-) 68
	66.12				
योग – 2215	7,79,17.61	6,85,19.00	14,65,02.73	30,82,89.01	(-) 52
2216 आवास –					
02 शहरी आवास					
800 अन्य व्यय	--	--	--	12,00,00.00	(-) 100
	--	--	--	12,00,00.00	(-) 100
योग – 02	--	--	--	12,00,00.00	(-) 100
03 ग्रामीण आवास –					
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	4,27,66.00	55,23,66.14	59,51,32.14	70,20,27.50	(-) 15
800 अन्य व्यय	--	--	--	1,32,00.00	(-) 100
योग – 03	4,27,66.00	55,23,66.14	59,51,32.14	71,52,27.50	(-) 17

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास – समाप्त					
2216 आवास – समाप्त					
05 सामान्य पूल आवास –					
053 मरम्मत एवं अनुरक्षण	1,86,19.17	--	1,86,19.17	1,97,50.52	(-) 6
योग – 05	1,86,19.17	--	1,86,19.17	1,97,50.52	(-) 6
80 सामान्य –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	1,00.00	--	1,00.00	85.63	17
योग – 80	1,00.00	--	1,00.00	85.63	17
योग – 2216	6,14,85.17	55,23,66.14	61,38,51.31	85,50,63.65	(-) 28
2217 शहरी विकास –					
01 राज्य की राजधानी का विकास –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	9,43.04	--	9,43.04	8,51.43	11
योग – 01	9,43.04	--	9,43.04	8,51.43	11
05 अन्य शहरी विकास योजनाएं –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	20,91.02	--	20,91.02	19,53.55	7
191 नगर निगमों को सहायता	5,14,71.65	1,17,43.43	6,32,15.08	7,25,57.52	(-) 13
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	2,82,95.60	--	2,82,95.60	3,14,59.39	(-) 10
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों या समकक्ष समितियों को सहायता	2,24,78.95	--	2,24,78.95	2,65,69.75	(-) 15
800 अन्य व्यय	1,98,42.75	45,04,18.35	47,02,61.10	43,49,65.05	8
योग – 05	12,41,79.97	46,21,61.78	58,63,41.75	56,75,05.26	3
80 सामान्य –					
800 अन्य व्यय	36.10	--	36.10	35.99	--
योग – 80	36.10	--	36.10	35.99	--
योग – 2217	12,51,59.11	46,21,61.78	58,73,20.89	56,83,92.68	3
	66.12				
योग – (ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	26,45,61.89	1,08,30,46.92	1,34,76,74.93	1,73,17,45.34	(-) 22

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(घ) सूचना तथा प्रसारण –					
2220 सूचना तथा प्रचार –					
01 चलचित्र –					
001 निदेशन और प्रशासन	2,85,14.81	--	2,85,14.81	2,56,63.64	11
105 चलचित्रों का निर्माण	5,48.30	--	5,48.30	6,39.87	(-) 14
800 अन्य व्यय	--	--	--	24,00.33	(-) 100
योग – 01	2,90,63.11	--	2,90,63.11	2,87,03.84	1
60 अन्य –					
101 विज्ञापन और दृश्य प्रचार	1,61.18	--	1,61.18	5,01.18	(-) 68
106 क्षेत्र प्रचार	90,02.28	--	90,02.28	47,28.03	90
110 प्रकाशन	1,82.44	--	1,82.44	4,16.39	(-) 56
योग – 60	93,45.90	--	93,45.90	56,45.60	66
योग – 2220	3,84,09.01	--	3,84,09.01	3,43,49.44	12
योग – (घ) सूचना तथा प्रसारण	3,84,09.01	--	3,84,09.01	3,43,49.44	12
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण –					
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक –					
01 अनुसूचित जातियों का कल्याण –					
	0.20				
001 निदेशन तथा प्रशासन	23,70.94	--	23,71.14	21,08.42	12
102 आर्थिक विकास	77,45.01	--	77,45.01	81,78.92	(-) 5
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	18,90.00	--	18,90.00	18,90.00	--
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	1,67,60.98	83,39.72	2,51,00.70	2,63,95.17	(-) 5
277 शिक्षा	3,58,88.67	1,29,29.49	4,88,18.16	6,00,94.96	(-) 19
800 अन्य व्यय	61,88.89	1,04,45.47	1,66,34.36	1,55,98.27	7
योग – 01	7,08,44.49	3,17,14.68	10,25,59.37	11,22,65.74	(-) 9

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण – समाप्त					
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक – समाप्त					
02 अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –					
	1.24				
001 निदेशन और प्रशासन	1,08,71.12	38.64	1,09,11.00	94,64.72	15
102 आर्थिक विकास	2,60,01.35	--	2,60,01.35	73,56.69	253
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1,35.00	--	1,35.00	2,40.30	(-) 44
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	1,42,78.45	--	1,42,78.45	1,17,76.36	21
197 विकास खण्ड पंचायतों/मयवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता	20,17.10	--	20,17.10	42,81.74	(-) 53
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	30,85.73	--	30,85.73	80,72.49	(-) 62
277 शिक्षा	5,48,16.43	1,76,46.29	7,24,62.72	7,93,08.07	(-) 9
794 जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	--	--	--	33,01.04	(-) 100
800 अन्य व्यय	24,08.89	87,92.46	1,12,01.35	1,85,47.20	(-) 40
योग – 02	1.24				
	11,36,14.07	2,64,77.39	14,00,92.70	14,23,49.01	(-) 2
03 पिछड़े वर्गों का कल्याण –					
001 निदेशन और प्रशासन	15,94.54	--	15,94.54	14,76.64	8
277 शिक्षा	6,96,08.55	73,66.81	7,69,75.36	7,59,47.92	1
800 अन्य व्यय	44,79.75	--	44,79.75	36,33.99	23
योग – 03	7,56,82.84	73,66.81	8,30,49.65	8,10,58.55	2
योग – 2225	1.44				
	26,01,41.40	6,55,58.88	32,57,01.72	33,56,73.30	(-) 3
योग – (ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.44				
	26,01,41.40	6,55,58.88	32,57,01.72	33,56,73.30	(-) 3

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण –					
2230 श्रम तथा रोजगार –					
01 श्रम –					
001	निदेशन और प्रशासन	4,32.65	--	4,32.65	3,91.18 11
101	औद्योगिक संबंध	38,65.92	--	38,65.92	35,07.77 10
102	कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा	7,31.49	--	7,31.49	7,15.49 2
103	सामान्य श्रम कल्याण	12,00.00	--	12,00.00	50.00 2300
112	बंधुआ मजदूर का पुनर्वास	7,85,99.90	--	7,85,99.90	2,54.97 30727
800	अन्य व्यय	--	--	--	50.00 (-) 100
योग – 01		8,48,29.96	--	8,48,29.96	49,69.41 1607
02 रोजगार सेवाएं –					
001	निदेशन और प्रशासन	3,36.93	--	3,36.93	2,84.07 19
101	रोजगार सेवाएं	21,64.16	1,35.85	23,00.01	20,05.02 15
योग – 02		25,01.09	1,35.85	26,36.94	22,89.09 15
03 प्रशिक्षण –					
001	निदेशन और प्रशासन	4,72.15	5.44	4,77.59	26,52.00 (-) 82
003	शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	3,10,60.22	40.23	3,11,00.45	2,27,07.92 37
101	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	21,76.92	4.46	21,81.38	29,79.25 (-) 27
800	अन्य व्यय	5.37	--	5.37	6.06 (-) 11
योग – 03		3,37,14.66	50.13	3,37,64.79	2,83,45.23 19
योग – 2230		12,10,45.71	1,85.98	12,12,31.69	3,56,03.73 241
योग – (च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		12,10,45.71	1,85.98	12,12,31.69	3,56,03.73 241
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण –					
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण –					
01 पुनर्वास –					
800	अन्य व्यय	66.14	--	66.14	26.13 153
योग – 01		69.44	--	69.44	26.13 153

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – जारी					
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण – जारी					
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण – जारी					
02 समाज कल्याण –					
001 निदेशन और प्रशासन	1,62,78.72	--	1,62,78.72	72,03.26	126
101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	63,43.18	--	63,43.18	65,60.70	(-) 3
102 बाल कल्याण	9,76,43.82	7,55,29.19	17,31,73.01	12,33,59.11	40
103 महिलाओं का कल्याण	8,43,44.07	1,20,17.80	9,63,61.87	11,46,24.97	(-) 16
104 वृद्ध, अशक्त तथा निस्सहाय व्यक्तियों का कल्याण	26.15	--	26.15	23.90	9
106 सुधारक सेवाएं	10.29	--	10.29	15.81	(-) 35
107 स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	45.00	--	45.00	39.75	13
191 नगर निगमों को सहायता	16,73.00	33,16.70	49,89.70	47,94.83	4
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	19,53.50	51,16.02	70,69.52	62,67.00	13
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समकक्ष समितियों को सहायता	20,53.45	69,63.61	90,17.06	82,93.58	9
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	1,76.86	--	1,76.86	3,32.38	(-) 47
200 अन्य कार्यक्रम	11,07.99	--	11,07.99	10,30.41	8
796 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	4,97.85	(-) 100
800 अन्य व्यय	1,75,43.28	6,11.32	1,81,54.60	1,22,64.12	48
योग – 02	22,91,99.31	10,35,54.64	33,27,53.95	28,53,07.67	17
60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम –					
101 निर्धन परिवारों के लिए वैयक्तिक दुर्घटना बीमा योजना	87.56	--	87.56	58.46	50
102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अन्तर्गत पेंशन	10,08.05	26,13.40	36,21.45	45,43.83	(-) 20
107 स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना	19,35.14	--	19,35.14	22,70.24	(-) 15
191 नगर निगमों को सहायता	13,47.42	26,37.11	39,84.53	38,09.49	5
192 नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	17,77.00	37,47.30	55,24.30	54,46.18	1
193 नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र समितियों या उनके समकक्ष समितियों को सहायता	17,77.50	55,28.30	73,05.80	68,77.43	6
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	2,43.72	28,81.05	31,24.77	45,24.29	(-) 31
197 विकासखण्ड पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता	--	--	--	0.30	(-) 100
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	3,23,33.95	6,34,25.60	9,57,59.55	10,16,76.37	(-) 6
200 अन्य कार्यक्रम	1,18,26.85	--	1,18,26.85	1,01,57.90	16

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष		2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी						
ख	सामाजिक सेवाएं – जारी					
(छ)	समाज कल्याण एवं पोषण – जारी					
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण – समाप्त					
60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम – समाप्त					
800	अन्य व्यय	4,25.00	--	4,25.00	5,72.09	(-) 26
	योग – 60	5,27,62.19	8,08,32.76	13,35,94.95	14,02,86.58	(-) 5
	योग – 2235	28,20,27.64	18,43,87.40	46,64,15.04	42,56,20.38	10
2236 पोषण –						
02	पोषक भोजन तथा सुपेय का वितरण –					
101	विशेष पोषण कार्यक्रम	2,26.50	13,60,00.56	13,62,27.06	12,70,42.52	7
	योग – 02	2,26.50	13,60,00.56	13,62,27.06	12,70,42.52	7
	योग – 2236	2,26.50	13,60,00.56	13,62,27.06	12,70,42.52	7
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत –						
01	सूखा –					
101	आनुग्रहिक राहत	8,73,57.03	--	8,73,57.03	7,77,35.85	12
102	पेयजल प्रदाय	19,93.43	--	19,93.43	8,34.46	139
	योग – 01	8,93,50.46	--	8,93,50.46	7,85,70.31	14
02	बाढ़, चक्रवात आदि –					
101	आनुग्रहिक राहत	2,64,74.98	--	2,64,74.98	1,04,85.21	152
	योग – 02	2,64,74.98	--	2,64,74.98	1,04,85.21	152
05	राज्य आपदा विमोचन निधि –					
101	आरक्षित निधि और जमा लेखों को अन्तरण-राज्य आपदा विमोचन निधि	10,16,00.00 ^(क)	--	10,16,00.00	9,67,00.00	5
901	घटाएं – राज्य आपदा विमोचन निधि से पूरी की गई राशि	(-) 10,16,00.00 ^(ख)	--	(-) 10,16,00.00	(-) 9,67,00.00	5
	योग – 05	--	--	--	--	--

(क) मुख्यशीर्ष 8121-122-राज्य आपदा विमोचन निधि को अंतरित (विवरण संख्या 21)

(ख) मुख्यशीर्ष 8121-122-राज्य आपदा विमोचन निधि से क्षतिपूर्ति की गई (विवरण संख्या 21)

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ख सामाजिक सेवाएं – समाप्त					
(छ) समाज कल्याण एवं पोषण – समाप्त					
2245 प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत – समाप्त					
80 सामान्य –					
001 निदेशन और प्रशासन	1,76.35	--	1,76.35	1,61.19	9
102 विनाश वाले क्षेत्रों में प्राकृतिक विनाश, आकस्मिक योजनाओं का प्रबंध	1,21.85	--	1,21.85	2,03.90	(-) 40
103 राष्ट्रीय आपदा विमोचन निधि से राज्य को सहायता	--	--	--	5,02,09.00 (-) 5,02,09.00	(-) 100
800 अन्य व्यय	2,72,75.94	--	2,72,75.94	2,36,90.87	15
योग – 80	2,75,74.14	--	2,75,74.14	2,40,55.96	15
योग – 2245	14,33,99.58	--	14,33,99.58	11,31,11.48	27
योग – (छ) समाज कल्याण तथा पोषण	42,56,53.72	32,03,87.96	74,60,41.68	66,57,74.38	12
(ज) अन्य –					
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं –					
103 मंदिरों, मंदिरों आदि का रखरखाव	--	--	--	15,79.47	(-) 100
800 अन्य व्यय	1,89,22.56	--	1,89,22.56	2,05,30.87	(-) 8
योग – 2250	1,89,22.56	--	1,89,22.56	2,21,10.34	(-) 14
2251 सचिवालय – सामाजिक सेवाएं –					
090 सचिवालय	32,69.82	--	32,69.82	31,29.10	4
योग – 2251	32,69.82	--	32,69.82	31,29.10	4
योग – (ज) – अन्य	2,21,92.38	--	2,21,92.38	2,52,39.44	(-) 12
	75.47				
योग – ख सामाजिक सेवाएं	3,83,75,14.88	2,03,31,40.79	5,87,07,31.14	5,83,46,17.40	1

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं –					
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप –					
2401 फसल कृषि कर्म –					
	3.85				
001 निदेशन और प्रशासन	4,33,58.38	--	4,33,62.23	3,99,93.81	8
102 खाद्यान्न फसलें	11,21.34	1,17,88.02	1,29,09.36	2,38,13.70	(-) 46
103 बीज	1,21,74.21	1,81,14.53	3,02,88.74	1,11,10.68	173
105 खाद तथा उर्वरक	28,03.82	61,54.51	89,58.33	93,99.25	(-) 5
107 वनस्पति रक्षण	14.87	--	14.87	13.32	12
108 वाणिज्यिक फसलें	1,52.38	13,08.92	14,61.30	24,82.26	(-) 41
109 विस्तार तथा किसानों का प्रशिक्षण	9,14,03.96	78,96.44	9,93,00.40	1,61,41.97	515
110 फसल बीमा	8,31,91.44	--	8,31,91.44	18,94,07.32	(-) 56
	8.23				
113 कृषि अभियांत्रिकी	57,31.89	1,64,40.37	2,21,80.49	2,19,76.20	1
119 बागवानी तथा वनस्पति फसलें	3,17,33.86	1,99,27.66	5,16,61.52	6,47,38.53	(-) 20
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	16,54.26	--	16,54.26	15,81.43	5
800 अन्य व्यय	72,98,65.21	2,15,65.38	75,14,30.59	19,77,78.96	280
	12.08				
योग – 2401	1,00,32,05.62	10,31,95.83	1,10,64,13.53	57,84,37.43	91
2402 मृदा तथा जल संरक्षण –					
001 निदेशन और प्रशासन	8.41	--	8.41	6.41	31
101 मृदा सर्वेक्षण तथा परीक्षण	11,47.34	--	11,47.34	10,36.08	11
102 मृदा संरक्षण	55,28.13	--	55,28.13	52,11.38	6
109 विस्तार तथा प्रशिक्षण	11.37	--	11.37	12.38	(-) 8
योग – 2402	66,95.25	--	66,95.25	62,66.25	7

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप – जारी					
2403 पशु पालन –					
	11.99				
001 निदेशन और प्रशासन	63,65.39	76.49	64,53.87	50,44.74	28
101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य	3,76,98.28	2,73.72	3,79,72.00	3,45,06.96	10
102 पशु तथा भैंस विकास	1,98,20.87	21,87.62	2,20,08.49	2,06,20.09	7
103 कुक्कुट विकास	23,72.12	--	23,72.12	24,66.91	(-) 4
104 भेड़ तथा ऊन विकास	4,88.83	--	4,88.83	4,16.91	17
106 अन्य पशुधन विकास	15,16.42	30.22	15,46.64	22,76.84	(-) 32
107 चारा तथा चारागाह विकास	--	8,46.56	8,46.56	56.85	1389
109 विस्तार तथा प्रशिक्षण	29,76.35	--	29,76.35	28,97.81	3
113 प्रशासनिक अन्वेषण तथा सांख्यिकी	4,69.98	2,27.36	6,97.34	6,13.99	14
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	17,16.02	--	17,16.02	18,98.36	(-) 10
800 अन्य व्यय	34,96.16	68,89.31	1,03,85.47	81,05.78	28
	11.99				
योग – 2403	7,69,20.42	1,05,31.28	8,74,63.69	7,89,05.24	11
2405 मछली पालन –					
001 निदेशन और प्रशासन	6,14.84	--	6,14.84	5,67.29	8
	3.00				
101 अन्तर्देशीय मछली पालन	45,91.73	11,18.05	57,12.78	54,72.34	4
109 विस्तार तथा प्रशिक्षण	--	--	--	87.69	(-) 100
120 मछली पालन सहकारी समितियां	--	13.66	13.66	2.66	414
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	2,68.76	--	2,68.76	2,58.10	4
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	--	--	--	17.84	(-) 100
800 अन्य व्यय	1,23.55	8,09.04	9,32.59	3,65.76	155
	3.00				
योग – 2405	55,98.88	19,40.75	75,42.63	67,71.68	11

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप – जारी					
2406 वानिकी तथा वन्य प्राणी –					
01 वानिकी –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	59,04.03	6,55.47	65,59.50	57,63.25	14
003 शिक्षा तथा प्रशिक्षण	18,42.82	--	18,42.82	9,61.15	92
004 अनुसंधान	43,04.41	--	43,04.41	39,90.14	8
101 वन संरक्षण, विकास तथा पुनरुत्थान	10,05,25.68	38,56.51	10,43,82.19	11,36,94.77	(-) 8
102 सामाजिक तथा फार्म वानिकी	36,46.48	--	36,46.48	91,89.39	(-) 60
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	11,34.49	28,36.74	39,71.23	14,42.09	175
203 इमारती लकड़ी का राजकीय व्यापार	88,51.70	--	88,51.70	77,85.59	14
204 बांसों का राजकीय व्यापार	10,88.05	--	10,88.05	11,83.52	(-) 8
	(-) 36,38.90				
797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखाओं को अंतरण	1.06	--	(-) 36,37.84	(-) 1,19,40.82	(-) 70
	29.87				
800 अन्य व्यय	16,96.45	--	17,26.32	18,08.52	(-) 5
	(-) 36,09.03				
योग – 01	12,89,95.17	73,48.72	13,27,34.86	13,38,77.60	(-) 1
02 पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव –					
110 वन्य जीवन परिरक्षण	1,78,97.64	27,23.19	2,06,20.83	4,04,17.58	(-) 49
111 प्राणि उद्यान	1,01.71	--	1,01.71	80.46	26
योग – 02	1,79,99.35	27,23.19	2,07,22.54	4,04,98.04	(-) 49
	(-) 36,09.03				
योग – 2406	14,69,94.52	1,00,71.91	15,34,57.40	17,43,75.64	(-) 12

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप – जारी					
2408 खाद्य भण्डारण तथा भंडागार –					
01 खाद्य –					
	0.25				
001 निदेशन और प्रशासन	57,12.55	16.13	57,28.93	50,24.58	14
101 खरीद और आपूर्ति	9,09.00	--	9,09.00	12,28.23	(-) 26
102 खाद्य सहायता	11,63,50.22	8,56.54	11,72,06.75	14,28,77.44	(-) 18
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	48,21.26	--	48,21.26	62,68.51	(-) 23
800 अन्य व्यय	12.41	68.79	81.21	45.15	80
योग – 01	12,78,05.44	9,41.46	12,87,47.15	15,54,43.91	(-) 17
02 भंडारण तथा भंडागार					
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	1,69.51	--	1,69.51	3,95.97	(-) 57
योग – 02	1,69.51	--	1,69.51	3,95.97	(-) 57
योग – 2408	12,79,74.95	9,41.46	12,89,16.66	15,58,39.88	(-) 17
2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा –					
01 फसल कृषि कर्म –					
120 अन्य संस्थाओं को सहायता	1,87,77.98	--	1,87,77.98	1,78,88.50	5
योग – 01	1,87,77.98	--	1,87,77.98	1,78,88.50	5
05 मछली पालन –					
004 अनुसंधान	51.88	--	51.88	49.83	4
योग – 05	51.88	--	51.88	49.83	4
80 सामान्य –					
120 अन्य संस्थाओं को सहायता	3,47.20	--	3,47.20	2,50.00	39
योग – 80	3,47.20	--	3,47.20	2,50.00	39
योग – 2415	1,91,77.06	--	1,91,77.06	1,81,88.83	5

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप – समाप्त					
2425 सहकारिता –					
001 निदेशन और प्रशासन	64,81.68	--	64,81.68	59,43.67	9
003 प्रशिक्षण	1,03.50	--	1,03.50	1,15.33	(-) 10
101 सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा	50,57.64	--	50,57.64	44,70.29	13
107 साख सहकारी समितियों को सहायता	3,82,06.93	--	3,82,06.93	10,37,52.50	(-) 63
108 अन्य सहकारी समितियों को सहायता	3,51.00	--	3,51.00	5,84,10.00	(-) 99
800 अन्य व्यय	3,99.33	--	3,99.33	13,40.11	(-) 70
योग – 2425	5,06,00.08	--	5,06,00.08	17,40,31.90	(-) 71
	(-)35,81.70				
योग – (क) कृषि तथा संबद्ध क्रिया कलाप	1,43,71,66.77	12,66,81.23	1,56,02,66.30	1,19,28,16.35	31
(ख) ग्रामीण विकास –					
2501 ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम –					
02 सूखाग्रस्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम –					
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	--	1,26,00.00	1,26,00.00	1,17,61.07	7
800 अन्य व्यय	9,35.00	--	9,35.00	8,38.75	11
योग – 02	9,35.00	1,26,00.00	1,35,35.00	1,25,99.82	7
03 मरुस्थल विकास कार्यक्रम –					
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	--	1,30,50.00	1,30,50.00	1,07,95.60	21
योग – 03	--	1,30,50.00	1,30,50.00	1,07,95.60	21
06 स्वरोजगार कार्यक्रम –					
101 स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	5,12.33	--	5,12.33	4,72.17	9
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	1,01,20.00	2,10,71.81	3,11,91.81	3,13,78.11	(-) 1
800 अन्य व्यय	12.18	--	12.18	--	--
योग – 06	1,06,44.51	2,10,71.81	3,17,16.32	3,18,50.28	--
योग – 2501	1,15,79.51	4,67,21.81	5,83,01.32	5,52,45.70	6

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(ख) ग्रामीण विकास – समाप्त					
2505 ग्रामीण रोजगार –					
01 राष्ट्रीय कार्यक्रम –					
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	--	20,35,18.88 ^(क)	20,35,18.88	14,68,52.80	39
702 जवाहर ग्राम समृद्धि योजना	4,70.70	--	4,70.70	5,00.00	(-) 6
योग – 01	4,70.70	20,35,18.88	20,39,89.58	14,73,52.80	38
योग – 2505	4,70.70	20,35,18.88	20,39,89.58	14,73,52.80	38
2515 अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम –					
001 निदेशन और प्रशासन	1,45,49.65	--	1,45,49.65	1,30,01.35	12
003 प्रशिक्षण	7,92.00	--	7,92.00	7,49.30	6
101 पंचायती राज	1,78,49.41	--	1,78,49.41	1,55,79.92	15
102 सामुदायिक विकास	21,61.40	--	21,61.40	20,14.28	7
196 जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	9.97	--	9.97	17.55	(-) 43
197 विकासखण्ड पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता	--	--	--	7.00	(-) 100
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	28,08,38.23	8,64,21.54	36,72,59.77	36,82,32.41	--
800 अन्य व्यय	6,59,01.96	65,98.75	7,25,00.71	7,98,57.25	(-) 9
योग – 2515	38,21,02.62	9,30,20.29	47,51,22.91	47,94,59.06	(-) 1
योग – (ख) ग्रामीण विकास	39,41,52.83	34,32,60.98	73,74,13.81	68,20,57.56	8

(क) लेख के मुख्यशीर्ष एवं लघुशीर्ष की सूची के अनुसार योजना 6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना का क्रियान्वयन 2505-01-198 की बजाय 2505-02-101 के अंतर्गत होना चाहिए।

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण –					
2700 बृहद सिंचाई –					
11 चम्बल परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	49,26.99	--	49,26.99	51,23.21	(-) 4
योग – 11	49,26.99	--	49,26.99	51,23.21	(-) 4
13 तवा परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	28,14.52	--	28,14.52	33,04.19	(-) 15
योग – 13	28,14.52	--	28,14.52	33,04.19	(-) 15
15 अपर बाण गंगा परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	15,71.52	--	15,71.52	11,33.25	39
योग – 15	15,71.52	--	15,71.52	11,33.25	39
16 थावर परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	2,02.82	--	2,02.82	1,79.73	13
योग – 16	2,02.82	--	2,02.82	1,79.73	13
17 कोलार परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	8,78.08	--	8,78.08	7,94.00	11
योग – 17	8,78.08	--	8,78.08	7,94.00	11
18 बारना परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	7,70.45	--	7,70.45	4,75.47	62
योग – 18	7,70.45	--	7,70.45	4,75.47	62
19 हलाली परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	3,71.47	--	3,71.47	5,49.49	(-) 32
योग – 19	3,71.47	--	3,71.47	5,49.49	(-) 32
20 भांडेर परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	1,70.68	--	1,70.68	27.05	531
योग – 20	1,70.68	--	1,70.68	27.05	531
21 सिंध परियोजना – द्वितीय चरण –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	24.63	--	24.63	--	--
योग – 21	24.63	--	24.63	--	--

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण – जारी					
2700 बृहद सिंचाई – समाप्त					
27 सुक्ता परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	1,12.09	--	1,12.09	1,33.63	(-) 16
योग – 27	1,12.09	--	1,12.09	1,33.63	(-) 16
28 उर्मिल परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	15.89	--	15.89	34.25	(-) 54
योग – 28	15.89	--	15.89	34.25	(-) 54
30 रंगवान परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	78.10	--	78.10	48.17	62
योग – 30	78.10	--	78.10	48.17	62
31 जल (हाइड्रोलोजी) परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	4,82.71	--	4,82.71	6,23.21	(-) 23
योग – 31	4,82.71	--	4,82.71	6,23.21	(-) 23
32 राजघाट परियोजना –					
101 रख-रखाव और मरम्मत	30,56.03	--	30,56.03	26,91.01	14
योग – 32	30,56.03	--	30,56.03	26,91.01	14
80 सामान्य –					
005 सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	25,15.63	--	25,15.63	92.38	2623
800 अन्य व्यय	21,36.88	--	21,36.88	20,09.85	6
योग – 80	46,52.51	--	46,52.51	21,02.23	121
योग – 2700	2,01,28.49	--	2,01,28.49	1,72,18.89	17

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण – जारी					
2701 मध्यम सिंचाई –					
80 सामान्य –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	5,24,56.37	--	5,24,56.37	1,56,78.71	235
052 मशीनरी तथा उपस्कर	40,96.50	--	40,96.50	34,67.32	18
799 उद्यंत	1,42.72	--	1,42.72	(-) 11.90	(-) 1299
800 अन्य व्यय	1,12,65.78	--	1,12,65.78	1,04,65.23	8
योग – 80	6,79,61.37	--	6,79,61.37	2,95,99.36	130
योग – 2701	6,79,61.37	--	6,79,61.37	2,95,99.36	130
2702 लघु सिंचाई –					
02 भू-जल –					
196 जिला पंचायतों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	8,52.69	--	8,52.69	9,90.84	(-) 14
योग – 02	8,52.69	--	8,52.69	9,90.84	(-) 14
80 सामान्य –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	--	--	--	9.00	(-) 100
800 अन्य व्यय	1,62,70.27	--	1,62,70.27	1,58,98.54	2
योग – 80	1,62,70.27	--	1,62,70.27	1,59,07.54	2
योग – 2702	1,71,22.96	--	1,71,22.96	1,68,98.38	1

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष		2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी						
ग आर्थिक सेवाएं – जारी						
(घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण – समाप्त						
2705 कमान क्षेत्र विकास –						
201	तवा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	--	30.84	30.84	28.45	8
203	अपर बाण गंगा कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	--	67.37	67.37	70.47	(-) 4
204	बाण सागर कमान क्षेत्र विकास	--	6.89	6.89	0.14	4821
205	ग्वालियर कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	--	1,05.98	1,05.98	1,04.11	2
207	बरगी कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	--	1,36.01	1,36.01	1,05.90	28
211	बरियारपुर कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	--	0.44	0.44	--	--
212	राजघाट कमान क्षेत्र विकास प्राधिकरण	--	--	--	49.05	(-) 100
213	पेंच डायवर्सन केडवम परियोजना	--	38.48	38.48	--	--
215	मेहनर मध्यम सिंचाई केडवम परियोजना	--	0.49	0.49	--	--
219	महान मुख्य केवडम परियोजना	--	11.50	11.50	--	--
223	सिंध फेस-II – केडवम परियोजना	--	0.32	0.32	3.00	(-) 89
800	अन्य व्यय	--	5,12.54	5,12.54	4,55.02	13
योग – 2705		--	9,10.86	9,10.86	8,16.14	12
योग – (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण		10,52,12.82	9,10.86	10,61,23.68	6,45,32.78	64
(ङ) ऊर्जा –						
2801 बिजली –						
01 हाइडल उत्पादन –						
001	निदेशन तथा प्रशासन	11,74.00	--	11,74.00	19,19.80	(-) 39
योग – 01		11,74.00	--	11,74.00	19,19.80	(-) 39
06 ग्रामीण विद्युतीकरण –						
800	अन्य व्यय	--	34,43.62	34,43.62	99,44.47	(-) 65
योग – 06		--	34,43.62	34,43.62	99,44.47	(-) 65
80 सामान्य –						
101	विद्युत मंडलो को सहायता	97,66,54.52	--	97,66,54.52	94,83,52.40	3
योग – 80		97,66,54.52	--	97,66,54.52	94,83,52.40	3
योग – 2801		97,78,28.52	34,43.62	98,12,72.14	96,02,16.67	2

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(ङ) ऊर्जा – समाप्त					
2810 नवीन एवं अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत –					
01 जैविक ऊर्जा –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	1,23.26	--	1,23.26	1,00.56	23
योग – 01	1,23.26	--	1,23.26	1,00.56	23
02 सौर –					
101 सोलर थर्मल एनर्जी प्रोग्राम	1,30.00	--	1,30.00	13.23	883
102 प्रकाश वोल्टीय	2,40,00.00	--	2,40,00.00	1,46,31.00	64
योग – 02	2,41,30.00	--	2,41,30.00	1,46,44.23	65
60 अन्य –					
600 ऊर्जा के अन्य स्रोत	70.00	--	70.00	1,48.63	(-) 53
800 अन्य व्यय	14,74.06	--	14,74.06	2,16.00	582
योग – 60	15,44.06	--	15,44.06	3,64.63	323
योग – 2810	2,57,97.32	--	2,57,97.32	1,51,09.42	71
योग – (ङ) ऊर्जा	1,00,36,25.84	34,43.62	1,00,70,69.46	97,53,26.09	3

विवरण संख्या 15 – जारी

शोर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(घ) उद्योग तथा खनिज –					
2851 ग्राम तथा लघु उद्योग –					
	26.74				
001 निदेशन तथा प्रशासन	16,81.63	--	17,08.37	13,87.74	23
101 औद्योगिक क्षेत्र	--	--	--	1.84	(-) 100
102 लघु उद्योग	6,51.00	--	6,51.00	3,85.96	69
103 हथकरघा उद्योग	50,80.03	34.86	51,14.89	51,37.15	(-) 1
104 हस्तशिल्प उद्योग	15,30.47	--	15,30.47	21,08.28	(-) 27
105 खादी तथा ग्रामोद्योग	61,07.19	--	61,07.19	74,03.34	(-) 18
106 जूट उद्योग	6,62.62	--	6,62.62	6,11.06	8
107 रेशम उत्पादन उद्योग	56,96.59	--	56,96.59	58,47.87	(-) 3
108 बिजली करघा उद्योग	19,29.65	--	19,29.65	20,00.27	(-) 4
196 जिला परिषदों/ जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	7,18.68	--	7,18.68	6,89.49	4
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	17.11	--	17.11	54.13	(-) 68
200 अन्य ग्राम उद्योग	59,12.10	--	59,12.10	50,39.83	17
800 अन्य व्यय	6,16,54.29	--	6,16,54.29	6,78,71.26	(-) 9
	26.74				
योग – 2851	9,16,41.36	34.86	9,17,02.96	9,85,38.22	(-) 7
2852 उद्योग –					
80 सामान्य –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	19.03	--	19.03	17.83	7
800 अन्य व्यय	2,81,52.02	--	2,81,52.02	6,29,38.29	(-) 55
योग – 80	2,81,71.05	--	2,81,71.05	6,29,56.12	(-) 55
योग – 2852	2,81,71.05	--	2,81,71.05	6,29,56.12	(-) 55

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./ सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(च) उद्योग तथा खनिज – समाप्त					
2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग –					
02 खानों का विनियमन तथा विकास –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	26,94.41	--	26,94.41	22,28.76	21
004 अनुसंधान तथा विकास	78.30	--	78.30	(-) 0.60	(-) 13150
101 सर्वेक्षण तथा मानचित्रण	--	--	--	1,31.18	(-) 100
102 खनिज अन्वेषण	11,96.89	--	11,96.89	(-) 36.84	(-) 3349
198 ग्राम पंचायतों को सहायता	2,22,13.23	--	2,22,13.23	3,21,77.71	(-) 31
797 आरक्षित निधि/जमा लेखों को अंतरण	6,43,71.85	--	6,43,71.85	--	--
	6,43,71.85				
योग – 02	2,61,82.83	--	9,05,54.68	3,45,00.21	162
	6,43,71.85				
योग – 2853	2,61,82.83	--	9,05,54.68	3,45,00.21	162
	6,43,98.59				
योग – (च) उद्योग तथा खनिज	14,59,95.24	34.86	21,04,28.69	19,59,94.55	7
(छ) परिवहन –					
3053 नागर विमानन –					
80 सामान्य –					
003 प्रशिक्षण तथा शिक्षा	79.38	--	79.38	--	--
	79.38	--	79.38	--	--
योग – 80	79.38	--	79.38	--	--
योग – 3053	79.38	--	79.38	--	--
3054 सड़क तथा सेतु –					
01 राष्ट्रीय राजमार्ग –					
337 सड़क निर्माण कार्य	3,95.51	--	3,95.51	8,11.99	(-) 51
	3,95.51	--	3,95.51	8,11.99	(-) 51
योग – 01	3,95.51	--	3,95.51	8,11.99	(-) 51
03 राजकीय राजमार्ग –					
337 सड़क निर्माण कार्य	24,62.30	--	24,62.30	69,25.23	(-) 64
	24,62.30	--	24,62.30	69,25.23	(-) 64
योग – 03	24,62.30	--	24,62.30	69,25.23	(-) 64
04 जिला तथा अन्य सड़कें –					
337 सड़क निर्माण कार्य	6,45,41.97	--	6,45,41.97	6,85,19.99	(-) 6
800 अन्य व्यय	2,12,33.39	--	2,12,33.39	2,55,32.27	(-) 17
योग – 04	8,57,75.36	--	8,57,75.36	9,40,52.26	(-) 9

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष	2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी					
ग आर्थिक सेवाएं – जारी					
(छ) परिवहन – समाप्त					
3054 सड़क तथा सेतु –					
80 सामान्य –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	1,39,90.43	--	1,39,90.43	84,32.32	66
800 अन्य व्यय	3.50	--	3.50	3.28	7
योग – 80	1,39,93.93	--	1,39,93.93	84,35.60	66
योग – 3054	10,26,27.10	--	10,26,27.10	11,02,25.08	(-) 7
योग – (छ) – परिवहन	10,27,06.48	--	10,27,06.48	11,02,25.08	(-) 7
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण –					
3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान –					
60 अन्य –					
200 अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता	14,49.20	--	14,49.20	28,25.90	(-) 49
600 अन्य योजनाएं	1,63,54.70	--	1,63,54.70	1,84,01.33	(-) 11
योग – 60	1,78,03.90	--	1,78,03.90	2,12,27.23	(-) 16
योग – 3425	1,78,03.90	--	1,78,03.90	2,12,27.23	(-) 16
योग–(झ)–विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	1,78,03.90	--	1,78,03.90	2,12,27.23	(-) 16
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं –					
3451 सचिवालय – आर्थिक सेवाएं –					
090 सचिवालय	24,45.30	--	24,45.30	21,92.48	12
101 योजना आयोग – योजना मंडल	4,03.56	--	4,03.56	4,10.01	(-) 2
योग – 3451	28,48.86	--	28,48.86	26,02.49	9
3452 पर्यटन –					
01 पर्यटक अवसंरचना –					
101 पर्यटक केन्द्र	11,51.00	--	11,51.00	19,20.94	(-) 40
190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	54,00.00	--	54,00.00	75,98.56	(-) 29
800 अन्य व्यय	--	--	--	1.00	(-) 100
योग – 01	65,51.00	--	65,51.00	95,20.50	(-) 31
80 सामान्य –					
001 निदेशन तथा प्रशासन	38,07.30	--	38,07.30	60,75.35	(-) 37
003 प्रशिक्षण	--	--	--	20.00	(-) 100
योग – 80	38,07.30	--	38,07.30	60,95.35	(-) 38
योग – 3452	1,03,58.30	--	1,03,58.30	1,56,15.85	(-) 34

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष		2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – जारी						
ग	आर्थिक सेवाएं – समाप्त					
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाएं – समाप्त					
3454	जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी –					
01	जनगणना –					
101	जनगणना आंकड़ों का कम्प्यूटरीकरण	77.94	--	77.94	64.14	22
800	अन्य व्यय	0.90	--	0.90	4,81.95	(-) 100
	योग – 01	78.84	--	78.84	5,46.09	(-) 86
02	सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी –					
001	निदेशन तथा प्रशासन	48,03.83	--	48,03.83	40,54.08	18
110	राज्य विवरणिका तथा सांख्यिकी संस्मरण	38.96	--	38.96	31.74	23
111	जन्म-मृत्यु सांख्यिकी	1,32.37	--	1,32.37	1,99.05	(-) 33
201	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन	--	--	--	1,05.65	(-) 100
800	अन्य व्यय	34,27.00	--	34,27.00	59,34.89	(-) 42
	योग – 02	84,02.16	--	84,02.16	1,03,25.41	(-) 19
	योग – 3454	84,81.00	--	84,81.00	1,08,71.50	(-) 22
3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं –					
106	भार और माप का विनियमन	18,09.93	--	18,09.93	17,85.72	1
200	अन्य कारोबारी उपक्रमों का विनियमन	4,53.13	--	4,53.13	4,01.61	13
800	अन्य व्यय	3.50	--	3.50	2.12	65
	योग – 3475	22,66.56	--	22,66.56	21,89.45	4
	योग – (ज) सामान्य आर्थिक सेवाएं	2,39,54.71	--	2,39,54.71	3,12,79.29	(-) 23
		6,08,16.88				
	योग-ग-आर्थिक सेवाएं	3,23,06,18.60	47,43,31.56	3,76,57,67.04	3,27,34,58.93	15

विवरण संख्या 15 – जारी

शीर्ष		2018-19 के वास्तविक आंकड़े			2017-18 के वास्तविक आंकड़े	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	योग		
व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा) – समाप्त						
घ सहायता अनुदान तथा अंशदान –						
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन –	3,90,07.79				
191	नगरनिगमों को सहायता	25,60,95.89	--	29,51,03.68	26,38,38.52	12
192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	17,30,62.67	--	17,30,62.67	14,95,96.78	16
193	नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्रीय समितियों या उनके समकक्ष समितियों को सहायता	11,27,78.44	--	11,27,78.44	10,78,71.66	5
196	जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता	1,19,01.77	--	1,19,01.77	45,44.62	162
197	विकास खण्ड पंचायतों/मध्यवर्ती स्तरीय पंचायतों को सहायता	2,63,16.93	--	2,63,16.93	3,84,84.28	(-) 32
198	ग्राम पंचायतों को सहायता	13,83,81.47	--	13,83,81.47	13,15,21.48	5
		96,21.00				
200	अन्य विविध क्षतिपूर्तियां और समनुदेशन	--	--	96,21.00	1,06,66.91	(-) 10
		4,86,28.79				
	योग – 3604	71,85,37.17	--	76,71,65.96	70,65,24.25	9
		4,86,28.79				
	योग – घ सहायता अनुदान तथा अंशदान	71,85,37.17	--	76,71,65.96	70,65,24.25	9
		1,45,37,09.44				
	योग – व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)	10,24,83,82.34	2,51,28,28.88	14,21,49,20.66	13,02,46,08.81	9
	वेतन			2,55,89,65.13	2,24,30,50.74	14
	राज सहायता			2,12,22,12.92 ^(क)	1,93,81,40.00	9
	सहायता अनुदान			5,36,78,69.30 ^(ख)	4,56,66,95.02	18

टीप :- वेतन, राज सहायता तथा सहायता अनुदान के विवरण क्रमशः परिशिष्ट I, II तथा III में दिये गए हैं।

(क) विवरण पत्रक संख्या 15 के राजसहायता के आंकड़े विवरण पत्रक संख्या 2 के आंकड़ों से ₹ 1,04.60 करोड़ से भिन्न हैं, जो क्षेत्र घ-‘स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन’ से संबंधित है।

(ख) विवरण पत्रक संख्या 15 के सहायता अनुदान के आंकड़े, विवरण पत्रक संख्या 2 के आंकड़ों से ₹ 75,67.06 करोड़ से भिन्न हैं, जिसका संबंध (i) क्षेत्र-घ ‘स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन’ के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 42 (राजस्व) से संबंधित ₹ 71,76.98 करोड़ तथा (ii) क्षेत्र-घ ‘स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन’ के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 45 (राजस्व) से संबंधित ₹ 3,90.08 करोड़ से है।

विवरण पत्रक संख्या 4, विवरण पत्रक संख्या 10 एवं परिशिष्ट-III के सहायता अनुदान के आंकड़े विवरण पत्रक संख्या 15 के आंकड़ों से ₹ 7,49.36 करोड़ से भिन्न हैं, जो (i) सहायता अनुदान (पूँजीगत) के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 42 की राशि ₹ 5,41.41 करोड़, (ii) सहायता अनुदान (पूँजीगत) के अंतर्गत पूँजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उद्देश्य शीर्ष 45 की राशि ₹ 2,07.95 करोड़ से संबंधित है।

विवरण संख्या 15 – जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी

(₹ लाख में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	2017-18 की तुलना में वृद्धि	वृद्धि के कारण
2014- न्याय प्रशासन	1,73,13.43	मुख्यतः “न्याय प्रशासन” के अंतर्गत “विधि सलाहकार तथा परामर्शदाता (काउंसिल)”, “दीवानी तथा सत्र न्यायालय” और “अन्य खर्च” में व्यय पर वृद्धि के कारण
2015- निर्वाचन	1,92,12.61	मुख्यतः “निर्वाचन” के अंतर्गत “निर्वाचक अधिकारियों” और “राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधान मंडल चुनाव कराने के लिए प्रभार” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2029- भू-राजस्व	2,40,51.26	मुख्यतः “भू-राजस्व” के अंतर्गत “सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त संक्रिया” तथा “भू-अभिलेख” के व्यय में वृद्धि के कारण
2039- राज्य उत्पाद शुल्क	1,99,47.61	मुख्यतः “राज्य उत्पाद शुल्क” के अंतर्गत “निर्देशन तथा प्रशासन” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2045- वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	76,75.71	मुख्यतः “वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क” के अंतर्गत “संग्रहण प्रभार – विद्युत शुल्क” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2049- व्याज अदायगियां	16,50,35.59	मुख्यतः “आंतरिक ऋण पर व्याज” के अंतर्गत “बाजार ऋणों पर व्याज” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2054- खजाना तथा लेखा प्रशासन	14,82.72	मुख्यतः “खजाना तथा लेखा प्रशासन” के अंतर्गत “खजाना स्थापना” तथा “स्थानीय निधि लेखापरीक्षा” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2055- पुलिस	8,59,93.51	मुख्यतः “पुलिस” के अंतर्गत “विशेष पुलिस”, “जिला पुलिस” तथा “पुलिस कार्मिकों का कल्याण” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2056- जेल	35,79.56	मुख्यतः “कारागार” के अंतर्गत “कारागार” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2070- अन्य प्रशासनिक सेवाएं	1,23,44.12	मुख्यतः “अन्य प्रशासनिक सेवाएं” के अंतर्गत “सतर्कता” तथा “होम गार्ड्स” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2071- पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ	26,93,57.81	मुख्यतः “सिविल” के अंतर्गत “सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति भत्ता”, “पारिवारिक पेंशन” और “परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के लिए शासकीय अंशदान” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2202- सामान्य शिक्षा	25,06,05.93	मुख्यतः “प्राथमिक शिक्षा” के अंतर्गत “सरकारी प्राथमिक विद्यालय” पर तथा “माध्यमिक शिक्षा” के अंतर्गत “जिला पंचायतों को सहायता” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2203- तकनीकी शिक्षा	1,19,51.12	मुख्यतः “तकनीकी शिक्षा” के अंतर्गत “अराजकीय तकनीकी महाविद्यालयों तथा संस्थानों को सहायता” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2210- चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	25,33.23	मुख्यतः “शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ – अन्य चिकित्सा प्रणाली” के अंतर्गत “आयुर्वेद” पर, ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ – एलोपैथी के अंतर्गत “प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र”, “लोक स्वास्थ्य” के अन्तर्गत “रोगों का उपचार एवं रोकथाम” एवं “जिला पंचायतों को सहायता” तथा “सामान्य” के अंतर्गत “अन्य खर्च” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2211- परिवार कल्याण	86,49.72	मुख्यतः “परिवार कल्याण” के अंतर्गत “ग्राम पंचायतों को सहायता” तथा “शहरी परिवार कल्याण सेवाएँ” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2217- शहरी विकास	1,89,28.21	मुख्यतः “अन्य शहरी विकास योजनाएँ” के अंतर्गत “अन्य व्यय” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2220- सूचना तथा प्रचार	40,59.57	मुख्यतः “अन्य” के अंतर्गत “क्षेत्र प्रचार” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2230- श्रम तथा रोजगार	8,56,27.96	मुख्यतः “श्रम” के अंतर्गत “बंधुआ मजदूर का पुनर्वास” तथा “प्रशिक्षण” के अंतर्गत “कारीगरों और पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2235- सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,07,94.66	मुख्यतः “सामाजिक कल्याण” के अंतर्गत “बाल कल्याण” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2236- पोषण	91,84.54	मुख्यतः “पौष्टिक भोजन तथा पेय पदार्थों के वितरण” के अंतर्गत “विशेष पौष्टिक कार्यक्रम” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2245- प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	3,02,88.10	मुख्यतः “सूखा और बाढ़, चक्रवात इत्यादि” के अंतर्गत “निःशुल्क राहत” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2401- फसल कृषि कर्म	52,79,76.10	मुख्यतः “फसल कृषि कर्म” के अंतर्गत “बीज”, “विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण” तथा “अन्य व्यय” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2403- पशुपालन	85,58.45	मुख्यतः “पशुपालन” के अंतर्गत “पशु चिकित्सा सेवाएँ और पशु स्वास्थ्य” और “अन्य व्यय” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2501- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	30,55.62	मुख्यतः “सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम” और “मरुस्थल विकास कार्यक्रम” के अंतर्गत “ग्राम पंचायतों को सहायता” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2505- ग्रामीण रोजगार	5,66,36.78	मुख्यतः “राष्ट्रीय कार्यक्रम” के अंतर्गत “ग्राम पंचायतों को सहायता” पर व्यय में वृद्धि के कारण
2700- वृहद सिंचाई	29,09.60	मुख्यतः “ऊपरी बाण गंगा परियोजना”, “कोलार परियोजना”, “बैराना परियोजना”, “भण्डार परियोजना” और “राजघाट परियोजना” के अंतर्गत “खरखाव और मरम्मत” तथा सामान्य के अन्तर्गत “सर्वेक्षण तथा जाँच” पर व्यय में वृद्धि के कारण

विवरण संख्या 15 – जारी
व्याख्यात्मक टिप्पणी

(₹ लाख में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	2017-18 की तुलना में वृद्धि	वृद्धि के कारण
2801- बिजली	2,10,55.47	मुख्यतः "सामान्य" के अंतर्गत "विद्युत मंडल को सहायता" पर व्यय में वृद्धि के कारण
2810- नई तथा नवीकरणीय ऊर्जा	1,06,87.90	मुख्यतः "सौर" के अंतर्गत "फोटोवोल्टिक" और "अन्य" के अंतर्गत "अन्य व्यय" पर व्यय में वृद्धि के कारण
2853- अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग	5,60,54.47	मुख्यतः "खानों का विनियमन और विकास" के अंतर्गत "अनुसंधान और विकास", "खनिज अन्वेषण" और "आरक्षित निधि/जमा लेखे" के अंतरण पर व्यय में वृद्धि के कारण
3604- स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	6,06,41.71	मुख्यतः "स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन" के अंतर्गत "जिला परिषदों/जिला स्तरीय पंचायतों को सहायता", "नगर निगम को सहायता" तथा "नगर पालिकाओं और नगर पालिका परिषद" को सहायता पर व्यय में वृद्धि के कारण

(₹ लाख में)

लेखे का मुख्य शीर्ष	2017-18 की तुलना में कमी	कमी के कारण
2030- स्टाम्प तथा पंजीकरण	2,52,66.90	मुख्यतः "स्टाम्प-गैर-न्यायिक" के अंतर्गत "आरक्षित निधि और जमा लेखा को अंतरण" पर व्यय में कमी के कारण
2040- बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,78,18.53	मुख्यतः "बिक्री, व्यापार आदि पर कर" के अंतर्गत "संग्रह शुल्क" पर व्यय में कमी के कारण
2053- जिला प्रशासन	23,43.18	मुख्यतः "जिला प्रशासन" के अंतर्गत "जिला स्थापना" पर व्यय में कमी के कारण
2204- खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	13,09.55	मुख्यतः "खेलकूद तथा युवा सेवाओं" के अंतर्गत "अन्य व्यय" पर व्यय में कमी के कारण
2205- कला तथा संस्कृति	91,82.49	मुख्यतः "कला एवं संस्कृति" के अंतर्गत "कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए" और "संग्रहालयों" पर व्यय में कमी के कारण
2215- जलपूर्ति तथा सफाई	16,17,86.28	मुख्यतः "सीवरेज और सफाई" के अंतर्गत "ग्राम पंचायतों को सहायता" पर व्यय में कमी के कारण
2216- आवास	24,12,12.34	मुख्यतः "शहरी आवास" के अंतर्गत "अन्य व्यय" और "ग्रामीण आवास" के अंतर्गत "ग्राम पंचायत को सहायता" पर व्यय में कमी के कारण
2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	99,71.58	मुख्यतः "अनुसूचित जाति का कल्याण" के अंतर्गत शिक्षा तथा "अनुसूचित जनजाति का कल्याण" के अंतर्गत "अन्य व्यय" पर व्यय में कमी के कारण
2250- अन्य सामाजिक सेवाएँ	31,87.78	मुख्यतः "अन्य सामाजिक सेवाएँ" के अंतर्गत "अन्य व्यय" पर व्यय में कमी के कारण
2406- वानिकी तथा वन्य प्राणी	2,09,18.24	मुख्यतः "वानिकी" के अंतर्गत "वानिकी संरक्षण, विकास और पुनःउत्थान" और "सामाजिक और फार्म वानिकी", "पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीवन" के अंतर्गत "वन्य जीवन का संरक्षण" पर व्यय में कमी के कारण
2408- खाद्य भण्डारण तथा भंडागार	2,69,23.22	मुख्यतः "खाद्य, भण्डारण तथा भंडागार" के अंतर्गत "खाद्य सस्तिडी" पर व्यय में कमी के कारण
2425- सहकारिता	12,34,31.82	मुख्यतः "सहयोग" के अंतर्गत "सहकारी ऋण समिति को सहायता" पर व्यय में कमी के कारण
2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	43,36.15	मुख्यतः "अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम" के अंतर्गत "ग्राम पंचायतों को सहायता" पर व्यय में कमी के कारण
2851- ग्राम तथा लघु उद्योग	68,35.26	मुख्यतः "ग्राम एवं लघु उद्योग" के अंतर्गत "अन्य व्यय" पर व्यय में कमी के कारण
2852- उद्योग	3,47,85.07	मुख्यतः "सामान्य" के अंतर्गत "अन्य व्यय" पर व्यय में कमी के कारण
3054- सड़क तथा सेतु	75,97.98	मुख्यतः "जिला तथा अन्य सड़क" के अंतर्गत "सड़क कार्य" तथा "अन्य व्यय" पर व्यय में कमी के कारण
3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	34,23.33	मुख्यतः "अन्य" के अंतर्गत "अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता" और "अन्य योजना" पर व्यय में कमी के कारण
3452- पर्यटन	52,57.55	मुख्यतः "पर्यटन अवसंरचना" के अंतर्गत "पर्यटन केन्द्र" और "सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को सहायता" और "सामान्य" के अंतर्गत "निर्देशन एवं प्रशासन" पर व्यय में कमी के कारण
3454- जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	23,90.50	मुख्यतः "सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी" के अंतर्गत "अन्य व्यय" पर व्यय में कमी के कारण

विवरण संख्या 15 – जारी
विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक

(₹ लाख में)

स. क्र.	बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिनके लिए अनुदान भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है	पी.एफ.एम.एस.पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिये जारी की गई राशि (पूँजीगत व्यय के लिये सहायता भी शामिल)	आर.बी.आई.क्लियरेंस मेमो / स्वीकृति आदेश के अनुसार मुख्यशीर्ष 1601-02-101 के अंतर्गत राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी शामिल)	इन योजनाओं पर किया गया व्यय (पूँजीगत व्यय भी शामिल)	कमी (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7
1.	5770	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (जल विभाजक)	1,62,41.00	1,62,41.00	2,56,50.00	(+) 94.09
2.	7084	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	63,50.16	63,50.16	54,94.45	(-) 8,55.71
3.	7467	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	10,70,61.43	10,70,61.43	17,69,54.05	(+) 6,98,92.62
4.	0660	श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन	40,50.00	40,50.00	45,00.00	(+) 4,50.00
5.	2082	अल्पसंख्यकों को शिक्षा / मदरसा प्रदान	5,67.12	5,67.12	--	(-) 5,67.12
6.	0948	केन्द्रीय सड़क निधि	6,25,70.00	6,25,70.00	7,21,25.35	(+) 95,55.35
7.	5859	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अक्षम पेंशन	37,05.18	37,05.18	41,87.45	(+) 4,82.27
8.	8786	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	4,60,18.20	4,60,18.20	5,18,71.39	(+) 58,53.19
9.	5863	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1,98,90.16	1,98,90.16	3,46,41.79	(+) 1,47,51.63
10.	6931 7886 6099	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम	5,61,91.95	5,61,91.95	8,46,79.79	(+) 2,84,87.84
11.	8810	सर्व शिक्षा अभियान	19,92,90.74	19,92,90.74	30,11,10.92	(+) 10,18,20.18
12.	5198	इंदिरा आवास योजना	36,77,01.16	36,77,01.16	55,23,66.14	(+) 18,46,64.98
13.	7489 1277	राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.)	28,29.13	28,29.13	45,05.46	(+) 16,76.33
14.	5724	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	16,45,95.69	16,45,81.03	15,96,00.64	(-) 49,80.39
15.	7500	राष्ट्रीय तिलहन एवं पाम ऑईल मिशन	5,00.00	5,00.00	13,37.68	(+) 8,37.68
16.	7706	स्वच्छ भारत अभियान	4,09,73.53	4,09,73.53	1,01,82.87	(-) 3,07,90.66
17.	0908	कृषि संगणना	2,31.70	2,25.00	1,83.98	(-) 41.02
18.	6625	पशु जनगणना की योजना	2,99.36	2,99.36	1,18.10	(-) 1,81.26
19.	7501	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	1,04,39.74	1,04,39.74	2,75,19.47	(+) 1,70,79.73
20.	7494	बीज और रोपण सामग्री पर उप मिशन	28,36.78	25,59.88	31,67.70	(+) 6,07.82
21.	6078	बुंदेलखंड क्षेत्र में पशुधन विकास	12,47.04	12,47.04	1,85.14	(-)10,61.90

विवरण संख्या 15 का अनुलग्नक – समाप्त

(₹ लाख में)

स. क्र.	बजट के अनुसार योजना संख्या	योजनाएं जिनके लिए अनुदान भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है	पी.एफ.एम.एस.पोर्टल के अनुसार सभी योजनाओं के लिये जारी की गई राशि (पूँजीगत व्यय के लिये सहायता भी शामिल)	आर.बी.आई.क्लियरेंस मेमो / स्वीकृति आदेश के अनुसार मुख्यशीर्ष 1601-02-101 के अंतर्गत राज्य आयोजना के लिए केन्द्रीय सहायता (पूँजीगत व्यय के लिए सहायता भी शामिल)	इन योजनाओं पर किया गया व्यय (पूँजीगत व्यय भी शामिल)	कमी (-)/ आधिक्य (+)
1	2	3	4	5	6	7
22.	5116	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	31,97.18	31,76.00	53,21.63	(+) 21,45.63
23.	1229 7499	उप मिशन मिट्टी स्वास्थ्य प्रबंधन	21,65.06	21,65.06	44,95.79	(+) 23,30.73
24.	1227	पारंपरिक कृषि विकास योजना	24,71.99	24,71.99	30,59.65	(+) 5,87.66
25.	5512	बालक एवं बालिका छात्रावास	4,12.50	4,12.50	68.25	(-) 3,44.25
26.	6103	बच्चों की सुरक्षा योजना	29,59.23	29,59.23	50,54.69	(+) 20,95.46
27.	5240	जलीय पर्यावरण प्रणालियों का संरक्षण	4,24.67	4,24.67	25,90.42	(+) 21,65.75
28.	1263	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन – राज्य घटक	21,60.17	21,60.17	91,53.00	(+) 69,92.83
29.	5317	वन अग्नि निवारण और प्रबन्धन योजना	6,28.25	6,28.25	6,55.47	(+) 27.22
30.	5626	परम्परागत कृषि विकास योजना	2,19,17.00	2,19,17.00	3,86,58.34	(+) 1,67,41.34
31.	1458	पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	29,44.55	29,44.55	2,53.96	(-) 26,90.59
32.	1482	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना	1,32,56.00	1,32,56.00	1,12,75.01	(-) 19,80.99
33.	5172 2643	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	41,84.95	41,84.95	71,90.41	(+) 30,05.46
34.	7705	100 स्मार्ट शहरों के विकास के लिए मिशन	3,39,00.00	3,39,00.00	2,45,00.00	(-) 94,00.00
35.	7488	ग्रीन इण्डिया मिशन – राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम	31,94.41	31,94.41	30,57.67	(-) 1,36.74
36.	6917	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	89,99.94	2,12.00	80,08.23	(+) 77,96.23
37.	7569	विकलांग व्यक्तियों के लिए योजना	11,03.33	6,02.73	6,11.32	(+) 8.59
38.	7492	कृषि विस्तार पर उपमिशन	27,84.93	27,84.93	47,10.40	(+) 19,25.47
39.	1326	सुधार गृह	46.10	46.10	79.25	(+) 33.15
40.	0647	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	62,79.00	62,79.00	51,37.83	(-) 11,41.17
41.	3287	मत्स्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबन्धन	7,11.39	7,11.39	13.66	(-) 6,97.73

स्रोत :- (क) महालेखा-नियंत्रक की वेबसाइट का पी.एफ.एम.एस. पोर्टल।
 (ख) राज्य सरकार का बजट अभिलेख।

16 – पूंजीगत व्यय का विस्तृत विवरण पत्रक

(इस विवरण में तिरछे एवं मोटे अंक प्रभारित व्यय को दर्शाते हैं)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-						
207-राज्य पुलिस						
अपराध शील खोज विभाग	--	1,59.50	--	1,59.50	11,05.48	--
सड़कों का निर्माण	--	--	--	--	5,20.00	--
पुलिस कार्यालय एवं आवास गृह का निर्माण	--	--	--	--	8,06.36	--
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस थानों का निर्माण/सुदृढीकरण	--	--	--	--	15,80.00	--
गृह भूमि सुरक्षा का सुदृढीकरण	17,84.89	20,00.00	--	20,00.00	37,84.89	12
महिला पुलिस बल के लिए पुलिस स्टेशनों में बुनियादी ढांचों का विकास	--	40,00.00	--	40,00.00	40,00.00	--
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	--	--	--	--	7,08.00	--
योग-207	17,84.89	61,59.50	--	61,59.50	1,25,04.70	245
208-विशेष पुलिस						
अश्वारोही दल/डॉग स्क्वाड का पुनर्गठन	--	--	--	--	3,12.25	--
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल बटालियन की स्थापना	--	--	--	--	20,74.99	--
योग-208	--	--	--	--	23,87.24	--
210-अनुसंधान, शिक्षा एवं प्रशिक्षण						
पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13 वां वित्त आयोग)	--	--	--	--	76,64.00	--
विशेष सेवा बल एवं अन्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का पुनर्गठन	--	--	--	--	38,00.00	--
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,15.64	--
योग-210	--	--	--	--	1,18,79.64	--
211-पुलिस आवास						
पुलिस बल का आधुनिकीकरण	2,59.00	--	--	--	3,35,45.14	(-) 100
मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम के द्वारा आवासीय घर एवं भवनों का निर्माण	3,63,00.00	2,58,27.90	--	2,58,27.90	7,93,17.90	(-) 29
योग-211	3,65,59.00	2,58,27.90	--	2,58,27.90	11,28,63.04	(-) 29

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
4055-पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना						
पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13 वां वित्त आयोग)	--	--	--	--	24,80.00	--
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	--	--	--	--	4,51.80	--
इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स	--	--	--	--	9,63.09	--
क्षमता का निर्माण एवं दक्षता का विकास	--	--	--	--	1,83.45	--
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं इससे कम लागत के	--	--	--	--	50,06.62	--
योग-789	--	--	--	--	90,84.96	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
मध्यप्रदेश गृह निर्माण निगम के द्वारा आवासीय घर एवं भवनों का निर्माण	--	--	--	--	62,30.00	--
पुलिस प्रशिक्षण संस्थाओं का उन्नयन (13 वां वित्त आयोग)	--	--	--	--	33,30.00	--
राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल वाहिनी की स्थापना	--	--	--	--	9,03.97	--
इन्टीग्रेटेड ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स	--	--	--	--	10,28.28	--
क्षमता का निर्माण एवं दक्षता का विकास	--	--	--	--	2,00.00	--
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,07.50	--
योग-796	--	--	--	--	1,20,99.75	--
800-अन्य व्यय						
राजमार्ग सुरक्षा एवं संरक्षा	--	--	--	--	11,46.09	--
फोरेन्सिक साइन्स	--	--	--	--	5,30.00	--
साइबर अपराध अन्वेषण	1,33.33	--	--	--	6,33.33	(-) 100
केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र	--	10,00.00	--	10,00.00	16,80.00	--
महिला अपराध सेल का गठन	--	--	--	--	9,86.55	--
अश्वारोही दल/डॉग स्क्वाड का पुनर्गठन	--	--	--	--	2,72.82	--
बड़े शहरों में परिवहन प्रबंधन	--	--	--	--	32,00.00	--
नवगठित 36वीं भारत रक्षित वाहिनी, बालाघाट	20,00.00	20,00.00	--	20,00.00	40,00.00	--
प्रशासनिक भवन का निर्माण	--	20,00.00	--	20,00.00	20,00.00	--
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	--	--	--	--	10,90.00	--
योग - 800	21,33.33	50,00.00	--	50,00.00	1,55,38.79	134
योग - 4055	4,04,77.22	3,69,87.40	--	3,69,87.40	17,63,58.15	(-) 9

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय-						
103-सरकारी मुद्रणालय-						
मशीने एवं उपकरण	--	47.07	--	47.07	11,73.09 ^(क)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	--	--	--	--	15.39 ^(ख)	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	--	--	--	--	25.25 ^(ग)	--
योग - 4058	--	47.07	--	47.07	12,13.73	--
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-						
<i>01-कार्यालय भवन-</i>						
<i>051-निर्माण-</i>						
जेल सुधार योजना के अधीन निर्माण कार्य	--	--	--	--	19,49.75	--
वाणिज्यिक कर	--	--	--	--	8,80.88	--
न्याय प्रशासन	1,03,62.08	--	--	--	2,57,24.22	(-) 100
भू-अभिलेख जिला एवं प्रशासन के स्तरों के सुधार की योजना (राजस्व निरीक्षक/पटवारी आवास)	--	--	--	--	11,29.69	--
लोक निर्माण विभाग के संभागीय/उप संभागीय कार्यालय भवन का निर्माण	--	--	--	--	12,48.11	--
तहसील, जिला एवं संभाग के भवन निर्माण	71,59.09	--	--	--	1,00,05.75	(-) 100
लोक सेवा केन्द्रों का निर्माण	4,69.06	--	--	--	47,45.93	(-) 100
मध्यलोक अतिथि गृह नवी मुम्बई	--	--	--	--	18,00.00	--
10 न्यायालय भवन राजगढ़	--	2,73.38	--	2,73.38	7,84.96	--
उज्जैन में नवीन न्यायालय भवन का निर्माण	--	--	--	--	24,89.15	--
प्रशासनिक अकादमी में आधुनिक हॉस्टल एवं 500 सेक्टर सभागार का निर्माण	--	23.94	--	23.94	5,48.02	--
पी.एस.एम.परिसर जबलपुर में जिला न्यायालय का निर्माण (प्रथम चरण, 100 न्यायालय कक्ष)	--	8,81.03	--	8,81.03	94,40.53	--
लोक सेवा आयोग इंदौर	--	--	--	--	5,99.99	--
नियंत्रक पंजीयक एवं अधीक्षक मुद्रांक, भवन निर्माण	--	--	--	--	7,46.78	--
राजस्व क्वार्टर सीहोर का निर्माण	--	8,50.44	--	8,50.44	14,12.39	--
लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय	--	--	--	--	5,65.14	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,54.33 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5.58 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9.16 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-कार्यालय भवन-जारी						
051-निर्माण-समाप्त						
संयुक्त कार्यालय भवन गुना का निर्माण	--	--	--	--	5,95.18	--
माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिये 312 'ए' टाइप सम्मिलित बंगलों का निर्माण	--	--	--	--	6,99.76	--
नवीन कोर्ट भवन गंजबासोदा विदिशा का निर्माण	--	--	8,25.77	8,25.77	8,25.77	--
नवीन कोर्ट भवन विदिशा का निर्माण	--	--	10,87.90	10,87.90	10,87.90	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	69,51.52 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	1,30,57.30	2,17,88.30	81,21.61	2,99,09.91	13,75,42.82	129
योग-051	3,10,47.53	2,38,17.09	1,00,35.28	3,38,52.37	21,17,74.24	9
101-निर्माण सामान्य-पूल आवास-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	31.01	--
201-भूमि का अर्जन-						
वाणिज्यिक कर विभाग हेतु कार्यालय भवन का क्रय	--	--	--	--	2,76.65 ^(ख)	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	72,49.82	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	--	--	--	--	81,57.87 ^(ग)	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य/परियोजनाएं प्रत्येक ₹ पांच करोड़ एवं उससे कम लागत के	--	--	--	--	13,10.75 ^(घ)	--
योग-01	3,10,47.53	2,38,17.09	1,00,35.28	3,38,52.37	22,88,00.34	9
60-अन्य भवन-						
051-निर्माण-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,42.88	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	66,27.98	--
योग-051	--	--	--	--	69,70.86	--

(क) विवरण उपलब्ध है।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,00.35 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 36.01 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.76 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय राज्य निधि केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)	योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी					
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-					
60-अन्य भवन-समाप्त					
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-					
नये पुलिस स्टेशनों की स्थापना	--	--	--	2,53.90 ^(क)	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	1,61.06	--
योग-789	--	--	--	4,14.96	--
800-अन्य व्यय-					
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	81.45 ^(ख)	--
योग-60	--	--	--	74,67.27	--
80-सामान्य-					
001-निर्देशन तथा प्रशासन-					
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	1,12.79 ^(ग)	--
051-निर्माण-					
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	46,84.74	--
052-मशीनरी तथा उपस्कर-					
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	53,86.44 ^(घ)	--
091-संबद्ध कार्यालय					
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	30,49.80	--
201-भूमि का अधिग्रहण-					
एकीकृत चेक पोस्ट के लिये भूमि अधिग्रहण	--	--	--	12,08.05	--
कार्यालय भवनों का निर्माण	18,47.55	--	--	30,86.77	(-) 100
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	9,20.34	--	1,13,37.92	--
योग-201	18,47.55	9,20.34	--	1,56,32.74	(-) 50
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना					
जेल सुधार योजना	--	--	--	48.09	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना					
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	1,17.61 ^(ङ)	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 92.10 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 29.55 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11.13 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2.43 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 42.67 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
80-सामान्य-समाप्त						
800-अन्य व्यय-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	20,82.20	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,10,69.93 ^(क)	--
योग-800	--	--	--	--	1,31,52.13	--
योग-80	18,47.55	9,20.34	--	9,20.34	4,21,84.34	(-) 50
योग-4059	3,28,95.08	2,47,37.43	1,00,35.28	3,47,72.71	27,84,51.95	6
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-						
003-प्रशिक्षण-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	50.00	--
800-अन्य व्यय-						
जन निजी भागीदारी अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु अनुदान	8,40.80	4,31.80	--	4,31.80	89,62.55	(-) 49
एम.एस.एम.ई.वेंचर केपिटल फण्ड में निवेश	--	--	--	--	5,00.00	--
वेंचर केपिटल फण्ड कम्पनी की अंश पूंजी में निवेश	--	--	--	--	26.50	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,76.62	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	45.00	30.00	--	30.00	21,44.23 ^(ख)	(-) 33
योग-800	8,85.80	4,61.80	--	4,61.80	1,20,09.90	(-) 48
योग-4070	8,85.80	4,61.80	--	4,61.80	1,20,59.90	(-) 48
योग-क-सामान्य सेवाओं का पूंजीगत लेखा	7,42,58.10	6,22,33.70	1,00,35.28	7,22,68.98	46,80,83.73	(-) 3

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,57.48 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5.02 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-						
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-सामान्य शिक्षा-						
052-मशीनरी तथा उपस्कर-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	20.70 ^(क)	--
201-प्रारंभिक शिक्षा-						
शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	--	--	--	--	2,06,25.34	--
शालाओं में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	--	1,30.50	--	1,30.50	4,55.50	--
सर्व शिक्षा अभियान	2,12,64.56	--	1,26,66.78	1,26,66.78	6,21,81.01	(-) 40
सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अपूर्ण विद्यालय भवनों का कार्य समापन	--	1,25.40	--	1,25.40	19,12.32	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	25,65.93	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	2,63.52	--	2,63.52	1,84,66.41 ^(क)	--
योग-201	2,12,64.56	5,19.42	1,26,66.78	1,31,86.20	10,62,06.51	(-) 38
202-माध्यमिक शिक्षा-						
आवास मण्डल द्वारा किराया खरीद आधार पर उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का निर्माण	--	--	--	--	8,51.45 ^(ख)	--
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भवन का निर्माण	82,10.99	2,19,11.91	--	2,19,11.91	5,06,83.27	167
शारीरिक शिक्षा तथा खेलों का सुदृढीकरण	--	91.01	--	91.01	18,27.68	--
शालाओं में शौचालयों का निर्माण/जीर्णोद्धार	--	--	--	--	14,32.57	--
मॉडल स्कूलों की स्थापना एवं प्रचालन	5,80.06	44.81	--	44.81	11,44.95	(-) 92
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत अपूर्ण कार्य से संबंधित व्यय	14,95.07	--	--	--	23,61.55	(-) 100
उत्कृष्ट स्कूल एवं मॉडल स्कूल में छात्रावास का निर्माण	--	23,21.05	--	23,21.05	23,21.05	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	48,29.29	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	23,85.30	24,91.21	--	24,91.21	1,19,81.77	3
योग-202	1,26,71.42	2,68,59.99	--	2,68,59.99	7,74,33.58	112
203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-						
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मित्र योजना का क्रियान्वयन	55,82.09	--	90,16.33	90,16.33	1,56,30.05	62

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹ 54,56.52 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारंभिक शेष ₹ 3,08.88 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
<i>(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी</i>						
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
<i>01-सामान्य शिक्षा-जारी</i>						
203-विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा-समाप्त						
शासकीय महाविद्यालय भवन का निर्माण	36,77.48	69,49.38	--	69,49.38	3,79,86.00	89
प्राध्यापक-कक्षों का निर्माण	--	--	--	--	3,49.51	--
राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल	--	--	--	--	6,75.00	--
मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा का सुधार	24,13.83	1,17,31.00	--	1,17,31.00	1,41,44.83	386
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	40,14.81	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और कम लागत के	5,49.37	--	--	--	69,56.03	(-) 100
योग-203	1,22,22.77	1,86,80.38	90,16.33	2,76,96.71	7,97,56.23	127
600-सामान्य-						
भवन निर्माण	--	--	--	--	3,55.68 ^(क)	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
शासकीय महाविद्यालयों के लिये छात्रावास भवनों का निर्माण	--	--	--	--	17,41.46	--
महाविद्यालय भवनों का निर्माण	--	--	--	--	14,65.32	--
सर्व शिक्षा अभियान	--	--	--	--	1,11,04.85	--
शाला भवनों का निर्माण	--	--	--	--	4,18.80	--
शालाओं में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	--	--	--	--	6,75.00	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	4,49.66	--
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मित्र योजना का क्रियान्वयन	--	--	--	--	12,48.22	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और कम लागत के	--	--	--	--	2,60.90	--
योग-789	--	--	--	--	1,73,64.21	--
793-अनुसूचित जाति घटक योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और कम लागत के	--	--	--	--	3.00	--
794-जनजातीय उप-योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और कम लागत के	--	--	--	--	5.82	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
छात्रावास भवनों का निर्माण	--	--	--	--	28,41.49	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,29.03 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी						
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-सामान्य शिक्षा-समाप्त						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-समाप्त						
महाविद्यालय भवनों का निर्माण	--	--	--	--	47,38.07	--
माध्यमिक शिक्षा-						
उच्चतर माध्यमिक एवं हाईस्कूलों में लघु निर्माण कार्य	--	--	--	--	96,36.25	--
उच्चतर माध्यमिक तथा हाईस्कूलों के लिये भवन निर्माण	--	--	--	--	13,37.84	--
शाला भवनों का निर्माण	--	--	--	--	5,50.00	--
शालाओं में बाउण्ड्रीवाल का निर्माण	--	--	--	--	9,50.00	--
सर्व शिक्षा अभियान	--	--	--	--	2,43,36.06	--
चिकित्सा बेकार अवशेष का निष्पादन-स्टाफ रूम का निर्माण	--	--	--	--	4,34.27	--
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	--	--	--	--	1,63,47.42	--
राष्ट्रीय उच्च शिक्षा मित्र योजना का क्रियान्वयन	--	--	--	--	6,29.36	--
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और कम लागत के	--	--	--	--	23,52.54 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	6,41,53.30	--
797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण-						
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और कम लागत के	--	--	--	--	(-) 33.22 ^(ख)	--
800-अन्य व्यय-						
खेल अकादमी की स्थापना	8,55.97	9,25.57	--	9,25.57	82,04.41	8
स्टेडियम तथा खेलकूद अधोसंरचना का निर्माण	16,62.53	--	--	--	1,08,73.81	(-) 100
सर्व शिक्षा अभियान	--	--	--	--	19,08.24	--
स्टेडियम तथा खेलकूद अधोसंरचना कार्य	--	28,43.45	--	28,43.45	46,10.01	--
बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के लिये जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	4,49.91	--	1,95.41	1,95.41	25,35.59	(-) 57
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	48,34.13	--
अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और कम लागत के	6.95	9.56	--	9.56	13,42.59	38
योग-800	29,75.36	37,78.58	1,95.41	39,73.99	3,43,08.78	34
योग-01	4,91,34.11	4,98,38.37	2,18,78.53	7,17,16.90	37,95,74.60	46

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 7,35.98 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ (-) 12.05 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी						
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
02-तकनीकी शिक्षा-						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	51,20.65 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	33.52	--
योग-001	--	--	--	--	51,54.17	--
104-बहुशिल्प-						
पोलीटेक्निक संस्थान	33,16.62	70.60	--	70.60	1,94,33.70	(-) 98
पोलीटेक्निक भवनों का निर्माण	--	--	--	--	29,84.02 ^(ख)	--
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये भवन निर्माण	18,22.93	8,43.81	--	8,43.81	1,74,30.90	(-) 54
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण	89.69	62.92	--	62.92	14,55.24	(-) 30
भारतीय तकनीकी संस्थान, इन्दौर की स्थापना	--	--	--	--	10,70.30	--
शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	21,98.23	17,59.26	--	17,59.26	83,27.67	(-) 20
व्यवसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण तथा विस्तार	66,58.84	58,77.18	--	58,77.18	1,41,33.16	(-) 12
जिला स्तर पर मॉडल औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	2,31.93	1,44.52	--	1,44.52	11,79.48	(-) 38
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	5,90.19	--	--	--	46,96.26	(-) 100
योग-104	1,49,08.43	87,58.29	--	87,58.29	7,08,00.36	(-) 41
105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	10,01.92	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	3,19.50	--	3,19.50	41,75.87	--
योग-105	--	3,19.50	--	3,19.50	51,77.79	--
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-						
तकनीकी शिक्षा हेतु भवन निर्माण	--	--	--	--	20,72.87	--
डॉ.बाबा साहब अम्बेडकर पॉलीटेक्निक संस्थान	--	--	--	--	44,14.18	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	25,60.00	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,73.02	--
योग-789	--	--	--	--	94,20.07	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 18,57.61 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 6,39.65 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
<i>(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी</i>						
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
<i>02-तकनीकी शिक्षा-समाप्त</i>						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
तकनीकी शिक्षा हेतु भवन निर्माण	--	--	--	--	6,65.29	--
एकलव्य पॉली टेक्निक संस्थान	--	--	--	--	35,71.41	--
उच्चतर माध्यमिक तथा हाई स्कूलों के लिये भवन निर्माण	--	--	--	--	22,36.91	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	15,24.17 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	79,97.78	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	6.74 ^(ख)	--
योग-02	1,49,08.43	90,77.79	--	90,77.79	9,85,56.92	(-) 39
<i>03-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-</i>						
003-खेलकूद एवं युवा कल्याण^(ग)						
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का भवन निर्माण	2,58.60	49,91.41	--	49,91.41	1,16,45.63	1830
102-खेल स्टेडियम-						
पिछड़े जिलों में आदर्श महाविद्यालय की स्थापना	--	--	--	--	8,30.89	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,18.82	--
योग-102	--	--	--	--	9,49.71	--
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-						
स्टेडियम तथा खेलकूद अधोसंरचना का निर्माण	--	--	--	--	47,28.94	--
खेलकूद अकादमी की स्थापना	--	--	--	--	20,60.38	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	83.54	--
योग-789	--	--	--	--	68,72.86	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,33.70 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2.44 लाख कम किया गया।

(ग) वर्गीकरण 4202-03-003 संघ तथा राज्य के लेखों के मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची के अनुसार नहीं है।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
<i>(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-जारी</i>						
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
<i>03-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-समाप्त</i>						
<i>796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-</i>						
खेलकूद अकादमी की स्थापना	--	--	--	--	23,14.20	--
स्टेडियम तथा खेलकूद अधोसंरचना का निर्माण	--	--	--	--	50,07.01	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,36.97 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	76,58.18	--
<i>800-अन्य व्यय-</i>						
स्टेडियम एवं खेल अधोसंरचना का निर्माण	11,81.29	8,34.81	--	8,34.81	20,16.10	(-) 29
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	4,22.24	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	3,60.04	2,05.12	--	2,05.12	11,60.72 ^(ख)	(-) 43
योग-800	15,41.33	10,39.92	--	10,39.93	35,99.06	(-) 33
योग-03	18,49.58	60,31.34	--	60,31.34	3,07,25.44	226
<i>04-कला तथा संस्कृति-</i>						
<i>104-अभिलेखागार-</i>						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3.07 ^(ग)	--
<i>106-संग्रहालय-</i>						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	11,13.75 ^(घ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	77.04	--
योग-106	--	--	--	--	11,90.79	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,22.24 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9.15 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.12 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 24.69 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
04-कला तथा संस्कृति-समाप्त						
796-जनजाति क्षेत्र उप-योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	5,91.63	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	5,07.08	--
योग-796	--	--	--	--	10,98.71	--
800-अन्य व्यय-						
छात्रावास भवनों का निर्माण	--	--	--	--	1,15,46.00	--
म.प्र.सांस्कृतिक कमेटी का विकास	4,00.00	--	--	--	9,98.00	(-) 100
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा शासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में अतिरिक्त निर्माण	1,27.81	2,60.70	--	2,60.70	13,65.89	104
राजा मानसिंह तोमर, संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर के लिये भवन निर्माण	1,50.00	--	--	--	8,01.00	(-) 100
रवीन्द्र भवन परिसर का उन्नयन	9,51.72	--	12,00.00	12,00.00	39,25.27	26
	--	29,75.00	--	29,75.00	29,75.00	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,49.58 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	13,12.10	16,94.35	12,78.64	29,72.99	65,30.39	127
योग-800	29,41.63	49,30.05	24,78.64	74,08.69	2,82,91.13	152
योग-04	29,41.63	49,30.05	24,78.64	74,08.69	3,05,83.70	152
योग-4202	6,88,33.75	6,98,77.55	2,43,57.17	9,42,34.72	53,94,40.66	37
योग-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा	6,88,33.75	6,98,77.55	2,43,57.17	9,42,34.72	53,94,40.66	37

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 54.26 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-						
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-						
001- निर्देशन एवं प्रशासन -						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	14.64	--	--	--	14.64	(-) 100
110-अस्पताल तथा औषधालय-						
हमीदिया चिकित्सालय में गैस पीड़ित लोगों को राहत देने के लिए 650 बिस्तरों वाले						
कमला नेहरू अस्पताल के शेष भाग का निर्माण	--	--	--	--	19,50.74	--
चिकित्सालयों तथा औषधालयों हेतु भवनों का निर्माण	62,00.06	74,31.74	--	74,31.74	3,14,41.45	20
सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण (नाबार्ड)	--	--	--	--	34,37.57	--
स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण (13वां वित्त आयोग)	--	--	--	--	88,85.50	--
नर्सिंग अधोसंरचना का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	14,64.36	2,61.76	--	2,61.76	24,25.51	(-) 82
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	70,46.92	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	2,08.41	--	--	--	98,43.09	(-) 100
योग-110	78,72.83	76,93.50	--	76,93.50	6,50,30.78	(-) 2
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण (13वां वित्त आयोग)	--	--	--	--	47,98.81	--
चिकित्सालयों एवं औषधालयों के लिये भवनों का निर्माण	--	--	--	--	86,97.94	--
नर्सिंग अधोसंरचना का उन्नयन और सुदृढ़ीकरण	--	--	--	--	11,59.59	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,81.16	--
योग-789	--	--	--	--	1,51,77.50	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
स्वास्थ्य अधोसंरचना का सुदृढ़ीकरण (13वां वित्त आयोग)	--	--	--	--	36,52.92	--
अस्पताल एवं औषधालयों के भवनों का निर्माण	--	--	--	--	48,84.45	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	2,89.19	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	13,52.69 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	1,01,79.25	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,12.79 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-समाप्त						
800-अन्य व्यय						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3.68 ^(क)	--
योग-01	78,87.47	76,93.50	--	76,93.50	9,04,05.85	(-) 2
02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-						
101-स्वास्थ्य उप केन्द्र-						
आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	63.86	3,92.26	--	3,92.26	8,47.07	519
राष्ट्रीय मिशन ऑफ मेडिसिन, मेडिसिनल प्लांट मिशन सहित	1,54.80	--	--	--	12,87.68	(-) 100
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	7,50.00	--
योग - 101	2,18.66	3,92.26	--	3,92.26	28,84.75	81
103-प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-						
सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का भवन निर्माण	--	83.32	--	83.32	63,67.27	--
मूलभूत सेवाओं के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उप-स्वास्थ्य केन्द्र तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	--	--	--	--	1,42,03.62	--
विनिर्मित तकनीक के साथ उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	--	--	--	--	24,66.16	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	56,89.87	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	35,05.55 ^(ख)	--
योग-103	--	83.32	--	83.32	3,22,32.47	--
104-सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-						
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भवन का निर्माण	45,71.19	43,41.17	--	43,41.17	89,12.36	(-) 5
सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र के लिए भवनों का निर्माण (नाबार्ड)	23,38.89	25,67.31	--	25,67.31	49,06.20	7
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	2,03.16 ^(ग)	--
योग-104	69,10.08	69,08.48	--	69,08.48	1,40,21.72	(-) 1

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.34 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,39.73 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11.91 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-समाप्त						
110-अस्पताल तथा औषधालय-						
आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना	3.83	1,16.08	--	1,16.08	1,19.91	2927
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	9.16	--
योग-110	3.83	1,16.08	--	1,16.08	1,29.07	2927
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना						
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवन निर्माण	--	--	--	--	1,18,14.37	--
सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण (नाबार्ड)	--	--	--	--	1,01,99.48	--
आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	--	--	--	--	4,45.78	--
पूर्व निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	--	--	--	--	9,99.45	--
विनिर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	--	--	--	--	10,19.33	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	2,16.42	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,39.83 ^(क)	--
योग-789	--	--	--	--	2,50,34.66	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-						
पूर्वनिर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण	--	--	--	--	8,93.77	--
ग्रामीण योजना के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण	--	--	--	--	98,65.64	--
सामुदायिक स्वास्थ्य/उप स्वास्थ्य/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण (नाबार्ड)	--	--	--	--	51,36.08	--
आयुर्वेदिक औषधालयों की स्थापना	--	--	--	--	7,54.63	--
विनिर्मित तकनीकी से उप-स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना	--	--	--	--	8,61.74	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	33,83.59	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	10,80.85 ^(ख)	--
योग-796	--	--	--	--	2,19,76.30	--
योग-02	71,32.57	75,00.14	--	75,00.14	9,62,78.97	5

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 37.13 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,20.81 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-						
101-आयुर्वेद						
आयुर्वेदिक महाविद्यालय	6,38.03	2,59.23	--	2,59.23	65,67.56	(-) 59
आयुर्वेद प्रशासन का सुदृढीकरण	--	--	--	--	2,75.33	--
एलोपैथी हॉस्पिटल में आयुष शाखा की स्थापना	--	--	--	--	11.43	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,33.58 ^(क)	--
योग-101	6,38.03	2,59.23	--	2,59.23	72,87.90	(-) 59
102-होम्योपैथी-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,35.00	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	34.09 ^(ख)	--
योग-102	--	--	--	--	1,69.09	--
103-यूनानी						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	7,43.96	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	63.88	--
योग-103	--	--	--	--	8,07.84	--
105-एलोपैथी-						
शिक्षा-चिकित्सा महाविद्यालय	5,00.00	--	--	--	47,98.78	(-) 100
भोपाल में एम्स निर्माण के अंतर्गत संप्रेक्षण का कार्य	--	--	--	--	16,06.51	--
चिकित्सा महाविद्यालय में 2000 बिस्तर वाले सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का निर्माण	93,55.73	1,52,88.17	--	1,52,88.17	2,60,34.49	63
महाराजा तुकोजीराव अस्पताल का उन्नयन (13वां वित्त आयोग)	6,05.70	--	--	--	21,75.61	(-) 100
रतलाम चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण	3,32,32.73	--	3,66,22.84	3,66,22.84	8,73,74.25	10
चिकित्सा महाविद्यालयों में परास्नातक पाठ्यक्रम का सुदृढीकरण	5,66.42	--	16,48.27	16,48.27	43,93.70	191
चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में बायरोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना (13वां वित्त आयोग)	--	--	--	--	16,20.00	--
जबलपुर चिकित्सा महाविद्यालय में न्यूरो सर्जरी विभाग की स्थापना	66,20.41	7,28.84	--	7,28.84	81,83.69	(-) 89
ग्वालियर चिकित्सा महाविद्यालय में 1000 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण	--	4,70.00	--	4,70.00	6,79.19	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 79.93 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 12.36 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-जारी						
105-एलोपैथी- समाप्त						
चिकित्सा विद्यालय, विदिशा	1,00,00.00	2,57,87.89	--	2,57,87.89	3,57,87.89	158
चिकित्सा विद्यालय, शहडोल	80,00.00	--	--	--	64,92.90	(-) 100
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत सुपर स्पेशलिटी कैंपस की स्थापना	58,04.28	--	58,30.00	58,30.00	1,16,34.28	--
चिकित्सा विद्यालय, खण्डवा	68,09.68	--	--	--	68,09.68	(-) 100
चिकित्सा विद्यालय, सागर	3,68.33	--	--	--	3,68.33	(-) 100
एम.बी.बी.एस. के सीटों की संख्या में वृद्धि	33,89.74	--	1,45,16.30	1,45,16.30	1,79,06.04	328
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	57,38.12	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	7,77.10	7,92.33	25,23.63	33,15.96	77,66.63	327
योग-105	8,66,49.42	4,30,67.23	6,11,41.04	10,42,08.27	23,14,56.49	20
200-अन्य पद्धतियाँ-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,74.23 ^(क)	--
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-						
नवीन चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना	--	--	--	--	1,15,80.58	--
विदिशा चिकित्सा महाविद्यालय	--	--	--	--	35,28.00	--
योग-789	--	--	--	--	1,51,08.58	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
आयुर्वेदिक महाविद्यालय	--	--	--	--	3,00.00	--
चिकित्सा विद्यालय, खण्डवा	--	--	--	--	32,38.97	--
चिकित्सा महाविद्यालय	--	--	--	--	19,09.96	--
चिकित्सा महाविद्यालय, शहडोल	--	--	--	--	64,92.90	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	7,21.65 ^(ख)	--
योग-796	--	--	--	--	1,26,63.48	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 63.21 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,43.66 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

						(₹ लाख में)
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
<i>03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-समाप्त</i>						
800-अन्य व्यय						
चिकित्सा महाविद्यालय तथा संलग्न अस्पताल	16,21.98	19,18.94	--	19,18.94	91,62.30	18
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	49.20	--	--	--	8,77.35	(-) 100
योग-800	16,71.18	19,18.94	--	19,18.94	1,00,39.65	15
योग-03	8,89,58.65	4,52,45.40	6,11,41.04	10,63,86.44	27,77,07.26	20
<i>04-लोक स्वास्थ्य-</i>						
101- रोगों का निवारण तथा नियंत्रण - आयुर्वेदिक एवं अन्य औषधालय	8.14	1,92.22	--	1,92.22	4,11.83	2234
107-लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,19.94	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	16.89	--
योग-107	--	--	--	--	1,36.83	--
200-अन्य कार्यक्रम-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,43.50 ^(क)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4.40 ^(ख)	--
योग-04	8.14	1,92.22	--	1,92.22	6,96.56	2261
<i>80-सामान्य-</i>						
800-अन्य व्यय-						
सिंहस्थ मेला की व्यवस्था	--	--	--	--	30.00	--
योग-80	--	--	--	--	30.00	--
योग-4210	10,39,86.83	6,06,31.26	6,11,41.04	12,17,72.30	46,51,18.64	17
4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-						
<i>101-ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं-</i>						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,55.12	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	32,56.62 ^(ग)	--
योग-101	--	--	--	--	36,11.74	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 52.05 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.60 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9,97.26 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा-समाप्त 4211-परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त 800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	17,46.11	--
योग-4211	--	--	--	--	53,57.85	--
योग-(ख)-स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण का पूंजीगत लेखा (ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-	10,39,86.83	6,06,31.25	6,11,41.04	12,17,72.79	47,04,76.49	17
4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-जलपूर्ति						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
ड्रिलिंग रिंग्स/वर्कशॉप/एयर कंप्रेसन का ऑपरेशन	38,78.76	44,62.40	--	44,62.40	1,20,31.04	15
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रयोगशालायें	--	--	--	--	8,97.40	--
योग-001	38,78.76	44,62.40	--	44,62.40	1,29,28.44	15
052-उपकरण एवं औजार						
उपकरण एवं संयंत्र	8.56	--	--	--	8.56	(-) 100
101-शहरी जलपूर्ति-						
पर्यावरण बचाव कार्य एवं प्रदूषण नियंत्रण	--	--	--	--	2,88.49 ^(क)	--
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी प्रयोगशालायें	12,78.45	--	14,37.42	14,37.42	63,93.44	12
स्थापना का आनुपातिक अंशलेखा	--	--	--	--	0.22 ^(ख)	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	42,29.95	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	17.55	--	--	--	30,67.97	(-) 100
योग-101	12,96.00	--	14,37.42	14,37.42	1,39,80.07	11
102-ग्रामीण जलपूर्ति-						
गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	12,33.08	--	10,12.34	10,12.34	35,48.34	(-) 18
नर्मदा-क्षिप्रा लिंक परियोजना आधारित ग्रामीण जल प्रदाय योजना	--	--	--	--	1,60.00	--
राज्य जल निगम में पूंजी निवेश	9,00.00	2,70.00	--	2,70.00	1,11,70.00	(-) 70
ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	21.10	--	--	--	78,66.17	(-) 100
जल प्रदाय योजनाओं (ग्रामीण) को सहायता अनुदान	--	--	--	--	4,47.31 ^(ग)	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 7.43 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.08 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,62.27 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-						
4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-जलपूर्ति						
102-ग्रामीण जलपूर्ति- समाप्त						
समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की व्यवस्था	2,61,71.55	1,54,91.19	--	1,54,91.19	17,54,33.91	(-) 41
आर्सेनिक/फ्लोराइड्स प्रभावित जल को पीने योग्य बनाने हेतु मशीनरी की स्थापना	--	--	--	--	15,47.29	--
उज्जैन, भिण्ड एवं नीमच जिलों में खारे पानी से प्रभावित ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था	--	--	--	--	30,84.27	--
राज्य में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	--	--	--	--	1,72,28.25	--
ग्रामीण नल जल पूर्ति योजना	5,24,11.77	2,39,84.11	4,90,50.20	7,30,34.31	27,80,74.79	39
मेलों के लिये संरक्षित जल आपूर्ति	60.00	--	40.00	40.00	5,23.35	(-) 33
उद्दिष्ट जल गुणवत्ता कार्यक्रम	--	--	--	--	12,87.74	--
आंगनवाड़ी केन्द्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था	--	--	--	--	69,27.15	--
राष्ट्रीय स्वास्थ्य कर, ऊर्जा कार्यक्रम	--	--	11,72.26	11,72.26	20,98.32	--
ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना	--	4,31,99.86	--	4,31,99.86	4,31,99.86	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,55,39.78	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	2,46.79	3,49.22	--	3,49.22	10,77.37	42
योग-102	8,10,44.28	8,31,94.38	5,12,74.80	13,44,69.18	58,91,13.90	66
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-						
ग्रामीण नल जल प्रदाय योजना	--	--	--	--	5,14,97.94	--
समस्याग्रस्त गांवों में पीने के पानी का प्रदाय	--	--	--	--	5,56,45.66	--
ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	--	--	--	--	34,80.50	--
भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	--	--	--	--	37,55.70	--
भारी पानी प्रभावित गांवों में पेयजल व्यवस्था	--	--	--	--	13,96.98	--
राज्य में फ्लोरोसिस नियंत्रण कार्यक्रम	--	--	--	--	1,38,57.50	--
हॉस्टल/आश्रमों में पीने के पानी की व्यवस्था तथा सेनेट्री कार्य	--	--	--	--	25,71.73	--
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम	--	--	--	--	8,34.24	--
आंगनवाड़ी केन्द्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था	--	--	--	--	31,97.12	--
उद्दिष्ट जल गुणवत्ता कार्यक्रम	--	--	--	--	8,56.13	--
गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	--	--	--	--	22,29.50	--
पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	--	--	--	--	1,15,41.94	--

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी						
4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-जलपूर्ति-जारी						
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- समाप्त						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	90,80.28	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	50,57.34	--
योग-789	--	--	--	--	16,50,02.56	--
794-जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	73.21	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
250 जनसंख्या से कम के गांवों एवं झोपड़ियों में नलकूपों की खुदाई	--	--	--	--	5,65,68.78	--
ग्रामीण सर्वेक्षण एवं अनुसंधान	--	--	--	--	3,41.22	--
गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में पेयजल व्यवस्था	--	--	--	--	43,48.67	--
पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	--	--	--	--	1,29,14.31	--
औजार एवं संयंत्र	--	--	--	--	27,29.16	--
राज्य में फ्लोरोसिस नियंत्रण	--	--	--	--	1,33,10.24	--
भारी पानी प्रभावित गांवों में पेयजल व्यवस्था	--	--	--	--	4,27.03	--
ग्रामीण शालाओं में जल प्रदाय	--	--	--	--	45,91.11	--
ग्रामीण जल-नल आपूर्ति योजना	--	--	--	--	33,20.79	--
समस्याग्रस्त ग्रामों में पीने के पानी की आपूर्ति	--	--	--	--	22,60.26	--
भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	--	--	--	--	35,00.42	--
होस्टल/आश्रम में पेयजल व्यवस्था एवं सेनेटरी कार्य	--	--	--	--	28,15.60	--
राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम	--	--	--	--	17,37.49	--
उद्दिष्ट जल गुणवत्ता कार्यक्रम	--	--	--	--	21,69.72	--
खनिज क्षेत्रों में जल आपूर्ति	--	--	--	--	4,48.82	--
आंगनवाड़ी केन्द्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था	--	--	--	--	58,99.67	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	2,06,14.14	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	36,44.20 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	14,16,41.64	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 45.16 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी						
4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
01-जलपूर्ति-समाप्त						
800-अन्य व्यय-						
भू-जल स्रोतों का पुनर्भरण	--	--	--	--	1,31,47.79	--
भू-जल संवर्धन कार्यक्रम	1,63.76	--	--	--	1,07,34.93	(-) 100
सहायक गतिविधियां	15,35.15	--	16,18.02	16,18.02	1,07,89.21	5
यंत्र एवं उपकरण	43.61	--	1,67.17	1,67.17	52,98.68	283
पेयजल योजनाओं का जल निगम द्वारा क्रियान्वयन	4,85,40.04	2,32,96.07	--	2,32,96.07	14,16,24.33	(-) 52
खनिज क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था	4,61,04.45	3,51,63.92	--	3,51,63.92	8,12,68.37	(-) 24
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	97,89.04	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	0.18	--	--	--	28,51.08 ^(क)	(-) 100
योग-800	9,63,87.19	5,84,59.99	17,85.19	6,02,45.18	27,55,03.43	(-) 37
योग-01	18,26,14.80	14,61,16.77	5,44,97.41	20,06,14.18	1,19,82,51.84	10
02-मल-जल तथा सफाई-						
101-शहरी सफाई सेवाएं-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3.46 ^(ख)	--
106-मल-जल सेवाएं-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	86.42 ^(ग)	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	66.89 ^(घ)	--
योग-02	--	--	--	--	1,56.77	--
योग-4215	18,26,14.80	14,61,16.77	5,44,97.41	20,06,14.18	1,19,84,08.61	10

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 36.42 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.26 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 31.35 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 24.27 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी						
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-सरकारी रिहायसी भवन-						
106-साधारण पूल आवास-						
न्याय प्रशासन (कर्मचारियों के लिये आवासीय क्वार्टरों का निर्माण)	28,08.40	--	44,99.74	44,99.74	2,65,62.74 ^(क)	60
लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के लिये आवासगृहों का निर्माण	80.00	1,15.38	--	1,15.38	6,68.56	44
न्यायपालिका का सुदृढ़ीकरण	14,50.00	--	--	--	14,50.00	(-) 100
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	14,27.99	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	55.75	2,15.34	--	2,15.34	9,87.66	296
योग-106	43,94.15	3,30.71	44,99.74	48,30.45	3,10,96.95	10
107-पुलिस गृह निर्माण -						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	5,18.98 ^(ख)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	14,25.96	--
योग-107	--	--	--	--	19,44.94	--
700-अन्य आवास-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	8,94.94 ^(ग)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	90.48	39.29	--	39.29	12,54.83	(-) 57
योग-700	90.48	39.29	--	39.29	21,49.37	(-) 57
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,42.58 ^(घ)	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	70.65 ^(ङ)	--
योग-01	44,84.63	3,70.01	44,99.74	48,69.75	3,57,04.49	9

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 22,79.93 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,88.27 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,79.41 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,60.56 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 20.14 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी						
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
02-शहरी आवास-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,26.88 ^(क)	--
योग-190	--	--	--	--	3,26.88	--
191-नगर निगमों को सहायता-						
म.प्र.राज्य कर्मचारी आवास निगम में निवेश	--	--	--	--	45.00	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	0.50	--
योग-191	--	--	--	--	45.50	--
195-सहकारिताओं में निवेश-						
म.प्र.राज्य कर्मचारी आवास निगम	--	--	--	--	50.00	--
अन्य निवेश	--	--	--	--	5,44.38 ^(ख)	--
योग-195	--	--	--	--	5,94.38	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	2.94 ^(ग)	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	12.82	--
योग-02	--	--	--	--	9,82.52	--
03-ग्रामीण आवास-						
800-अन्य व्यय						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	7,30.34 ^(घ)	--
80-सामान्य-						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	28.37 ^(ङ)	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 35.54 लाख कम किया गया।
 (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,97.48 लाख कम किया गया।
 (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.06 लाख कम किया गया।
 (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,64.94 लाख कम किया गया।
 (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 10.30 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

							(₹ लाख में)
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)	
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)				
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी							
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी							
4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त							
80-सामान्य-समाप्त							
052-मशीनरी तथा उपस्कर-							
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	13.21 ^(क)	--	
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-							
अन्य निवेश	--	--	--	--	1,20.79 ^(ख)	--	
201-गृह निर्माण मंडलों में निवेश-							
आवासीय गृहों एवं भवनों का निर्माण	--	--	--	--	2,44,62.69	--	
एकीकृत प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	--	--	--	--	34,39.83	--	
योग-201	--	--	--	--	2,79,02.52	--	
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-							
आवासीय गृहों एवं भवनों का निर्माण	--	--	--	--	52,58.08	--	
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	2,39.48	--	
योग-789	--	--	--	--	54,97.56	--	
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-							
आवास सहकारिताओं में निवेश	--	--	--	--	10.35 ^(ग)	--	
आवासीय गृहों एवं भवनों का निर्माण	--	--	--	--	69,82.24	--	
एकीकृत प्रशिक्षण कॉम्पलेक्स	--	--	--	--	3,07.57	--	
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट आधारतंत्र योजना	--	--	--	--	10,00.00	--	
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	5,11.11	--	
योग-796	--	--	--	--	88,11.27	--	
800-अन्य व्यय							
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	5,31.84	--	
योग-80	--	--	--	--	4,29,05.56	--	
योग-4216	44,84.63	3,70.01	44,99.74	48,69.75	8,03,22.91	9	

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4.79 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 43.82 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3.75 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी						
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-राज्य की राजधानी का विकास-						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,41.17 ^(क)	--
050-भूमि						
भू-अर्जन हेतु मुआवजा	--	--	--	--	2,12.05	--
न्यायालयीन प्रकरणों में जमा राशि	--	--	--	--	5,25.27	--
मंत्रालय का विस्तार	1,93,59.00	1,14,58.05	--	1,14,58.05	4,37,79.80	(-) 41
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,28,68.92 ^(ख)	--
योग-050	1,93,59.00	1,14,58.05	--	1,14,58.05	5,73,86.04	(-) 41
051-निर्माण-						
गैर-आवासीय भवन	2,83.13	1,61.40	--	1,61.40	49,27.98	(-) 43
आवासीय भवन	--	--	--	--	24,64.80	--
सड़कें तथा सेतु	27,99.03	8,02.70	--	8,02.70	3,15,98.22	(-) 71
बार स्मारक का निर्माण	2,34.44	--	--	--	30,84.82	(-) 100
लोकायुक्त भवन का निर्माण	--	--	--	--	8,76.88	--
नवीन एम.एल.ए.विश्राम गृह का निर्माण	--	--	--	--	1,37.50	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,56,01.99	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	65,20.58	--
योग-051	33,16.60	9,64.10	--	9,64.10	6,52,12.77	(-) 71

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 40.33 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,30.02 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी						
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-राज्य की राजधानी का विकास-समाप्त						
052-मशीनरी तथा उपस्कर-						
मशीनें और उपस्कर	--	--	--	--	2,59.81	--
क्षेत्रों का सौंदर्यीकरण आदि	6,97.19	7,28.97	--	7,28.97	90,86.66	5
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	41,05.41 ^(क)	--
योग-052	6,97.19	7,28.97	--	7,28.97	1,34,51.88	5
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	45,63.03	--
191-स्थानीय संस्थाओं/निगमों आदि को सहायता-						
एम्स क्षेत्र में नालियों का व्यपवर्तन	--	--	--	--	6,00.00	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	78,02.26	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	8,63.20	--
योग-191	--	--	--	--	92,65.46	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,83.25	--
799-उच्चत-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1.34 ^(ख)	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	7,27.80 ^(ग)	--
योग-01	2,33,72.79	1,31,51.12	--	1,31,51.12	15,11,32.74	(-) 44

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,34.99 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.49 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,11.30 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-जारी						
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में निवेश						
स्मार्ट सिटी	2,04,00.00	10,20.00	2,45,00.00	2,55,20.00	4,59,20.00	25
191-स्थानीय निकायों, निगमों आदि को सहायता-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	19,27.23	--
800-अन्य व्यय-						
सिंहस्थ मेला हेतु व्यवस्था	--	--	--	--	5,19,19.63	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	25,00.00 (क)	--
योग-800	--	--	--	--	5,44,19.63	--
योग-03	2,04,00.00	10,20.00	2,45,00.00	2,55,20.00	10,22,66.86	25
60-अन्य शहरी विकास योजनाएं -						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
विकास योजना -						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	41.47	--
योग-001	--	--	--	--	41.47	--
051-निर्माण						
मुख्यमंत्री स्वच्छता कार्यक्रम	--	--	--	--	53,32.88	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	67,46.33	--
योग-051	--	--	--	--	1,20,79.21	--
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
मध्यप्रदेश नगर विकास वित्त निगम में निवेश	--	--	--	--	1.61 (ख)	--
191-स्थानीय संस्थाओं, निगमों आदि को सहायता-						
नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास	--	--	--	--	23,89.30	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	52,27.31	--
योग-191	--	--	--	--	76,16.61	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.49 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.58 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी. एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (ग)-जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4217-शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
60-अन्य शहरी विकास योजनाएं-समाप्त						
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना- नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास	--	--	--	--	14,45.47	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,00.00	--
योग-789	--	--	--	--	15,45.47	--
793-अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता- भारत सरकार द्वारा विशेष घटक योजना हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा वित्त पोषित योजनाएं	--	--	--	--	12.31 ^(क)	--
योग-793	--	--	--	--	12.31	--
800-अन्य व्यय-						
सिंहस्थ मेला	--	50,00.00	--	50,00.00	1,61,47.29	--
मध्यप्रदेश शहरी सेवायें सुधार कार्यक्रम (ए.डी.बी.)	27,14.00	1,19,43.73	--	1,19,43.73	1,47,32.73	340
दीनदयालरसोई घर योजना को एकमुश्त सहायता	7,37.85	--	--	--	7,37.85	(-) 100
मध्यप्रदेश शहरी विकास परियोजना	21,00.00	21,50.00	--	21,50.00	42,50.00	2
मेट्रो रेल	--	1,00,00.00	--	1,00,00.00	1,00,00.00	--
योग-800	55,51.85	2,90,93.73	--	2,90,93.73	4,58,67.87	424
योग-60	55,51.85	2,90,93.73	--	2,90,93.73	6,71,64.55	424
योग-4217	4,93,24.64	4,32,64.85	2,45,00.00	6,77,64.85	32,05,64.15	37
योग-(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा	23,64,24.07	18,97,51.62	8,34,97.16	27,32,48.78	1,59,92,95.67	16
(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा-						
4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय-						
60-अन्य-						
101-भवन-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	30.00	66.72	--	66.72	3,34.35 ^(ख)	122

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4.47 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 81.32 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा-समाप्त 4220-सूचना तथा प्रचार पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त 60-अन्य-समाप्त						
190-सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश-						
समाचार भारती के अंशों में निवेश	--	--	--	--	6.60 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	2.79	--
योग-190	--	--	--	--	9.39	--
योग-60	30.00	66.72	--	66.72	3,43.74	122
योग-4220	30.00	66.72	--	66.72	3,43.74	122
योग-(घ) सूचना तथा प्रसारण का पूंजीगत लेखा	30.00	66.72	--	66.72	3,43.74	122
(ङ)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-						
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं अल्पसंख्यक पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
एम.पी.एस.सी. सहकारी वित्त विकास निगम	2,00.00	--	--	--	2,00.00	(-) 100
मध्य प्रदेश अन्त्यवसायी विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश	--	--	--	--	7,98.76 ^(ख)	--
योग-190	2,00.00	--	--	--	9,98.76	(-) 100
195-सहकारिताओं में निवेश-						
ग्रामीण/विपणन/वृहद् गोदामों का निर्माण	--	--	--	--	76.06 ^(ग)	--
277-शिक्षा-						
छात्रावास भवन एवं आश्रम का निर्माण	--	43,10.36	--	43,10.36	62,94.53 ^(घ)	--
मेधावी एस.सी./एस.टी.छात्रों के लिए आवासीय स्कूल	49,98.19	50,54.54	--	50,54.54	1,00,52.73	--
योग-277	49,98.19	93,64.90	--	93,64.90	1,63,47.26	87

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2.40 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,89.76 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 27.59 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 7,19.80 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण, एवं अल्पसंख्यक पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-जारी						
283-आवास-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	11,26.47 ^(क)	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम में निवेश	--	--	--	--	22,67.08 ^(ख)	--
आश्रम एवं छात्रावास	--	--	--	--	4,94,40.72 ^(ग)	--
जगजीवन छात्रावास योजना	--	--	--	--	14,51.09	--
विकासखंड कार्यालय भवन का विद्युतीकरण	--	--	--	--	5,66.10	--
अनुसूचित जाति/जनजाति के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों हेतु आवासीय विद्यालय	--	--	--	--	1,06,47.23	--
अनुसूचित जाति/जनजाति कॉलोनियों का विकास	--	--	--	--	4,05,22.95	--
अनुसूचित जाति उप-योजना हेतु एक मुश्त प्रावधान	--	--	--	--	1,23,61.93	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	29,45.42 ^(घ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	14,29.40	--
योग-789	--	--	--	--	12,16,31.92	--
793-अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-						
क्षेत्रीय विकास के लिये अनाबद्ध राशि	--	--	--	--	22,62.99 ^(ङ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	27.66	--
योग-793	--	--	--	--	22,90.65	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	32.45 ^(च)	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4,08.65 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 47.92 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11,29.80 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 12.96 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,19.09 लाख कम किया गया।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11.77 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (ङ)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी 4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं अल्पसंख्यक पर पूंजीगत परिव्यय-जारी 01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-समाप्त 800-अन्य व्यय-						
अनुसूचित जाति/जनजाति कॉलोनियों का विकास	82,65.96	82,79.87	--	82,79.87	1,65,45.83	--
छात्रावास एवं आश्रम का निर्माण	68,59.99	--	19,84.96	19,84.96	88,44.95	(-) 70
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	31,71.02 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	3,82.82	4,48.04	99.99	5,48.03	17,89.87	43
योग-800	1,55,08.77	87,27.91	20,84.95	1,08,12.86	3,03,51.67	(-) 30
योग-01	2,07,06.96	1,80,92.81	20,84.95	2,01,77.76	17,28,55.24	(-) 3
02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-						
102-आर्थिक विकास						
जनजातीय क्षेत्र उप-योजना में विविध विकास कार्य	1,66,35.13	--	1,45,93.26	1,45,93.26	3,12,28.39	(-) 12
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
अन्य निवेश	--	--	--	--	1.07 ^(ख)	--
195-सहकारिताओं में निवेश-						
ग्रामीण/विपणन/बृहद गोदामों का निर्माण	--	--	--	--	41.96 ^(ग)	--
277-शिक्षा-						
आश्रम/छात्रावास को सुदृढ़ बनाना	44,07.33	17,35.02	1,67.04	19,02.06	63,09.39	(-) 57
आश्रम/स्कूल बिल्डिंग का निर्माण	24,69.15	--	--	--	24,69.15	(-) 100
छात्रावास भवनों का निर्माण	62,13.35	13,37.92	--	13,37.92	75,51.27	(-) 78
बालिका शिक्षा परिसर	1,62,08.81	29,30.45	--	29,30.45	1,91,39.26	(-) 82
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	9,17.38	2,13.47	--	2,13.47	21,51.58 ^(घ)	(-) 66
योग-277	3,02,16.02	62,16.86	1,67.04	63,83.90	3,76,20.65	(-) 79
283-आवास						
अनुसूचित जनजातियों के लिये भवनों का निर्माण	--	--	--	--	1,77.76 ^(ङ)	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11,50.35 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.39 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 15.22 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3,70.29 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 64.48 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं अल्पसंख्यक पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-						
794-जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-						
आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्यक्रम	--	--	--	--	24,75.31 ^(क)	--
एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम	--	--	--	--	2,22,64.41	--
निर्बाद आदिवासी विकास परियोजना में स्थानीय कार्यक्रम	--	--	--	--	1,22,08.95 ^(ख)	--
माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम	--	--	--	--	26,96.76 ^(ग)	--
विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	--	--	--	--	3,06.27	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,19,69.82 ^(घ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	2,49.93 ^(ङ)	--
योग-794	--	--	--	--	5,21,71.45	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
जनजाति विकास एवं वित्त निगम में निवेश	--	--	--	--	17,09.42 ^(घ)	--
आश्रम एवं छात्रावास के लिए भवन निर्माण	--	--	--	--	2,73,89.01 ^(छ)	--
खेल परिसर का निर्माण	--	--	--	--	24,59.50	--
बालिका शिक्षा संकुल	--	--	--	--	4,80.31	--
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जातियों की बस्तियों का विकास	--	--	--	--	3,28,31.43	--
अनुसूचित जनजाति क्षेत्र योजनाओं हेतु एक मुश्त प्रावधान	--	--	--	--	57,18.07	--
कार्यालय भवनों का निर्माण/विद्युतीकरण	--	--	--	--	23,31.96	--
छात्रावासों/आश्रमों का सुदृढीकरण	--	--	--	--	99,32.67	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3,11.10 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 21,59.96 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,92.99 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 34,29.11 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 82.87 लाख कम किया गया।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 50.58 लाख कम किया गया।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3,22.18 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण एवं अल्पसंख्यक पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-जारी						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना- समाप्त						
छात्रावास भवनों का निर्माण	--	--	--	--	3,75,10.58	--
जनजातीय क्षेत्र उप-योजना में विविध विकास कार्य	--	--	--	--	10,98,20.19	--
आश्रम स्कूल भवनों का निर्माण	--	--	--	--	78,97.93	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	2,94,45.40 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	37,11.74 ^(ख)	--
योग-796	--	--	--	--	27,12,38.21	--
800-अन्य व्यय-						
एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना में स्थानीय विकास कार्यक्रम	2,68,58.98	--	1,83,65.57	1,83,65.57	4,52,24.55	(-) 32
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कॉलोनियों का विकास	1,01,40.47	1,32,62.30	--	1,32,62.30	2,34,02.77	31
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	14,99.68 ^(ग)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	1,40.86	--	--	--	1,40.86	(-) 100
योग-800	3,71,40.31	1,32,62.30	1,83,65.57	3,16,27.87	7,02,67.86	(-) 15
योग-02	8,39,91.46	1,94,79.16	3,31,25.87	5,26,05.03	46,27,47.35	(-) 37
03-पिछड़े वर्गों का कल्याण-						
800-अन्य व्यय-						
छात्रावास भवनों का निर्माण	--	--	--	--	11,14.53	--
परीक्षा पूर्व केन्द्र के भवनों का निर्माण	--	--	--	--	44.92 ^(घ)	--
मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं वित्त विकास निगम में निवेश	--	--	--	--	11,64.79 ^(ङ)	--
जिला स्तरीय बालक छात्रावास भवनों का निर्माण	1,21.18	--	68.26	68.26	60,69.39	(-) 44
जिला स्तरीय कन्या छात्रावास भवनों का निर्माण	9,03.91	--	9,42.44	9,42.44	57,77.92	4

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 16,95.69 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 7,00.95 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,44.04 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 16.29 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,68.96 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण तथा अल्पसंख्यक पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
03-पिछड़े वर्गों का कल्याण- समाप्त						
800-अन्य व्यय- समाप्त						
अल्प संख्यक बाहुल्य जिलों में विकास कार्यक्रम	4,05.00	--	23.31	23.31	9,02.15	(-) 94
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	2,16.38 ^(क)	--
योग-800	14,30.09	--	10,34.01	10,34.01	1,52,90.08	(-) 28
योग-03	14,30.09	--	10,34.01	10,34.01	1,52,90.08	(-) 28
80-सामान्य-						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
छात्रावास भवन का निर्माण	--	--	--	--	16.14 ^(ख)	--
योग-80	--	--	--	--	16.14	--
योग-4225	10,61,28.49	3,75,71.97	3,62,44.83	7,38,16.80	65,09,08.81	(-) 30
योग-(ड)-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक के कल्याण का पूंजीगत लेखा	10,61,28.49	3,75,71.97	3,62,44.83	7,38,16.80	65,09,08.81	(-) 30
(च)-समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा-						
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-पुनर्वास						
201-अन्य पुनर्वास योजनाएं						
गैस प्रभावित क्षेत्रों में जल प्रदाय योजना	--	--	--	--	63,87.00	--
गैस प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्य	--	--	--	--	63,12.62	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,75.60 ^(ग)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	9.45	--	--	--	83.99	(-) 100
योग-201	9.45	--	--	--	1,29,59.21	(-) 100

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 13.90 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5.86 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 59.39 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(च)-समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-पुनर्वास – समाप्त						
800-अन्य व्यय-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	33,21.91 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,27.20	--
योग-800	--	--	--	--	34,49.11	--
योग-01	9.45	--	--	--	1,64,08.32	(-) 100
02-समाज कल्याण-						
101-विकलांग व्यक्तियों का कल्याण-						
अंधे, बहरे एवं गूंगों के लिये विद्यालय	--	--	--	--	10.58 ^(ख)	--
102-बाल कल्याण-						
आंगनवाड़ी केन्द्रों हेतु भवन निर्माण	35,87.71	28,62.43	--	28,62.43	4,08,78.70	(-) 20
एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम	78,00.00	--	--	--	3,80,80.79	(-) 100
नाबार्ड के अंतर्गत पूर्व निर्मित तकनीक से आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	--	--	--	--	17,46.40	--
मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (वाह्य पोषित)	--	--	--	--	1,99.99	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	6,50.79	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	99,48.59 ^(ग)	--
योग-102	1,13,87.71	28,62.43	--	28,62.43	9,15,05.26	(-) 75
103- महिला कल्याण केन्द्र (सखी)	--	--	--	--	37.69	--
106-सुधारक सेवाएं-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	2,82.61 ^(घ)	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 12,05.09 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3.47 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 36,10.14 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 22.13 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(च)-समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
02-समाज कल्याण-जारी						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
अन्य निवेश-म.प्र.महिला वित्तीय निगम	--	--	--	--	37.42 ^(क)	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
बाल न्याय अधिनियम का क्रियान्वयन-युवा बालिका गृह की स्थापना	--	--	--	--	1,07.50	--
आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिये भवनों का निर्माण	--	--	--	--	77,71.61	--
एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम	--	--	--	--	25,99.29	--
मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	--	--	--	--	10,33.44	--
नाबार्ड के अंतर्गत पूर्व निर्मित तकनीक से आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	--	--	--	--	99.94	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,13.21 ^(ख)	--
योग-789	--	--	--	--	1,17,24.99	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -						
आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण	--	--	--	--	1,16,06.14	--
मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	--	--	--	--	15,63.80	--
नाबार्ड के अंतर्गत पूर्व निर्मित तकनीक से आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	--	--	--	--	99.46	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,54.63 ^(ग)	--
योग-796	--	--	--	--	1,37,24.03	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 13.58 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9.49 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,15.63 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

						(₹ लाख में)
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(च)-समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
02-समाज कल्याण-समाप्त						
800-अन्य व्यय-						
मध्यप्रदेश महिला वित्तीय निगम में निवेश	--	--	--	--	9,40.00	--
महिला विश्रामगृह के लिये भवन निर्माण	3,95.25	--	--	--	9,96.97	(-) 100
म.प्र.वित्त निगम की अंशपूंजी में निवेश	--	--	--	--	2,00.00	--
मध्यप्रदेश स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम	--	--	--	--	43,90.28	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	5,43.13	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	6,05.94 ^(क)	--
योग-800	3,95.25	--	--	--	76,76.32	(-) 100
योग-02	1,17,82.96	28,62.43	--	28,62.43	12,49,98.90	(-) 76
60-अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-						
800-अन्य व्यय-						
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	--	--	--	--	25,22.18 ^(ख)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	23.27	75.00	--	75.00	2,87.52 ^(ग)	222
योग-800	23.27	75.00	--	75.00	28,09.70	222
योग-60	23.27	75.00	--	75.00	28,09.70	222
योग-4235	1,18,15.68	29,37.43	--	29,37.43	14,42,16.92	(-) 75
योग-(च)-समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा	1,18,15.68	29,37.43	--	29,37.43	14,42,16.92	(-) 75

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,60.91 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9,14.97 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11.00 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)-अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-						
101-प्राकृतिक आपदाएं -						
14वें वित्त आयोग की क्षमता में वृद्धि	8,53.38	4,08.37	--	4,08.37	12,61.75	(-) 52
191-श्रम सहकारिता-						
वन एवं अन्य श्रम सहकारी समितियों में निवेश	--	--	--	--	2.03 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	0.01	--
योग-191	--	--	--	--	2.04	--
201-श्रम						
व्यावसायिक प्रशिक्षक का विस्तार एवं सुदृढीकरण	55,32.54	49,97.28	--	49,97.28	1,05,29.82	(-) 10
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भवन का निर्माण	12,42.74	2,94.89	--	2,94.89	15,37.63	(-) 76
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	9,90.54	1,55.68	--	1,55.68	11,46.22	(-) 86
योग-201	77,65.82	54,47.85	--	54,47.85	1,32,13.67	(-) 30
203-रोजगार-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	8,76.48 ^(ख)	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
वर्ल्ड बैंक सहायता व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधार परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षक	--	--	--	--	1,86.79	--
प्रशिक्षण शाखा की स्थापना						
व्यावसायिक प्रशिक्षण का सुदृढीकरण एवं विस्तार	--	--	--	--	8,05.53	--
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण	--	--	--	--	1,13.08	--
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झाबुआ हेतु भवन निर्माण	--	--	--	--	25,86.56	--
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये भवन निर्माण	--	--	--	--	38,21.39	--
श्रम सहकारिताओं में निवेश	--	--	--	--	1.17 ^(ग)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	12,23.21	--
योग-789	--	--	--	--	87,37.73	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.74 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,90.15 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.42 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
(छ)-अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, झाबुआ का भवन निर्माण	--	--	--	--	34,08.07	--
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के लिये भवन निर्माण	--	--	--	--	64,84.08	--
विश्व बैंक सहायता से व्होकेशनल ट्रेनिंग इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग विंग की स्थापना	--	--	--	--	2,15.29	--
व्यावसायिक ट्रेजरी का विस्तार एवं सुदृढीकरण	--	--	--	--	31,74.63	--
जिला स्तर पर आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	--	--	--	--	7,19.86	--
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण	--	--	--	--	9,98.28	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	10,61.72 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	1,60,61.93	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,02.25 ^(ख)	--
योग-4250	86,19.21	58,56.22	--	58,56.22	4,02,55.85	(-) 32
योग-(छ)-अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा	86,19.21	58,56.22	--	58,56.22	4,02,55.85	(-) 32
योग-ख-सामाजिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	53,58,38.03	36,66,92.76	20,52,40.20	57,19,32.96	3,44,49,38.14	7

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 49.26 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 31.65 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-						
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	91.56	--
101-कृषि सहकारिता-						
कृषि सहकारी समितियों में निवेश	--	--	--	--	15.31 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3.76	--
योग-101	--	--	--	--	19.07	--
102-खाद्यान्न फसलें -						
भंडारण एवं विपणन	--	--	--	--	5,20,34.28	--
103-बीज-						
अन्य विविध योजनाएं-						
कपास विस्तार योजना-						
सकल व्यय	--	--	--	--	8,15.62	--
घटायें-पूंजीगत परिव्यय पर प्राप्तियाँ एवं वसूलियां	--	--	--	--	(-) 3,81.14 ^(ख)	--
निवल व्यय	--	--	--	--	4,34.48 ^(ग)	--
सामान्य बीजों के क्रय एवं वितरण हेतु योजनाएं	--	--	--	--	44,00.00	--
सकल व्यय	--	--	--	--	(-) 51,82.09 ^(ख)	--
					(-) 7,82.09 ^(घ) ^(ख)	--
घटायें-पूंजीगत परिव्यय पर प्राप्तियाँ एवं वसूलियां	--	--	--	--	12,01.02 ^(ङ)	--
निवल व्यय	--	--	--	--	90.00	--
बीज गुणांक एवं वितरण	--	--	--	--	25,00.00	--
					5,38.52 ^(घ)	--
मध्यप्रदेश राज्य कृषि औद्योगिक विकास निगम में निवेश	--	--	--	--	71.16 ^(घ)	--
मध्य प्रदेश राज्य बीज तथा फार्म निगम में निवेश	--	--	--	--	9.63	--
योग-103	--	--	--	--	40,62.72	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5.55 लाख कम किया गया।

(ख) ऋणात्मक राशि पुनर्मिलान के अधीन है।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,57.62 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ (-) 2,78.85 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,29.61 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,95.35 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 25.82 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
104-कृषि फार्म-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,19.37	--
105-खाद तथा उर्वरक-						
खाद का क्रय एवं वितरण-सकल व्यय	--	--	--	--	77,80.64	--
घटायें-प्राप्तियाँ/वसूलियाँ	--	--	--	--	74,94.07	--
निवल व्यय	--	--	--	--	2,86.57 ^(क)	--
खाद एवं उर्वरक	--	--	--	--	4.94 ^(ख)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1.74	--
योग-105	--	--	--	--	2,93.25	--
107-वनस्पति संरक्षण-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,88.91 ^(ग)	--
113-कृषि इंजीनियरिंग-						
मध्यप्रदेश कृषि औद्योगिक विकास निगम में निवेश	--	--	--	--	96.93 ^(घ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	14.62 ^(ङ)	--
योग-113	--	--	--	--	1,11.55	--
119-बागवानी तथा वनस्पति फसलें-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,02.40 ^(च)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,31.12	--
योग-119	--	--	--	--	4,33.52	--
190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	17.82 ^(छ)	--
योग-190	--	--	--	--	17.82	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,03.36 लाख कम किया गया।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.79 लाख कम किया गया।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 68.53 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 35.17 लाख कम किया गया।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.42 लाख कम किया गया।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 95.59 लाख कम किया गया।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 6.46 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4401-फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
794-जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	29.54 ^(क)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	30.99 ^(ख)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,17.82	--
योग-796	--	--	--	--	3,48.81	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	86.10 ^(ग)	--
योग-4401	--	--	--	--	5,80,36.50	--
4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-						
102-मृदा संरक्षण-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	23,91.21 ^(घ)	--
203-भूमि सुधार तथा विकास-						
मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम में निवेश	--	--	--	--	2,08.33	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	7.74	--
योग-203	--	--	--	--	2,16.07	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
वृहद लघु सिंचाई योजनाएँ	--	--	--	--	14,26.17	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	9,72.45 ^(ङ)	--
योग-789	--	--	--	--	23,98.62	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 10.71 लाख कम किया गया।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11.24 लाख कम किया गया।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 63.88 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 8,65.14 लाख कम किया गया।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 59.13 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/ कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4402-मृदा तथा जल संरक्षण पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना –						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	15,03.84	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	34,36.29 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	49,40.13	--
800-अन्य व्यय-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	34,68.45	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	56,94.49 ^(ख)	--
योग-800	--	--	--	--	91,62.94	--
योग-4402	--	--	--	--	1,91,08.97	--
4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-						
101-पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य-						
पशु बीमारियों की रोकथाम हेतु टीका उत्पादन पर व्यय	--	--	--	--	38,94.00	--
पशुचिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	34.52	57.70	--	57.70	17,97.39	67
पशुचिकित्सालयों का सुदृढ़ीकरण	1,54.36	93.65	--	93.65	11,70.82	(-) 39
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	73.09	30.82	3,24.00	3,54.82	10,85.37 ^(ग)	385
योग-101	2,61.97	1,82.17	3,24.00	5,06.17	79,47.58	93
102-पशु तथा भैंस विकास –						
गाय एवं पशुओं का संवर्धन	--	--	--	--	3,00.00	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	17.05 ^(घ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	73.06 ^(ङ)	--
योग-102	--	--	--	--	3,90.11	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 8,15.28 लाख कम किया गया।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 14,05.29 लाख कम किया गया।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,16.09 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 6.18 लाख कम किया गया।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 26.50 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी 4403-पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त 103-कुक्कुट विकास-						
मध्य प्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में निवेश	--	--	--	--	21.44 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	88.25	--
योग-103	--	--	--	--	1,09.69	--
104-भेड़ तथा ऊन विकास-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	7.62 ^(ख)	--
105-सुअर-बाड़ा-विकास-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	0.35 ^(ग)	--
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों के निवेश-						
अन्य निवेश	--	--	--	--	83.75 ^(घ)	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना						
पशु चिकित्सा सेवा तथा पशु स्वास्थ्य – अधोसंरचना विकास	--	--	--	--	4,00.70	--
पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	--	--	--	--	82.02	--
योग-789	--	--	--	--	4,82.72	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम में निवेश	--	--	--	--	32.95 ^(ङ)	--
पशु चिकित्सा विस्तार कार्यक्रम	--	--	--	--	2,26.72	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,61.06	--
योग-796	--	--	--	--	7,20.73	--
800-अन्य व्यय						
गौ अभ्यारण्य अनुसंधान एवं उत्पादन केन्द्र	--	--	--	--	14,30.59	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	45.63	3,31.85	--	3,31.85	14,02.57 ^(च)	627
योग-800	45.63	3,31.85	--	3,31.85	28,33.16	627
योग-4403	3,07.60	5,14.02	3,24.00	8,38.02	1,25,75.71	172

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 7.78 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2.77 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.13 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 12.25 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11.95 लाख कम किया गया।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.03 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)	योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी 4404-डेरी विकास पर पूंजीगत परियोजनाएँ- 102-डेरी विकास परियोजनाएँ अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	98.06	--
योग-190	--	--	--	--	2,46.75 ^(क)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना- अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के 800-अन्य व्यय- निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	79.44 ^(ख)	--
योग-800	--	--	--	--	1,25.25 ^(ग)	--
योग-4404	--	--	--	--	1,25.25	--
4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन- मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित में निवेश मत्स्य बीज उत्पादन अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	56.68	--
योग-101	--	--	--	--	6,43.40	--
109-विस्तार तथा प्रशिक्षण - अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित में निवेश 191-मछुआ सहकारी समितियाँ- मछुआ सहकारी संघों में निवेश 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,00.67	--
योग-101	--	--	--	--	8,00.75	--
109-विस्तार तथा प्रशिक्षण - अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश - मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित में निवेश 191-मछुआ सहकारी समितियाँ- मछुआ सहकारी संघों में निवेश 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना- निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	16.29	--	--	--	1,08.23 ^(घ)	(-) 100
	--	--	--	--	51.31	--
	--	--	--	--	0.61 ^(ङ)	--
	--	--	--	--	30.05	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 89.48 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 28.82 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 45.44 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4.31 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.22 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4405-मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-समाप्त						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	99.20	--
योग-789	--	--	--	--	1,29.25	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	94.33 ^(क)	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	11.48 ^(ख)	--
योग-4405	16.29	--	--	--	11,95.96	(-) 100
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-वानिकी-						
070-संचार तथा भवन-						
सड़कों तथा भवनों का निर्माण कार्य	44,66.54	44,82.46	--	44,82.46	4,45,99.55	--
बुन्देलखण्ड क्षेत्र का विकास	--	--	--	--	12,03.50	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	21,46.53	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	58,26.09	--
योग-070	44,66.54	44,82.46	--	44,82.46	5,37,75.67	--
101-वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण-						
राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम (ग्रीन इण्डिया)	15,00.00	2,62,92.82	--	2,62,92.82	2,82,71.96	1653
कार्ययोजना का कार्यान्वयन संरक्षण वर्ग	2,60,84.78	--	--	--	5,49,70.42	(-) 100
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	26.01	--	26.01	11,83.99 ^(ग)	--
योग-101	2,75,84.78	2,63,18.83	--	2,63,18.83	8,44,26.37	(-) 5
102-समाज तथा फार्म वानिकी-						
पौधशाला में पौधों का विकास	49,92.66	67,83.03	--	67,83.03	1,48,46.99	36
पौधशाला का विकेन्द्रीकरण-बृहद् निर्माण कार्य	--	70,63.01	--	70,63.01	73,54.65 ^(घ)	--
योग-102	49,92.66	1,38,46.04	--	1,38,46.04	2,22,01.64	177

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 18.08 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4.17 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 24.35 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,05.80 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
01-वानिकी-समाप्त						
105-वन उत्पाद-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	4,68.50	--
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ	--	3,60,18.00	--	3,60,18.00	3,60,18.00	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	27,66.48 ^(क)	--
योग-190	--	3,60,18.00	--	3,60,18.00	3,87,84.48	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना						
पौधशाला में पौधों का विकास	--	--	--	--	12,78.27	--
कार्य योजना संरक्षण वर्ग का कार्यान्वयन	--	--	--	--	1,65,51.80	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	15,36.86 ^(ख)	--
योग-796	--	--	--	--	1,93,66.93	--
800-अन्य व्यय-						
वनीकरण निधि से किया गया व्यय	--	18,79.54	--	18,79.54	18,79.54	--
नर्मदा नदी के तट पर वनीकरण	--	11,40.91	--	11,40.91	14,40.91	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	25,59.09 ^(ग)	--
योग-800	--	30,20.45	--	30,20.45	55,79.54	--
योग-01	3,70,43.98	8,36,85.78	--	8,36,85.78	22,46,03.13	126
योग-4406	3,70,43.98	8,36,85.78	--	8,36,85.78	22,46,03.13	126
4408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-खाद्य						
101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-(अन्नपूर्ति योजनाएँ)						
मध्यप्रदेश राज्य वस्तु व्यापार निगम मर्यादित, भोपाल में निवेश	--	--	--	--	50.00	--
अन्न आपूर्ति योजनाओं से संबंधित अन्य व्यय (सकल)	--	--	--	--	(-) 1,08.45 ^(घ) (ङ)	--
योग-101	--	--	--	--	(-) 58.45	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 10,03.59 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,57.53 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9,28.36 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ (-) 39.35 लाख कम किया गया।

(ङ) ऋणात्मक राशि पुनर्मिलान के अधीन है।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-खाद्य-समाप्त						
103-खाद्य प्रसंस्करण-						
देवास बिस्कुट एवं उत्पादन मर्यादित, देवास में निवेश	--	--	--	--	1.50	--
195-सहकारी समितियों में निवेश-						
राष्ट्रीय सहकारी विकास संस्थाएं	--	--	--	--	81.21 ^(क)	--
800-अन्य व्यय-						
उपभोक्ता संरक्षण सेल	--	--	1,84.34	1,84.34	2,37.06	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,02.69	--
योग-800	--	--	1,84.34	1,84.34	5,39.75	--
योग-01	--	--	1,84.34	1,84.34	5,64.01	--
02-भण्डारण तथा भाण्डागार-						
101-ग्रामीण गोदाम कार्यक्रम-						
ग्रामीण गोदामों का निर्माण	--	--	--	--	96.13 ^(ख)	--
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम में निवेश	--	--	--	--	7,97.44	--
भाण्डागार एवं विपणन सहकारी संस्थानों में निवेश	--	--	--	--	68,43.79 ^(ग)	--
घटाएं-पूंजीगत लेखे पर प्राप्तियाँ एवं वसूलियाँ	--	--	--	--	(-) 54,11.62 ^(घ) ^(ङ)	--
खाद्यान्नों की खरीद	--	--	--	--	25,37.75	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	25,91.00 ^(घ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	(-) 17.95 ^(ङ)	--
योग-190	--	--	--	--	73,40.41	--
195-सहकारिता में निवेश-						
भान्डागार एवं विपणन सहकारिताएं	--	--	--	--	17,72.57 ^(घ)	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 29.46 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 34.87 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 18,31.94 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ (-) 6,50.18 लाख कम किया गया।

(ङ) ऋणात्मक राशि पुनर्मिलान के अधीन है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 80.13 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,26.06 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4408-खाद्य भण्डारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
02-भण्डारण तथा भाण्डागार-समाप्त						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,29.62	--
800-अन्य व्यय-						
भण्डारण एवं विपणन	--	--	--	--	1,33,05.69	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	5,09.93 ^(क)	--
योग-800	--	--	--	--	1,38,15.62	--
योग-02	--	--	--	--	2,33,54.35	--
योग-4408	--	--	1,84.34	1,84.34	2,39,18.36	--
4415-कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-फसल कृषि कर्म-						
004-अनुसंधान-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	28.59	--
277-शिक्षा-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	48.98	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	86.56	--
योग-277	--	--	--	--	1,35.54	--
योग-01	--	--	--	--	1,64.13	--
03-पशुपालन						
004-अनुसंधान-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	25.33 ^(ख)	--
277-शिक्षा-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	0.01	--
योग-03	--	--	--	--	25.34	--
योग-4415	--	--	--	--	1,89.47	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,84.99 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9.19 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-						
107-साख सहकारी समितियों में निवेश						
साख सहकारी बैंक एवं अन्य साख सहकारी संस्थाओं में निवेश	--	--	--	--	37,56.73 ^(क)	--
कृषक सहकारी संस्थाओं को मार्जिन मनी सहायता-निवेश	--	--	--	--	3.30 ^(ख)	--
एकीकृत सहकारी विकास, राजगढ़ को वित्तीय सहायता-निवेश	--	--	--	--	6,71.22	--
ग्रामीण बैंकों की अंशपूंजी में निवेश	--	24,70.00	--	24,70.00	40,13.19	--
प्राथमिक भूमि विकास बैंक की अंशपूंजी में निवेश	--	--	--	--	1,32.12	--
प्राथमिक कृषि साख कृषक सेवा-						
बहुउद्देशीय सहकारी समितियों की अंशपूंजी में बड़े पैमाने पर निवेश	--	--	--	--	12,03.08	--
एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (12 जिले)-निवेश	21,45.11	7,49.60	--	7,49.60	1,22,48.42	(-) 65
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी बाण्ड्स का क्रय	--	--	--	--	11,94.39	--
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक/मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक को अंशपूंजी सहायता	--	10,00,00.00	--	10,00,00.00	10,30,59.16	--
नई सहकारी संस्थाओं को अंशपूंजी सहायता	1,19.00	--	--	--	6,69.00	(-) 100
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	25,10.60	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	2.84	--
योग-107	22,64.11	10,32,19.60	--	10,32,19.60	12,94,64.65	4459
108-अन्य सहकारी समितियों में निवेश-						
उपभोक्ता संघ को अंशपूंजी सहायता-निवेश	--	--	--	--	42.99 ^(ग)	--
कैलारस शक्कर सहकारी कारखाने की अंशपूंजी में निवेश	--	--	--	--	60.00	--
प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृढीकरण	--	--	--	--	3,14.46	--
बीज संघ को अंश पूंजी	--	--	--	--	3,00.00	--
अक्षम नई सहकारी संस्थाओं को सहायता	--	--	--	--	2,62.71	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,19,44.44 ^(घ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	7,28.25 ^(ङ)	--
योग-108	--	--	--	--	1,36,52.85	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 30,41.68 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.20 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2.66 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 44,27.39 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.65 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-जारी						
4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
200-अन्य निवेश-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	(-) 40.09 ^(क)	--
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	11,19.81 ^(ग)	--
योग-789	--	--	--	--	11,19.81	--
794-जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-						
बहुउद्देशीय सहकारी समितियों में निवेश	--	--	--	--	73.38 ^(घ)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अंशपूँजी में निवेश	--	--	--	--	9,31.49	--
बहुउद्देशीय प्राथमिक/कृषि सेवा सहकारी समितियों की अंशपूँजी में निवेश	--	--	--	--	2,48.50	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	38,38.81 ^(ङ)	--
योग-796	--	--	--	--	50,18.80	--
योग-4425	22,64.11	10,32,19.60	--	10,32,19.60	14,92,89.40	4459

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ (-) 14.55 लाख कम किया गया।

(ख) ऋणात्मक राशि पुनर्मिलान के अधीन है।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 22.36 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 26.62 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 13,42.80 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(क)-कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4435-अन्य कृषि कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	2,00.71 ^(क)	--
योग-190	--	--	--	--	2,00.71	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
राज्य मशीन ट्रेक्टर केन्द्र	--	--	--	--	81.45 ^(ख)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4.43	--
योग-796	--	--	--	--	85.88	--
योग-01	--	--	--	--	2,86.59	--
60-अन्य						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,83.38	--
राज्य मशीन ट्रेक्टर केन्द्र	--	--	--	--	3,30.97 ^(ग)	--
योग-60	--	--	--	--	5,14.35	--
योग-4435	--	--	--	--	8,00.94	--
योग-(क) कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलापों का पूंजीगत लेखा	3,96,31.98	18,74,19.40	5,08.34	18,79,27.74	49,03,57.94	374

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 72.81 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 29.55 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,20.06 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा-						
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-						
101-पंचायती राज-						
नवाचार को प्रोत्साहन	--	--	--	--	8,61.83	--
पंचायती राज वित्त निगम में निवेश	--	--	--	--	20.55 ^(क)	--
मध्यप्रदेश विधानसभा क्षेत्र विकास योजना	2,59,23.40	2,52,25.32	--	2,52,25.32	6,63,89.43	(-) 3
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	29,32.80	--
योग-101	2,59,23.40	2,52,25.32	--	2,52,25.32	7,02,04.61	(-) 3
102-सामुदायिक विकास-						
सामुदायिक विकास	--	--	--	--	2,15.36 ^(ख)	--
सामुदायिक विकास परियोजना (सकल)	--	--	--	--	1,55.38	--
घटायें-पूंजीगत लेखे की प्राप्तियाँ और वसूलियां	--	--	--	--	(-) 40.96	--
निवल व्यय	--	--	--	--	1,14.42 ^(ग)	--
मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	--	--	--	--	17,16.90	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,36.41	--
योग-102	--	--	--	--	21,83.09	--
103-ग्राम विकास-						
सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वित जिला योजनाओं में सरकारी योगदान	2,16,81.31	1,46,31.76	--	1,46,31.76	3,63,13.07	(-) 33
मध्यप्रदेश विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना	1,45,44.92	1,40,44.98	--	1,40,44.98	2,85,89.90	(-) 3
मध्य प्रदेश स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	--	--	--	--	23,80.70 ^(घ)	--
योग-103	3,62,26.23	2,86,76.74	--	2,86,76.74	6,72,83.67	(-) 21
198-ग्राम पंचायतों को सहायता						
मध्यान्ह भोजन-किचन शेड का निर्माण	--	--	--	--	34,13.04	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	50.00	50.00	61,17.95	61,67.95	64,67.95	12236
योग-198	50.00	50.00	61,17.95	61,67.95	98,80.99	12236

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 7.45 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 77.88 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 41.51 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 8,63.65 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा-जारी						
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-समाप्त						
जन भागीदारी योजना	--	--	--	--	1,06,57.13	--
मध्य प्रदेश विधान सभा क्षेत्र विकास योजना	--	--	--	--	3,68,19.07	--
राज्य ग्रामीण सड़क का संयोजन	--	--	--	--	89,02.60	--
जन भागीदारी योजना	--	--	--	--	1,58,35.16	--
मध्य प्रदेश ग्राम सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	--	--	--	--	1,02,44.15	--
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना	--	--	--	--	2,70,88.50	--
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	--	--	--	--	9,83,83.44	--
मध्याह्न भोजन-किचिन शेड का निर्माण	--	--	--	--	5,64.02	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,46,07.37	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	65,41.28 ^(क)	--
योग-789	--	--	--	--	22,95,82.72	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
राज्य ग्रामीण सड़क का संयोजन	--	--	--	--	86,61.88	--
घटाइये - पूंजीगत लेखा में प्राप्तियां एवं वसूली	--	--	--	--	(-) 55,63.72	--
जन भागीदारी योजना	--	--	--	--	1,98,26.80	--
मध्य प्रदेश विधान सभा क्षेत्र विकास योजना	--	--	--	--	4,90,16.05	--
लोक भागीदारी योजना	--	--	--	--	2,61,92.48	--
मध्याह्न भोजन किचिन शेड का निर्माण	--	--	--	--	7,75.51	--
मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	--	--	--	--	1,12,07.45	--
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना	--	--	--	--	2,94,73.74	--
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	--	--	--	--	16,47,64.27	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,54,91.99	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,95,13.51 ^(ख)	--
योग-796	--	--	--	--	33,93,59.96	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,70.66 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 47,30.65 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
800-अन्य व्यय-						
बुंदेलखण्ड विकास प्राधिकरण	5,37.35	4,74.23	--	4,74.23	51,42.40	(-) 12
जन भागीदारी के साथ क्रियान्वित जिला योजनाओं में शासकीय अंशदान	--	--	--	--	5,43,73.70	--
राज्य ग्रामीण सड़क का संयोजन	1,86,70.00	1,40,00.75	--	1,40,00.75	5,41,91.75	(-) 25
घटाइये - पूंजीगत लेखा में प्राप्तियां एवं वसूली	(-) 12,24,46.94	(-) 1,44,75.76	--	(-) 1,44,75.76	(-) 13,68,89.70	88
म.प्र.ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को अनुदान	--	--	--	--	12,32,37.50	--
म.प्र.विधान सभा क्षेत्र विकास योजनाएं	--	--	--	--	14,89,81.97	--
महाकौशल विकास प्राधिकरण	4,99.85	5,54.55	--	5,54.55	44,18.73	11
घटाइये - पूंजीगत लेखा में प्राप्तियां एवं वसूली	--	--	--	--	(-) 9,87,83.35	--
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अधोसंरचना योजना	10,82.62	34,95.52	--	34,95.52	12,21,01.03	223
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	23,75,74.98	--	17,69,54.05	17,69,54.05	77,42,41.83	(-) 26
विकास भवन	65.29	3,21.71	--	3,21.71	4,90.50	393
विन्ध्य विकास प्राधिकरण	4,70.87	4,21.02	--	4,21.02	28,71.92	(-) 11
मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	2,00,00.00	8,00,00.00	--	8,00,00.00	10,10,00.00	300
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	4,74,03.86	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	1,49,12.05	--	1,49,12.05	6,78,45.44 ^(क)	--
योग-800	15,64,54.02	8,48,25.02	17,69,54.05	26,17,79.07	1,27,06,27.58	67
योग-4515	21,86,53.66	13,87,77.08	18,30,72.00	32,18,49.07	1,98,91,22.63	47
योग-(ख)-ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा	21,86,53.66	13,87,77.08	18,30,72.00	32,18,49.07	1,98,91,22.63	47

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,27,07.20 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-						
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-मुख्य सिंचाई						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	--	--	--	--	95.09	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	30,10.73	--
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	--	--	--	--	47,48.14	--
800-अन्य व्यय	64,05.11	51,07.55	--	51,07.55	1,47,86.01	(-) 20
योग-01	64,05.11	51,07.55	--	51,07.55	2,26,39.97	(-) 20
11-चम्बल परियोजना						
800-अन्य व्यय	2,22.41	56.96	--	56.96	2,00,11.08	(-) 74
12-बाण सागर परियोजना यूनिट-I (बांध)						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	17,06.77	22,84.15	--	22,84.15	1,76,78.49	34
799-उच्चन्त	--	--	--	--	10.87	--
800-अन्य व्यय	39,21.71	38,29.99	--	38,29.99	11,54,10.40	(-) 2
योग-12	56,28.49	61,14.14	--	61,14.14	13,30,99.76	9
13-बाण सागर परियोजना-यूनिट-II (नहर)						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	21,24.17	29,57.62	--	29,57.62	2,16,60.25	39
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	11,63,94.20	--
799-उच्चन्त	9.77	--	--	--	1,21.18	(-) 100
800-अन्य व्यय	4,19,37.77	2,80,23.54	--	2,80,23.54	26,85,93.30	(-) 33
योग-13	4,40,71.71	3,09,81.16	--	3,09,81.16	40,67,68.93	(-) 30
17-कोलार परियोजना						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	5,67.24	--
18-बारना परियोजना						
800-अन्य व्यय	63,00.00	51,86.11	--	51,86.11	3,90,75.40	(-) 18
19-तवा परियोजना						
800-अन्य व्यय	2,61,01.06	1,22,95.94	--	1,22,95.94	6,17,21.47	(-) 53
20-अपर वानगंगा परियोजना						
800-अन्य व्यय	--	4,39.34	--	4,39.34	2,87,29.33	--

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
21-राजघाट नहर परियोजना						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	--	--	--	--	56,62.94	--
052-मशीनरी तथा उपस्कर	--	--	--	--	0.68	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	18,95.72	--
799-उचन्त	--	--	--	--	8.21	--
800-अन्य व्यय	9,22.03	9,34.99	--	9,34.99	10,20,10.95	1
योग-21	9,22.03	9,34.99	--	9,34.99	10,95,78.50	1
22-बरियारपुर परियोजना-						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	4,08.68	4,96.29	--	4,96.29	59,73.23	21
052-मशीनरी तथा उपस्कर	--	--	--	--	0.49	--
799-उचन्त	--	--	--	--	10.00	--
800-अन्य व्यय	8,95.21	4,11.60	--	4,11.60	6,59,83.59	(-) 54
योग-22	13,03.89	9,07.89	--	9,07.89	7,19,67.31	(-) 30
23-उर्मिल परियोजना						
800-अन्य व्यय	18.47	--	--	--	6,20.47	(-) 100
24-बावन थड़ी परियोजना-						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	3,27.73	4,29.65	--	4,29.65	51,09.91	31
052-मशीनरी तथा उपस्कर	--	--	--	--	0.99	--
799-उचन्त	--	--	--	--	47.51	--
800-अन्य व्यय	4,30.65	6,79.83	--	6,79.83	4,22,37.97	58
योग-24	7,58.38	11,09.48	--	11,09.48	4,73,96.38	46
25-सिन्ध परियोजना प्रथम चरण-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	88,62.04	--
26-सिन्ध परियोजना द्वितीय चरण						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	15,61.55	16,63.61	--	16,63.61	1,82,80.90	7
799-उचन्त	--	--	--	--	87.41	--
800-अन्य व्यय	57,01.32	34,26.08	--	34,26.08	18,39,16.61	(-) 40
योग-26	72,62.87	50,89.69	--	50,89.69	20,22,84.92	(-) 30

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		याग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
27-गरोठ परियोजना						
800-अन्य व्यय	1,16,97.23	1,92,64.73	--	1,92,64.73	3,23,66.34	65
31-रंगवान परियोजना						
800-अन्य व्यय	68.86	--	--	--	8,22.43	(-) 100
33-चम्बल उद्सिंचन						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	20,54.26	--
35-हलाली परियोजना						
800-अन्य व्यय	12.74	1,98.95	--	1,98.95	2,11.69	1462
39-हरसी परियोजना						
800-अन्य व्यय	12.46	18,48.53	--	18,48.53	18,60.99	14736
41-बरगी नहर व्यपवर्तन परियोजना-						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	29,47.45	32,21.98	--	32,21.98	2,75,64.19	9
052-मशीनरी तथा उपस्कर	--	--	--	--	0.70	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	2,84,69.73	--
799-उच्चन्त	--	--	--	--	13.51	--
800-अन्य व्यय	1,32,62.19	--	1,33,45.09	1,33,45.09	20,76,34.16	1
योग-41	1,62,09.64	32,21.98	1,33,45.09	1,65,67.07	26,36,82.29	2
43-इंदिरा सागर परियोजना यूनिट I और II						
		3,02.00				
001-निर्देशन एवं प्रशासन	76,17.77	63,74.33	--	66,76.33	5,17,39.14	(-) 12
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	6,31,20.09	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	4,63,69.87	--
800-अन्य व्यय	1,01,23.53	--	1,35,83.47	1,35,83.47	29,38,79.28	34
योग-43	1,77,41.30	63,74.33	1,35,83.47	2,02,59.80	45,51,08.38	14
45-ओंकारेश्वर परियोजना-						
001-निर्देशन तथा प्रशासन	72,20.82	88,08.33	--	88,08.33	3,47,18.87	22
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	1,09,96.16	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	14,00,33.59	--
800-अन्य व्यय	78,48.33	--	25,76.01	25,76.01	14,51,04.34	(-) 67
योग-45	1,50,69.15	88,08.33	25,76.01	1,13,84.34	33,08,52.96	(-) 24

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
49-हाइड्रो मैट्रोलोजिकल नेटवर्क-						
001-निदेशन एवं प्रशासन	--	--	--	--	16,78.96	--
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	21,54.59 ^(क)	--
योग-49	--	--	--	--	38,33.55	--
50-मोगरा परियोजना -						
800-अन्य व्यय	--	1,35,00.00	--	1,35,00.00	1,35,00.00	--
51-रानी अवन्ति बाई सागर परियोजना यूनिट I और II -						
001-निदेशन एवं प्रशासन	55,99.48	66,35.69	--	66,35.69	5,27,09.25	19
799-उचन्त	--	--	--	--	(-) 0.04	--
800-अन्य व्यय	70,98.24	33,55.49	--	33,55.49	15,90,71.87	(-) 53
योग-51	1,26,97.72	99,91.18	--	99,91.18	21,17,81.08	(-) 21
56-महाराष्ट्र से प्राप्त						
800-अन्य व्यय	2,35,00.00	6,90,73.82	--	6,90,73.82	9,25,73.82	194
57-राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना-						
001-निदेशन एवं प्रशासन	--	--	--	--	19,23.56	--
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना	--	--	--	--	3,55.74	--
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	32,50.28 ^(ख)	--
योग-57	--	--	--	--	55,29.58	--
60-पार्वती रिसी मेजर परियोजना-						
800-अन्य व्यय	--	1,18,55.00	--	1,18,55.00	1,18,55.00	--
61-सम्राट अशोक सागर परियोजना (द्वितीय चरण)-						
800-अन्य व्यय	1,01.26	1,07.86	--	1,07.86	1,33,30.61	7
63-पेंच परियोजना-						
001-निदेशन एवं प्रशासन	--	--	--	--	(-) 9.04 ^(क)	--
052-मशीनरी तथा उपस्कर	--	--	--	--	4.80	--
799-उचन्त	--	--	--	--	11.56	--
800-अन्य व्यय	1,30,75.08	2,04,40.61	--	2,04,40.61	22,90,58.03	56
योग-63	1,30,75.08	2,04,40.61	--	2,04,40.61	22,90,65.35	56

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,55.36 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 8,22.32 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
64-मध्यप्रदेश जल क्षेत्र पुनर्निर्माण-						
001-निदेशन एवं प्रशासन	--	--	--	--	3,18,66.22	--
052-मशीनरी तथा उपस्कर	--	--	--	--	26,02.58	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	1,21,34.65	--
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना	--	--	--	--	1,52,48.52	--
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	19,28,71.04	--
योग-64	--	--	--	--	25,47,23.01	--
65-अपर वेदा परियोजना						
001-निदेशन एवं प्रशासन	1,42.84	1,61.26	--	1,61.26	3,04.10	13
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	2,24,91.82	--
800-अन्य व्यय	12,30.15	5,78.55	--	5,78.55	18,08.70	(-) 53
योग-64	13,72.99	7,39.81	--	7,39.81	2,46,04.62	(-) 46
66-लोअर गोही परियोजना						
001-निदेशन एवं प्रशासन	2,73.76	2,97.79	--	2,97.79	5,71.55	9
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	4,22,79.73	--
800-अन्य व्यय	24,67.51	37,72.57	--	37,72.57	62,40.08	53
योग-66	27,41.27	40,70.36	--	40,70.36	4,90,91.36	48
67-मनपुरा नहर परियोजना						
800-अन्य व्यय	33,81.90	10,54.95	--	10,54.95	2,45,09.73	(-) 69
68-बीना परियोजना						
800-अन्य व्यय	6,09,97.87	5,95.95	--	5,95.95	8,55,47.62	(-) 99
69-पंचम नगर परियोजना						
800-अन्य व्यय	13,00.77	2,02,44.44	--	2,02,44.44	5,48,92.19	1456
70-बानसुजारा परियोजना						
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	25,99.98	--
800-अन्य व्यय	5,47,61.32	4,09,95.85	--	4,09,95.85	17,32,65.33	(-) 25
योग-70	5,47,61.32	4,09,95.85	--	4,09,95.85	17,58,65.31	(-) 25

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी 4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त 71-गणेशपुरा पिकअप वियर 800-अन्य व्यय	--	--	--	--	80.99	--
77-काली सिंध परियोजना- 800-अन्य व्यय	--	--	--	--	50.68	--
78-गोन मुख्य परियोजना- 800-अन्य व्यय	--	45.72	--	45.72	45.72	--
79-हरसी शक्ति का सुधार- 800-अन्य व्यय	--	2,00.00	--	2,00.00	2,00.00	--
80-सामान्य- 001-निर्देशन एवं प्रशासन 052-मशीनरी तथा उपस्कर 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना 800-अन्य व्यय	5,86,97.60 -- -- 6,35,79.78	2,08,63.45 -- -- 18,63,03.56	-- -- -- --	2,08,63.45 -- -- 18,63,03.56	20,12,82.97 14,02.32 ^(क) 83,08.57 ^(ख) 32,70,84.24	(-) 64 -- -- 193
योग-80	12,22,77.38	20,71,67.01	--	20,71,67.01	53,80,78.10	69
81-उरीबाग परियोजना 796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	69.73	--
83- मोहनपुरा परियोजना 800-अन्य व्यय	2,86,69.89	5,03,04.76	--	5,03,04.76	27,41,31.05	75
84-कुण्डलियन परियोजना 800-अन्य व्यय	2,56,95.32	3,99,49.22	--	3,99,49.22	17,22,65.46	55
85-पतने परियोजना 800-अन्य व्यय	--	--	--	--	47.98	--
86-चन्देरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना 800-अन्य व्यय	--	1,34,30.41	--	1,34,30.41	1,34,30.41	--
87-बन्दा मुख्य परियोजना 800-अन्य व्यय	--	2,41.76	--	2,41.76	2,41.76	--
88-चम्बल बैराज सिंचाई परियोजना 800-अन्य व्यय	--	1,50.58	--	1,50.58	1,50.58	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	5,25,64.62 ^(ग)	--
		3,02.00				
योग-4700	51,03,78.59	61,20,99.38	2,95,04.56	64,19,05.94	4,54,23,42.05	26

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,06.75 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,75.10 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 54,57.35 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-मुख्य सिंचाई-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	1,25,72.53	--
10-आसान बैराज परियोजना-						
800-अन्य व्यय	18,12.92	36,09.00	--	36,09.00	1,09,21.92	99
11-मान परियोजना-						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	3,03.87	3,65.64	--	3,65.64	8,82.66	20
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	1,35,08.46	--
800-अन्य व्यय	4.76	97.83	--	97.83	1,02.59	1955
योग-11	3,08.63	4,63.47	--	4,63.47	1,44,93.71	50
12-जोबट परियोजना						
001-निर्देशन एवं प्रशासन	5,56.51	5,28.40	--	5,28.40	13,51.65	(-) 5
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	2,52,75.56	--
800-अन्य व्यय	6.28	--	--	--	6.28	(-) 100
योग-12	5,62.79	5,28.40	--	5,28.40	2,66,33.49	(-) 6
15-कालिया स्रोत-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	57,83.98	--
25-माही परियोजना-						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	5,49,31.80	--
800-अन्य व्यय	30,78.19	66,95.33	--	66,95.33	1,73,96.26	118
योग-25	30,78.19	66,95.33	--	66,95.33	7,23,28.06	118
36-तवा परियोजना-						
800-अन्य व्यय	36.92	55.61	--	55.61	62,28.78	51
39-करके की माहू-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	1.63	--
40-कुशलपुरा तालाब याजना-						
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	8,50.75	--
800-अन्य व्यय	67.15	3,49.49	--	3,49.49	79,87.21	420
योग-40	67.15	3,49.49	--	3,49.49	88,37.96	420

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
41-कुंवर चैन सागर परियोजना-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	1,34.25	--
42-बांडिया नाला-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	2,56.67	--
43-संजय सागर-						
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	92,53.45	--
800-अन्य व्यय	7,49.93	9,48.57	--	9,48.57	2,14,84.87	26
योग-43	7,49.93	9,48.57	--	9,48.57	3,07,38.32	26
44-महुअर-						
800-अन्य व्यय	5,12.07	4,30.17	--	4,30.17	2,08,45.70	(-) 16
45-हलोन परियोजना-						
001-निदेशक एवं प्रशासन	1,52.71	1,54.04	--	1,54.04	3,06.75	1
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	1,89.89	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	2,14,28.64	--
800-अन्य व्यय	68,57.75	28,41.78	--	28,41.78	96,99.53	(-) 59
योग-45	70,10.46	29,95.82	--	29,95.82	3,16,24.81	(-) 57
46-अपर नर्मदा परियोजना-						
001-निदेशक एवं प्रशासन	1,57.74	2,07.98	--	2,07.98	3,65.72	32
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	71,95.34	--
योग-46	1,57.74	2,07.98	--	2,07.98	75,61.06	32
47-सिन्ध रामौआ						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	10,84.95	--
48-गोपद उदवहन-						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	29,29.32	--
800-अन्य व्यय	21,24.51	6,55.28	--	6,55.28	27,79.79	(-) 69
योग-48	21,24.51	6,55.28	--	6,55.28	57,09.11	(-) 69

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
49-बरचर परियोजना-						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	7,53.05	--
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	1,90.85	--
योग-49	--	--	--	--	9,43.90	--
50-काटजू गार्डन-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	0.34	--
51-मोदी मन्दिर						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	1.00	--
52-बेनीसागर नहर व्यपवर्तन-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	2,29.77	--
53-रंगवान कैनल व्यपवर्तन						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	3,95.09	--
54-मिडासान डायवर्सन परियोजना-						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	1,94,32.15	--
800-अन्य व्यय	34,33.90	9,80.50	--	9,80.50	44,57.34	(-) 71
योग-54	34,33.90	9,80.50	--	9,80.50	2,38,89.49	(-) 71
55-भितरीमूटरू परियोजना-						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	18.15	--
56-कछाल मध्यम परियोजना-						
800-अन्य व्यय	--	85.64	--	85.64	93,83.93	--
57-पवई मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	93,64.18	64,80.60	--	64,80.60	3,93,32.54	(-) 31
60-मझगवां मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	41,37.44	41,68.31	--	41,68.31	2,78,11.51	1
61-सानपुर मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	8,29.46	8,60.15	--	8,60.15	1,17,05.76	4

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
62-कीट खेड़ी मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	1,35.00	3,03.12	--	3,03.12	49,65.54	125
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	12,70,25.11 ^(क)	--
योग-62	1,35.00	3,03.12	--	3,03.12	13,19,90.65	125
66-पुनर्गठित और प्रचलन मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	10.75	--	--	--	77.07	(-) 100
68-सूरजपुर मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	9,84.55	6,03.11	--	6,03.11	67,23.83	(-) 39
69-तारपेड़ मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	22,41.02	7,54.86	--	7,54.86	1,05,97.94	(-) 66
76-छीता खुर्द मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	8.87	3,99.81	--	3,99.81	47,85.48	4407
78-उच्च तिलवारा मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	6,18.44	7,48.86	--	7,48.86	1,01,26.57	21
80-सामान्य						
001-निर्देशन तथा प्रशासन	1,43,25.00	5,33.30	--	5,33.30	13,79,73.68 ^(ख)	(-) 96
005-सर्वेक्षण तथा अन्वेषण	1,30.68	1,04.05	--	1,04.05	1,21,31.90 ^(ग)	(-) 20
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	--	--	--	--	1,58,91.58	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	1,39,14.53 ^(घ)	--
		88.40				
800-अन्य व्यय	5,82,91.03	3,80,91.80	--	3,81,80.20	20,65,26.62 ^(ङ)	(-) 35
		88.40				
योग-80	7,27,46.71	3,87,29.15	--	3,88,17.55	38,64,38.31	(-) 47

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,79,24.80 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 24.53 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 20,62.86 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 10,45.34 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 26,20.62 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
81-ढोलाबध मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	74.21	35.79	--	35.79	5,70.87	(-) 52
82-देजल देवडा मध्यम परियोजना						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	4,98.00	--
800-अन्य व्यय	15,65.24	5,30.73	--	5,30.73	43,29.81	(-) 66
योग-82	15,65.24	5,30.73	--	5,30.73	48,27.81	(-) 66
83-श्यामरी मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	10.68	9.62	--	9.62	48,89.86	(-) 10
89-दीवानगंज नहर निर्माण परियोजना						
800-अन्य व्यय	19,54.26	11,98.59	--	11,98.59	63,76.94	(-) 39
91-गुलाब सागर परियोजना द्वितीय चरण						
800-अन्य व्यय	40,98.88	35,38.57	--	35,38.57	1,16,27.45	(-) 14
92-गोपालपुरा मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	--	--	--	--	5,46.19	--
93-चोरल मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	13.95	--	--	--	5,84.87	(-) 100
94-मकरोदा मध्यम परियोजना						
800-अन्य व्यय	10,32.48	10,30.45	--	10,30.45	33,43.80	--
95-मुरकी मध्यम परियोजना						
796-अन्य व्यय	--	--	--	--	21,08.92	--
800-अन्य व्यय	14,95.64	17,91.74	--	17,91.74	32,87.38	20
योग-95	14,95.64	17,91.74	--	17,91.74	53,96.30	20
96-परकुल मध्यम परियोजना						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	33,15.76	--
800-अन्य व्यय	13,02.22	15,24.90	--	15,24.90	28,27.12	17
योग-96	13,02.22	15,24.90	--	15,24.90	61,42.88	17
97-खारमेर परियोजना						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	--	--	--	--	26,90.00	--
800-अन्य व्यय	40,03.04	39.42	--	39.42	40,42.46	(-) 99
योग-97	40,03.04	39.42	--	39.42	67,32.46	(-) 99

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी. एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
98-करम मध्यम सिंचाई परियोजना						
800-अन्य व्यय	25,03.36	4,65.61	--	4,65.61	29,76.45	(-) 81
99-परसदोह मध्यम सिंचाई परियोजना						
800-अन्य व्यय	1,13,62.23	1,11,80.28	--	1,11,80.28	2,90,55.25	(-) 2
		88.40				
योग-4701	14,03,47.76	9,23,98.94	--	9,24,87.34	1,00,32,79.36	(-) 34
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-						
101-सतही जल-						
ढोकदोह तालाब	19.43	2.19	--	2.19	12,14.56	(-) 89
कोलवाखेड़ी जलाशय	0.37	--	--	--	5,91.95	(-) 100
निपानिया तालाब गांधी तालाब	--	1.64	--	1.64	9,66.92	--
नैया नाला एल.आई.एस.	--	--	--	--	5,60.16	--
नंदनपुर तालाब	--	--	--	--	2,94.14	--
अम्बक नाला तालाब	--	3,12.17	--	3,12.17	5,58.19	--
भैंसा खेड़ी	--	--	--	--	9,99.65	--
शंकरपुरा तालाब	--	--	--	--	4,68.35	--
देहरी तालाब क्र.2	0.08	--	--	--	6,93.00	(-) 100
गोबलान तालाब	--	--	--	--	7,04.44	--
गोधना तालाब, भैंसदेही	2,84.75	--	--	--	14,50.91	(-) 100
खाम खरेलिया तालाब, केवलारी	--	--	--	--	1,50.09	--
नारायणपुरा तालाब	--	--	--	--	2,63.17	--
झरखेड़ा तालाब	--	--	--	--	2,26.90	--
काला झोरा तालाब	--	53.63	--	53.63	6,19.82	--
बिलोडा तालाब	--	--	--	--	2,08.21	--
मुंडला लोढ़ा तालाब	--	--	--	--	5,34.90	--
सुलावता तालाब	--	--	--	--	5,39.45	--
शंकरपुरा तालाब	--	1.09	--	1.09	4,49.81	--
जुनिया तालाब	--	--	--	--	1,24.29	--

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-जारी						
समनापुर तालाब	54.14	1,06.06	--	1,06.06	22,94.53	96
नीमखेड़ी तालाब	--	--	--	--	2,17.55	--
मोरखा	50.00	1,83.66	--	1,83.66	16,22.90	267
बदलावदा तालाब	--	--	--	--	99.35	--
50 बानेत तालाब	--	--	--	--	3,55.67	--
कंचन मंडी तालाब	4,87.38	8,34.99	--	8,34.99	34,31.95	71
कंडीपुर तालाब	--	--	--	--	86.35	--
भूमरिया तालाब	--	--	--	--	3,64.28	--
अधयारी सागर	4,32.51	1,30.00	--	1,30.00	25,65.72	(-) 70
ईटमा कोठार	--	--	--	--	1,14.80	--
शांतीनगर	--	1.11	--	1.11	5,26.17	--
भादर व्यपवर्तन	--	--	--	--	8,83.20	--
रजिया नाला	--	--	--	--	3,47.08	--
मामोन	--	--	--	--	2,14.35	--
पाली तालाब	--	--	--	--	7.21	--
कुशमांड	14.28	12.00	--	12.00	1,82.35	(-) 16
पाटी	--	--	--	--	4,36.58	--
बासादेही	--	--	--	--	4,47.56	--
कीरतपुर	--	--	--	--	4,96.14	--
चोपड़ा	--	--	--	--	2,06.01	--
मनी रामपुरा	--	50.67	--	50.67	3,72.95	--
खाम खरेली	--	--	--	--	2,08.69	--
कुड़ीपार	--	--	--	--	1,71.02	--
जमलापानी	1,42.56	54.07	--	54.07	3,55.28	(-) 62
छोटी रंगीर	--	--	--	--	52.42	--
कटोले	--	--	--	--	2,79.63	--
भागलिया तालाब	--	--	--	--	82.41	--

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-जारी						
देवरा हटाई जलाशय	--	12.45	--	12.45	2,67.11	--
सुखनाला जलाशय	--	--	--	--	1,72.16	--
तिन्सीमारपानी जलाशय	--	33.62	--	33.62	7,26.29	--
बदौना जलाशय	--	3,39.38	--	3,39.38	4,13.28	--
कारिया जलाशय	--	--	--	--	3,54.68	--
झिरवा भगरिया जलाशय	--	--	--	--	4,08.77	--
मढ़ी कानुनगो शादोरा	--	--	--	--	4,06.24	--
शाहपुर ध्यानपुर	--	--	--	--	14,89.15	--
ईमली थाना	27,05.74	--	--	--	34,01.96	--
बुदासा तालाब	--	18.09	--	18.09	12,03.73	--
विजना खेड़ी	--	0.29	--	0.29	2,94.50	--
सतपोन तालाब	--	28.44	--	28.44	5,59.51	--
गावाखेड़ी तालाब	--	--	--	--	6,22.92	--
वलोदा करोना तालाब	--	--	--	--	8,37.50	--
श्रीनगर तालाब	--	--	--	--	79.20	--
हलीयाखेड़ी तालाब	--	--	--	--	86.48	--
लेडी तालाब	1.33	53.57	--	53.57	3,20.24	3928
जेंदा तालाब	5,44.75	--	--	--	6,70.98	(-) 100
कालापीपल	--	28.40	--	28.40	37,99.05	--
जूना पानी	--	--	--	--	6,16.32	--
पारसेन तालाब (ग्वालियर)	--	--	--	--	1,61.36	--
जूरा तालाब	--	--	--	--	3,96.30	--
पतनारी तालाब	--	--	--	--	1,79.11	--
कटुआवन तालाब	--	--	--	--	4,16.41	--
अगरौठा	--	--	--	--	28.13	--
देवपुर	--	11.70	--	11.70	1,49.95	--
लोअर संग्रामपुर	--	--	--	--	3,58.35	--

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-जारी						
खमरिया निमावर	--	--	--	--	1,60.97	--
बकानिया नाला	--	--	--	--	3,72.20	--
अमौदा	--	--	--	--	2,49.25	--
शाहबाज तिलेदी	--	--	--	--	6,56.70	--
गोकुलपुरा	--	--	--	--	4,75.98	--
मैलानी तालाब	--	2,59.16	--	2,59.16	3,43.22	--
पहारुआ	--	--	--	--	2,01.05	--
बिहुआसानी जलाशय	--	--	--	--	6,67.90	--
खेमी खेदेला	--	--	--	--	6,32.09	--
मोतिया देव	--	47.15	--	47.15	16,69.90	--
पचलाना	--	--	--	--	5,56.18	--
चपलासर	--	--	--	--	6,58.78	--
गुंडरई तालाब	--	--	--	--	69.98	--
अम्बई तालाब	--	--	--	--	3,34.70	--
मसूर बावड़ी तालाब	--	79.62	--	79.62	13,25.94	--
बड़बाई तालाब	--	--	--	--	1,75.68	--
पनखेडी तालाब	--	--	--	--	4,19.61	--
तुलसीपुर तालाब	--	40.00	--	40.00	13,46.19	--
बड़गोड़ा तालाब	--	--	--	--	1,81.34	--
शंकरपुरा तालाब	0.14	--	--	--	1,79.12	(-) 100
अमाखला जलाशय	1,73.00	--	--	--	8,73.55	(-) 100
पड़ली बीयर	--	--	--	--	1,06.97	--
सजखेड़ा तालाब	--	--	--	--	11,15.05	--
देहगावान	--	--	--	--	3,69.56	--
मिढासन जलाशय	--	--	--	--	9,36.62	--
चकारा तालाब	--	--	--	--	2,06.43	--
चकरभाटा तालाब	--	--	--	--	1,41.08	--
टोंका तालाब	--	16.66	--	16.66	5,26.59	--

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-जारी						
डोंब तालाब	--	31.98	--	31.98	11,40.59	--
ग्राख पुरा तालाब	--	--	--	--	1,91.49	--
रिछारी तालाब	--	--	--	--	52.54	--
उमरेद तालाब	--	--	--	--	1,90.70	--
घोघरा घाट बैराज	--	--	--	--	1,43.34	--
पलाबे तालाब	--	--	--	--	3,78.85	--
रनाबा बैराज	--	--	--	--	11.05	--
खुजुरियाघाटा बैराज	--	--	--	--	1,34.55	--
कालीपीपल वियार	--	--	--	--	1,71.30	--
खेरखेड़ी बैराज	--	--	--	--	2,08.20	--
श्यामपुर तालाब	--	--	--	--	5,09.95	--
नागपुरा नागझिरी तालाब	--	30.18	--	30.18	28,59.23	--
दाहोद तालाब	--	--	--	--	67.19	--
करेल सिंचाई योजना	1.10	1.22	--	1.22	6,22.53	11
कवई सिंचाई योजना	0.19	0.17	--	0.17	3,75.47	(-) 11
बोरदिया सिंचाई योजना	0.07	--	--	--	2,43.15	(-) 100
ग्वालियर कला स्टापडेम	--	--	--	--	58.89	--
पावटी स्टापडेम	0.49	9.63	--	9.63	81.50	1865
लसूड़िया स्टापडेम	0.49	--	--	--	76.66	(-) 100
गोरखपुर तालाब	--	--	--	--	1,53.26	--
गाडरवाड़ा खेड़ा तालाब	--	--	--	--	2,41.68	--
रूपाहेड़ा तालाब	--	--	--	--	1,40.83	--
कटारमल जी तालाब	--	--	--	--	33.72	--
गुरारखेड़ा बैराज	--	--	--	--	1,70.44	--
मुण्डला तालाब	12,67.59	--	--	--	90,09.47	(-) 100
बांकपुरा तालाब	11,08.87	11.60	--	11.60	62,87.04	(-) 99
कोयला तालाब	--	--	--	--	2,15.31	--
पाटनखुर्द तालाब	--	--	--	--	2,39.26	--

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-जारी						
कछौटिया तालाब	--	--	--	--	3,32.02	--
किशनपुरिया तालाब	--	--	--	--	3,44.29	--
दुर्गपुरा तालाब	--	--	--	--	55.20	--
सेमलावे तालाब	--	--	--	--	1,40.35	--
छान बैराज	--	--	--	--	74.03	--
डालूपुरा तालाब	--	--	--	--	2,46.03	--
धनवारी फीडर	--	--	--	--	1,07.02	--
अम्बाफालिया तालाब	--	--	--	--	35.42	--
सलाईकला तालाब	--	--	--	--	55.64	--
अवाती बैराज	--	--	--	--	14.57	--
डोंगरगाँव बैराज	--	--	--	--	20.70	--
भीमपुरा बैराज	--	--	--	--	1,91.94	--
बरखेड़ा तालाब	--	9.19	--	9.19	3,34.05	--
राजावत बैराज	--	--	--	--	1,38.90	--
बलदमुंग बैराज	--	--	--	--	2,80.34	--
अड़बाड़ा बैराज	--	--	--	--	1,46.59	--
मौलानी तालाब परियोजना	--	2,59.16	--	2,59.16	3,79.12	--
ढेकली तालाब (मोहाड़पुरा)	--	--	--	--	8.45	--
नलवान्या तालाब	--	--	--	--	1,47.17	--
चाकल्या तालाब	--	--	--	--	3,84.99	--
घोटिया देव तालाब	--	--	--	--	5,53.27	--
कदवाल तालाब	--	--	--	--	44.00	--
बेलदरा तालाब	--	--	--	--	2,61.46	--
साजापानी तालाब	--	--	--	--	76.91	--
देवरी तालाब	--	--	--	--	28.00	--
हमेरिया तालाब	--	--	--	--	34,63.15	--
टेहरी तालाब	--	17.50	--	17.50	10,56.40	--

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-जारी						
बेरखेड़ी तालाब	--	--	--	--	1,07.54	--
मगरधा तालाब	--	--	--	--	4,37.05	--
लाखापुरा (केनाल लाइनिंग)	--	--	--	--	1,29.17	--
नावली जलाशय	--	--	--	--	5,53.51	--
पिपलोदा बैराज	--	--	--	--	3,03.31	--
नेगड़िया तालाब	--	--	--	--	68.34	--
टिटकी बैराज	--	--	--	--	2,91.64	--
दमेहड़ी तालाब	51.43	42.15	--	42.15	1,77.40	(-) 18
बिरयाई तालाब	--	--	--	--	37.26	--
पचधाट जलाशय	--	--	--	--	17.87	--
सेन्द्रया जलाशय	--	--	--	--	27.04	--
कौडी जलाशय	--	--	--	--	27.67	--
पाण्डरी जलाशय	--	--	--	--	7,89.10	--
देहगुड जलाशय	2,33.92	69.59	--	69.59	26,42.98	(-) 70
बादलदोह जलाशय	35.72	--	--	--	23,35.31	(-) 100
रामजीढाला जलाशय	--	--	--	--	49.98	--
दुभहारा जलाशय	--	--	--	--	2,22.68	--
अपर जावरा जलाशय	--	--	--	--	5,23.13	--
टीला	--	--	--	--	22,84.10	--
पच्चीपुरा	42.53	14.60	--	14.60	41,96.98	(-) 66
कोनेरीपानली	1,21.51	11,27.88	--	11,27.88	23,47.19	828
बोलाढिकोरस टैंक	10.48	53.68	--	53.68	7,95.98	412
तम्बोलिया बियर	--	--	--	--	8,07.49	--
असपुरा टैंक	--	--	--	--	16,66.00	--
गोपालपुरा टैंक	--	--	--	--	13,74.00	--
दोहर्दा टैंक	4,79.30	--	--	--	20,95.39	(-) 100
मुंजाखेड़ी टैंक	1,81.79	--	--	--	14,51.33	(-) 100
जनोली तालाब	--	--	--	--	35.88	--

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-जारी						
पोलायाखेत तालाब	--	--	--	--	3,20.97	--
बैरो सिंचाई योजना	--	24.29	--	24.29	6,15.40	--
पीपरताल जलाशय	88.94	--	--	--	2,57.81	(-) 100
तुण्डवारा जलाशय	--	--	--	--	5,60.83	--
सीताझिर जलाशय	--	4.31	--	4.31	4,72.38	--
कावाघाट तालाब	--	1.49	--	1.49	1,26.41	--
तिकोनाघाट तालाब	--	9.97	--	9.97	1,06.86	--
बहादुरगढ़ बियर	--	1,34.92	--	1,34.92	4,81.97	--
देभा तालाब	--	11,72.45	--	11,72.45	13,98.09	--
जसवंतपुरा तालाब	--	9,85.45	--	9,85.45	12,06.57	--
मिढासन डायवर्सन	4,60.00	15.46	--	15.46	9,55.40	(-) 97
भिटारी मुत्तुरु तालाब	--	1.99	--	1.99	9,72.83	--
सिमरी तालाब	5,46.04	41.07	--	41.07	11,60.97	(-) 92
श्यामदादा तालाब	--	4,77.36	--	4,77.36	11,55.88	--
देमही तालाब	--	--	--	--	9,45.27	--
देवरी तालाब	4,95.00	--	--	--	21,25.57	(-) 100
कुरी तालाब	69.99	4,10.00	--	4,10.00	18,52.31	486
बागोड़ बैराज	--	1,67.91	--	1,67.91	1,82.30	--
बरखेड़ी तालाब	--	4,13.90	--	4,13.90	6,18.51	--
आवलेंव तालाब	--	3,58.57	--	3,58.57	5,83.57	--
मालीपुरा तालाब	--	2,55.97	--	2,55.97	4,12.97	--
देशावाडी टैंक	--	--	--	--	5,87.67	--
पंढोनी टैंक	--	1,23.96	--	1,23.96	2,45.96	--
सेंदुर्जना टैंक	1,05.91	3,62.94	--	3,62.94	5,90.85	243
केकडा टैंक	2,20.01	3,34.00	--	3,34.00	9,96.01	52
बंधानी टैंक	--	3,34.60	--	3,34.60	6,05.60	--
छिंदा टैंक	2,13.58	5,24.10	--	5,24.10	8,14.14	145

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-जारी						
भगवानपुरा तालाब	--	6,39.59	--	6,39.59	11,54.83	--
मडनी तालाब	--	6,30.30	--	6,30.30	7,80.30	--
जमुनिया गोंड तालाब	0.78	10,34.52	--	10,34.52	13,55.89	132531
मंसूरवरी एल.बी.सी.विस्तार	--	10.50	--	10.50	3,10.50	--
वमराहा टैंक	9,22.90	3,04.00	--	3,04.00	18,22.03	(-) 67
बिछिया एस.डी.	1,15.18	--	--	--	7,65.72	(-) 100
पिपरिया टैंक	--	--	--	--	67.44	--
नागखुर्जी	13.25	--	--	--	5,78.65	(-) 100
वटैवाडिया बैराज	80.82	--	--	--	6,57.22	(-) 100
बरखेड़ी बैराज	3,19.94	29.85	--	29.85	9,78.41	(-) 91
कनेरी टैंक	1,21.51	--	--	--	13,99.23	(-) 100
कोटेश्वर इम्प्लीपाड़ी तालाब	11,28.00	27,00.00	--	27,00.00	62,28.00	139
घाट पिपरिया तालाब	1,85.41	29.16	--	29.16	2,15.12	(-) 84
काथी तालाब	7,46.73	2,65.00	--	2,65.00	10,22.56	(-) 65
वाहनी तालाब	9,43.48	5,47.20	--	5,47.20	14,93.26	(-) 42
दरगढ़ तालाब	5,94.07	15,84.99	--	15,84.99	21,79.06	167
बर्व तालाब	26.93	--	--	--	26.93	(-) 100
बलवीर तालाब	6,68.97	--	--	--	6,68.97	(-) 100
बिलखुरा तालाब	46.00	--	--	--	46.00	(-) 100
ब्राम्हणबड़ा तालाब	4,69.23	2,94.60	--	2,94.60	7,63.83	(-) 37
लिहारा तालाब	22,86.11	--	--	--	22,86.11	(-) 100
घाटबियोरली तालाब	29,64.15	3,71.72	--	3,71.72	33,35.87	(-) 87
गंगल तालाब	4,63.90	--	--	--	4,63.90	(-) 100
धोबीघाट तालाब	11,16.18	--	--	--	11,16.18	(-) 100
कलरिया तालाब	6,55.38	--	--	--	6,55.38	(-) 100
वजीरपुर बांध	7,55.70	--	--	--	7,55.70	(-) 100

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)	योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
101-सतही जल-समाप्त						
डोरापुर हापखेड़ा तालाब	5,77.00	32.37	--	32.37	6,09.37	(-) 94
जुनवानी गिटपिटा विस्तार	5,96.00	--	--	--	5,96.00	(-) 100
जगरिया तालाब	--	11,70.38	--	11,70.38	11,70.38	--
महगाँव तालाब	--	11,40.83	--	11,40.83	11,40.83	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	14,07,01.49 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	4,48,95.63	4,07,08.72	--	4,07,08.72	53,19,09.29	(-) 9
योग-101	7,13,39.65	6,20,48.78	--	6,20,48.78	84,77,55.43	(-) 13
102-भूजल-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	52,19.60 ^(ख)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	2,69.38	2,89.34	--	2,89.34	4,40,81.10	7
योग-102	2,69.38	2,89.34	--	2,89.34	4,93,00.70	7
789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	25,68.52	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,43,51.44 ^(ग)	--
योग-789	--	--	--	--	1,69,19.96	--
794-जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	6,92.39 ^(घ)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
बाम होड़ी	--	--	--	--	4,73.24	--
अटरिया तालाब	--	--	--	--	2,49.92	--
कुटमेली तालाब	--	--	--	--	1,92.91	--
बसंतपुरा तालाब	--	--	--	--	4,30.62	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 47,16.48 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 10,58.14 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,51.25 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,39.95 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-जारी						
छर्च तालाब (शिवपुरी)	--	--	--	--	6,18.35	--
गलावती तालाब	--	--	--	--	16,81.78	--
अब्दुल्लापुरा तालाब	--	--	--	--	2,60.60	--
इमलाई तालाब	--	--	--	--	46.88	--
होलीमल तालाब	--	--	--	--	2,59.79	--
खरक जलाशय	--	--	--	--	47,61.82	--
चरखारी तालाब	--	--	--	--	57.12	--
हरदी तालाब	--	--	--	--	93.03	--
गुनघाटी तालाब	--	--	--	--	6,01.06	--
गोरिया खेड़ी	--	--	--	--	3,57.44	--
झारकुंड	--	--	--	--	2,72.54	--
बंजर टोला	--	--	--	--	2,28.25	--
दनदना जलाशय	--	--	--	--	17,08.27	--
पीपर ताल	--	--	--	--	2,83.08	--
डोगल्या पानी तालाब	--	--	--	--	1,55.20	--
बधंवा जलाशय	--	--	--	--	4,28.47	--
डेहरी त्रिवेणी तालाब	--	--	--	--	20,10.04	--
गेहरो	--	--	--	--	8,01.03	--
बरगवा	--	--	--	--	10,70.05	--
मगरेहता	--	--	--	--	1,44.95	--
जुझारी कलहैया	--	--	--	--	1,54.25	--
पापडा	--	--	--	--	6,18.94	--
जलगोन	--	--	--	--	6,66.70	--
छोटा नागनबाडी	--	--	--	--	2,40.62	--
डण्डीखली तालाब	--	--	--	--	2,33.85	--
बडगांव	--	--	--	--	17,39.36	--
थाना तालाब	--	--	--	--	41,10.64	--
पाना तालाब	--	--	--	--	1,77.71	--
इन्दला तालाब	--	--	--	--	24,53.89	--

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 क अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-जारी						
चाबी जलाशय	--	--	--	--	1,89.30	--
असालिया तालाब	--	--	--	--	1,65.29	--
कोटेश्वर तालाब	--	--	--	--	7,47.00	--
पनास तालाब	--	--	--	--	41.34	--
सोण्डब्रा बैराज-I	--	--	--	--	15.90	--
सोण्डवा बैराज-II	--	--	--	--	48.48	--
ढोलखारा तालाब	--	--	--	--	2,63.19	--
पिपरी तालाब	--	--	--	--	1,83.58	--
कटंगी तालाब	--	--	--	--	1,27.91	--
सोमरा खास तालाब	--	--	--	--	9,04.82	--
सालाबरू तालाब	--	--	--	--	14,79.12	--
करेली नाला तालाब	--	--	--	--	7,70.72	--
ताराकुण्ड तालाब	--	--	--	--	3,57.39	--
बांकी तालाब	--	--	--	--	2,41.54	--
ककनू जलाशय	--	--	--	--	98.33	--
अर्दला तालाब	--	--	--	--	5,53.56	--
ओझरनाला तालाब	--	--	--	--	1,45.24	--
वोरबन तालाब	--	--	--	--	6,72.93	--
कमोदवाड़ा तालाब	--	--	--	--	11,01.47	--
टौरी तालाब	--	--	--	--	26,95.59	--
झण्डिला कुण्डिला तालाब	--	--	--	--	9,70.99	--
गोमाई नदी तालाब	--	--	--	--	30,07.41	--
सुन्दरपुरा डायवर्सन	--	--	--	--	3,35.01	--
खाम्बी डायवर्सन	--	--	--	--	1,81.85	--
भोखू डायवर्सन	--	--	--	--	1,32.39	--
खुडिया जलाशय	--	--	--	--	1,90.89	--
सारंगपुर जलाशय	--	--	--	--	1,01.25	--
नागदुमुख जलाशय	--	--	--	--	62.98	--
नटारिया जलाशय	--	--	--	--	3,60.34	--

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-जारी						
गोयरू जलाशय	--	--	--	--	2,04.22	--
नीलमटोला जलाशय	--	--	--	--	2,48.59	--
गोरखपुर जलाशय	--	--	--	--	3,40.29	--
गोपालपुरा जलाशय	--	--	--	--	4,08.84	--
गुबरा जलाशय	--	--	--	--	1,74.75	--
भदवारा जलाशय	--	--	--	--	59.05	--
अम्बापडा तालाब	--	--	--	--	1,13.63	--
पडीवाला जलाशय	--	--	--	--	3,19.92	--
हालोन जलाशय	--	--	--	--	32,83.25	--
देवगढ़ तालाब	--	--	--	--	5,40.66	--
पतखई तालाब	--	--	--	--	19,51.52	--
शाहपुर तालाब	--	--	--	--	4,37.84	--
पटना तालाब	--	--	--	--	82.73	--
खपरकला टैंक	--	--	--	--	4,23.00	--
साल्टिया टैंक	--	--	--	--	4,65.00	--
खेखा टैंक	--	--	--	--	41.99	--
बालकुण्ड टैंक	--	--	--	--	1.50	--
गौर टैंक	--	--	--	--	1,74.62	--
भानपुर टैंक	--	--	--	--	4.19	--
बरवाली टैंक	--	--	--	--	1.31	--
काट्राटोला टैंक	--	--	--	--	6.50	--
धर्मराय तालाब	--	--	--	--	1,70.64	--
खेड़ी तालाब	--	--	--	--	1.20	--
छुंदी डायवर्सन	--	--	--	--	98.57	--
दियापीपर तालाब	--	--	--	--	6,55.41	--
सहाय तालाब	--	--	--	--	2,56.49	--
समधिन नाला तालाब	--	--	--	--	5,24.48	--
बिछली नाला तालाब	--	--	--	--	5,53.66	--
झिरिया नाला तालाब	--	--	--	--	7,27.00	--

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4702-लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-समाप्त						
मारखी देवी तालाब	--	--	--	--	6,50.00	--
भानपुरा जलाशय	--	--	--	--	2,28.00	--
मागर जलाशय	--	--	--	--	7,04.28	--
रामपुरा बैराज	--	--	--	--	7,34.65	--
गुवली बैराज	--	--	--	--	5,58.09	--
बेरधा टैंक	--	--	--	--	11,42.24	--
संसार टैंक	--	--	--	--	2,09.00	--
नागझिरी टैंक परियोजना	--	--	--	--	4,30.21	--
बसनायर कला टैंक	--	--	--	--	1.00	--
समधिया गोखर टैंक	--	--	--	--	1.00	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	7,04,67.53	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	18,79,18.73 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	28,90,41.16	--
800-अन्य व्यय-						
मधनी तालाब	--	--	--	--	94.31	--
पुरना तालाब	11,24.00	2,28.90	--	2,28.90	13,52.90	(-) 80
बासकेरनाल तालाब	5,20.31	1,67.39	--	1,67.39	6,87.70	(-) 68
धनवाही विवारतन योजना	2,21.71	--	--	--	2,21.71	(-) 100
खोदरी तालाब	5,64.00	3,35.00	--	3,35.00	8,99.00	(-) 41
मागर टैंक	--	10,22.56	--	10,22.56	10,22.56	--
खोह टैंक	--	10,58.96	--	10,58.96	10,58.96	--
कमनिया टैंक	--	11,37.29	--	11,37.29	11,37.29	--
हालोन टैंक	--	13,24.91	--	13,24.91	13,24.91	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	14,17.98	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	4,54,97.53	2,55,93.93	--	2,55,93.93	10,07,50.84 ^(ख)	(-) 44
योग-800	4,79,27.55	3,08,68.94	--	3,08,68.94	10,99,68.16	(-) 36
योग-4702	11,95,36.58	9,32,07.06	--	9,32,07.06	1,31,36,77.80	(-) 22

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,77,43.65 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 51,74.79 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी 4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय- 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश- कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश ..	--	--	--	--	11.01 ^(क)	--
	--	--	--	--	5,34.04	--
योग-190	--	--	--	--	5,45.05	--
201- तवा परियोजना - निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,20.46	--
	--	--	--	--	17.15	--
योग-201	--	--	--	--	1,37.61	--
202-बारना हलाली आयकट- मैदानी जलमार्गों का निर्माण अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	6,48.34	--	--	--	49,90.93	(-) 100
	--	--	--	--	2,57.12	--
योग-202	6,48.34	--	--	--	52,48.05	(-) 100
203-अपर बैनगंगा आयकट- मैदानी जलमार्गों का निर्माण पद्धति में कमी का सुधार अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	2,09.19	--	--	--	89,28.40	(-) 100
	--	--	--	--	2,42.59	--
	--	--	--	--	12,42.03	--
योग-203	2,09.19	--	--	--	1,04,13.02	(-) 100
204-वाण सागर नहर क्षेत्र विकास- मैदानी जल मार्गों का निर्माण	36,95.00	--	27,67.27	27,67.27	1,14,25.29	(-) 25
205-ग्वालियर आयकट- मैदानी जलमार्गों का निर्माण अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	7,88.00	--	--	--	42,21.14	(-) 100
	--	--	--	--	3,18.80	--
योग-205	7,88.00	--	--	--	45,39.94	(-) 100
207-बरगी आयकट- मैदानी जलमार्गों का निर्माण पद्धति में कमी का सुधार	15,75.00	--	--	--	79,48.07	(-) 100
	--	--	--	--	2,00.00	--
योग-207	15,75.00	--	--	--	81,48.07	(-) 100

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3.99 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सो.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
208-चम्बल आयकट-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	9,52.94	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	34,41.99	--
योग-208	--	--	--	--	43,94.93	--
210-मध्यप्रदेश समन्वित योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	2.09	--
211-वारियारपुर कमान विकास						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	8,48.05	--	1,50.00	1,50.00	48,21.95	(-) 82
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,31.42	--
योग-211	8,48.05	--	1,50.00	1,50.00	49,53.37	(-) 82
212-राजघाट कमान विकास						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	29,31.98	--	--	--	2,57,67.58	(-) 100
पद्धति में कमी का सुधार	--	--	--	--	1,11,59.89	--
योग-212	29,31.98	--	--	--	3,69,27.47	(-) 100
213-पेंच डायवर्सन केडवम परियोजना -						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	13,00.00	--	8,00.00	8,00.00	35,35.00	(-) 38
214-थवर मध्यम केडवम परियोजना						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	4,24.93	--	--	--	4,24.93	(-) 100
215-माहोर मध्यम सिंचाई केडवम परियोजना						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	6,13.50	--	--	--	21,92.50	(-) 100
216-सगाद मध्यम केडवम परियोजना						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	6,75.00	--	11,46.34	11,46.34	18,21.34	70
217- बिलगांव मध्यम केडवम परियोजना						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	7,55.00	--	--	--	7,55.00	(-) 100
218-सिंहपुर वैराज केडवम परियोजना						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	8,10.00	--	--	--	14,23.00	(-) 100
219-महान बृहद केडवम परियोजना फील्ड चेनल्स का निर्माण						
मैदानी जल मार्गों का निर्माण	12,60.00	--	--	--	12,70.00	(-) 100
220-कछार मध्यम परियोजना						
मैदानी जल मार्गों का निर्माण	--	--	--	--	10,23.00	--
221-रेहटी मध्यम केडवम परियोजना						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	--	--	--	--	2,85.00	--

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा-जारी						
4705-कमान क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
222-संजय सागर (बाह्य)						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	3,40.00	--	12,19.58	12,19.58	18,19.58	259
223-सिंध फेस-2 केडवम परियोजना फील्ड चेनल्स का निर्माण	73,31.00	--	23,00.00	23,00.00	1,85,45.46	(-) 69
224-बाधरू मध्यम केडवम क्षेत्र विकास						
मैदानी जलमार्गों का निर्माण	--	--	--	--	5,65.00	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	39,32.65 ^(क)	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	16,84.85	--	16,40.51	16,40.51	1,51,61.65 ^(ख)	(-) 3
योग-4705	2,58,89.85	--	1,00,23.70	1,00,23.70	13,94,89.00	(-) 61
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-बाढ़ नियंत्रण-						
103-सिविल निर्माण कार्य-						
बाढ़ नियंत्रण योजना, गुना	10,98.24	2,14.03	--	2,14.03	31,12.79	(-) 81
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	65.65	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	50.00	--	--	--	21,98.45	(-) 100
योग-103	11,48.24	2,14.03	--	2,14.03	53,76.89	(-) 81
800-अन्य व्यय-						
स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण योजना-II चरण	--	--	--	--	26,78.01	--
सीहोर जिले की बाढ़ नियंत्रण योजना	13.17	1.25	--	1.25	14,15.58	(-) 91
कोपरा अनीकल	--	--	--	--	1,31.76	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	37,75.58	--
योग-800	13.17	1.25	--	1.25	80,00.93	(-) 91
योग-01	11,61.41	2,15.27	--	2,15.27	1,33,77.82	(-) 81
योग-4711	11,61.41	2,15.27	--	2,15.27	1,33,77.82	(-) 81
		3,90.39				
योग-(घ)-सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण का पूंजीगत लेखा	79,73,14.21	79,79,20.66	3,95,28.26	83,78,39.31	7,01,21,66.02	5

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 6.54 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.21 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ड़) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-						
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-हाइड्रल उत्पादन-						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
इंदिरा सागर नहर बेडपावर हाउस की कार्यकारी स्थापना	26.79	27.21	--	27.21	54.00	2
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के निवेश	--	--	--	--	1,97.18	--
	--	--	--	--	60.00	--
योग-001	26.79	27.21	--	27.21	3,11.18	2
052-मशीनरी तथा उपस्कर-						
महेश्वर माइक्रो हायड्रल योजना	--	--	--	--	16,15.15	--
इंदिरा सागर परियोजना	--	--	--	--	(-) 2,13,23.45	--
सरदार सरोवर परियोजना	--	--	--	--	18,18,97.35	--
नर्मदा घाटी में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का दोहन	--	--	--	--	79,87.80	--
इंदिरा सागर परियोजना यूनिट I एवं III एन.एच.डी.सी. की अंशपूँजी में निवेश	--	--	--	--	5,48,33.17	--
पर्यावरण कार्य योजना (जमा कार्य)	--	--	--	--	39,33.13	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	7,35,33.56 ^(क)	--
योग-052	--	--	--	--	30,24,76.71	--
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
विद्युत आपूर्ति कम्पनियों में निवेश	--	--	--	--	9.68 ^(ख)	--
मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम भोपाल में निवेश	--	--	--	--	50.57 ^(ग)	--
योग-190	--	--	--	--	60.25	--
203-नर्मदा घाटी में उपलब्ध ऊर्जा क्षमता का संदोहन						
इंदिरा सागर केनाल बेडपावर हाउस	--	--	--	--	80.69	--
बरगी केनाल बेडपावर हाउस	11.62	11.37	--	11.37	2,24.35	(-) 2
इंदिरा सागर परियोजना यूनिट का हिस्सा एन.एच.डी.सी.को भुगतान	13,50.00	--	--	--	1,11,55.10	(-) 100
योग-203	13,61.62	11.37	--	11.37	1,14,60.14	(-) 99

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ (-) 3.11 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3.51 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 18.35 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-जारी						
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-हाइडल उत्पादन-समाप्त						
205-सरदार सरोवर परियोजना						
सरदार सरोवर परियोजना	--	--	--	--	44,62.00	--
206-इंदिरा सागर परियोजना यूनिट I-III						
केचमेण्ट एरिया ट्रीटमेन्ट	73.45	41.79	--	41.79	12,21.34	(-) 43
	2,64.82	2,67.68	--	2,67.68	5,32.50	1
स्थापना (वन प्रकोष्ठ)	2,52.18	2,48.19	--	2,48.19	32,03.23	(-) 2
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	6,39.54	--
योग-206	5,90.45	5,57.66	--	5,57.66	55,96.61	(-) 6
235-पर्यावरण कार्य योजना (जमा कार्य)						
ओमकारेश्वर परियोजना	16,51.88	1,21.03	--	1,21.03	36,02.90	(-) 93
789-अनूसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
सरदार सरोवर परियोजना	--	--	--	--	2.00	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
सरदार सरोवर परियोजना	--	--	--	--	2.00	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	13,63.83 ^(क)	--
योग-796	--	--	--	--	13,65.83	--
800-अन्य व्यय						
इंदिरा सागर केनाल बीएड पावर	1,89.06	1,89.13	--	1,89.13	5,78.15	--
राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित, नई दिल्ली में निवेश	--	--	--	--	7.34 ^(ख)	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	4,07.47	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,52.58	--
योग-800	1,89.06	1,89.13	--	1,89.13	14,45.54	--
योग-01	38,19.80	9,06.40	--	9,06.40	33,07,83.16	(-) 76

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4,67.64 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2.66 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ङ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-जारी						
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
02-ताप विद्युत शक्ति उत्पादन-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
अमरकंटक थर्मल पावर विस्तार इकाई के लिये निवेश	--	--	--	--	65,33.90	--
सतपुड़ा थर्मल पावर विस्तार इकाई के लिये निवेश	--	--	--	--	4,74,04.06	--
मालवा थर्मल पावर परियोजना के लिये निवेश	--	--	--	--	11,34,22.00	--
श्री सिंघाजी थर्मल पावर परियोजना के लिए निवेश	3,00,00.00	59,28.27	--	59,28.27	9,97,38.27	(-) 80
दादाजी धूनीवाले थर्मल पावर परियोजना के लिए निवेश	--	--	--	--	47,50.00	--
2x800 मेगावाट बाण सागर थर्मल पावर हाउस	--	--	--	--	46,99.00	--
भारत सरकार द्वारा सतपुड एवं श्री सिंघाजी थर्मल पावर परियोजना को आवंटित						
गोदवाहरा उझानी कोल ब्लॉक का विकास	--	--	--	--	1,39,00.00	--
योग-190	3,00,00.00	59,28.27	--	59,28.27	29,04,47.23	(-) 80
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	14.15	--
797- आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों से अंतरण	--	--	--	--	(-) 4,08,26.00	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1.53(क)	--
योग-02	3,00,00.00	59,28.27	--	59,28.27	24,96,36.91	(-) 80
05-संचरण एवं वितरण-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
म.प्र. विद्युत मंडल द्वारा एशियन डेवलपमेंट बैंक से प्राप्त परियोजना सहायता का						
भुगतान-निवेश	--	--	--	--	2,18,37.18	--
कृषि संबंधी उपयोग हेतु स्वतंत्र फीडर के प्रबंध के लिये निवेश	--	--	--	--	4,75,67.46	--
उप-पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण - निवेश	--	--	--	--	23,79,76.98	--
राज्य सरकार द्वारा म.प्र.विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनियों में निवेश	1,30,00.00	--	--	--	34,19,00.00	(-) 100
म.प्र.विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती पारेषण प्रणाली कार्य हेतु निवेश	--	1,00,00.00	--	1,00,00.00	9,41,16.00	--
म.प्र. पावर ट्रेडिंग कंपनी मर्यादित की अंशपूजी में निवेश	--	--	--	--	20,00.00	--
उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान/शेयर पूंजी	6,11,00.00	--	--	--	41,68,00.00	(-) 100
मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पंप कनेक्शन स्कीम	4,41,28.00	5,81,81.03	--	5,81,81.03	14,64,80.03	34

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.56 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ड) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-जारी						
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
05-संचरण एवं वितरण-समाप्त						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-समाप्त						
उदय योजना के अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को शेयर पूंजी का आवंटन	40,11,00.00	--	--	--	40,11,00.00	(-) 100
पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए जे.आई.सी.ए. द्वारा निवेश	43,16.73	36,34.08	--	36,34.08	79,50.81	(-) 16
सरदार सरोवर परियोजना	1,95,10.59	1,89,90.45	--	1,89,90.45	3,78,21.42	(-) 3
ए.डी.बी. द्वारा पारेषण प्रणाली को सहायता प्राप्त विदेश ऋण योजना से सुदृढ़ बनाना	1,02,83.15	1,63,53.75	--	1,63,53.75	2,66,36.90	59
बिजली में अनुदान पर वितरण कंपनी द्वारा एकत्रित 75 प्रतिशत ड्यूटी का रूपांतरण	10,50,68.89	7,65,00.00	--	7,65,00.00	18,15,68.89	(-) 27
योग-190	65,85,07.36	18,36,59.31	--	18,36,59.31	1,96,37,55.67	(-) 72
789-अनूसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
कृषि संबंधी उपयोग हेतु स्वतंत्र फीडर के प्रबंध के लिए निवेश	--	--	--	--	1,86,99.00	--
उप संचरण तथा वितरण प्रणाली में वृद्धि निवेश	--	--	--	--	4,62,92.54	--
म.प्र.वि.मं. की उत्तरवर्ती कंपनियों में संचरण प्रणाली कार्य के लिये निवेश	--	--	--	--	2,48,09.00	--
सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु निवेश	--	--	--	--	62,31.00	--
मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु निवेश	--	--	--	--	2,03,27.00	--
पारेषण प्रणाली कार्य हेतु निवेश	--	--	--	--	1,71,46.00	--
योग-789	--	--	--	--	13,35,04.54	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
कृषि संबंधी उपयोग हेतु स्वतंत्र फीडर के प्रबंध के लिए निवेश	--	--	--	--	1,27,30.00	--
2x660 मेगावाट श्री सिंघाजी थर्मल पावर परियोजना	--	--	--	--	40,00.00	--
उप पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढ़ीकरण-निवेश	--	--	--	--	3,93,96.61	--
पारेषण सिस्टम कार्य के लिए निवेश	--	--	--	--	1,91,40.93	--
सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु निवेश	--	--	--	--	57,86.00	--
मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु निवेश	--	--	--	--	1,11,81.00	--
योग-796	--	--	--	--	9,22,34.54	--
797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों से अन्तरण	--	--	--	--	(-) 3,09,95.00	--
800-अन्य निर्माण कार्य प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	37,99.99	--
योग-05	65,85,07.36	18,36,59.31	--	18,36,59.31	2,16,22,99.74	(-) 72

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(इ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा-जारी						
4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
06-ग्रामीण विद्युतीकरण-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
वीरसिंहपुर परियोजना हेतु निवेश	--	--	--	--	4,75,92.00	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	(-) 1,45,92.57 ^(क)	--
योग-190	--	--	--	--	3,29,99.43	--
योग-06	--	--	--	--	3,29,99.43	--
80-सामान्य-						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,31.75 ^(ख)	--
101-राज्य विद्युत मंडलों में निवेश-						
प्रत्याभूत कर्जों के समायोजन हेतु प्रावधान-निवेश	--	--	--	--	14,05,62.59	--
आहलूवालिया कमेटी की सिफारिशों के अनुसार देयताओं के भुगतान के लिये बोर्ड को सहायता-निवेश	--	--	--	--	39,91.00	--
योग-101	--	--	--	--	14,45,53.59	--
800-अन्य व्यय-						
मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की अंशपूजी में निवेश	--	--	--	--	10,00.00	--
मुख्यालय स्थापना	18,50.39	20,20.49	--	20,20.49	1,02,37.26	9
आधार नर्मदा परियोजना (निचली नर्मदा परियोजना)	3,39.64	3,42.36	--	3,42.36	22,60.57	1
मंडल स्थापना (मुख्य अभियंता निचली नर्मदा परियोजना)	2,52.82	2,86.83	--	2,86.83	22,90.54	13
सरदार सरोवर के डुबान से प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन तथा अन्य कार्यों पर खर्च	5,19,31.79	3,38,91.10	--	3,38,91.10	12,29,28.17	(-) 35
कार्यकारी प्रतिष्ठान (मुख्य अभियंता निम्न नर्मदा परियोजना)	10,65.00	84.00	--	84.00	11,49.00	(-) 92
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	1,90.31	1,29.25	--	1,29.25	9,42,67.86	(-) 32
योग-800	5,56,29.95	3,67,54.02	--	3,67,54.02	23,41,33.40	(-) 34
योग-80	5,56,29.95	3,67,54.02	--	3,67,54.02	37,90,18.73	(-) 34
योग-4801	74,79,57.12	22,72,48.01	--	22,72,48.01	3,15,47,37.99	(-) 70
4810-नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा पर पूंजीगत व्यय						
योग-4810	--	--	--	--	20.00	--
योग-(इ) ऊर्जा का पूंजीगत लेखा	74,79,57.12	22,72,48.01	--	22,72,48.01	3,15,47,57.99	(-) 70

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 16,72.07 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 11.43 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-						
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-						
101-औद्योगिक क्षेत्र-						
सर्वेक्षण एवं सीमांकन-निवेश	--	--	--	--	33,28.19	--
भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण एवं सीमांकन	1.84	33,00.00	--	33,00.00	2,71,35.62	179248
अधोसंरचना विकास	54,53.54	32,51.91	--	32,51.91	3,41,85.61	(-) 40
विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण-निवेश	--	--	--	--	43,39.09	--
ऑटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा	1,60,50.00	--	--	--	17,90,08.41	(-) 100
औद्योगिक क्षेत्र के उन्नयन के लिए ए.के.व्ही.एन.को सहायता	--	--	--	--	4,80.00	--
नवीन जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र भवनों का निर्माण	2,45.00	2,45.31	--	2,45.31	11,35.31	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	85,39.93 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	26,86.12	--
योग-101	2,17,50.38	67,97.22	--	67,97.22	26,08,38.07	(-) 69
102-लघु उद्योग-						
प्रोवीडेंट इन्वेस्टमेंट कम्पनी में निवेश	--	--	--	--	33.94	--
शासकीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों में निवेश	--	--	--	--	24,57.60 ^(ख)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	5,11.00	--
योग-102	--	--	--	--	30,02.54	--
103-हथकरघा उद्योग-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	18.13	--
104-हस्तशिल्प उद्योग-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	11.00	--
105-खादी तथा ग्राम उद्योग-						
चमड़ा विकास निगम की अंशपूजी में निवेश	--	--	--	--	36.69 ^(ग)	--
107-रेशम उत्पादन उद्योग						
सिल्क केन्द्रों पर सिंचाई सुविधायें एवं अन्य निर्माण कार्य	5.16	18.90	--	18.90	30,62.98	266
सूचना प्रौद्योगिकी	30.97	--	--	--	1,70.05	(-) 100

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 27,15.73 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 8,90.77 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 13.31 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-जारी						
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
107-रेशम उत्पादन उद्योग-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	4,41.43 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	0.12	53.19	--	53.19	2,29.23	44225
योग-107	36.25	72.09	--	72.09	39,03.69	99
108-बिजली करघा उद्योग-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	29.17 ^(ख)	--
109-संमिश्रण ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियाँ-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	11,43.10 ^(ग)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,13.44	--
योग-109	--	--	--	--	15,56.54	--
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	66.04 ^(घ)	--
योग-190	--	--	--	--	66.04	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
रेशम उद्योगों हेतु विकास कार्य	--	--	--	--	7,95.52	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	64.08 ^(ङ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	28.92	--
योग-789	--	--	--	--	8,88.52	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	14,11.78 ^(च)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,82.38	--
योग-796	--	--	--	--	17,94.16	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 79.83 लाख कम किया गया।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 10.58 लाख कम किया गया।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3,58.49 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 23.96 लाख कम किया गया।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 21.47 लाख कम किया गया।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,11.59 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)						
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(घ) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-जारी						
4851-ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
800-अन्य व्यय-						
औद्योगिक केन्द्र विकास निगमों में धनवेष्टन	1,00.00	--	--	--	15,00.00	(-) 100
खाद्य परिवहन नियंत्रण हेतु जी.पी.एस.ट्रेकिंग प्रोजेक्ट	--	--	--	--	20,00.00	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	5,20.85	9.86	--	9.86	7,14.43 ^(क)	(-) 98
योग-800	6,20.85	9.86	--	9.86	42,14.43	(-) 98
योग-4851	2,24,07.48	68,79.17	--	68,79.17	27,63,59.00	(-) 69
4852-लौह तथा इस्पात उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-खनन-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
टाटा लोहा एवं स्टील कम्पनी मर्यादित मुम्बई में निवेश	--	--	--	--	25.71 ^(ख)	--
योग-190	--	--	--	--	25.71	--
योग-01	--	--	--	--	25.71	--
02-विनिर्माण-						
800-अन्य व्यय-						
राज्य स्तरीय इन्वेस्टमेंट कोरीडोर का विकास	3,85.00	--	--	--	48,85.00	(-) 100
योग-02	3,85.00	--	--	--	48,85.00	(-) 100
योग-4852	3,85.00	--	--	--	49,10.71	(-) 100
4853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-						
004-अनुसंधान तथा विकास-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	0.01	50.76	--	50.76	91.36 ^(ग)	507500
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
अन्य निवेश	--	--	--	--	9.23 ^(घ)	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 46.34 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9.33 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 14.73 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3.35 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-जारी						
4853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
01-खनिज अन्वेषण तथा विकास-समाप्त						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
लोक उपक्रमों एवं अन्य उपक्रमों में निवेश	--	--	--	--	0.03 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य	--	--	--	--	0.29 ^(ख)	--
योग-796	--	--	--	--	0.32	--
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	9.24	--	9.24	22.51 ^(ग)	--
योग-01	0.01	60.00	--	60.00	1,23.42	599900
02-अलौह धातु-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
मैंगजीन एवं अन्य अलौह धातु उद्योगों में निवेश	--	--	--	--	1,11.28 ^(घ)	--
800-अन्य व्यय-						
सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कार्य	--	--	--	--	47.08	--
खनिज अनुसंधान एवं विकास के भवन का निर्माण	1,96.79	59.83	--	59.83	14,50.84	(-) 70
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,46.80 ^(ङ)	--
योग-800	1,96.79	59.83	--	59.83	16,44.72	(-) 70
योग-02	1,96.79	59.83	--	59.83	17,56.00	(-) 70
60-अन्य खनन तथा धातु कर्म उद्योग						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश						
राज्य खनिज निगम में निवेश	--	--	--	--	38.14 ^(च)	--
796-जनजातीय क्षेत्र में उप-योजना						
राज्य खनिज निगम में निवेश	--	--	--	--	1,12.16 ^(छ)	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.01 लाख कम किया गया।
 (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.10 लाख कम किया गया।
 (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4.82 लाख कम किया गया।
 (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 40.37 लाख कम किया गया।
 (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 15.80 लाख कम किया गया।
 (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 13.84 लाख कम किया गया।
 (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 40.68 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

							(₹ लाख में)
व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)	योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)	
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी							
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-जारी							
4853-अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त							
60-अन्य खनन तथा धातु कर्म उद्योग-समाप्त							
800-अन्य व्यय-							
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	12.07 ^(क)	--	
योग-60	--	--	--	--	1,62.37	--	
योग-4853	1,96.80	1,19.84	--	1,19.84	20,41.79	(-) 39	
4854-सीमेन्ट तथा धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-							
01-सीमेन्ट-							
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-							
सीमेन्ट उत्पादन कंपनियों में निवेश	--	--	--	--	2.44 ^(ख)	--	
योग-4854	--	--	--	--	2.44	--	
4858-इंजीनीयरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय -							
60-अन्य इंजीनीयरी उद्योग-							
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश -							
संयुक्त पूँजी मशीनों एवं यांत्रिकीय औद्योगिक कंपनियों में निवेश	--	--	--	--	13.39 ^(ग)	--	
योग-4858	--	--	--	--	13.39	--	
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-							
01-वस्त्रोद्योग-							
004- अनुसंधान तथा विकास-							
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	36.69 ^(घ)	--	
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-							
कपड़ा मिलों/निगम आदि में निवेश	--	--	--	--	3,92.24 ^(ङ)	--	
योग-01	--	--	--	--	4,28.93	--	

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4.38 लाख कम किया गया।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.89 लाख कम किया गया।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1.43 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 13.31 लाख कम किया गया।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,42.29 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-जारी						
4860-उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
03-चमड़ा-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
चमड़ा कारखाने/निगम में निवेश	--	--	--	--	75.81 ^(क)	--
04-चीनी-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
चीनी मिलों/कम्पनियों में निवेश	--	--	--	--	1,16.81 ^(ख)	--
05-कागज तथा अखबारी कागज-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
पेपर निर्मात्री मिलों में निवेश	--	--	--	--	1,24.55 ^(ग)	--
60-अन्य						
600-अन्य						
रेशम उद्योगों का विकास	--	--	--	--	8.80 ^(घ)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
कपड़ा मिलों/निगम आदि में निवेश	--	--	--	--	1,22.37 ^(ङ)	--
योग-60	--	--	--	--	1,31.17	--
योग-4860	--	--	--	--	8,77.27	--
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय-						
60-अन्य उद्योग-						
004-अनुसंधान तथा विकास-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,57.75 ^(घ)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	4,29.08 ^(घ)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	0.17	--
योग-796	--	--	--	--	4,29.17	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 27.50 लाख कम किया गया।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 42.37 लाख कम किया गया।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 45.18 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3.20 लाख कम किया गया।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 44.39 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 57.23 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,55.63 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी (च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-जारी 4875 -अन्य उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय –समाप्त <i>60-अन्य उद्योग-समाप्त</i> 800-अन्य व्यय						
सिद्धगवां जल प्रदाय योजना	--	--	--	--	5,84.99	--
दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कारिडोर निगम में निवेश	--	--	--	--	40.00	--
क्लसटर्स की स्थापना-निवेश	--	--	--	--	14,34.69	--
अधोसंरचना विकास निधि की स्थापना	--	2,00,00.00	--	2,00,00.00	2,24,00.00	--
सम्मिश्र कार्यालय भवनों का निर्माण	--	--	--	--	1,00.00	--
नर्मदा क्षिप्रा औद्योगिक जल प्रदाय परियोजना	--	--	--	--	28,82.50	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	2,15,75.21 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	3,39.50	2,50.00	--	2,50.00	22,48.44	(-) 26
योग-800	3,39.50	2,02,50.00	--	2,02,50.00	5,12,65.83	5865
योग-60	3,39.50	2,02,50.00	--	2,02,50.00	5,18,52.75	5865
योग-4875	3,39.50	2,02,50.00	--	2,02,50.00	5,18,52.75	5865
4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय- <i>01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश-</i> 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मों में निवेश						
म.प्र.वित्त निगम में निवेश	25,00.00	--	--	--	65,24.01	(-) 100
राज्य वित्त निगम में निवेश	--	--	--	--	2,99,21.12 ^(ख)	--
योग-190	25,00.00	--	--	--	3,64,45.13	(-) 100
200-अन्य निवेश – प्रोविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी में निवेश	--	--	--	--	2.00	--
अन्य औद्योगिक संस्थाओं में निवेश	--	--	--	--	8,01.85 ^(ग)	--
म.प्र.वित्तीय निगम की परिसंपत्तियों का क्रय	--	--	--	--	85,12.00	--
योग-200	--	--	--	--	93,15.85	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 9,70.59 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4,15.73 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2,90.89 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
4885-उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
01-औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं में निवेश-समाप्त						
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – औद्योगिक निगमों में निवेश	--	--	--	--	9,66.21 ^(क)	--
योग-01	25,00.00	--	--	--	4,67,27.19	(-) 100
02 - पिछड़े क्षेत्रों का विकास-						
796 -जनजातीय क्षेत्र उप-योजना -						
राज्य वित्तीय निगम में निवेश	--	--	--	--	51.37 ^(ख)	--
औद्योगिक निगमों में निवेश	--	--	--	--	68.18 ^(ग)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	0.12	--
योग-796	--	--	--	--	1,19.67	--
योग-02	--	--	--	--	1,19.67	--
60-अन्य-						
800-अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	11.10 ^(घ)	--
योग-800	--	--	--	--	11.10	--
योग-60	--	--	--	--	11.10	--
योग-4885	25,00.00	--	--	--	4,68,57.96	(-) 100
योग-(च) उद्योग तथा खनिजों का पूंजीगत लेखा	2,58,28.78	2,72,49.01	--	2,72,49.01	38,29,15.28	5

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3,50.51 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 18.63 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 24.73 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 4.03 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-						
5053-नागर विमानन एवं पूंजीगत परिव्यय-						
01-हवाई सेवाएं						
800-अन्य व्यय						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	27,84.35	--
योग-800	--	--	--	--	27,84.35	--
योग-01	--	--	--	--	27,84.35	--
02-विमानपत्तन-						
001-निर्देशन तथा प्रशासन-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	18.69 ^(क)	--
102-हवाई अड्डा						
हवाई पट्टी का निर्माण एवं विस्तार	--	--	--	--	1,93,43.41	--
भू-अर्जन हेतु मुआवजा	--	--	--	--	77,14.05	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	2,59.78	3,28.35	--	3,28.35	14,22.28 ^(ख)	26
योग-102	2,59.78	3,28.35	--	3,28.35	2,84,79.74	26
योग-02	2,59.78	3,28.35	--	3,28.35	2,84,98.43	26
60-अन्य वैमानिक सेवाएं-						
052-मशीनरी तथा उपस्कर-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	0.01 ^(ग)	--
102-नौसंचालन तथा वायुमार्ग सेवा-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	89.94 ^(घ)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
हवाई पट्टी का निर्माण एवं विस्तार	--	--	--	--	2,46.68 ^(ङ)	--
योग-60	--	--	--	--	3,36.63	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 6.78 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,36.77 लाख कम किया गया।

(ग) जनसंख्या अनुपात के अनुसार विभाजित राशि ₹ 0.01 लाख है जिसे म.प्र. को आवंटित किया गया है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 32.63 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 2.16 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सो.एस.एस./सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5053-नागर विमानन एवं पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
80-सामान्य-						
800-अन्य व्यय-						
एयर होस्टेस तथा फ्लाइट स्टीवर्ड को प्रशिक्षण	--	--	--	--	7.50	--
हेलीकॉप्टर्स का क्रय	--	--	--	--	66,88.50	--
योग-800	--	--	--	--	66,96.00	--
योग-80	--	--	--	--	66,96.00	--
योग-5053	2,59.78	3,28.35	--	3,28.35	3,83,15.41	26
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –						
01-राष्ट्रीय राजमार्ग –						
337-सड़क निर्माण कार्य –						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	0.06	--
03-राज्य राजमार्ग –						
001-निर्देशन तथा प्रशासन –						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	5,24.29 ^(क)	--
052-मशीनरी तथा उपस्कर –						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,98.32 ^(ख)	--
101-सेतु –						
कटनी में खरनाईफाटक पर आर.ओ.बी. का निर्माण	--	--	--	--	44,23.66	--
जबलपुर में शोभपुर आधारताल क्रासिंग पर आर.ओ.बी. का निर्माण	--	--	--	--	27,67.67	--
व्यौहारी मानपुर (पोंडी) सड़क 25/10 कि.मी पर खट्टा पुल	--	43.03	--	43.03	20,05.30	--
आर.ओ.बी. मैहर	--	--	--	--	25,36.54	--
कुशहाघाट हट्टा शहर में सोनार नदी पर पुल का निर्माण	--	--	--	--	1,96.79	--
छोला आर.ओ.बी. कार्य का निर्माण	--	--	--	--	15,44.01	--
पलाई ओवर पुल सतना	--	13,10.95	--	13,10.95	21,69.22	--
सागर दमोह बटियागढ़ बाय-पास रोड पर आर.ओ.बी. का निर्माण	--	--	--	--	10,80.88	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	4,37,95.00	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	3,85,51.95	3,86,57.57	--	3,86,57.57	20,99,36.13	--
योग-101	3,85,51.95	4,00,11.55	--	4,00,11.55	27,04,55.20	4

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,90.20 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 71.94 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
03-राज्य राजमार्ग-जारी						
337 - सड़क निर्माण कार्य-						
पीपरी उदयनगर मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण, किमी 1 से 21	--	--	--	--	7,18.90	--
टोटकलॉ टोकखुर्द देवाली मार्ग का चौड़ीकरण, लम्बाई 15.2 किमी	--	--	--	--	5,73.67	--
घुटलिया बमोरिया बगुरिया मार्ग का निर्माण, लम्बाई 19.6 किमी	--	--	--	--	15,24.05	--
नवागांव बिन्दराई बरदाई मार्ग	--	--	--	--	4,64.91	--
छरगवां दरगडा कुलोन नयानगर ब्येन रोड का सुधार	--	--	--	--	2,56.83	--
झुकेही कैमोर हरैया भटोरा रोड का निर्माण	--	--	--	--	5,80.87	--
अमरपाटन रामपुर सड़क का निर्माण	--	--	--	--	20,07.01	--
हरदा मगरधा मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	1,62.42	--
खेरखेडा, अमलाव, कोडकिया, रामगढ़ उमरिया राजस्थान सीमा मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	7,49.57	--
छरापुर से भोवन मार्ग का चौड़ीकरण तथा सुदृढीकरण	--	--	--	--	12,91.46	--
छेरा से उमरिया मार्ग	--	--	--	--	18,18.67	--
टोंडया पठारी खुई मार्ग	--	--	--	--	20,77.80	--
चंदन पपिलिया जैठारी प्रतापगढ़ मार्ग का निर्माण	--	1,58.40	--	1,58.40	27,58.10	--
मुल्ताई, अठनेर चीकापुर भैनादेही मार्ग का उन्नयन	--	42,52.52	--	42,52.52	53,78.95	--
नसुल्लागंज से नीलकता मार्ग चौड़ीकरण तथा सुदृढीकरण	--	--	--	--	10,70.38	--
तराना नोगालिया व्यासखेड़ी मार्ग	--	5,61.51	--	5,61.51	24,59.92	--
गोगापुर ताल अलोहा सवासरा मार्ग 24	--	--	--	--	15,85.85	--
सी.आर.एफ.अंतर्गत कटगी पोलर मार्ग का निर्माण	--	3,28.03	--	3,28.03	14,84.65	--
जौरा से ऐंटामऊ मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	30,53.05	--
सागर लामोझेटा घाट मार्ग	--	68.74	--	68.74	12,17.77	--
वाजिदबीन शाढौरा न्यूसारी मार्ग - लम्बाई 59 कि.मी.	--	28,14.93	--	28,14.93	33,81.89	--
खामरपानी लोधी खेड़ी रेमाउल चौक साईखेड़ा	--	17,10.20	--	17,10.20	25,90.42	--
बांकेड़ी उमरधा संधिया मथानी रोड	10,06.42	2,08.15	--	2,08.15	12,14.57	(-) 79
घटेरा से उदयपुर रोड की लंबाई 14.50 कि.मी.	7,26.36	3,03.67	--	3,03.67	10,30.03	(-) 58
बक्तारा से भरकड़ा रोड का निर्माण	16,05.26	2,05.59	--	2,05.59	18,10.85	(-) 87
ककउआ सर्रा खुर्द रोड से सिवनी सागर रोडका निर्माण	13,20.54	14,70.50	--	14,70.50	27,91.04	11
बेतूल खंदारा अमला बस्खापा नागदेव मंदिर का उन्नयन	51,86.49	--	--	--	51,86.49	(-) 100

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
03-राज्य राजमार्ग-जारी						
337 - सड़क निर्माण कार्य-समाप्त						
वाजिद पुर शहोदरा न्यू सत्या मिजामा मार्ग	45,13.14	--	--	--	45,13.14	(-) 100
अशोकनगद मथावली (कुटिया बम्होरी मार्ग) व्हाया पिपईया नन्शा इमरदी भरखड़ी	18,28.55	--	--	--	18,28.55	(-) 100
पारसेल सिरानी इन्दौर खण्डवा मार्ग	7,50.79	--	--	--	7,50.79	(-) 100
पोण्डी बमोरी बबेहा रोड	16,34.60	4,62.09	--	4,62.09	20,96.69	(-) 72
गोटरागांव बागसपुर झोटेश्वर का निर्माण	30,78.90	1,84.12	--	1,84.12	32,63.02	(-) 94
बेलखारी रोड	1,77.50	--	--	--	1,77.50	(-) 100
सज्जनपुर छिबौरा रोड का निर्माण	5,20.21	16,65.79	--	16,65.79	21,86.00	220
भूटानी खैदाद मालश्री कैथा रोड	7,79.64	--	--	--	7,79.64	(-) 100
मूदावल चुंगी	7,76.07	--	--	--	7,76.07	(-) 100
गोनापुर ताल आलोट सुवासरा रोड लम्बाई 24 किमी.	17,11.74	--	--	--	17,11.74	(-) 100
बाग देवगढ़ जलेरिया रोड	2,88.65	--	--	--	2,88.65	(-) 100
कदवाली खुर्द	2,71.21	--	--	--	2,71.21	(-) 100
अशोकनगर विदिशा मार्ग से बादोन राजपुर चिपोना मार्ग	2,18.84	--	--	--	2,18.84	(-) 100
सी.आर.एफ.योजना के अंतर्गत	14,19.34	--	--	--	14,19.34	(-) 100
बुरहान बानोदूरपुर बिरोड़ा पडोला सड़क लम्बाई 14.75 कि.मी.	--	56,50.35	--	56,50.35	56,50.35	--
अशोकनगर मितौली वाया पिपरिया तनशा झारोली बारखेड़ा	--	--	15,33.62	15,33.62	15,33.62	--
के.बी.बी.सी.सड़क का निर्माण	--	27,23.16	--	27,23.16	27,23.16	--
बाबरी मोहनगढ़ अचरा जारौन पृथ्वीपुर रोड	--	48,44.58	--	48,44.58	48,44.58	--
तनोदिया रामपुर बुहनखेड़ी गोदारी डेल्वी रोड	--	--	44,57.49	44,57.49	44,57.49	--
नकदा बरचा राजखेड़ी तुंगाखेड़ी मंडावल ताल रोड	--	--	24,48.09	24,48.09	24,48.09	--
ए.बी.रोड से कलमी उपदी खजुरिया भतूनी कथाबदोदा रोड	--	--	31,59.29	31,59.29	31,59.29	--
अलोत से पाटन तालोद इगरिया जुटावद संगवाली उदानखेड़ी गोगापुर	--	--	18,17.11	18,17.11	18,17.11	--
शीतला माता मार्ग डबरा	--	--	26,88.23	26,88.23	26,88.23	--
अटेर जैतपुर रोड पर चम्बल नदी के आर-पार पुल का निर्माण	--	--	25,87.74	25,87.74	25,87.74	--
अम्बाह केन्द्र कैनाल रोड	--	30,02.62	--	30,02.62	30,02.62	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	7,49,48.17	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	24,03,29.42	27,08,94.02	5,77,96.98	32,86,91.00	1,11,42,71.21	37
योग-337	26,81,43.67	30,15,08.97	7,64,88.55	37,79,97.52	1,29,36,52.96	41

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
03-राज्य राजमार्ग-जारी						
789- अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
आर.ओ.बी. डॉ.भीमराव अम्बेडकर मार्ग महू	--	--	--	--	10,00.75	--
घाटाखेड़ी धुलकोट आसोह मार्ग पर सूखा नदी पर पुल का निर्माण	--	--	--	--	1,52.91	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	39,54.29	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	15,76,17.41	--
योग-789	--	--	--	--	16,27,25.36	--
794-जनजातीय उप-योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,28.33	--
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना						
मंडला पुरवा मार्ग में रंगरेज घाट पर नर्मदा सेतु का निर्माण	--	--	--	--	10,48.86	--
रामनगर पटरा मार्ग पर नर्मदा सेतु	--	--	--	--	1,04.77	--
चोरापाथर से धेनोगांव रोड़	--	--	--	--	16,46.68	--
नीमधारा हिरदागढ़ मार्ग निर्माण	--	--	--	--	8,19.41	--
सीता डोंगरी वायनी मार्ग	--	--	--	--	6,99.84	--
कोबादला नंदूजे मार्ग	--	--	--	--	21,62.00	--
खिरिखण्ड एल.एस.एच.26 से मोहगांव खुर्द शंख बांसखेड़ा सड़क	--	--	--	--	18,68.49	--
उचैहरा पारासोनोनिया दुरेहा सड़क का निर्माण	--	--	--	--	9,27.70	--
बिहोरी – मानपुर मार्ग पर 25 कि.मी. का उन्नयन कार्य	--	--	--	--	7,90.42	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,50,79.75	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	20,68,70.39	--
योग-796	--	--	--	--	23,20,18.30	--
योग-03	30,66,95.63	34,15,20.52	7,64,88.55	41,80,09.07	1,95,97,02.78	36

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
04-जिला तथा अन्य सड़के-						
337-सड़क निर्माण कार्य-						
गरोठ बोलिया पिडवा (राजस्थान सीमा तक) लम्बाई 21 किमी (12वां वित्त आयोग)	--	--	--	--	12,76.17	--
एम.डी.आर.मार्ग का उन्नयन	--	--	--	--	2,73,64.96	--
सारंगपुर से सेंडालो मार्ग एन.एच.3 का निर्माण	--	--	--	--	18,52.12	--
बलारिया तालामंडल बडोदिया खान मार्ग	--	--	--	--	21,87.02	--
चंबल गिरोला चिकले मार्ग	--	--	--	--	6,14.31	--
देवास बायपास से विजयगंज मंडी मार्ग	--	--	--	--	24,08.41	--
रतलाम मलवासा खाचरोद मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	27,40.59	--
भगवानपुरा मर्सेनी तथा चरोखरा मर्सेनी से रतनगढ़ मार्ग	--	--	--	--	22,90.64	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	61,98.89	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	1,55,82.74	--	--	--	7,34,71.93	(-) 100
योग-337	1,55,82.74	--	--	--	12,04,05.04	(-) 100
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
बकतरा भरकछा मार्ग,	--	--	--	--	9,49.55	--
सिमरिया से गुनोडा मार्ग	--	--	--	--	13,49.47	--
नागौर नगदा किशनपुर बुधौर मार्ग	--	--	--	--	2,43.80	--
फूलबाग से बेरखेड़ी परासी गुजर मार्ग	--	--	--	--	3,88.53	--
बड़चिचली सेमरा पिपला नारायणवर मार्ग	--	--	--	--	1,28.37	--
लालरिया, बिलाखेड़ी, सतगोनी, पीपलखेड़ा, काशीपुरा से नयागोला सेतु मार्ग	--	--	--	--	7,46.98	--
गरियाखेड़ी से गुर्जर वर्दिया मार्ग	--	--	--	--	5,14.78	--
गुलियाना से राती भेड़ी निपानिया जोगीभेड़ा मार्ग	--	--	--	--	5,31.61	--
नीमच छोटी संडेरी मार्ग का निर्माण 3.64 कि.मी.	--	--	--	--	6,34.22	--
सामली सिमरौल बायपास मुण्डाखेड़ा मार्ग	--	--	--	--	6,33.09	--
छदला हाहोहा अजयगढ़ मार्ग	--	--	--	--	9,55.04	--
छौर जामनेर सियरामऊ भिण्ड मार्ग	--	--	--	--	35,10.41	--
लहार अमाथन भारौली भिण्ड मार्ग	--	--	--	--	35,66.23	--
अलीपुरा गारौली मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	6,19.61	--

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
04-जिला तथा अन्य सड़कें-जारी						
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-समाप्त						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,41,19.20	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	13,46,83.42	--
योग-789	--	--	--	--	16,35,74.31	--
794-जनजातीय क्षेत्र उप-योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	61,51.95 ^(क)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-						
बलवाड़ी-देवली-दवली मार्ग	--	--	--	--	6,19.35	--
शाहपुरा बलेधा दोहनिया विक्रमपुर मार्ग, लम्बाई 49.6 कि.मी.	--	--	--	--	9,10.24	--
मोहेगांव एल्कापर मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	14,07.61	--
गुना उमरी सिरसी से पटई मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	5,42.19	--
करन पिपरिया गुड्डम मार्ग	--	--	--	--	1,44.01	--
राय मालपुर मार्ग	--	--	--	--	3,88.59	--
उचैहरा पारसमनिया दुरेहा मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	6,26.56	--
रामकोना सारणी रोड़	--	--	--	--	6,30.86	--
केवलारी कुधवादि मोहराली रोड़	--	--	--	--	6,33.80	--
परासिया वाटी पास रोड़ का निर्माण लम्बाई/2.90 कि.मी.	--	--	--	--	3,53.17	--
मामावर सामाल्दा मार्ग का निर्माण	16,54.44	--	--	--	16,54.44	(-) 100
पुराने एन.एच.3 मार्ग गांव ग्रामीण क्षेत्र लम्बाई 29.30 कि.मी. का उन्नयन	--	--	--	--	11,93.14	--
कौंडवे मामोन मार्ग लंबाई 22 कि.मी.	--	--	--	--	5,83.72	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,51,51.74	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	18,18,63.84	--
योग-796	16,54.44	--	--	--	22,67,03.26	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 13,23.71 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
04-जिला तथा अन्य सड़के-जारी						
800-अन्य व्यय-						
बैतूल खंडारा बरसाली अमला पहुंच मार्ग का निर्माण 25 कि.मी. पुलिया 19 नग	--	4,45.91	--	4,45.91	11,26.58	--
गरही अहमदपुर मार्ग का निर्माण 17 कि.मी.दो मध्यम पुल एवं दो बृहद पुल का निर्माण	--	--	--	--	14,36.81	--
देहगाव बम्होरी मार्ग 27 कि.मी.	--	--	--	--	13,77.77	--
पथरिया केरबना मार्ग 15 कि.मी.	--	--	--	--	6,36.86	--
चाटूखेड़ा-बामलाबे मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	1,13.41	--
भीलखेड़ी-कुवर कोठरी ढावला पहुंच मार्ग	--	--	--	--	3,24.35	--
अम्बाह-आरोली मार्ग	--	--	--	--	2,33.41	--
अशोकनगर-मुंगावली मार्ग से पिपरई 23 कि.मी.	--	--	--	--	16,43.24	--
लोहारगांव से अमनगंज वाया मुनीर मार्ग का डामरीकरण	--	--	--	--	2,96.81	--
इंदौर देपालपुर चंचल मार्ग	--	--	--	--	5,09.76	--
इन्दरगढ़ कामद मार्ग 30.2 कि.मी.	--	--	--	--	4,78.09	--
हबीबगंज नाका से रायसेन चौराहे तक मार्ग का उन्नयन लम्बाई 4.4 कि.मी.	--	--	--	--	4,89.25	--
सिवनी मालवा बाबरीघाट मार्ग, लम्बाई 22 कि.मी.	--	--	--	--	14,13.67	--
बासोदा बरेठ उदयपुरा मार्ग, लम्बाई 16.8 कि.मी.	--	--	--	--	1,74.30	--
सिमरमाऊ पिपरिया मार्ग लम्बाई 8 कि.मी.	--	--	--	--	5,36.26	--
गेवाखजारी मार्ग	--	--	--	--	5,03.45	--
चरोखरा पिया बसई मालिक से रतनगढ़ माता मंडी रोड तक का निर्माण	--	--	--	--	25,83.96	--
दोफी फिलतारी मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	3,16.00	--
नैनपुर सारा चिलोली पाठा सिहोरा घुगरवाड़ा लम्बाई 18.4 कि.मी.	--	--	--	--	3,13.09	--
रुसाली, गुलाबगंज, रफसोल हवाई खेड़ा ऐंचन वाड़ा बूदीगढ़ बरेज मार्ग	--	--	--	--	3,24.98	--
दुधावरी से छपारा तहसील कुरबाई व्याहा मनेशा मार्ग	--	--	--	--	1,71.19	--
मझगवा बागहराजी मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	3,07.79	--
घट सिमरिया अगरिया प्रतापपुर मार्ग 17.5 कि.मी.	--	--	--	--	4,34.37	--
खरमसाडा किरहाई रामगढ़ मुकुंदपुर मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	7,39.60	--
कम्हारगांव महगुकालांको अदेगांव मार्ग	--	--	--	--	97.81	--
अरोलिया से कुरावर मार्ग	--	--	--	--	4,01.43	--
सीधी सिटी प्रोट्रोन मार्ग	--	5,94.47	--	5,94.47	18,54.07	--
बकेतरा से गुलाबगंज अंडिया लेन मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	6,28.53	--

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
04-जिला तथा अन्य सड़के-जारी						
800-अन्य व्यय-जारी						
राष्ट्रीय राजमार्ग 86 का 66 कि.मी. विस्तार गुलाबगंज अंडिया लेन मार्ग	--	4,79.29	--	4,79.29	13,24.30	--
हरसूद, चरखेड़ा विड़मंडी संत सिंगाजी समर्थ मार्ग	--	15,02.79	--	15,02.79	24,71.33	--
अरुन्याला कालापिपल अकोडी मार्ग	--	--	--	--	4,02.20	--
लाडियासन रेलवे गेट से जमालपुर मार्ग	--	1,40.55	--	1,40.55	8,02.37	--
कालापिपल कुरावर मार्ग	--	2,03.51	--	2,03.51	17,75.02	--
कोलार मार्ग काजी खेड़ा केरवा बांध मार्ग	--	2,39.08	--	2,39.08	8,05.11	--
कजुरी इंटरखेड़ी मांगलिया नीलबड मार्ग	--	--	--	--	7,98.35	--
सिवनी मालवा बावरीघाट मार्ग	--	2,41.28	--	2,41.28	21,19.06	--
बरकुण्डा नंदरवाड़ा सोमलवाड़ा अपाया मार्ग	--	3,88.81	--	3,88.81	11,33.27	--
जमुनिया हर्गी से जाट गुगडिया	--	7.25	--	7.25	2,36.25	--
सांची उदयगिरी से बासोदा बायपास मार्ग	--	--	--	--	9,35.67	--
अंडिया से पंचामा से वासोदा मार्ग से लेन मार्ग	--	--	--	--	20,17.88	--
सुथलिया ककनवास मार्ग	--	--	--	--	6,57.61	--
कुसुमकुई जाकले गाडोरिया हरपालपुर हाथमपुर मार्ग	--	--	--	--	7,40.64	--
सिवनी मालवा शिवपुर मार्ग (पगघला मार्ग)	--	86.28	--	86.28	20,12.50	--
मालीवाया से झोलियापुर मार्ग	--	--	--	--	14,00.78	--
गांधी रोड से न्यू कलेक्ट्रेट	--	--	--	--	5,36.57	--
चौधरी ढाबा से विककी फैक्टरी एन.एच.13	--	--	--	--	30,16.55	--
अनार्थ से निहालदेवी मार्ग	--	6,70.52	--	6,70.52	66,07.32	--
मायापुर खनियाधाना रेहटी चौराहा क्रासिंग रोड	--	7,93.21	--	7,93.21	15,39.44	--
खनियाधाना कडवास से ईसागढ़ मार्ग	--	3,66.36	--	3,66.36	8,76.42	--
टीकमगढ़ मऊ मार्ग	--	24,45.23	--	24,45.23	30,87.90	--
निवाड़ी सदरी मार्ग	--	38,06.78	--	38,06.78	46,63.73	--
जनारा बायपास मार्ग का निर्माण	--	--	--	--	5,88.94	--
सेलाना आंतरिक मार्ग का निर्माण एन.एच.39	--	--	--	--	6,95.98	--
जवारा फाटक से सालाखेड़ी फोरलेन मार्ग	--	--	--	--	13,64.03	--
मंदसौर से संजीत मार्ग का निर्माण	--	7,85.18	--	7,85.18	34,39.88	--

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
04-जिला तथा अन्य सड़के-जारी						
800-अन्य व्यय-जारी						
कहानी पलारी मार्ग	--	21,57.53	--	21,57.53	32,17.37	--
बानग्रसिया अम्जबारा बिलखिरया रोड का विस्तार	10,33.18	--	--	--	10,33.18	(-) 100
शोभापुर खेरी तरिओन कला रोड	9,95.27	5,61.46	--	5,61.46	15,56.73	(-) 44
सिवनी मालवा बाबरीघाट गधरिया बनिया हरपालपुर रोड	7,57.26	--	--	--	7,57.26	(-) 100
इटारसी डमडम मरोदा रोड	28,14.27	6,54.81	--	6,54.81	34,69.08	(-) 77
इटारसी जमानी धर्मखुदी रोड	15,08.05	4,44.72	--	4,44.72	19,52.77	(-) 71
बाबई बगरा नसीराबाद रोड	6,37.73	6,99.95	--	6,99.95	13,37.68	10
उदयगिरी ढोलखेड़ी एवं बेसनगर बरगी रोड लम्बाई 7.28 कि.मी.	5,42.40	--	--	--	5,42.40	(-) 100
मंगरोल से बगलवड़ा रोड का निर्माण	5,44.68	--	--	--	5,44.68	(-) 100
आशापुरी गोहरगंग रोड का निर्माण	5,84.08	3,28.96	--	3,28.96	9,13.04	(-) 44
इंतखेड़ी से अजमेर नगर रोड का निर्माण	6,88.95	11,82.41	--	11,82.41	18,71.36	72
राजगढ़ बग्गा फट्टूखेड़ा बारोल रोड का निर्माण	6,17.52	1,42.00	--	1,42.00	7,59.52	(-) 77
पचोरे पनिया से कुकीदसलिया खेड़ी मार्ग का निर्माण	5,65.34	60.09	--	60.09	6,25.43	(-) 89
राजगढ़ खुजनेर मार्ग का निर्माण	28,87.33	12,98.25	--	12,98.25	41,85.58	(-) 55
सी.सी.रोड सिटी पोर्सन ब्यावरा का निर्माण	9,53.24	3,78.35	--	3,78.35	13,31.59	(-) 60
सीधी सिटी पोर्सन रोड	19,87.91	8,21.17	--	8,21.17	28,09.08	(-) 59
सीधी से कामराजी रोड	18,14.47	3,32.76	--	3,32.76	21,47.23	(-) 82
रीवा गुद्दी रामपुर रोड	6,02.14	--	--	--	6,02.14	(-) 100
शिवपुरी टोगरापाली रोड का निर्माण	12,15.81	--	--	--	12,15.81	(-) 100
सागर दमोह से बलियागढ़ रोड	61.31	56.71	--	56.71	1,18.02	(-) 8
हट्टा बहियागढ़ रोड का निर्माण	15,86.37	5,37.50	--	5,37.50	21,23.87	(-) 66
खजूरी सड़क धमानी बकनिया पारेवलिया रोड	13,30.46	5,94.66	--	5,94.66	19,25.12	(-) 55
फुन्दा टुण्डा जहारकेड़ा रोड	7,45.07	11,25.55	--	11,25.55	18,70.62	51
सांची उदयगिरी से बासोड़ा रोड बाई पास तक 14 कि.मी.	7,62.52	10.73	--	10.73	7,73.25	(-) 99
मंगरोल बागलवाड़ा	11,32.44	11,32.59	--	11,32.59	22,65.03	--
धूतरिया हवेली (राष्ट्रीय राजमार्ग 86) से ढोलखेड़ी (राष्ट्रीय राजमार्ग 19) रिंग रोड मार्ग	7,38.26	4,66.71	--	4,66.71	12,04.97	(-) 37
सोया चोपट हाउसिंग बोर्ड रोड का निर्माण	13,41.56	--	--	--	13,41.56	(-) 100

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
04-जिला तथा अन्य सड़के-जारी						
800-अन्य व्यय-जारी						
जोमानिया सेमरादांगी झारखाड़ा पहुंच मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 2) का निर्माण	8,45.91	3,71.16	--	3,71.16	12,17.07	(-) 56
जोमानिया सेमरादांगी झरखड़ा पहुंच मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग 12) का निर्माण	6,26.69	1,57.14	--	1,57.14	7,83.83	(-) 75
टिमरनी पोखरनी करताना का निर्माण	10,36.36	2,19.87	--	2,19.87	12,56.23	(-) 79
अंडिया मांगोरल रोड का निर्माण	6,41.02	1,37.47	--	1,37.47	7,78.49	(-) 79
बुधर हरदी कठोनिया रोड लम्बाई 9.76 कि.मी. का उन्नयन कार्य	10,00.56	--	--	--	10,00.56	(-) 100
जोबट कड़वाल मार्ग सी.सी.लम्बाई 20.2 कि.मी. का निर्माण	9,81.41	--	--	--	9,81.41	(-) 100
शीपरी टोंगरपाली मार्ग का निर्माण	12,15.81	--	--	--	12,15.81	(-) 100
सागर दमोह से बलियागढ़ मार्ग	61.31	--	--	--	61.31	(-) 100
हट्टा बटियागढ़ मार्ग का निर्माण	15,86.37	--	--	--	15,86.37	(-) 100
चोउका ईशानगर मार्ग लम्बाई 21.14 कि.मी.	80.31	13,69.07	--	13,69.07	14,49.38	1605
चांदला हथेनहा अजयगढ़ पन्ना रोड	1,37.40	--	--	--	1,37.40	(-) 100
देवरीग्रही पडरिय से लुहारगांव	1,44.20	25.34	--	25.34	1,69.54	(-) 82
सलेहा से नहरखेड़ा मार्ग	1,21.13	--	--	--	1,21.13	(-) 100
ए.जी.गुन्नोर से टुन्ना झीरढास मार्ग	1,92.03	--	--	--	1,92.03	(-) 100
इटै मैहार मार्ग	4,32.20	41,31.10	--	41,31.10	45,63.30	856
पठा कुदेल किशनपुरा रोड का निर्माण	13,76.36	17,70.05	--	17,70.05	31,46.41	29
गुधरा यू.पी. से निगडी अम्बेडकर चौराहे तक सड़क का निर्माण	1,54.36	--	--	--	1,54.36	(-) 100
टीकमगढ़ मऊरानीपुरी रोड का निर्माण	3,50.92	--	--	--	3,50.92	(-) 100
पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग 59, इंदौर अहमदबाद मार्ग का निर्माण	5,27.63	--	--	--	5,27.63	(-) 100
सिकन्दरी से मोहम्मदपुर रोड	96.59	1,73.41	--	1,73.41	2,70.00	80
टिगरिया बादशाह से लिंमबोदगरी रोड लम्बाई 9.72 कि.मी.	6,76.50	--	--	--	6,76.50	(-) 100
बलतिला रालामण्डल बडोदीलाखन रोड	4,15.02	--	--	--	4,15.02	(-) 100
चम्बल गियोला रोड	7,56.56	--	--	--	7,56.56	(-) 100
कबड़ी ककड माधोपुर रोड	1,00.82	--	--	--	1,00.82	(-) 100
मदवार अमीलिया मारकण्डेय रोड का निर्माण	51.22	--	--	--	51.22	(-) 100
भीसमपुर कुम्हारी पथारा देवरी मार्ग का निर्माण	59.43	24.26	--	24.26	83.69	(-) 59
रामस्थान आदिवासी बस्ती से बारी बगीचा रोड का निर्माण	71.47	--	--	--	71.47	(-) 100

विवरण संख्या 16 — जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
04-जिला तथा अन्य सड़के-जारी						
800-अन्य व्यय-जारी						
कृपालपुर रामस्थान रोड का निर्माण	20,14.48	6,61.61	--	6,61.61	26,76.09	(-) 67
रामपुर सगोना कोठी दादर सिंहिदि बीजापुर रोड का निर्माण	6,23.24	1,19.51	--	1,19.51	7,42.75	(-) 81
झुकेही किमोर भतूरा जमुनीकला रोड का निर्माण	29,52.75	16,71.95	--	16,71.95	46,24.70	(-) 43
खवासा तिरोडी रोड का निर्माण	20,80.82	2,21.51	--	2,21.51	23,02.33	(-) 89
चौराई अमरवाड़ा 1 से 10.50 किमी. का विस्तार	43.66	--	--	--	43.66	(-) 100
तिन्दनी से गरगटा का निर्माण	2,67.57	48.28	--	48.28	3,15.85	(-) 82
राष्ट्रीय राजमार्ग से बिजोरा	1,79.54	0.50	--	0.50	1,80.04	(-) 100
मेहगांव से भामा रोड	3,16.85	2,83.50	--	2,83.50	6,00.35	(-) 11
उमरिया से पिपरहा रोड का निर्माण	4,99.68	47.08	--	47.08	5,46.76	(-) 91
गोरेगांव बाईपास का निर्माण	2,35.56	1,10.00	--	1,10.00	3,45.56	(-) 53
कटेदरा तिरोडी खवासा रोड	55.84	9,71.33	--	9,71.33	10,27.17	1639
चर्मी पेंद्रा रोड सी.सी.रोड सहित मार्ग 13.20 कि.मी. का विस्तार	6.78	8,25.30	--	8,25.30	8,32.08	12073
अनूपपुर जैठारी वेंकट नगर रोड सी.सी.रोड सहित 40.60 कि.मी. का विस्तार	26.82	6,05.89	--	6,05.89	6,32.71	2159
गुरुद्वारा से ताप्ती हॉस्पिटल मार्ग लम्बाई 2.50 कि.मी.	92.93	7.85	--	7.85	1,00.78	(-) 92
सिंधी बस्ती से मोहम्मदपुरा रेंकू टेम्पल फोर लेन मार्ग 4.80 कि.मी.	69.68	31.75	--	31.75	1,01.43	(-) 54
गनपति नाका से सिंधी बस्ती (फोर लेन) रोड 1.60 कि.मी.	26.52	31.79	--	31.79	58.31	20
दरियापुर अम्बाड़ा नेपानगर मार्ग 22.05 कि.मी.	21,19.94	8,89.89	--	8,89.89	30,09.83	(-) 58
विजयगढ़ करियातलाई रोड का निर्माण	--	13,21.04	--	13,21.04	13,21.04	--
लिंगा चिंतापुर रोड का निर्माण	--	14,31.38	--	14,31.38	14,31.38	--
राजेन्द्र ग्राम घोघरी रोड का निर्माण	--	17,60.21	--	17,60.21	17,60.21	--
करतुआ चितरंगी रोड का निर्माण	--	25,99.57	--	25,99.57	25,99.57	--
धनुरिया हवाली एन.एच.86 से ढोलखेरी एन.एच.19 रिंग रोड	--	14,34.88	--	14,34.88	14,34.88	--
महाराजपुर से झमारा रोड का निर्माण	--	17,43.50	--	17,43.50	17,43.50	--
माकी तराना रुपाखाड़ी रोड का निर्माण	--	35,72.88	--	35,72.88	35,72.88	--
महगाँव गोना हरदासपुर सी.सी.रोड का निर्माण	--	10,47.36	--	10,47.36	10,47.36	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	8,16,89.75 ^(क)	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 8,03.21 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-जारी						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-जारी						
04-जिला तथा अन्य सड़कें-समाप्त						
800-अन्य व्यय-समाप्त						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	15,24,63.80	11,69,87.27	--	11,69,87.27	78,26,79.19	(-) 24
योग-800	20,62,63.67	17,29,88.11	--	17,29,88.11	1,02,75,48.94	(-) 17
योग-04	22,18,46.41	17,29,88.11	--	17,29,88.11	1,54,55,44.65	(-) 22
05-सड़कें-						
337-सड़क निर्माण कार्य-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,69,45.47	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	3,46,00.00	1,70,55.19	--	1,70,55.19	23,91,77.49	(-) 51
योग-337	3,46,00.00	1,70,55.19	--	1,70,55.19	25,61,22.96	(-) 51
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना -						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	2,91.67	--
800- अन्य व्यय-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	40,00.00	--
योग-05	3,46,00.00	1,70,55.19	--	1,70,55.19	26,04,14.63	(-) 51
80-सामान्य-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम की अंशपूँजी में निवेश	--	--	--	--	20,00.00	--
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	3,97,94.68	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
मध्यप्रदेश राज्य हेतु निर्माण निगम में निवेश	--	--	--	--	44.03 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	4,90,48.78	--
योग-796	--	--	--	--	4,90,92.81	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 15.97 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(छ)- परिवहन का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
80-सामान्य-समाप्त						
797-आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अंतरण-						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	(-) 7.65 ^(क)	--
800-अन्य व्यय-						
		3.35				
भूमि के अधिग्रहण के लिए मुआवजा वार्षिकी	7,60,90.72	8,08,00.00	--	8,08,03.35	35,11,10.08 ^(ख)	6
		3.35				
योग-80	7,60,90.72	8,08,00.00	--	8,08,03.35	44,19,89.92	6
		3.35				
योग-5054	63,92,32.76	61,23,63.82	7,64,88.55	68,88,55.72	4,20,76,52.04	8
5055- सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश						
शासकीय एवं अन्य सड़क परिवहन प्रतिष्ठानों में निवेश	--	--	--	--	99,32.48 ^(ग)	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना						
लोक उपक्रम एवं अन्य प्रतिष्ठानों में निवेश	--	--	--	--	4,85.77 ^(घ)	--
800-अन्य व्यय-						
मोटर परिवहन सेवाएं	--	--	--	--	(-) 23.39 ^(ङ)	--
म.प्र. सड़क परिवहन निगम को मार्गों के अराष्ट्रीयकरण करने के बदले						
सहायता-निवेश	--	--	--	--	6,50.00	--
मध्यप्रदेश इंटरसिटी परिव्यय प्राधिकरण	5,42.16	--	--	--	6,35.79	(-) 100
योग-800	5,42.16	--	--	--	12,62.40	(-) 100
योग-5055	5,42.16	--	--	--	1,16,80.65	(-) 100
		3.35				
योग-(छ)-परिवहन का पूंजीगत लेखा	64,00,34.69	61,26,92.17	7,64,88.55	68,91,84.07	4,25,76,48.09	8

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ (-) 2.77 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 6,21.08 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 36,03.20 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,76.23 लाख कम किया गया।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ (-) 8.49 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा-						
5425-अन्य वैज्ञानिक तथा पर्यावरणी अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय-						
600-अन्य सेवाएं-						
प्रदेश में आई.आई.आई.टी. की स्थापना	--	--	--	--	5,16.00	--
प्रदेश में आई.टी.पार्क की स्थापना	--	--	--	--	48,50.00	--
डाटा सेन्टर भवन का निर्माण	--	--	--	--	13,26.00	--
औद्योगिक इकाइयों के लागत पूंजी अनुदान	--	--	--	--	1,99.00	--
योग-600	--	--	--	--	68,91.00	--
800-अन्य व्यय-						
परिषद के लिये भवन का निर्माण	1,00.00	45.00	--	45.00	14,32.50	(-) 55
विज्ञान पार्क की परिषद स्थापना हेतु भवन निर्माण	3,00.00	1,80.00	--	1,80.00	33,45.00	(-) 40
योग-800	4,00.00	2,25.00	--	2,25.00	47,77.50	(-) 44
योग-5425	4,00.00	2,25.00	--	2,25.00	1,16,68.50	(-) 44
योग-(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण का पूंजीगत लेखा	4,00.00	2,25.00	--	2,25.00	1,16,68.50	(-) 44
(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-पर्यटक अवसंरचना-						
101-पर्यटक केन्द्र-						
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का भाग	--	--	--	--	1,76,71.89	--
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य का अंश	50.00	--	--	--	32,91.68	(-) 100
इंटरनेशनल कन्वेंशन सेन्टर भोपाल का निर्माण	15,00.00	--	--	--	24,30.00	(-) 100
जल पर्यटन विकास के लिये म.प्र.पर्यटन विकास निगम को अनुदान	4,50.00	--	--	--	9,50.00	(-) 100
पर्यटन जनसुविधा केन्द्र के अनुरक्षण तथा प्रबंधन के लिये सहायता	3,00.00	--	--	--	8,00.00	(-) 100
पर्यटन अधोसंरचना का निर्माण (केन्द्रीय अंश)	--	45,55.01	--	45,55.01	2,22,64.81	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	78,91.98	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	14,40.00	--	14,40.00	25,61.36 ^(क)	--
योग-101	23,00.00	59,95.01	--	59,95.01	5,78,61.72	161

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 86.55 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 – जारी

(₹ लाख में)

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-						
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-						
01-पर्यटक अवसंरचना-समाप्त						
103-पर्यटक परिवहन-						
पर्यटन मार्गों का विकास	--	--	--	--	2,75.00	--
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-						
पर्यटन निगम की इकाइयों का उन्नयन	53,55.87	--	--	--	1,42,55.87	(-) 100
बौद्ध परिपथ का विकास	--	--	--	--	1,00.00	--
जैन परिपथ का विकास	--	--	--	--	9,00.00	--
आंतरिक एवं पहुंच मार्गों का उन्नयन	--	--	--	--	21,00.00	--
ईको एवं साहसिक पर्यटन का विकास	--	--	--	--	45,00.00	--
विद्यमान पर्यटक सुविधाओं का विस्तार एवं उन्नयन	--	--	--	--	34,50.00	--
धार्मिक पर्यटन का विकास	--	--	--	--	22,99.97	--
होटल प्रबंधन संस्थान (भवन निर्माण)	5,50.00	--	--	--	5,50.00	(-) 100
मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड का शेयर पूंजी में निवेश	10,00.00	--	--	--	10,00.00	(-) 100
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	28,80.28 ^(क)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	4,50.00	7,00.00	--	7,00.00	55,93.82	56
योग-190	73,55.87	7,00.00	--	7,00.00	3,76,29.94	(-) 90
789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	3,04.50	--
796-जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-						
केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में केन्द्र का भाग	--	--	--	--	2,00.00	--
मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम, भोपाल में निवेश	--	--	--	--	2,38.60 ^(ख)	--
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	--	--	--	--	1,59.84	--
योग-796	--	--	--	--	5,98.44	--
800-अन्य व्यय-						
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	24,69.38	--
योग-800	--	--	--	--	24,69.38	--
योग-01	96,55.87	66,95.01	--	66,95.01	9,91,38.98	(-) 31

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 5,42.30 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 86.56 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — जारी

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	(₹ लाख में) वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-जारी						
5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
80-सामान्य-						
001- निर्देशन एवं प्रशासन						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	4,50.00	--	--	--	4,50.00	(-) 100
003- प्रशिक्षण						
अन्य निर्माण कार्य, प्रत्येक ₹ पांच करोड़ और उससे कम लागत के	3,00.00	--	--	--	3,00.00	(-) 100
104-प्रचार एवं प्रसार						
विज्ञापन एवं प्रचार	10,00.00	--	--	--	29,95.00	(-) 100
योग-80	17,50.00	--	--	--	37,45.00	(-) 100
योग-5452	1,14,05.87	66,95.01	--	66,95.01	10,28,83.98	(-) 41
5465-सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं में निवेश-						
01-सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश-						
190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों, बैंक आदि में निवेश-						
बैंक, शासकीय एवं अन्य सामान्य वित्तीय संस्थाओं में निवेश	--	--	--	--	2.71 ^(क)	--
योग-5465	--	--	--	--	2.71	--
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-						
101-भूमि सीमा (कृषि भूमि को छोड़कर)-						
मध्यप्रदेश सीलिंग कृषि जोत अधिनियम 1960 के अन्तर्गत अधिक भूमि को समर्पित						
करने के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति का भुगतान	--	--	--	--	44.50 ^(ख)	--
नगरीय भूमि सीमा अधिनियम 1976 के अंतर्गत भूमि धारकों को मुआवजे का						
भुगतान-बान्ड्स	--	--	--	--	29.64 ^(ग)	--
योग-101	--	--	--	--	74.14	--
102-नागरिक आपूर्ति-						
संभागीय कार्यालय का सुदृढीकरण	--	--	--	--	37.18	--
योग-102	--	--	--	--	37.18	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 0.98 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 16.14 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 3.71 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 16 — समाप्त

व्यय का प्रकार	2017-18 के अंत तक व्यय	वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय		योग	2018-19 के अंत तक व्यय	वर्ष के दौरान प्रतिशत वृद्धि (+)/कमी (-)
		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./ सी.एस. सहित)			
ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
(ज)-सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा-समाप्त						
5475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय-समाप्त						
202-जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन हो जाने पर भूमि धारियों को क्षतिपूर्ति प्राप्ति कर-						
जमींदारी प्रथा उन्मूलन पर भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान	--	--	--	--	4,35.52 ^(क)	--
जागीरदारी प्रथा के उन्मूलन पर भू-स्वामियों को क्षतिपूर्ति का भुगतान	--	--	--	--	3,09.02 ^(ख)	--
लघु स्वामियों को पुनर्वास अनुदान	--	--	--	--	1,71.83 ^(ग)	--
निर्माण कार्य/परियोजनाएँ जिनमें विगत पांच वर्षों में कोई व्यय नहीं हुआ	--	--	--	--	1,17.25 ^(घ)	--
योग-202	--	--	--	--	10,33.63	--
800-अन्य व्यय-						
संभागीय कार्यालय का सुदृढ़ीकरण	--	--	--	--	1,54.90	--
योग-5475	--	--	--	--	12,99.85	--
योग-(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	1,14,05.87	66,95.01	--	66,95.01	10,41,86.54	(-) 41
		3,93.74				
योग-ग-आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा	2,48,12,26.30	1,99,82,26.34	29,95,97.15	2,29,82,17.23	17,40,27,32.99	(-) 7
		3,93.74				
महायोग	3,09,13,22.43	2,42,71,52.80	51,48,72.63	2,94,24,19.17	21,31,57,54.86	(-) 5
वेतन	2,41,88.46			2,73,66.81		13
राज सहायता	--			--		--
सहायक अनुदान	2,32,95.15			5,41,40.70		132

- टीप :-**
1. बजट में पृथक कोड न दिये जाने के कारण केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्य तथा केन्द्र के अंश को नहीं दर्शाया जा सकता है।
 2. वेतन, राज सहायता तथा सहायक अनुदान के विवरण क्रमशः परिशिष्ट - I, II एवं III में दिए गए हैं।
 3. पिछले पांच वर्षों में जिन कार्यों/परियोजनाओं पर व्यय नहीं हुआ है उनके विवरण उपलब्ध हैं।
 4. पूंजीगत शीर्षों के अन्तर्गत सहायता अनुदान का लेखांकन लेखा नियमों के अनुरूप नहीं है। प्रकरण में उपयुक्त कार्यवाई हेतु राज्य सरकार को सूचित कर दिया गया है।

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,57.99 लाख कम किया गया।
 (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 1,12.10 लाख कम किया गया।
 (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 62.34 लाख कम किया गया।
 (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा अंतरण के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 42.54 लाख कम किया गया।

17 – उधार तथा अन्य दायित्वों का विस्तृत विवरण पत्रक

(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण

(₹ लाख में)

ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		भुगतान किया गया ब्याज
					राशि	प्रतिशत	
ड.— लोक ऋण^(क)							
6003 राज्य सरकार का आंतरिक ऋण—							
101 बाजार ऋण	8,38,16,63.68	2,04,96,00.00	54,95,30.49	9,88,17,33.19	1,50,00,69.51	17.90	73,29,73.99
103 भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	43,07.41	निरंक	9,34.10	33,73.31	(-) 9,34.10	(-) 21.69	16,19.10
104 भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम से ऋण	4,19.99	निरंक	93.59	3,26.40	(-) 93.59	(-) 22.28	4,03.42
105 राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक से ऋण	91,33,96.96	18,28,44.36	14,50,00.00	95,12,41.32	3,78,44.36	4.14	4,46,31.68
106 प्रतिकर तथा अन्य बंधपत्र	75,01,92.60	निरंक	94,32.00	74,07,60.60	(-) 94,32.00	(-) 1.26	5,57,15.20
107 भारतीय स्टेट बैंक तथा अन्य बैंकों से ऋण	77.30	निरंक	निरंक	77.30	निरंक	निरंक	निरंक
108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	2,06,45.91	29,24.20	38,67.55	1,97,02.56	(-) 9,43.35	(-) 4.57	18,86.51
109 अन्य संस्थाओं से ऋण	1,80,86.39	निरंक	25,00.00	1,55,86.39	(-) 25,00.00	(-) 13.82	1,61,09.76
110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय पेशगियाँ	निरंक	33,76,38.00	33,76,38.00	निरंक	निरंक	निरंक	1,16.35
111 केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	2,27,95,26.11	29,71,57.00	18,85,52.95	2,38,81,30.16	10,86,04.05	4.76	21,63,32.24
योग—6003—राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	12,36,83,16.35	2,87,01,63.56	1,23,75,48.68	14,00,09,31.23	1,63,26,14.88	13.20	1,06,97,88.25
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम—							
01 योजनेतर ऋण—							
107 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के लिये ऋण	1,52.86	निरंक	निरंक	1,52.86	निरंक	निरंक	निरंक
115 पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये ऋण	30,29.59	निरंक	3,57.91	26,71.68	(-) 3,57.91	(-) 11.81	3,64.05
201 गृह निर्माण अग्रिम	4.50	निरंक	1.50	3.00	(-) 1.50	(-) 33.33	0.41
800 अन्य ऋण	0.54	निरंक	निरंक	0.54	निरंक	निरंक	निरंक
योग—01— योजनेतर ऋण	31,87.49	निरंक	3,59.41	28,28.08	(-) 3,59.41	(-) 11.28	3,64.46
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये ऋण —							
101 एक मुश्त ऋण—							
(i) एक मुश्त ऋण	27,82,04.27	निरंक	2,43,89.11	25,38,15.16	(-) 2,43,89.11	(-) 8.77	2,50,43.34
(ii) बैंक टू बैंक आधारित ऋण	97,11,60.93	37,95,78.38 ^(ख)	5,24,11.82	1,29,83,27.49	32,71,66.56	33.69	3,53,17.43
योग—101— एक मुश्त ऋण	1,24,93,65.20	37,95,78.38	7,68,00.93	1,55,21,42.65	30,27,77.45	24.23	6,03,60.77
105 12वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुरूप समेकित ऋण	22,13,64.88	निरंक	3,76,63.20	18,37,01.68	(-) 3,76,63.20	(-) 17.01	1,66,02.37
योग—02—राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये ऋण	1,47,07,30.08	37,95,78.38	11,44,64.13	1,73,58,44.33	26,51,14.25	18.03	7,69,63.14
07 1984–85 के पूर्व के ऋण —							
102 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऋण योजना	1,87.89	निरंक	निरंक	1,87.89	निरंक	निरंक	निरंक
योग—07—1984–85 के पूर्व के ऋण	1,87.89	निरंक	निरंक	1,87.89	निरंक	निरंक	निरंक
योग—6004—केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1,47,41,05.46	37,95,78.38	11,48,23.54	1,73,88,60.30	26,47,54.84	17.96	7,73,27.60
योग—ड.—लोक ऋण	13,84,24,21.81	3,24,97,41.94	1,35,23,72.22	15,73,97,91.53	1,89,73,69.72	13.71	1,14,71,15.85

(क) आगामी ब्यौरे के लिये इस विवरण का अनुलग्नक देखें।

(ख) मुख्य तथा लघुशीर्षों की सूची के अनुसार दिनांक 01.04.2017 के बाद 02—राज्य/संघ क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए अनुदान नए लेन-देन के लिए क्रियाशील नहीं है।

विवरण संख्या 17 – जारी
(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – जारी

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		भुगतान किया गया ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
झ—	अल्प बचत, भविष्य निधि आदि—							
(क)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि—							
8001	राष्ट्रीय बचत जमा—	17.12	निरंक	निरंक	17.12	निरंक	निरंक	निरंक
	योग—(क)—राष्ट्रीय अल्प बचत निधि	17.12	निरंक	निरंक	17.12	निरंक	निरंक	निरंक
(ख)	राज्य भविष्य निधियां—							
8009	राज्य भविष्य निधि—	1,29,33,31.67	44,57,85.90	21,26,00.59	1,52,65,16.98	23,31,85.31	18.03	12,11,71.49 ^(क)
	योग—(ख)—राज्य भविष्य निधियां	1,29,33,31.67	44,57,85.90	21,26,00.59	1,52,65,16.98	23,31,85.31	18.03	12,11,71.49
(ग)	अन्य लेखा—							
8010	न्यास तथा अक्षय निधि—	0.32	निरंक	निरंक	0.32	निरंक	निरंक	निरंक
8011	बीमा तथा पेंशन निधि—	13,95,30.69	1,12,94.22	1,96,27.72	13,11,97.19	(-) 83,33.50	(-) 5.97	निरंक
8012	विशेष जमा तथा लेखा—	0.95	निरंक	निरंक	0.95	निरंक	निरंक	निरंक
	योग—(ग)—अन्य लेखा	13,95,31.96	1,12,94.22	1,96,27.72	13,11,98.46	(-) 83,33.50	(-) 5.97	निरंक
	योग—झ—अल्प बचत, भविष्य निधि आदि	1,43,28,80.75	45,70,80.12	23,22,28.31	1,65,77,32.56	22,48,51.81	15.69	12,11,71.49
ज	आरक्षित निधियां –							
(क)	ब्याज वाली आरक्षित निधियां –							
8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	75,18.84	10,16,23.92	10,16,00.00	75,42.76	23.92	निरंक	निरंक
	योग – (क) – ब्याज वाली आरक्षित निधियां	75,18.84	10,16,23.92	10,16,00.00	75,42.76	23.92	निरंक	निरंक
(ख)	बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां –							
8223	अकाल राहत निधि	5,98.15	निरंक	निरंक	5,98.15	निरंक	निरंक	निरंक
8226	मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि	4,63.58	निरंक	निरंक	4,63.58	निरंक	निरंक	निरंक
8228	राजस्व आरक्षित निधियां	24,09.27	निरंक	निरंक	24,09.27	निरंक	निरंक	निरंक
8229	विकास तथा कल्याण निधियां	53,74,11.58	12,15,71.85	6,26,04.56	59,63,78.87	5,89,67.29	10.97	निरंक
8235	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	2.21	निरंक	निरंक	2.21	निरंक	निरंक	निरंक
	योग – (ख) – बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	54,08,84.79	12,15,71.85	6,26,04.56	59,98,52.08	5,89,67.29	10.90	निरंक
	योग – ज – आरक्षित निधियां	54,84,03.63	22,31,95.77	16,42,04.56	60,73,94.84	5,89,91.21	10.76	निरंक

(क) सामान्य भविष्य निधि पर ₹ 11,54,67.10 लाख, विभागीय भविष्य निधि पर ₹ 47,98.38 लाख तथा अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि पर ₹ 9,06.01 लाख ब्याज सम्मिलित है।

विवरण संख्या 17 – जारी
(क) लोक ऋण तथा अन्य दायित्वों का विवरण – समाप्त

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		(₹ लाख में) भुगतान किया गया ब्याज
						राशि	प्रतिशत	
ट—	जमा —							
(क)	ब्याज वाली जमा —							
8342	अन्य जमा	(-) 16,62.57	1,76.62	16,68.25	(-) 31,54.20	(-) 14,91.63 ^(क)	89.72	निरंक
	योग — (क) ब्याज वाली जमा	(-) 16,62.57	1,76.62	16,68.25	(-) 31,54.20	(-) 14,91.63	89.72	निरंक
(ख)	बिना ब्याज वाली जमा —							
8443	सिविल जमा	98,91,67.32	95,04,43.35	1,06,51,37.21	87,44,73.46	(-) 11,46,93.86	(-) 11.59	निरंक
8448	स्थानीय निधियों की जमा	42,16,57.97	17,40,84.76	4,34,68.39	55,22,74.34	13,06,16.37	30.98	निरंक
8449	अन्य जमा	4,64.18	2,05,15,62.22	2,04,96,00.00	24,26.40	19,62.22	4,22.73	निरंक
	योग — (ख) — बिना ब्याज वाली जमा	1,41,12,89.47	3,17,60,90.33	3,15,82,05.60	1,42,91,74.20	1,78,84.73	1.27	निरंक
	योग — ट — जमा	1,40,96,26.90	3,17,62,66.95	3,15,98,73.85	1,42,60,20.00	1,63,93.10	1.16	निरंक
	योग — अन्य दायित्व	3,39,09,11.28	3,85,65,42.84	3,55,63,06.72	3,69,11,47.40	30,02,36.12	8.85	12,11,71.49
	योग — लोक ऋण एवं अन्य दायित्व	17,23,33,33.09	7,10,62,84.78	4,90,86,78.94	19,43,09,38.93	2,19,76,05.84	12.75	1,26,82,87.34

(क) ऋण शेष समाधान के अधीन है।

विवरण संख्या 17 – जारी

(ख) परिपक्वता स्थिति

(i) घरेलू मुद्रा में भुगतान योग्य आंतरिक ऋण की परिपक्वता स्थिति

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण/ मध्यप्रदेश सरकार स्टॉक	से ऋण			क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	अर्थोपाय एवं अग्रिम	केन्द्र सरकार की रा.अ.ब.नि. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	रा.स.वि.नि. से ऋण	अन्य संस्थाओं से ऋण	योग-6003 आंतरिक ऋण
		जी.बी.नि.	सा.बी.नि.	राकृग्रा वि.बैं.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2018-19 में और उससे पूर्व परिपक्व होने वाले	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.20
2019-20 में परिपक्व होने वाले	58,21,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,82,50.65	0.00	0.00	81,03,50.65
2020-21 में परिपक्व होने वाले	63,00,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,82,50.65	0.00	0.00	85,82,50.65
2021-22 में परिपक्व होने वाले	81,00,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,82,50.65	0.00	0.00	1,03,82,50.65
2022-23 में परिपक्व होने वाले	65,00,00.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	22,82,50.65	0.00	0.00	95,18,50.65
2023-24 में परिपक्व होने वाले	50,00,00.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	22,82,50.65	0.00	0.00	80,18,50.65
2024-25 में परिपक्व होने वाले	1,03,00,00.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	22,82,50.65	0.00	0.00	1,33,18,50.65
2025-26 में परिपक्व होने वाले	1,47,00,00.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	20,54,66.59	0.00	0.00	1,74,90,66.59
2026-27 में परिपक्व होने वाले	1,61,00,00.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	18,25,61.29	0.00	0.00	1,86,61,61.29
2027-28 में परिपक्व होने वाले	1,70,00,00.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	15,33,65.89	0.00	0.00	1,92,69,65.89
2028-29 में परिपक्व होने वाले	58,00,00.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	11,66,78.49	0.00	0.00	77,02,78.49
2029-30 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	7,48,17.59	0.00	0.00	14,84,17.59
2030-31 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	6,09,89.24	0.00	0.00	13,45,89.24
2031-32 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	7,36,00.00	0.00	4,58,14.14	0.00	0.00	11,94,14.14
2032-33 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,52,09.49	0.00	0.00	3,52,09.49
2033-34 में परिपक्व होने वाले	13,71,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,39,79.24	0.00	0.00	17,10,79.24
2034-35 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,36,25.39	0.00	0.00	3,36,25.39
2035-36 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,95,75.39	0.00	0.00	2,95,75.39
2036-37 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,93,83.34	0.00	0.00	1,93,83.34
2037-38 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,71,78.19	0.00	0.00	1,71,78.19
2038-39 में परिपक्व होने वाले	8,25,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,81.99	0.00	0.00	9,24,81.99
2039-40 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040-41 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2041-42 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2042-43 में परिपक्व होने वाले	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2043-44 में परिपक्व होने वाले	10,00,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,00,00.00
परिपक्वता वर्ष के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।	0.00	33,73.32	3,26.39	95,12,41.32	47,60.59	0.00	0.00	1,97,02.56	1,56,63.68	99,50,67.86
महायोग	9,88,17,33.20	33,73.32	3,26.39	95,12,41.32	74,07,60.59	0.00	2,38,81,30.16	1,97,02.56	1,56,63.68	14,00,09,31.22

विवरण संख्या 17 – जारी
(ख) परिपक्वता स्थिति – समाप्त
(ii) केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम की परिपक्वता स्थिति

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	योजनेतर ऋण	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये ऋण	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों के लिये ऋण	केन्द्र प्रवर्तित योजनागत स्कीमों के लिये ऋण	1984-85 से पूर्व के ऋण	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2019-20 में परिपक्व होने वाले	3,54.93	6,13,28.28	0.00	0.00	0.00	6,16,83.21
2020-21 में परिपक्व होने वाले	3,51.63	6,22,16.17	0.00	0.00	0.00	6,25,67.80
2021-22 में परिपक्व होने वाले	3,45.92	6,31,80.76	0.00	0.00	0.00	6,35,26.68
2022-23 में परिपक्व होने वाले	3,38.89	6,31,80.76	0.00	0.00	0.00	6,35,19.65
2023-24 में परिपक्व होने वाले	3,33.20	6,31,80.76	0.00	0.00	0.00	6,35,13.96
2024-25 में परिपक्व होने वाले	3,26.78	2,90,46.60	0.00	0.00	0.00	2,93,73.38
2025-26 में परिपक्व होने वाले	3,14.35	1,74,44.84	0.00	0.00	0.00	1,77,59.19
2026-27 में परिपक्व होने वाले	2,07.49	1,57,70.06	0.00	0.00	0.00	1,59,77.55
2027-28 में परिपक्व होने वाले	1,01.49	1,32,92.96	0.00	0.00	0.00	1,33,94.45
2028-29 में परिपक्व होने वाले	0.00	1,14,63.88	0.00	0.00	0.00	1,14,63.88
2029-30 में परिपक्व होने वाले	0.00	90,34.82	0.00	0.00	0.00	90,34.82
2030-31 में परिपक्व होने वाले	0.00	75,10.82	0.00	0.00	0.00	75,10.82
2031-32 में परिपक्व होने वाले	0.00	62,72.16	0.00	0.00	0.00	62,72.16
2032-33 में परिपक्व होने वाले	0.00	53,14.18	0.00	0.00	0.00	53,14.18
2033-34 में परिपक्व होने वाले	0.00	43,49.92	0.00	0.00	0.00	43,49.92
2034-35 में परिपक्व होने वाले	0.00	32,41.83	0.00	0.00	0.00	32,41.83
2035-36 में परिपक्व होने वाले	0.00	16,88.03	0.00	0.00	0.00	16,88.03
परिपक्वता वर्ष के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं	1,53.40	1,29,83,27.50	0.00	0.00	1,87.89	1,29,86,68.79
महायोग	28,28.08	1,73,58,44.33	0.00	0.00	1,87.89	1,73,88,60.30

विवरण संख्या 17 – जारी
(ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर स्थिति

(i) राज्य सरकार का आंतरिक ऋण

(₹ लाख में)

ब्याज दर (प्रतिशत)	31 मार्च 2019 को बकाया राशि								योग में अंश
	ब्याज वाले बाजार ऋण	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंध	केन्द्र सरकार की रा. अ.व.नि. को जारी विशेष प्रतिभूतियां	जी.बी.नि. / सा.बी.नि.	रा.क.ग्रा.वि. बैंक	रा.स.वि. नि.	अन्य	योग	
5.00 से 5.99	0.00	44.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.60	0.00
6.00 से 6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.00 से 7.99	3,03,00,00.02	36,80,00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,39,80,00.02	24.27
8.00 से 8.99	5,95,17,00.02	37,27,16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,32,44,16.02	45.17
9.00 से 9.99	90,00,06.91	0.00	2,23,41,61.46	0.00	0.00	0.00	0.00	3,13,41,68.37	22.39
10.00 से 10.99	0.00	0.00	7,15,16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,15,16.70	0.51
11.00 से 11.99	7.23	0.00	3,21,03.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,21,10.43	0.23
12.00 से 12.99	4.99	0.00	2,84,76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,84,81.69	0.20
13.00 से 13.99	4.60	0.00	2,18,72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,18,76.70	0.16
14.00 से 14.99	9.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.42	0.00
म.ले.(ले./ह.) कार्या.में जानकारी उपलब्ध नहीं है	0.00	0.00	0.00	36,99.71	95,12,41.32	1,97,02.56	1,56,63.68	99,03,07.27	7.07
योग	9,88,17,33.19	74,07,60.60	2,38,81,30.16	36,99.71	95,12,41.32	1,97,02.56	1,56,63.68	14,00,09,31.22	1,00.00

(ii) केन्द्र सरकार स ऋण और अग्रिम

(₹ लाख में)

ब्याज दर (प्रतिशत)	1 अप्रैल 2019 को बकाया राशि	योग में अंश
	केन्द्र सरकार से ऋण और अग्रिम	
परिवर्तनीय दर	1,29,83,27.50	74.67
ब्याज मुक्त	3,40.74	0.02
5.00 से 5.99	0.00	0.00
6.00 से 6.99	0.00	0.00
7.00 से 7.99	18,37,01.68	10.56
8.00 से 8.99	0.00	0.00
9.00 से 9.99	25,38,18.15	14.60
10.00 से 10.99	0.54	0.00
11.00 से 11.99	9,13.43	0.05
12.00 से 12.99	17,07.43	0.10
13.00 से 13.99	50.83	0.00
14.00 से 14.99	0.00	0.00
15.00 से 15.99	0.00	0.00
योग	1,73,88,60.30	1,00.00

विवरण संख्या 17 – जारी
विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक

		(₹ लाख में)			
ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष
डू-	लोक ऋण –				
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण –				
101	बाजार ऋण –				
	ब्याज वाले बाजार ऋण –				
56	8.30 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2018	6,25,00.00	निरंक	6,25,00.00	निरंक
55	6.00 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2019	9,00,00.00	निरंक	9,00,00.00	निरंक
54	7.00 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2019	8,85,00.00	निरंक	8,85,00.00	निरंक
33	7.77 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2019	10,75,00.00	निरंक	10,75,00.00	निरंक
52	8.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2019	10,10,25.00	10,00,00.00	20,10,25.00	निरंक
51	8.31 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2019	15,60,00.00	निरंक	निरंक	15,60,00.00
50	8.32 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2019	15,60,00.00	निरंक	निरंक	15,60,00.00
49	8.32 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2020	15,53,00.00	निरंक	निरंक	15,53,00.00
48	8.54 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2020	11,48,00.00	निरंक	निरंक	11,48,00.00
47	8.44 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2020	12,00,00.00	8,00,00.00	निरंक	20,00,00.00
46	8.39 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2021	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
45	8.48 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2021	7,00,00.00	निरंक	निरंक	7,00,00.00
44	8.36 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2021	10,00,00.00	15,00,00.00	निरंक	25,00,00.00
43	7.13 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	निरंक	6,00,00.00	निरंक	6,00,00.00
43	9.05 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2021	10,00,00.00	10,00,00.00	निरंक	20,00,00.00
42	8.73 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2022	15,00,00.00	10,00,00.00	निरंक	25,00,00.00
41	8.99 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2022	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
40	8.92 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2022	10,00,00.00	10,00,00.00	निरंक	20,00,00.00
43	7.18 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2022	निरंक	6,00,00.00	निरंक	6,00,00.00
39	8.60 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2023	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
38	8.64 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2023	10,00,00.00	10,00,00.00	निरंक	20,00,00.00
37	8.63 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2023	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
36	9.53 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2023	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
35	9.68 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2023	5,00,00.00	10,00,00.00	निरंक	15,00,00.00
34	9.29 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2023	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
33	9.30 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक 2023	5,00,00.00	निरंक	निरंक	5,00,00.00
22	9.29 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
31	9.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
30	9.11 प्रतिशत मध्यप्रदेश शासन स्टॉक, 2024	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00

विवरण संख्या 17 – जारी
विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक – जारी

(₹ लाख में)

ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष
डू-	लोक ऋण – जारी				
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण – जारी				
101	बाजार ऋण – जारी				
	ब्याज वाले बाजार ऋण – जारी				
29	8.98 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	3,50,00.00	निरंक	निरंक	3,50,00.00
28	8.99 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	12,00,00.00	निरंक	निरंक	12,00,00.00
27	8.95 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
26	8.95 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024 (II सिरीज)	10,50,00.00	निरंक	निरंक	10,50,00.00
25	8.84 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
24	8.45 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	7,50,00.00	निरंक	निरंक	7,50,00.00
23	8.24 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2024	7,50,00.00	निरंक	निरंक	7,50,00.00
22	8.10 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
21	8.08 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
20	8.09 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	12,00,00.00	निरंक	निरंक	12,00,00.00
19	8.25 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
18	8.36 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
17	8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
16	8.16 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
15	8.15 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025	35,00,00.00	निरंक	निरंक	35,00,00.00
14	8.27 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2025 (II सिरीज)	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
13	8.30 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
12	8.39 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
11	8.76 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	12,00,00.00	निरंक	निरंक	12,00,00.00
10	7.62 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
09	7.57 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
08	7.38 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
07	7.16 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
06	7.15 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
05	7.23 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00

विवरण संख्या 17 – जारी
विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक – जारी

		(₹ लाख में)			
ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष
ड-	लोक ऋण – जारी				
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण – जारी				
101	बाजार ऋण – जारी				
	ब्याज वाले बाजार ऋण – समाप्त				
04	7.40 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2026	15,00,00.00	निरंक	निरंक	15,00,00.00
03	7.19 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
02	7.60 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	26,00,00.00	निरंक	निरंक	26,00,00.00
01	7.76 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
01	7.22 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
01	7.28 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	10,00,00.00	निरंक	निरंक	10,00,00.00
01	7.35 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
01	7.46 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
01	7.55 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
01	7.65 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2027	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
01	7.88 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	20,00,00.00	निरंक	निरंक	20,00,00.00
01	8.05 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	20,00,00.00	20,00,00.00	निरंक	40,00,00.00
01	8.33 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	निरंक	10,00,00.00	निरंक	10,00,00.00
01	8.55 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	निरंक	10,00,00.00	निरंक	10,00,00.00
01	8.42 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	निरंक	10,00,00.00	निरंक	10,00,00.00
01	8.37 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2028	निरंक	28,00,00.00	निरंक	28,00,00.00
01	8.64 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2033	निरंक	13,71,00.00	निरंक	13,71,00.00
01	8.63 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2038	निरंक	8,25,00.00	निरंक	8,25,00.00
01	8.52 प्रतिशत मध्यप्रदेश राज्य विकास ऋण, 2043	निरंक	10,00,00.00	निरंक	10,00,00.00
योग – ब्याज वाले बाजार ऋण		8,38,16,25.00	2,04,96,00.00	54,95,25.00	9,88,17,00.00

विवरण संख्या 17 – जारी
विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक – जारी

		(₹ लाख में)			
ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष
ड-	लोक ऋण – जारी				
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण – जारी				
101	बाजार ऋण – समाप्त				
	बिना ब्याज वाले बाजार ऋण –				
80	6.75 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1992	2.63	निरंक	2.63	निरंक
79	7.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1993	2.86	निरंक	2.86	निरंक
78	7.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1997	0.02	निरंक	निरंक	0.02
77	9.75 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1998	1.54	निरंक	निरंक	1.54
76	9.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 1999	5.37	निरंक	निरंक	5.37
75	8.75 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2000	0.02	निरंक	निरंक	0.02
74	11.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2001	6.50	निरंक	निरंक	6.50
73	13.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2003	3.09	निरंक	निरंक	3.09
72	14.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2005	9.42	निरंक	निरंक	9.42
71	13.75 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2007	0.72	निरंक	निरंक	0.72
70	13.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2007	0.77	निरंक	निरंक	0.77
69	13.05 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2007	0.01	निरंक	निरंक	0.01
68	11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2008	0.14	निरंक	निरंक	0.14
67	11.50 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2009	0.39	निरंक	निरंक	0.39
66	11.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2010	0.21	निरंक	निरंक	0.21
65	12.00 प्रतिशत मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण, 2011	4.99	निरंक	निरंक	4.99
योग-बिना ब्याज वाले बाजार ऋण		38.68	निरंक	5.49	33.19
योग-101-बाजार ऋण		8,38,16,63.68	2,04,96,00.00	54,95,30.49	9,88,17,33.19

विवरण संख्या 17 – जारी
विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक – जारी

					(₹ लाख में)
ऋण का विवरण		1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष
ड-	लोक ऋण – जारी				
6003	राज्य सरकार का आंतरिक ऋण – समाप्त स्वायत्तशासी निकायों से ऋण –				
103	भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण	43,07.41 ^(क)	निरंक	9,34.10	33,73.31
104	भारतीय सामान्य जीवन बीमा निगम से ऋण	4,19.99 ^(ख)	निरंक	93.59	3,26.40
105	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से ऋण (नाबार्ड)	91,33,96.96 ^(ग)	18,28,44.36	14,50,00.00	95,12,41.32
106	प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र-शहरी भूमि सीमा तथा नियमन अधिनियम, 1976 के अंतर्गत नकद भुगतान के विरुद्ध जारी बॉण्ड यू.डी.ए.आई. बाण्ड	44.60	निरंक	निरंक	44.60
	8.00 प्रतिशत म.प्र. पावर बॉण्ड-II	73,60,00.00	निरंक	निरंक	73,60,00.00
		1,41,48.00	निरंक	94,32.00	47,16.00
	योग-106-प्रतिकर तथा अन्य बंध पत्र	75,01,92.60	निरंक	94,32.00	74,07,60.60
107	भारतीय स्टेट बैंक तथा सहयोगी बैंकों से ऋण	77.30	निरंक	निरंक	77.30
108	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	2,06,45.91 ^(घ)	29,24.20	38,67.55	1,97,02.56
109	अन्य संस्थाओं से ऋण –				
	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण	49,37.76	निरंक	25,00.00	24,37.76
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल से ऋण (एन.सी.आर.पी.बी.)	34,52.50	निरंक	निरंक	34,52.50
	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास मंडल से ऋण (एन.सी.आर.डी.बी.)	12,24.00	निरंक	निरंक	12,24.00
	हुडको से ऋण	(-) 33.62	निरंक	निरंक	(-) 33.62
	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से ऋण	85,05.75	निरंक	निरंक	85,05.75
	योग-109-अन्य संस्थाओं से ऋण	1,80,86.39	निरंक	25,00.00	1,55,86.39
	योग-स्वायत्तशासी निकायों से ऋण	1,70,71,26.56	18,57,68.56	16,18,27.24	1,73,10,67.88
110	भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	निरंक	33,76,38.00	33,76,38.00	निरंक
111	केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	2,27,95,26.11	29,71,57.00	18,85,52.95	2,38,81,30.16
	योग-6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	12,36,83,16.35	2,87,01,63.56	1,23,75,48.68	14,00,09,31.23

(क) दिनांक 31.10.2000 को एकीकृत म.प्र. राज्य वित्त विभाग की राशि से ₹ (-) 3,12.23 लाख भिन्न हैं, (दि.01.11.2000 की स्थिति में राशि ₹ (-) 2,29.11 लाख उत्तरवर्ती म.प्र.राज्य से संबंधित है) जिसका पुनर्मिलान किया जाना है।

(ख) दिनांक 31.10.2000 को एकीकृत म.प्र. राज्य वित्त विभाग की राशि से ₹ 3.93 लाख भिन्न हैं, (दि.01.11.2000 की स्थिति में राशि ₹ (-) 2.88 लाख उत्तरवर्ती म.प्र. से संबंधित है) जिसका पुनर्मिलान किया जाना है।

(ग) दिनांक 31.10.2000 को एकीकृत म.प्र. राज्य वित्त विभाग की राशि से ₹ 7.09 लाख भिन्न हैं, (दि.01.11.2000 की स्थिति में राशि ₹ (-) 5.20 लाख उत्तरवर्ती म.प्र.राज्य से संबंधित है) जिसका पुनर्मिलान किया जाना है।

(घ) दिनांक 31.10.2000 को एकीकृत म.प्र. राज्य वित्त विभाग की राशि से ₹ (-) 4,10.18 लाख भिन्न हैं, (दि.01.11.2000 की स्थिति में राशि ₹ (-) 3,28.14 लाख उत्तरवर्ती म.प्र.राज्य से संबंधित है) जिसका पुनर्मिलान किया जाना है।

विवरण संख्या 17 – समाप्त
विवरण संख्या 17 का अनुलग्नक – समाप्त

		(₹ लाख में)		
ऋण का विवरण	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान उन्मोचन	31 मार्च 2019 को शेष
ड- लोक ऋण – जारी				
6004 केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम				
01 योजनेतर ऋण –				
107 राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति के लिये ऋण	1,52.86	निरंक	निरंक	1,52.86
115 पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये ऋण	30,29.59	निरंक	3,57.91	26,71.68
201 गृह निर्माण अग्रिम	4.50	निरंक	1.50	3.00
800 अन्य ऋण –				
0001 विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	0.54	निरंक	निरंक	0.54
योग-800-अन्य ऋण	0.54	निरंक	निरंक	0.54
योग-01-योजनेतर ऋण	31,87.49	निरंक	3,59.41	28,28.08
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की आयोजनागत योजनाओं के लिये ऋण –				
101 एक मुश्त ऋण –				
3052 एक मुश्त ऋण	27,82,04.27	निरंक	2,43,89.11	25,38,15.16
9086 बैंक टू बैंक आधार पर ऋण	97,11,60.93	37,95,78.38	5,24,11.82	1,29,83,27.49
योग-101-एक मुश्त ऋण	1,24,93,65.20	37,95,78.38	7,68,00.93	1,55,21,42.65
105 बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप समेकित ऋण	22,13,64.88	निरंक	3,76,63.20	18,37,01.68
योग-02-राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिये ऋण	1,47,07,30.08	37,95,78.38	11,44,64.13	1,73,58,44.33
07 1984-85 पूर्व के ऋण –				
102 राष्ट्रीय छात्रवृत्ति ऋण योजना	1,87.89	निरंक	निरंक	1,87.89
योग-07-1984-85 पूर्व के ऋण	1,87.89	निरंक	निरंक	1,87.89
योग-6004-केन्द्रीय सरकार से ऋण तथा अग्रिम	1,47,41,05.46	37,95,78.38	11,48,23.54	1,73,88,60.30
योग-ड.-लोक ऋण	13,84,24,21.81	3,24,97,41.94	1,35,23,72.22	15,73,97,91.53

18 — सरकार द्वारा दिये गए ऋण और अग्रिमों का विस्तृत विवरण पत्रक

अनुभाग-1 : ऋणों एवं अग्रिमों का मुख्य एवं लघु शीर्षवार सार :

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बटटे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम —							
क	सामान्य सेवाएं —							
(ड.)	पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं —							
6075	विविध सामान्य सेवाओं के लिये ऋण —							
800	अन्य ऋण — अन्य विविध ऋण	12,41,00.60	65,00.00	1,65.00	--	13,04,35.60	63,35.00	7,85.58
	योग 6075—विविध सामान्य सेवाओं के लिये ऋण	12,41,00.60	65,00.00	1,65.00	--	13,04,35.60	63,35.00	7,85.58
	योग (ड) — पेंशन तथा विविध सामान्य सेवाएं	12,41,00.60	65,00.00	1,65.00	--	13,04,35.60	63,35.00	7,85.58
	योग—क—सामान्य सेवाएं	12,41,00.60	65,00.00	1,65.00	--	13,04,35.60	63,35.00	7,85.58
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण —							
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण —							
6202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण							
01	सामान्य शिक्षा —							
203	विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा							
(i)	विश्वविद्यालयों को ऋण	2.00	--	--	--	2.00	--	--
(ii)	राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	0.04	--	--	--	0.04	--	--
(iii)	अशासकीय महाविद्यालय पेंशन भुगतान योजना	1,47,08.11	57,84.00	--	--	2,04,92.11	57,84.00	--
	योग—203—विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा	1,47,10.15	57,84.00	--	--	2,04,94.15	57,84.00	--
600	सामान्य — अन्य विविध ऋण	0.53	--	--	--	0.53	--	--
	योग—01—सामान्य शिक्षा	1,47,10.68	57,84.00	--	--	2,04,94.68	57,86.04	--
02	तकनीकी शिक्षा —							
104	बहुशिल्प —							
	विश्व बैंक पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम —							
	पोलीटेकनिक महाविद्यालय को ऋण	94.46	--	--	--	94.46	--	--
105	इंजीनियरिंग/तकनीकी महाविद्यालय तथा संस्थान—							
	विश्व बैंक द्वारा पोषित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम	9,51.34	--	13.27	--	9,38.07	(-) 13.27	--
	अभियांत्रिकीय महाविद्यालयों को ऋण							
	योग—02—तकनीकी शिक्षा	10,45.80	--	13.27	--	10,32.53	(-) 13.27	22,49.61

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बढ़ते खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(क)	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण – समाप्त							
6202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिए ऋण – समाप्त							
04	कला तथा संस्कृति –							
106	संग्रहालय	9.97	--	--	--	9.97	--	--
800	अन्य कर्ज-राष्ट्रीय ऋण छात्रवृत्ति योजना	1,81.06	--	--	--	1,81.06	--	--
	योग-04-कला तथा संस्कृति	1,91.03	--	--	--	1,91.03	--	--
	योग-6202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये ऋण	1,59,47.51	57,84.00	13.27	--	2,17,18.24	57,70.73	22,49.61
	योग-(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति के लिये ऋण	1,59,47.51	57,84.00	13.27	--	2,17,18.24	57,70.73	22,49.61
(ख)	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए ऋण –							
6210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य के लिये ऋण –							
03	चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान –							
101	आयुर्वेद – आयुर्वेद आरोग्यधाम, चित्रकूट को ऋण तथा अग्रिम	3,49.91	--	--	--	3,49.91	--	--
105	एलोपैथी – अन्य विविध ऋण	7.73	--	--	--	7.73	--	--
	योग – 03 – चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान	3,57.64	--	--	--	3,57.64	--	--
	योग – 6210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य हेतु ऋण	3,57.64	--	--	--	3,57.64	--	--
	योग – (ख) – स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण के लिये ऋण	3,57.64	--	--	--	3,57.64	--	--
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण –							
6215	जलपूर्ति तथा सफाई के लिये ऋण –							
01	जलपूर्ति –							
101	शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम–							
(i)	राष्ट्रीय जल प्रदाय योजनाओं हेतु नगर निगम को ऋण	1,21.59	--	--	--	1,21.59	--	--
(ii)	नवीन शहरी जल पूर्ति योजना हेतु नगर निगम को ऋण	59,09.98	--	--	--	59,09.98	--	--
(iii)	अनुसूचित जाति हेतु हरिजन विशेषांश योजना के लिये ऋण	5,76.35	--	--	--	5,76.35	--	--
(iv)	सिंहस्थ मेले के लिये ऋण एवं अग्रिम	2,85.43	--	--	--	2,85.43	--	--
(v)	अन्य विविध ऋण	4,33.51	--	--	--	4,33.51	--	--
(vi)	भोपाल शहर के लिये नर्मदा जल मेग्नीफिकेशन योजना	1,18,91.20	--	--	--	1,18,91.20	--	--
(vii)	पुनरीक्षित जल प्रदाय योजना	6,91.50	--	--	--	6,91.50	--	--
	योग-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम	1,99,09.56	--	--	--	1,99,09.56	--	--
102	ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम–							
	नगर निगम को ऋण	2,59.06	--	--	--	2,59.06	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बूटे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण – जारी							
6215	जलपूर्ति तथा सफाई के लिये ऋण – समाप्त							
01	जलपूर्ति – समाप्त							
191	स्थानीय निकायों और नगर पालिकाओं आदि को ऋण –		--	--	--		--	--
(i)	शहरी जल पूर्ति योजना	3,05.41	--	--	--	3,05.41	--	--
(ii)	हरदा टाउन की जल मेग्नीफिकेशन योजना	35.00	--	--	--	35.00	--	--
	योग-191-स्थानीय संस्थाओं और नगर पालिकाओं आदि को ऋण	3,40.41	--	--	--	3,40.41	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत ऋण	3,41.39	--	--	--	3,41.39	--	--
800	अन्य ऋण –		--	--	--		--	--
(i)	शहरी जल प्रदाय योजना	5,03.66	--	--	--	5,03.66	--	--
(ii)	नवीन शहरी जल पूर्ति योजना	1,20.24	--	--	--	1,20.24	--	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	6,23.90	--	--	--	6,23.90	--	--
	योग – 01 – जलपूर्ति	2,14,74.32	--	--	--	2,14,74.32	--	--
02	मल-जल तथा सफाई –							
191	स्थानीय निकायों, नगर पालिकाओं आदि को ऋण – अन्य विविध ऋण	0.27	--	--	--	0.27	--	--
800	अन्य ऋण –							
(i)	मल निकास योजना	25,21.71	--	--	--	25,21.71	--	--
(ii)	ग्वालियर मल निकास योजना के चालू तथा शेष कार्यों के लिए सहायता	3,50.00	--	--	--	3,50.00	--	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	28,71.71	--	--	--	28,71.71	--	--
	योग – 02 – मल-जल तथा सफाई	28,71.98	--	--	--	28,71.98	--	--
	योग-6215- जलपूर्ति तथा सफाई के लिए ऋण	2,43,46.30	--	--	--	2,43,46.30	--	--
6216	आवास के लिये ऋण –							
02	शहरी आवास –							
195	आवासीय सहकारिताओं के लिये ऋण –							
(i)	मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड द्वारा भवनों के निर्माण हेतु सुदामा नगर शिक्षक कल्याण आवास समिति, इंदौर को ऋण	45.45	--	--	--	45.45	--	--
(ii)	अन्य विविध ऋण	5.94	--	--	--	5.94	--	--
	योग-195-आवास सहकारिताओं के लिये ऋण	51.39	--	--	--	51.39	--	--
201	हाउसिंग बोर्ड को ऋण –							
(i)	एल.आई.जी. आवास योजना	1,24.18 ^(क)	--	--	--	1,24.18	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 42.99 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 — जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बटटे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अगिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम — जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण — जारी							
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण — जारी							
6216	आवास के लिये ऋण — जारी							
02	शहरी आवास — जारी							
201	आवास मंडल को ऋण — जारी							
(ii)	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित एल.आई.जी. आवास योजना	65.64 ^(क)	--	--	--	65.64	--	--
(iii)	एम.आई.जी. आवास योजना	1,14.11 ^(ख)	--	85.00	--	29.11	(-) 85.00	--
(iv)	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित एम.आई.जी. आवास योजना	3.84 ^(ग)	--	--	--	3.84	--	--
(v)	एम.आई.जी. आवास योजना हेतु जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	11,44.73 ^(घ)	--	--	--	11,44.73	--	--
(vi)	एच.आई.जी. आवास योजना	18.34 ^(ङ)	--	--	--	18.34	--	--
(vii)	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आवास योजना	1,10.65 ^(च)	--	--	--	1,10.65	--	--
(viii)	रियायती औद्योगिक आवास योजना	54.65 ^(छ)	--	--	--	54.65	--	--
(ix)	मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड को चालू वर्ष के लिए बाजार ऋण	22,44.97 ^(ज)	--	--	--	22,44.97	--	--
(x)	समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए भूमि अधिग्रहण एवं विकास के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	46.37 ^(झ)	--	--	--	46.37	--	--
(xi)	जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आवास योजना	2,23.23 ^(ञ)	--	--	--	2,23.23	--	--
(xii)	सामान्य बीमा निगम (जी.आई.सी.) द्वारा वित्त पोषित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये आवास योजना	7,50.76 ^(ट)	--	--	--	7,50.76	--	--
(xiii)	भूमि अधिग्रहण एवं योजना विकास	14.07 ^(ठ)	--	--	--	14.07	--	--
(xiv)	अन्य विविध ऋण	80.36 ^(ड)	--	--	--	80.36	--	--
	योग — 201 — आवास मंडल को ऋण	49,95.90	--	85.00	--	49,10.90	(-) 85.00	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 20.13 लाख कम किया गया।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 40.15 लाख कम किया गया।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 1.39 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 4,15.27 लाख कम किया गया।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 6.66 लाख कम किया गया।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 39.58 लाख कम किया गया।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 19.82 लाख कम किया गया।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 7,42.15 लाख कम किया गया।
- (झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 14.14 लाख कम किया गया।
- (ञ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 80.98 लाख कम किया गया।
- (ट) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 2,72.35 लाख कम किया गया।
- (ठ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 2.93 लाख कम किया गया।
- (ड) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 29.15 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बटूटे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण – जारी							
6216	आवास के लिये ऋण – जारी							
02	शहरी आवास – समाप्त							
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत ऋण	7,73.12	--	--	--	7,73.12	--	--
800	अन्य ऋण – अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना –							
	एम.आई.जी. आवास योजना के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा ऋण	53.39	--	--	--	53.39	--	--
	योग – 02 – शहरी आवास	58,73.80	--	85.00	--	57,88.80	(-) 85.00	--
03	ग्रामीण आवास–							
201	हाउसिंग बोर्ड को ऋण –							
(i)	ग्रामीण आवास योजना	13.12 ^(क)	--	--	--	13.12	--	--
(ii)	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आवास योजना	12.71 ^(ख)	--	--	--	12.71	--	--
(iii)	सामान्य बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण आवास योजना	7.21 ^(ग)	--	--	--	7.21	--	--
(iv)	भारतीय जीवन बीमा निगम आवास योजना	48.51 ^(घ)	--	--	--	48.51	--	--
(v)	अन्य विविध ऋण	4.78 ^(ङ)	--	--	--	4.78	--	--
	योग–201–आवास मंडल को ऋण	86.33	--	--	--	86.33	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना–							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत ऋण	49.09	--	--	--	49.09	--	--
	योग–03–ग्रामीण आवास	1,35.42	--	--	--	1,35.42	--	--
80	सामान्य–							
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण –							
	अन्य विविध ऋण	3,85.41 ^(घ)	--	--	--	3,85.41	--	--

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 4.76 लाख कम किया गया।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 4.61 लाख कम किया गया।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 2.62 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 17.60 लाख कम किया गया।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 1.73 लाख कम किया गया।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 1,39.81 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण – जारी							
6216	आवास के लिये ऋण – समाप्त							
80	सामान्य-समाप्त							
201	आवास बोर्ड को ऋण –							
(i)	भूमि अधिग्रहण एवं विकास योजना	1,25.86 ^(क)	--	--	--	1,25.86	--	--
(ii)	मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण मंडल को ऋण	1,07,85.59 ^(ख)	--	--	--	1,07,85.59	--	--
(iii)	सामान्य जीवन बीमा निगम द्वारा वित्त पोषित समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आवास योजना	11.86 ^(ग)	--	--	--	11.86	--	--
(iv)	अन्य विविध ऋण	0.88 ^(घ)	--	--	--	0.88	--	--
	योग-201-आवास बोर्ड को ऋण	1,09,24.19	--	--	--	1,09,24.19	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – जनजाति क्षेत्र उप-योजनान्तर्गत ऋण	3,66.34	--	--	--	3,66.34	--	--
	योग – 80 – सामान्य	1,16,75.94	--	--	--	1,16,75.94	--	--
	योग – 6216 – आवास के लिये ऋण	1,76,85.16	--	85.00	--	1,76,00.16	(-) 85.00	--
6217	शहरी विकास के लिये ऋण –							
01	राज्य राजधानी विकास –							
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	38,86.08	--	--	--	38,86.08	--	--
800	अन्य ऋण –							
(i)	राजधानी में मूलभूत सुविधाओं का विकास	1,16,67.73	--	7,74.70	--	1,08,93.03	(-) 7,74.70	--
(ii)	राजधानी में मूलभूत सुविधाओं के विकास हेतु विदेशी सहायता प्राप्त परियोजना (एस.सी.) ऋण तथा अग्रिम	--	--	--	--	--	--	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	1,16,67.73	--	7,74.70	--	1,08,93.03	(-) 7,74.70	--
	योग – 01 – राज्य राजधानी विकास	1,55,53.81	--	7,74.70	--	1,47,79.11	(-) 7,74.70	--
02	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र –							
001	निर्देशन और प्रशासन –							
(i)	देवास विकास प्राधिकरण को ऋण	9,85.00	--	--	--	9,85.00	--	--
(ii)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा काउन्टर मैग्नेट योजना के अंतर्गत सहायता	27,99.97	--	--	--	27,99.97	--	--
	योग – 001 – निर्देशन और प्रशासन	37,84.97	--	--	--	37,84.97	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 45.66 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 25,22.51 लाख कम किया गया। राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की पुस्तकों में शेष निरंक है। वित्त लेखे तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बीच विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 4.30 लाख कम किया गया।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 0.32 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण – जारी							
6217	शहरी विकास के लिये ऋण – जारी							
02	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र – समाप्त							
191	स्थानीय संस्थाओं तथा नगर पालिकाओं/नगर निगमों आदि को ऋण (ग्वालियर काउन्टर मेगनेट योजना)	50,52.68	--	--	--	50,52.68	--	--
800	अन्य ऋण –							
(i)	म.प्र. विकास प्राधिकरण को लघु तथा मध्यम शहरी अधोसंरचना विकास योजना के लिए अनुदान	6,79.48	--	--	--	6,79.48	--	--
(ii)	शहरी विकास मंत्रालय द्वारा काउन्टर मेगनेट योजना के अंतर्गत सहायता	13,56.00	--	--	--	13,56.00	--	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	20,35.48	--	--	--	20,35.48	--	--
	योग – 02 – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	1,08,73.13	--	--	--	1,08,73.13	--	--
04	स्लम क्षेत्र का विकास –							
191	स्थानीय निकाय, निगमों आदि को ऋण – स्लम क्षेत्र विकास	11,69.62	--	--	--	11,69.62	--	--
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना– स्लम क्षेत्र विकास	2,38.00	--	--	--	2,38.00	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – स्लम क्षेत्र विकास	1,95.50	--	--	--	1,95.50	--	--
800	अन्य ऋण – स्लम क्षेत्र विकास	88,97.32	--	--	--	88,97.32	--	--
	योग – 04 – स्लम क्षेत्र का विकास	1,05,00.44	--	--	--	1,05,00.44	--	--
60	अन्य शहरी विकास योजनाएं –							
191	स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण –							
(i)	योजना क्रियान्वयन हेतु स्थानीय निकायों को ऋण	1,07,89.77	--	--	--	1,07,89.77	--	--
(ii)	नगरपालिका ऋणों पर सरकार द्वारा दी गई गारन्टी के लागू न किए जाने पर भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान करने हेतु नगरपालिकाओं को ऋण	1,04.67	--	--	--	1,04.67	--	--
(iii)	नगर नियोजन हेतु नगर पालिकाओं को ऋण	8,91.84	--	--	--	8,91.84	--	--
(iv)	नगरपालिकाओं को अन्य ऋण (0381)	--	--	--	--	--	--	--
(v)	छोटे एवं मझोले नगरों के एकीकृत विकास के लिए ऋण	1,25.82	--	--	--	1,25.82	--	--
(vi)	विश्व बैंक योजना के लिए राज्य सरकार का तुल्य अंश	8,50.16	--	--	--	8,50.16	--	--
(vii)	पेयजल आपूर्ति हेतु शहरी निकायों को ऋण (5728)	1,65.28	4,95.00	--	--	6,60.28	4,95.00	--
(viii)	स्लम सफाई हेतु नगर सुधार न्यास को ऋण	46.94	--	--	--	46.94	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण – जारी							
6217	शहरी विकास के लिये ऋण – जारी							
60	अन्य शहरी विकास योजनाएं – जारी							
191	स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण – समाप्त							
(ix)	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा स्थानीय निकायों को फायर इंजन खरीदने के लिए ऋण	33.06	--	--	--	33.06	--	--
(x)	म.प्र. राज्य विद्युत मंडल को भुगतान हेतु नगर निगम इंदौर को ऋण	2,47,37.64	--	14,39.29	--	2,32,98.35	(-) 14,39.29	--
(xi)	अन्य विविध ऋण	8.15	--	--	--	8.15	--	--
(xii)	मध्य प्रदेश शहरी स्वच्छता तथा पर्यावरण क्षेत्र का कार्यक्रम (एम.पी.एस.यू. एस.ई.पी.) (के.डब्ल्यू.एफ.) (1262)	--	1,07.50	--	--	1,07.50	--	--
(xiii)	मध्य प्रदेश शहरी सेवाएं सुधार कार्यक्रम (ए.डी.बी.) (7336)	--	28,16.28	--	--	28,16.28	--	--
	योग-191-स्थानीय निकायों, निगमों आदि को ऋण	3,77,53.33	34,18.78	14,39.29	--	3,97,32.82	19,79.49	--
192	नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता							
(i)	पेयजल आपूर्ति के लिए शहरी निकायों को ऋण	96.00	4,95.00	--	--	5,91.00	4,95.00	--
(ii)	मध्यप्रदेश शहरी सेवाएं सुधार कार्यक्रम (ए.डी.बी.) (7336)	--	19,00.00	--	--	19,00.00	19,00.00	--
(iii)	मध्यप्रदेश शहरी स्वच्छता तथा पर्यावरण क्षेत्र का कार्यक्रम (एम.पी.एस.यू. एस.ई.पी.) (के.डब्ल्यू.एफ.) (1262)	--	71.66	--	--	71.66	71.66	--
	योग-192-नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता	96.00	24,66.66	--	--	25,62.66	24,66.66	--
193	नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों तथा उनके समकक्ष को ऋण –							
(i)	मध्यप्रदेश शहरी सेवाएं सुधार कार्यक्रम (7336)	9,31.40	14,02.50	--	--	23,33.90	14,02.50	--
(ii)	पेयजल आपूर्ति हेतु शहरी निकायों को ऋण (5728)	1,72.50	2,53.00	--	--	4,25.50	2,53.00	--
(iii)	मध्यप्रदेश शहरी स्वच्छता तथा पर्यावरण क्षेत्र का कार्यक्रम (एम.पी.एस.यू. एस.ई.पी.) (के.डब्ल्यू.एफ.) (1262)	--	71.67	--	--	71.67	71.67	--
	योग-193-नगर पंचायत/अधिसूचित क्षेत्र समितियों तथा उनके समकक्ष को ऋण	11,03.90	17,27.17	--	--	28,31.07	17,27.17	--
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	1,60,88.30	--	--	--	1,60,88.30	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना-							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजना के लिये ऋण	3,39.15	--	--	--	3,39.15	--	--
800	अन्य ऋण –							
(i)	हरिजन विशेषांश हेतु ऋण	56.08	--	--	--	56.08	--	--
(ii)	भोपाल एवं इन्दौर शहरों के एकीकृत विकास के लिये ऋण	8,66.86	--	--	--	8,66.86	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बंद खोले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(ग)	जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण – समाप्त							
6217	शहरी विकास के लिये ऋण – समाप्त							
60	अन्य शहरी विकास योजनाएं – समाप्त							
800	अन्य ऋण – समाप्त							
(iii)	नगरपालिका ऋणों पर सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूति के लागू न करने के संदर्भ में भारतीय जीवन बीमा निगम के भुगतान हेतु नगर पालिकाओं को ऋण	3,75.92	--	--	--	3,75.92	--	--
(iv)	नगरपालिकाओं को अन्य ऋण	1.06	--	--	--	1.06	--	--
(v)	चार नगर निगमों में मूलभूत सुविधाओं का विकास (सामान्य)	6,18,45.85	--	--	--	6,18,45.85	--	--
(vi)	म.प्र.शहरी सेवाएं सुधार कार्यक्रम (ए.डी.बी.) (7336)	70,53.50	51,44.99	26,42.94	--	95,55.55	25,02.05	--
(vii)	मध्यप्रदेश शहरी विकास परियोजना (विश्व बैंक)	49,00.00	50,00.00	--	--	99,00.00	50,00.00	--
(viii)	आधिकारिक परिसमापक के सामने जमा करने हेतु ऋण तथा अग्रिम	50,00.00	--	--	--	50,00.00	--	--
(ix)	मध्यप्रदेश शहरी स्वच्छता तथा पर्यावरण क्षेत्र का कार्यक्रम (एम.पी.एस.यू.एस.ई. पी.) (के.डब्ल्यू.एफ.) (1262)	--	18,99.17	--	--	18,99.17	18,99.17	--
योग – 800 – अन्य ऋण		8,00,99.27	1,20,44.16	26,42.94	--	8,95,00.49	94,01.22	--
योग – 60 – अन्य शहरी विकास योजनाएं		13,40,19.79	1,96,56.77	40,82.23	--	15,10,54.49	1,55,74.54	--
योग – 6217 – शहरी विकास के लिये ऋण		17,24,07.33	1,96,56.77	48,56.93	--	18,72,07.17	1,29,00.67	--
योग–(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास के लिये ऋण		21,44,38.79	1,96,56.77	49,41.93	--	22,91,53.63	1,47,14.84	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गए अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(ड.)	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये ऋण –							
6225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक कल्याण के लिये ऋण –							
01	अनुसूचित जातियों का कल्याण –							
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना –							
	सफाई कामगारों के लिये मुक्ति एवं पुनर्वास योजना –	1,55.67	--	--	--	1,55.67	--	--
800	अन्य ऋण – अन्य विविध ऋण	5,23.83	--	--	--	5,23.83	--	--
	योग-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण	6,79.50	--	--	--	6,79.50	--	--
02	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण –							
794	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	11.25	--	--	--	11.25	--	--
796	जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत ऋण	37.08	--	--	--	37.08	--	--
800	अन्य ऋण – अन्य विविध ऋण	28.31	--	--	--	28.31	--	--
	योग – 02 – अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	76.64	--	--	--	76.64	--	--
03	पिछड़े वर्गों का कल्याण –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य उपक्रमों को ऋण – अन्य विविध ऋण, वित्त एवं म.प्र.पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग को ऋण (9017)	35,09.67	--	51.30	--	34,58.37	(-) 51.30	--
800	अन्य ऋण – मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम को ऋण	42.41 ^(क)	--	--	--	42.41	--	--
	योग 03 – पिछड़े वर्गों का कल्याण	35,52.08	--	51.30	--	35,00.78	(-) 51.30	--
	योग – 6225 – अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अल्पसंख्यक के कल्याण के लिए ऋण	43,08.22	--	51.30	--	42,56.92	(-) 51.30	--
	योग – (ड.) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये ऋण	43,08.22	--	51.30	--	42,56.92	(-) 51.30	--
(छ)	समाज कल्याण तथा पोषण के लिये ऋण –							
6235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये ऋण –							
01	पुनर्वास –							
103	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति – अन्य विविध ऋण	9.72	--	--	--	9.72	--	--
200	अन्य राहत उपाय – अन्य विविध ऋण	0.88	--	--	--	0.88	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना–							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिये ऋण	0.04	--	--	--	0.04	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 15.39 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – जारी							
(छ)	समाज कल्याण तथा पोषण के लिये ऋण – समाप्त							
6235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिये ऋण – समाप्त							
01	पुनर्वास – समाप्त							
800	अन्य ऋण –							
(i)	भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आये विस्थापितों के पुनर्वास हेतु ऋण	0.12	--	--	--	0.12	--	--
(ii)	कृषि ऋण	0.09	--	--	--	0.09	--	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	0.21	--	--	--	0.21	--	--
	योग – 01 – पुनर्वास	10.85	--	--	--	10.85	--	--
02	समाज कल्याण –							
200	अन्य कार्यक्रम – अन्य विविध ऋण	0.28	--	--	--	0.28	--	--
	योग-02-समाज कल्याण	0.28	--	--	--	0.28	--	--
60	अन्य समाज सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम –							
200	अन्य कार्यक्रम –							
(i)	रोजगार उन्नयन कार्यक्रम के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगारों को ऋण	39.78	--	--	--	39.78	--	--
(ii)	सीमांत धन के लिए शिक्षित बेरोजगारों को ऋण	1,82.72	--	--	--	1,82.72	--	--
(iii)	अन्य विविध ऋण	8.50	--	--	--	8.50	--	--
	योग – 200 – अन्य कार्यक्रम	2,31.00	--	--	--	2,31.00	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिए ऋण	23.51	--	--	--	23.51	--	--
800	अन्य ऋण – अन्य विविध ऋण	36.25	--	--	--	36.25	--	--
	योग-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	2,90.76	--	--	--	2,90.76	--	--
	योग-6235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के लिए ऋण	3,01.89	--	--	--	3,01.89	--	--
	योग-(छ) समाज कल्याण तथा पोषण के लिये ऋण	3,01.89	--	--	--	3,01.89	--	--
(ज)	अन्य समाज सेवाओं के लिये ऋण –							
6250	अन्य समाज सेवाओं के लिये ऋण –							
60	अन्य –							
195	श्रम सहकारिताएं – अन्य विविध ऋण	0.07	--	--	--	0.07	--	--
201	श्रम – अन्य विविध ऋण	0.03	--	--	--	0.03	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ख	सामाजिक सेवाओं के लिए ऋण – समाप्त							
(ज)	अन्य समाज सेवाओं के लिये ऋण – समाप्त							
6250	अन्य समाज सेवाओं के लिये ऋण – समाप्त							
60	अन्य – समाप्त							
800	अन्य ऋण –							
(i)	शिक्षित बेरोजगारों को ऋण	29.55	--	--	--	29.55	--	--
(ii)	रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण	1,41.46	--	--	--	1,41.46	--	--
(iii)	अन्य विविध ऋण	6.47	--	--	--	6.47	--	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	1,77.48	--	--	--	1,77.48	--	--
	योग – 60 – अन्य	1,77.58	--	--	--	1,77.58	--	--
	योग – 6250 – अन्य समाज सेवाओं के लिये ऋण	1,77.58	--	--	--	1,77.58	--	--
	योग – (ज) अन्य समाज सेवाओं के लिये ऋण	1,77.58	--	--	--	1,77.58	--	--
	योग – ख – सामाजिक सेवाओं के लिये ऋण	23,55,31.63	2,54,40.77	50,06.50	--	25,59,65.90	2,04,34.27	22,49.61
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण –							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण –							
6401	फसल कृषि कर्म के लिये ऋण –							
105	खाद तथा उर्वरक –							
(i)	स्थानीय खनिज स्रोतों की योजना के अन्तर्गत नगर पालिकाओं और निगमों को ऋण	30.04	--	--	--	30.04	--	--
(ii)	मोटर सायकल क्रय करने हेतु ऋण	5.45	--	--	--	5.45	--	--
(iii)	अन्य विविध ऋण	10.65	--	--	--	10.65	--	--
	योग – 105 – खाद एवं उर्वरक	46.14	--	--	--	46.14	--	--
109	वाणिज्यिक फसल – अन्य विविध ऋण	0.07	--	--	--	0.07	--	--
110	छोटे तथा सीमांत कृषकों और कृषि श्रमिकों के लिये योजना – अन्य विविध ऋण	4.69	--	--	--	4.69	--	--
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – मध्यप्रदेश राज्य बीज फार्म विकास निगम को अल्पावधि ऋण	1,95.16 ^(क)	--	--	--	1,95.16	--	--
195	कृषि सहकारिताओं को ऋण – अन्य विविध ऋण	11.78	--	--	--	11.78	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिये ऋण	23.58	--	--	--	23.58	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 70.79 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण – जारी							
6401	फसल कृषि कर्म के लिये ऋण – समाप्त							
800	अन्य ऋण –							
(i)	दिनांक 31.03.74 तक विभागीय एजेन्सी के माध्यम से दिए गए अग्रिम	11,34.71	--	--	--	11,34.71	--	--
(ii)	विभागीय एजेन्सी द्वारा प्रदत्त ऋण –							
(क)	भूमि सुधार ऋण अधिनियम	3,33.14	--	--	--	3,33.14	--	--
(ख)	कृषक ऋण अधिनियम	21,97.30	0.54	0.27	--	21,97.57	0.27	--
	योग – (ii) विभागीय एजेन्सियों द्वारा प्रदत्त अग्रिम	25,30.44	0.54	0.27	--	25,30.71	0.27	--
(iii)	मध्यप्रदेश कृषि औद्योगिक विकास निगम को कीटनाशक खरीदने एवं वितरण के लिए ऋण	8,24.91	--	--	--	8,24.91	--	--
(iv)	मध्यप्रदेश बीज एवं फार्म निगम को ऋण	19,11.29 ^(क)	--	--	--	19,11.29	--	--
(v)	मोटर सायकल खरीदने हेतु ऋण	1,77.49	--	--	--	1,77.49	--	--
(vi)	अन्य विविध ऋण	13.38	--	--	--	13.38	--	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	65,92.22	0.54	0.27	--	65,92.49	0.27	--
	योग – 6401 – फसल कृषि कर्म के लिए ऋण	68,73.64	0.54	0.27	--	68,73.91	0.27	--
6402	मृदा एवं जल संरक्षण हेतु ऋण –							
102	मृदा संरक्षण – भूमि सुधार ऋण अधिनियम	2,93.71	--	--	--	2,93.71	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उपयोजना–जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजना के लिये ऋण	9,55.35	--	--	--	9,55.35	--	--
800	अन्य ऋण –							
(i)	भूमि सुधार ऋण अधिनियम के अन्तर्गत ऋण	7,18.38	--	--	--	7,18.38	--	--
(ii)	अन्य विविध ऋण	16.39	--	--	--	16.39	--	--
	योग–800–अन्य ऋण	7,34.77	--	--	--	7,34.77	--	--
	योग – 6402 – मृदा एवं जल संरक्षण के लिए ऋण	19,83.83	--	--	--	19,83.83	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 6,93.36 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण – जारी							
6403	पशुपालन के लिए ऋण –							
102	पशु तथा भैंस विकास – अन्य विविध ऋण	3.55	--	--	--	3.55	--	--
103	कुक्कुट विकास – अन्य विविध ऋण	67.15	--	--	--	67.15	--	--
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण –							
(i)	दुग्ध महासंघ की पुनर्वास योजना हेतु ऋण	10,09.89	--	--	--	10,09.89	--	--
(ii)	दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान	1,04.97	--	--	--	1,04.97	--	--
(iii)	गौ सदन के लिये ऋण	70.00	--	--	--	70.00	--	--
(iv)	ग्वालियर दुग्ध महासंघ को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
(v)	पुनर्वास योजना	2,50.00	--	--	--	2,50.00	--	--
(vi)	जबलपुर तथा उज्जैन दुग्ध महासंघ की पुनर्वास योजना हेतु ऋण	5,25.00	--	--	--	5,25.00	--	--
	योग – 190 – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	19,59.86	--	--	--	19,59.86	--	--
	योग – 6403 – पशुपालन के लिए ऋण	20,30.56	--	--	--	20,30.56	--	--
6404	डेरी विकास के लिए ऋण –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण –							
(i)	मध्यप्रदेश दुग्ध महा संघ को सीमांत धन ऋण	14.16	--	--	--	14.16	--	--
(ii)	दुग्ध महासंघ और संघ के लिए पुनर्वास योजना	22,71.43	--	--	--	22,71.43	--	--
	योग – 190 – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	22,85.59	--	--	--	22,85.59	--	--
195	दुग्ध सहकारिता के लिए ऋण – अन्य विविध ऋण	6.14	--	--	--	6.14	--	--
800	अन्य ऋण – दुग्ध महासंघ को ऋण	4.22	--	--	--	4.22	--	--
	योग – 6404 – डेरी विकास के लिए ऋण	22,95.95	--	--	--	22,95.95	--	--
6405	मछली पालन के लिये ऋण –							
195	मछली पालन सहकारिताओं के लिये ऋण – अन्य विविध ऋण	22.24	--	--	--	22.24	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजना को ऋण	0.03	--	--	--	0.03	--	--
	योग – 6405 – मछली पालन के लिये ऋण	22.27	--	--	--	22.27	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण – जारी							
6406	वानिकी तथा वन्य जीवन के लिये ऋण –							
104	वानिकी –							
(i)	मध्यप्रदेश वन विकास निगम को ऋण	35,13.35 ^(क)	--	--	--	35,13.35	--	--
(ii)	मध्यप्रदेश राज्य लघु वनोपज संघ को व्यापार संचालन हेतु ऋण	12.21	--	--	--	12.21	--	--
(iii)	अन्य विविध ऋण	1,83.46	--	--	--	1,83.46	--	--
	योग – 104 – वानिकी	37,09.02	--	--	--	37,09.02	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अन्तर्गत योजनाओं के लिए ऋण	9,49.33	--	--	--	9,49.33	--	--
	योग – 6406 – वानिकी तथा वन्य जीवन के लिये ऋण	46,58.35	--	--	--	46,58.35	--	--
6408	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये ऋण –							
01	खाद्य –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण –							
(i)	गोदामों के निर्माण की योजना	47.13	--	--	--	47.13	--	--
(ii)	खाद्यान्न क्रय	1,70.35	41.83	30.91	--	1,81.27	10.92	--
(iii)	म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ को कार्यशील पूंजी ऋण	4,16.55	--	--	--	4,16.55	--	--
(iv)	मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को ऋण	0.08 ^(ख)	--	--	--	0.08	--	--
(v)	धान पर लगने वाले कर के ब्याज भुगतान को छोड़कर ऋण	2,00,00.00	--	--	--	2,00,00.00	--	--
(vi)	खाद्यान्न उत्पादन हेतु म.प्र. आपूर्ति निगम को ऋण	2,54,82.00	--	--	--	2,54,82.00	--	--
	योग – 190 – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	4,61,16.11	41.83	30.91	--	4,61,27.03	10.92	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिये ऋण	1,49.05	--	--	--	1,49.05	--	--
800	अन्य ऋण – गोदाम ग्रीड का निर्माण	97.48	--	--	--	97.48	--	--
	योग – 01 – खाद्य	4,63,62.64	41.83	30.91	--	4,63,73.56	10.92	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 12,74.54 लाख कम किया गया। वित्त लेखे तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखों के बीच पुनर्मिलान किया जा चुका है।

(ख) वित्त लेखे तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखों की पुस्तकों के बीच ₹ 16,54.93 लाख की विसंगति को वित्त लेखे 2019-20 में दूर किया जावेगा।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण – जारी							
6408	खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये ऋण – समाप्त							
02	भण्डारण तथा भाण्डागार –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण –							
(i)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को ऋण	3.04	--	--	--	3.04	--	--
(ii)	गोदामों का निर्माण	2,38,85.74	--	--	--	2,38,85.74	--	--
	योग – 190 – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	2,38,88.78	--	--	--	2,38,88.78	--	--
195	सहकारिताओं को ऋण –							
(i)	शीत भण्डार संयंत्र की स्थापना के लिये सहकारी समितियों को ऋण	16.43	--	--	--	16.43	--	--
(ii)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को ऋण	1,54.80	--	--	--	1,54.80	--	--
(iii)	धान एवं तैदू पत्ता क्रय करने के लिये मध्यप्रदेश सहकारी संघ को ऋण	2,52.47	--	--	--	2,52.47	--	--
(iv)	खाद्यान्न उपार्जन हेतु मध्यप्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को ऋण	2,75.97 ^(क)	--	--	--	2,75.97	--	--
(v)	गोदामों के निर्माण हेतु मध्यप्रदेश विपणन समितियों को ऋण	44.88	--	--	--	44.88	--	--
(vi)	अन्य विविध ऋण	65.57	--	--	--	65.57	--	--
	योग—195—सहकारिताओं को ऋण	8,10.12	--	--	--	8,10.12	--	--
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	31,64.84	--	--	--	31,64.84	--	--
794	जनजातीय उप-योजना के लिये विशेष केन्द्रीय सहायता –							
	पहाड़ी क्षेत्रों में भोजन की आपूर्ति हेतु वाहनों के क्रय के लिये राज्य आपूर्ति निगम को ऋण	16.51 ^(ख)	--	--	--	16.51	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं हेतु ऋण	37,76.81	--	--	--	37,76.81	--	--
	योग – 02 – भण्डारण तथा भाण्डागार	3,16,57.06	--	--	--	3,16,57.06	--	--
	योग – 6408 – खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार के लिये ऋण	7,80,19.70	41.83	30.91	--	7,80,30.62	10.92	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 1,00.11 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 5.99 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण – जारी							
6425	सहकारिता के लिये ऋण –							
107	जमा सहकारी समितियों को ऋण –							
(i)	सहकारी समितियों के माध्यम से तकावी के वितरण हेतु राज्य सहकारी बैंकों को ऋण –							
(क)	कृषक कर्ज अधिनियम के अंतर्गत	81.52	--	--	--	81.52	--	--
(ख)	सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत	49.39	--	--	--	49.39	--	--
	योग – (i) – सहकारी समितियों के माध्यम से तकावी के वितरण हेतु राज्य सहकारी बैंकों को ऋण	1,30.91	--	--	--	1,30.91	--	--
(ii)	कृषक कर्ज अधिनियम के अंतर्गत उर्वरकों के क्रय करने के लिये एपेक्स सहकारी बैंकों को ऋण	8,58.49	--	--	--	8,58.49	--	--
(iii)	उन्नत बीजों के वितरण के लिये सहकारी समितियों को ऋण	47.74	--	--	--	47.74	--	--
(iv)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, जबलपुर को ऋण	66.25	--	--	--	66.25	--	--
(v)	कृषि साख स्थिरीकरण निधि के सुदृढीकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी बैंक को ऋण	18.82	--	--	--	18.82	--	--
(vi)	सूत विकास के लिये सहकारी समितियों को ऋण	52.14	--	--	--	52.14	--	--
(vii)	मध्यप्रदेश भूमि विकास बैंक को ऋण	26.42	--	--	--	26.42	--	--
(viii)	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)	78,07.79	--	--	--	78,07.79	--	--
(ix)	जनजाति क्षेत्रों में गतावधि कर्जों को पूरा करने के लिये कमजोर सहकारी बैंकों को दीर्घकालीन ऋण	2,16.48	--	42.90	--	1,73.58	(-) 42.90	--
(x)	मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, भोपाल द्वारा जारी ऋण पत्रों के क्रय हेतु ऋण (3242)	10,25,88.88	1,06,42.12	9,53.90	--	11,22,77.10	96,88.22	--
(xi)	अनुसूचित जाति कृषकों को उपभोग ऋण	58.55	--	--	--	58.55	--	--
(xii)	म.प्र. सहकारी विकास बैंक के ऋण पत्रों का जारी किया जाना	24.97	--	--	--	24.97	--	--
(xiii)	हरिजन किसानों को ऋण	0.54	--	--	--	0.54	--	--
(xiv)	प्रसंस्करण इकाइयों को कार्यशील पूंजी हेतु सीमांत धन सहायता	7.21	--	--	--	7.21	--	--
(xv)	अल्पकालीन ऋणों को मध्यकालीन ऋणों में परिवर्तित करने हेतु राज्य शासन का अंशदान	1,00.00	--	1.44	--	98.56	(-) 1.44	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण – जारी							
6425	सहकारिता के लिये ऋण – जारी							
107	जमा सहकारी समितियों को ऋण – समाप्त							
(xvi)	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना को वित्तीय सहायता –	19,87.92	--	--	--	19,87.92	--	--
(क)	खरगौन/सीधी	1,02.90	--	--	--	1,02.90	--	--
(ख)	रतलाम	2,40.31	--	--	--	2,40.31	--	--
(ग)	भिण्ड	3,34.74	--	1,98.81	--	1,35.93	(-) 1,98.81	--
(घ)	राजगढ़	3,21.83	--	1,98.80	--	1,23.03	(-) 1,98.80	--
(ङ)	छिन्दवाड़ा	39.00	--	--	--	39.00	--	--
(च)	जबलपुर	1,00.00	--	--	--	1,00.00	--	--
(छ)	गुना	29.00	--	--	--	29.00	--	--
(ज)	विंध्याचल	--	5,99.95	--	--	5,99.95	5,99.95	--
	योग –(xvi)	31,55.70	5,99.95	3,97.61	--	33,58.04	2,02.34	--
(xvii)	अन्य विविध ऋण	51,74.69	--	--	--	51,74.69	--	--
	योग – 107 – जमा सहकारी समितियों को ऋण	12,03,35.58	1,12,42.07	13,95.85	--	13,01,81.80	98,46.22	--
108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण –							
(क)	प्रसंस्करण सहकारिताओं के लिए ऋण –							
(i)	प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना के लिए सहकारी समितियों को ऋण	51.94	--	--	--	51.94	--	--
(ii)	शीत भंडारों की स्थापना के लिये सहकारी समितियों को ऋण	71.79	--	--	--	71.79	--	--
(iii)	चावल मिलों को सीमांत ऋण	33.06	--	--	--	33.06	--	--
(iv)	सोयाबीन सम्मिश्र की स्थापना हेतु सहकारी समितियों के लिये ऋण	1,07.84	--	--	--	1,07.84	--	--
(v)	डोंडवान जिला खरगौन में मसाला इकाई की स्थापना हेतु मैत्री महिला औद्योगिक सहकारी समिति को ऋण	7.00	--	--	--	7.00	--	--
(vi)	मॉ रेवा मिर्च क्रय विक्रय प्रक्रिया संस्था मर्यादित बेड़िया/सनावद, जिला खरगौन को शीतगृह संयंत्र हेतु सहायता	80.00	--	--	--	80.00	--	--
(vii)	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ भोपाल द्वारा स्थापित सब्जी बाजार, इंदौर के लिए शीतग्रह हेतु सहायता	42.40	--	--	--	42.40	--	--
(viii)	एन.सी.डी.सी. के माध्यम से मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादन संघ मर्यादित, भोपाल को पुनर्भुगतान हेतु तिलहन संघ को ऋण	6,56.60	--	--	--	6,56.60	--	--
(ix)	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एन.सी.डी.सी.)	9.09	--	--	--	9.09	--	--
(x)	प्राथमिक विपणन समितियों का सुदृढीकरण	7,80.53	--	89.77	--	6,90.76	(-) 89.77	--
(xi)	गोदामों के निर्माण हेतु ऋण	11,93.43	--	66.89	--	11,26.54	(-) 66.89	--
(xii)	एकमुश्त अनुबंध के अन्तर्गत तिलहन संघ को ऋण अग्रिम के लिए भुगतान	17,92.00	--	--	--	17,92.00	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान सवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण – जारी							
6425	सहकारिता के लिये ऋण – जारी							
108	अन्य सहकारी समितियों को ऋण – समाप्त							
(क)	प्रसंस्करण सहकारिताओं के लिए ऋण – समाप्त							
(xiii)	म.प्र.विद्युत मण्डल को कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण (9255)	--	--	--	--	--	--	--
(xiv)	शक्कर कारखानों की स्थापना तथा सहायता	4,53.36	--	--	--	4,53.36	--	--
(xv)	अन्य विविध ऋण	7,63.90	--	38.16	--	7,25.74	(-) 38.16	--
	योग – (क) प्रसंस्करण सहकारिताओं के लिये ऋण	60,42.94	--	1,94.82	--	58,48.12	(-) 1,94.82	--
(ख)	उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण –							
(i)	उपभोक्ता वस्तुओं के ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण के लिए ऋण	2,70.44	--	--	--	2,70.44	--	--
(ii)	उपभोक्ता सहकारी समितियों के गठन के लिए ऋण	18.70	--	--	--	18.70	--	--
(iii)	जिला थोक उपभोक्ता भंडारों में कम्प्यूटरों की स्थापना	4.41	--	--	--	4.41	--	--
(iv)	अन्य विविध ऋण	6,19.27	--	--	--	6,19.27	--	--
	योग – (ख) उपभोक्ता सहकारिताओं को ऋण	9,12.82	--	--	--	9,12.82	--	--
(ग)	सहकारी चीनी मिलों को ऋण –							
(i)	कैलारस चीनी मिल, कैलारस को ऋण	2,66.73	--	--	--	2,66.73	--	--
(ii)	कैलारस सहकारी शक्कर कारखाना की अंशपूंजी में धनवेष्टन – ऋण तथा अग्रिम	3,00.00	--	--	--	3,00.00	--	--
(iii)	मालवा सहकारी चीनी मिल बरलाई (इंदौर) को ऋण	1,65.00	--	--	--	1,65.00	--	--
	योग – (ग) सहकारी चीनी मिलों को ऋण	7,31.73	--	--	--	7,31.73	--	--
(घ)	सहकारी कताई मिलों को ऋण –							
	अन्य विविध ऋण	7.79	--	--	--	7.79	--	--
	योग – 108 अन्य सहकारी समितियों को ऋण	76,95.29	--	1,94.82	--	75,00.47	(-) 1,94.82	--
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना –							
(i)	कृषकों के लिये उपभोग ऋण	3,33.42	--	--	--	3,33.42	--	--
(ii)	म.प्र. राज्य विकास बैंक द्वारा जारी क्रेडिट कार्डों का क्रय	3,69.49	--	--	--	3,69.49	--	--
(iii)	अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को विकास बैंक के अंश क्रय करने हेतु ऋण	43.13	--	--	--	43.13	--	--
	योग – 789 – अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	7,46.04	--	--	--	7,46.04	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिए ऋण	6,62.27	--	--	--	6,62.27	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बढ़ते खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(क)	कृषि तथा सम्बद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण – समाप्त							
6425	सहकारिता के लिये ऋण – समाप्त							
800	अन्य ऋण –							
(क)	मछुआरा सहकारी समितियों को ऋण –							
	अन्य विविध ऋण	0.10	--	--	--	0.10	--	--
(ख)	अन्य सहकारिताओं के लिए ऋण –							
(i)	मध्यप्रदेश राज्य जनजाति सहकारी विकास निगम को ऋण	29.50 ^(क)	--	--	--	29.50	--	--
(ii)	हरिजन कृषकों को उपभोक्ता ऋण	1.91	--	--	--	1.91	--	--
(iii)	अन्य विविध ऋण	14,44.37	--	2.89	--	14,41.48	(-) 2.89	--
	योग – (ख) – अन्य सहकारिताओं के लिए ऋण	14,75.78	--	2.89	--	14,72.89	(-) 2.89	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	14,75.88	--	2.89	--	14,72.89	(-) 2.89	--
	योग – 6425 – सहकारिता के लिए ऋण	13,09,15.05	1,12,42.07	15,93.56	--	14,05,63.56	96,48.51	63.23
6435	अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए ऋण –							
01	विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण –							
101	विपणन सुविधायें – अन्य विविध ऋण	6.71	--	--	--	6.71	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनातर्गत योजनाओं के लिये ऋण	1.63	--	--	--	1.63	--	--
	योग – 01 – विपणन तथा गुणवत्ता नियंत्रण	8.34	--	--	--	8.34	--	--
	योग – 6435 – अन्य कृषि कार्यक्रमों के लिए ऋण	8.34	--	--	--	8.34	--	--
	योग – (क) – कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप के लिए ऋण	22,68,07.69	1,12,84.44	16,24.74	--	23,64,67.39	96,59.70	63.23
(ख)	ग्राम विकास के लिए ऋण –							
6515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण –							
102	सामुदायिक विकास –							
(i)	सामुदायिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषित करने हेतु ऋण	39.49	--	--	--	39.49	--	--
(ii)	अन्य विविध ऋण	14.40	--	--	--	14.40	--	--
	योग – 102 – सामुदायिक विकास	53.89	--	--	--	53.89	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 10.70 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(ख)	ग्राम विकास के लिए ऋण – समाप्त							
6515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण – समाप्त							
103	ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम –							
(i)	लोकोपयोगी निर्माण कार्यों के लिये पंचायतों को ऋण	27.38	--	--	--	27.38	--	--
(ii)	ग्रामीण जन शक्ति के उपयोग के लिए निर्माण कार्यक्रम की परियोजना के अन्तर्गत समोच्च बांध निर्माण	25.80	--	--	--	25.80	--	--
(iii)	निर्धन व्यक्तियों को अल्प कालीन कर्जे देने हेतु परिक्रामी निधि के सृजन के लिये ग्राम पंचायतों को ऋण	47.90	--	--	--	47.90	--	--
(iv)	अन्य विविध ऋण	4.06	--	--	--	4.06	--	--
	योग – 103 – ग्रामीण निर्माण कार्य कार्यक्रम	1,05.14	--	--	--	1,05.14	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिए ऋण	0.46	--	--	--	0.46	--	--
	योग – 6515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए ऋण	1,59.49	--	--	--	1,59.49	--	--
	योग – (ख) ग्राम विकास के लिए ऋण	1,59.49	--	--	--	1,59.49	--	--
(घ)	सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण –							
6702	लघु सिंचाई के लिये ऋण –							
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिये ऋण	19.31	--	--	--	19.31	--	--
800	अन्य ऋण – अन्य विविध ऋण	13.11	--	--	--	13.11	--	--
	योग – 6702 – लघु सिंचाई के लिये ऋण	32.42	--	--	--	32.42	--	--
6705	कमान क्षेत्र विकास के लिये ऋण –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – मध्य प्रदेश भूमि विकास निगम को विशेष ऋण खाते में प्राप्त ऋण की वापसी हेतु ऋण	3,85.42	--	--	--	3,85.42	--	--
800	अन्य ऋण – अन्य विविध ऋण	11.22	--	--	--	11.22	--	--
	योग – 6705 – कमान क्षेत्र विकास के लिये ऋण	3,96.64	--	--	--	3,96.64	--	--
6711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए ऋण –							
102	बाढ़ नियंत्रण – स्वर्ण रेखा बाढ़ नियंत्रण परियोजना चरण-II	10,49.03	--	--	--	10,49.03	--	--
	योग – 6711 – बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं के लिए ऋण	10,49.03	--	--	--	10,49.03	--	--
	योग – (घ) सिंचाई तथा बाढ़ नियन्त्रण	14,78.09	--	--	--	14,78.09	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(ड.)	ऊर्जा –							
6801	बिजली परियोजनाओं के लिये ऋण –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण –							
(i)	मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को ऋण	58,94.81 ^(क)	--	--	--	58,94.81	--	--
(ii)	विद्युत मण्डल को अन्य ऋण	2,02,54.00	--	--	--	2,02,54.00	--	--
(iii)	विद्युत विवरण कम्पनी को कार्यशील पूंजी के लिये ऋण (5488)	14,73,66.10	--	--	--	14,73,66.10	--	--
(iv)	विद्युत वितरण कंपनी के दिनांक 31.03.2011 के कार्यशील पूंजी ऋण का स्थिर ऋण में परिवर्तन (6659)	56,34,93.40	--	--	--	56,34,93.40	--	--
(v)	विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क एवं सेस की राशि का स्थिर ऋण 2014–15 में परिवर्तन (6660)	34,17,79.30	--	--	--	34,17,79.30	--	--
(vi)	विद्युत परियोजनाओं के विद्युत देयकों के लिए व्यापारिक कंपनी के दायित्वों का स्थिर ऋण 2014–15 में परिवर्तन	13,39,80.96	--	--	--	13,39,80.96	--	--
(vii)	विद्युत उत्पादन कंपनियों में कार्यशील पूंजी ऋण	2,50,00.00	--	--	--	2,50,00.00	--	--
(viii)	गारण्टीकृत ऋण के निराकरण के लिए ऋण	2,84,36.00	--	--	--	2,84,36.00	--	--
(ix)	एशियाई विकास बैंक से प्राप्त परियोजना सहायता का म.प्र. विद्युत मंडल को भुगतान	5,24,42.92	--	--	--	5,24,42.92	--	--
(x)	पारेषण प्रणाली कार्य हेतु निवेश	4,42,59.13	--	--	--	4,42,59.13	--	--
(xi)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.3)	2,48,07.52	1,34,64.31	--	--	3,82,71.83	1,34,64.31	--
(xii)	ट्रेडिंग कंपनी को विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन 2016–17 तक	19,75,85.64	--	--	--	19,75,85.64	--	--
(xiii)	कृषि उपयोग हेतु स्वतंत्र फीडरों की व्यवस्था (1202, 1203–5523 टी.एस.पी.)	67,11.57	37,18.75	--	--	1,04,30.32	37,18.75	--
(xiv)	मध्यप्रदेश विद्युत प्रबंधन कम्पनी परियोजना (1201–7160)	20,58.52	--	--	--	20,58.52	--	--
	7632–विद्युत वितरण कंपनी द्वारा एकत्रित विद्युत शुल्क तथा उपकर की राशि का सतत ऋण में परिवर्तन वर्ष 2016–17 तक	27,46,80.84	--	--	--	27,46,80.84	--	--
	8910–01 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2014 तक प्रदाय कार्यशील/पूंजीगत ऋण एवं इस पर देय ब्याज का सतत ऋण में परिवर्तन	77,28,45.00	--	--	--	77,28,45.00	--	--
(xv)	उप पारेषण और वितरण व्यवस्था का सुदृढीकरण	4,84,80.60	1,18,78.21	--	--	6,03,58.81	1,18,78.21	--
(xvi)	आई.आर.डी.एस.कंपनी शेयर	60,00.00	5,60.00	--	--	65,60.00	5,60.00	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 21,38.45 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बढ़ते खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(ड.)	ऊर्जा – जारी							
6801	बिजली परियोजनाओं के लिये ऋण – जारी							
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – समाप्त							
(xvii)	ट्रेडिंग कंपनी को विद्युत परियोजना के विद्युत देयकों की देनदारियों का सतत ऋण में परिवर्तन वर्ष 2016-17 तक	3,54,28.25	--	--	--	3,54,28.25	--	--
	योग – 190 – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	2,73,15,04.56	2,96,21.27	--	--	2,76,11,25.83	2,96,21.27	--
204	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	1,83,80.95	--	--	--	1,83,80.95	--	--
205	संचरण तथा वितरण –							
(i)	अन्तर्राज्यीय विद्युत ग्रिड के लिये मध्य प्रदेश विद्युत मंडल को ऋण	2,01.79 ^(क)	--	--	--	2,01.79	--	--
(ii)	पारेषण तथा वितरण योजना हेतु मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल को ऋण	52,88.53 ^(ख)	--	--	--	52,88.53	--	--
(iii)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (0101-6929)	1,85,23.86	--	--	--	1,85,23.86	--	--
(iv)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (1201-6929)	3,71,46.09	--	--	--	3,71,46.09	--	--
(v)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (1202-6929)	36,19.00	--	--	--	36,19.00	--	--
(vi)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (1203-6929)	29,14.00	--	--	--	29,14.00	--	--
(vii)	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण (0101-7900)	43,05.00	--	--	--	43,05.00	--	--
(viii)	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण (1201-7900)	4,80,96.89	--	--	--	4,80,96.89	--	--
(ix)	33/11 के.वी. उपकेन्द्र, उपकेन्द्रों तथा मीटरिंग के आधुनिकीकरण तथा नवीनीकरण हेतु ऋण	3,02,44.40	23,26.37	--	--	3,25,70.77	23,26.37	--
(x)	कृषि उपयोग हेतु-स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था (1201-5523)	11,73,09.46	--	--	--	11,73,09.46	--	--
(xii)	हरित कोरिडोर (0700)	--	65,77.09	--	--	65,77.09	65,77.09	--
	योग – 205 – संचरण तथा वितरण	26,76,49.02	89,03.46	--	--	27,65,52.48	89,03.46	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 73.20 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 19,18.52 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम—जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(ड.)	ऊर्जा – जारी							
6801	बिजली परियोजनाओं के लिये ऋण – जारी							
789	विशेष घटक योजना							
(i)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	1,34,49.88	--	--	--	1,34,49.88	--	--
(ii)	उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण	6,46,80.62	--	--	--	6,46,80.62	--	--
(iii)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.3)	22,87.07	--	--	--	22,87.07	--	--
(iv)	कृषि उपयोग हेतु स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था	25,88.57	--	--	--	25,88.57	--	--
(v)	33/11 के.व्ही.उपकेन्द्रों तथा डी.टी.आर. मीटरिंग का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु ऋण	24,94.97	--	--	--	24,94.97	--	--
	योग – 789 – विशेष घटक योजना	8,55,01.11	--	--	--	8,55,01.11	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनान्तर्गत योजनाओं के लिये ऋण							
(i)	ताप विद्युत परियोजनाओं की विद्युत परियोजना को पारेषण वितरण हेतु ऋण	11,00.70 ^(क)	--	--	--	11,00.70	--	--
(ii)	मध्यप्रदेश विद्युत मंडल की विविध योजनाओं हेतु ऋण	2,95,14.00 ^(ख)	--	--	--	2,95,14.00	--	--
(iii)	पारेषण के उप पारेषण वितरण का सुदृढीकरण	5,10,85.74	--	--	--	5,10,85.74	--	--
(iv)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.3)	30,00.00	--	--	--	30,00.00	--	--
(v)	कृषि उपयोग हेतु स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था (5523)	54,62.16	--	--	--	54,62.16	--	--
(vi)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (6929)	3,96,26.78	--	--	--	3,96,26.78	--	--
(vii)	33/11 के.व्ही.केन्द्र तथा बी.टी.आर. के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण हेतु ऋण	21,98.05	--	--	--	21,98.05	--	--
	योग – 796 – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	13,19,87.43	--	--	--	13,19,87.43	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 3,99.30 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 1,02,87.14 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम-जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(ड.)	ऊर्जा – समाप्त							
6801	बिजली परियोजनाओं के लिये ऋण – समाप्त							
800	विद्युत बोर्डों के लिए अन्य ऋण –							
(i)	ताप विद्युत् योजनाओं के लिये मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
(ii)	मध्यप्रदेश विद्युत बोर्ड को ऋण	41,46.25 ^(क)	--	--	--	41,46.25	--	--
(iii)	सामुदायिक विकास परियोजना के क्षेत्रों के ग्रामों में बिजली लगाने के लिये मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
(iv)	कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत नलकूपों तथा पम्पिंग सेटों के शक्तिकरण हेतु म.प्र. विद्युत मण्डल को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
(v)	नर्मदा घाटी में पम्पों के शक्तिकरण हेतु म.प्र. विद्युत बोर्ड को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
(vi)	अनुसूचित जाति विशेष राज्य योजना हेतु विशेष घटक योजना	19,14.48 ^(ख)	--	--	--	19,14.48	--	--
(vii)	विद्युत बोर्ड को अन्य ऋण	2,80,04.61 ^(ग)	--	--	--	2,80,04.61	--	--
(viii)	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को कार्यालय भवन के क्रय के लिए ऋण	85,93.60	--	--	--	85,93.60	--	--
(ix)	अन्य विविध ऋण	--	--	--	--	--	--	--
	योग – 800 – विद्युत बोर्डों के लिये अन्य ऋण	4,26,58.94	--	--	--	4,26,58.94	--	--
	योग – 6801 – बिजली परियोजनाओं के लिये ऋण	3,27,76,82.01	3,85,24.73	--	--	3,31,62,06.74	3,85,24.73	--
	योग – (ड) – ऊर्जा	3,27,76,82.01	3,85,24.73	--	--	3,31,62,06.74	3,85,24.73	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 15,04.13 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 6,94.51 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 1,01,59.21 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(च)	उद्योग तथा खनिज –							
6851	ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये ऋण –							
101	औद्योगिक संपदा –							
(i)	ए.के.व्ही.एन. को औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन हेतु सहायता	1,32,50.00	--	--	--	1,32,50.00	--	--
(ii)	ए.के.व्ही.एन. को नया औद्योगिक क्षेत्र विकास हेतु सहायता	2,79,63.00	--	--	--	2,79,63.00	--	--
(iii)	एम.पी.एस.आई.डी.सी. को देनदारों को भुगतान के लिए ऋण	1,65,57.89 ^(क)	22,16.00	--	--	1,87,73.89	22,16.00	--
	योग – 101 – औद्योगिक संपदा	5,77,70.89	22,16.00	--	--	5,99,86.89	22,16.00	--
102	लघु उद्योग– अन्य विविध ऋण	--	--	--	--	--	--	--
103	हथकरघा उद्योग – अन्य विविध ऋण	1.40	--	--	--	1.40	--	--
105	खादी तथा ग्राम उद्योग – अन्य विविध ऋण	0.02	--	--	--	0.02	--	--
109	सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां –							
(i)	संसाधन इकाईयों की स्थापना के लिये प्राथमिक बुनकर सहकारी समितियों को ऋण	4.63	--	--	--	4.63	--	--
(ii)	बंद पावर लूम, जबलपुर को सीमांत धन ऋण	7.31	--	0.84	--	6.47	(-) 0.84	--
(iii)	हथकरघे का शक्ति करघे में परिवर्तन	6.16	--	--	--	6.16	--	--
(iv)	कार्यशालाओं की स्थापना के लिये बुनकर सहकारी समितियों को ऋण	1.10	--	--	--	1.10	--	--
(v)	मध्यप्रदेश राज्य हथकरघा बुनकर संघ को सूती धागे उपलब्ध कराने हेतु परिक्रामी निधि की स्थापना	60.31	--	--	--	60.31	--	--
(vi)	अवन्ती कॉटन मिल को सूती धागे उपलब्ध कराने हेतु परिक्रामी निधि की स्थापना	58.39	--	--	--	58.39	--	--
(vii)	अन्य विविध ऋण	3,02.68	--	--	--	3,02.68	--	--
	योग – 109 – सम्मिश्र ग्राम तथा लघु उद्योग सहकारी समितियां	4,40.58	--	0.84	--	4,39.74	(-) 0.84	--
200	अन्य ग्राम उद्योग –							
(i)	ग्रामीण औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना के लिये ऋण	42.25	--	--	--	42.25	--	--
(ii)	जिला उद्योग केन्द्रों की स्थापना के लिये ऋण	42.68	--	--	--	42.68	--	--
	योग – 200 – अन्य ग्राम उद्योग	84.93	--	--	--	84.93	--	--

(क) वित्त लेखे तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के लेखों के बीच पुनर्मिलान किया जा चुका है।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खात डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(च)	उद्योग तथा खनिज – जारी							
6851	ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिये ऋण – समाप्त							
789	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना –							
(i)	औद्योगिक सहकारिताओं के लिये वित्तीय आधार सहायता	17.99	--	--	--	17.99	--	--
(ii)	हथकरघा हेतु परियोजना पैसेज	1.78	--	--	--	1.78	--	--
(iii)	अधोसंरचना, उत्पादन तथा प्रक्रिया हेतु सहायता (औद्योगिक सहकारिता)	3.63	--	--	--	3.63	--	--
(iv)	राज्य हथकरघा विकास योजना	4.68	--	--	--	4.68	--	--
	योग – 789 – अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना	28.08	--	--	--	28.08	--	--
793	अनुसूचित जाति घटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता –							
	खादी ग्राम उद्योगों को सहायता	23.25	--	--	--	23.25	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनांतर्गत योजनाओं के लिये ऋण	1,63.97	--	--	--	1,63.97	--	--
	योग – 6851 – ग्राम तथा लघु उद्योगों के लिए ऋण	5,85,13.12	22,16.00	0.84	--	6,07,28.28	22,15.16	--
6853	अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों के लिए ऋण –							
01	खनिज अन्वेषण तथा विकास –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण – अन्य विविध ऋण	3.18	--	--	--	3.18	--	--
	योग – 01 – खनिज अन्वेषण तथा विकास	3.18	--	--	--	3.18	--	--
	योग – 6853 – अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योगों के लिये ऋण	3.18	--	--	--	3.18	--	--
6856	पेट्रोकेमिकल उद्योगों को ऋण							
800	अन्य सहायता –							
(i)	औद्योगिक निवेश उन्नति सहायता योजना	11,35,00.00	--	--	--	11,35,00.00	--	--
(ii)	निवेश प्रोत्साहन योजना (2123)	5,15,00.00	2,50,00.00	--	--	7,65,00.00	2,50,00.00	--
	योग – 800 – अन्य सहायता	16,50,00.00	2,50,00.00	--	--	19,00,00.00	2,50,00.00	--
	योग – 6856 – पेट्रोकेमिकल उद्योगों को ऋण	16,50,00.00	2,50,00.00	--	--	19,00,00.00	2,50,00.00	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(च)	उद्योग तथा खनिज – जारी							
6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिये ऋण –							
01	वस्त्र उद्योग –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण –							
(i)	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम को ऋण	3,09.42 ^(क)	--	--	--	3,09.42	--	--
(ii)	मेसर्स विनोद मिल्स, उज्जैन को ऋण	12,17.73	--	--	--	12,17.73	--	--
(iii)	मेसर्स राजकुमार मिल्स, इंदौर को ऋण	15,66.46	--	--	--	15,66.46	--	--
(iv)	मेसर्स सज्जन मिल्स, रतलाम को ऋण	15,28.13	--	--	--	15,28.13	--	--
(v)	सहकारी टेक्सटाइल मिल्स, बुरहानपुर को ऋण	30.00	--	--	--	30.00	--	--
(vi)	होप टेक्सटाइल्स मिल्स, इन्दौर को ऋण	1,00.00	--	--	--	1,00.00	--	--
(vii)	विमल मिल्स को ऋण	42.00	--	--	--	42.00	--	--
(viii)	इंदौर टेक्सटाइल्स मिल्स, उज्जैन को ऋण	13,08.00	--	--	--	13,08.00	--	--
(ix)	बीमार सूती मिलों को ऋण	30,60.48	--	--	--	30,60.48	--	--
(x)	मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक निगम को ऋण	24.22 ^(ख)	--	--	--	24.22	--	--
(xi)	अवंती कॉटन मिल्स, सनावद को कार्यशील पूंजी के लिये ऋण	1,40.32	--	--	--	1,40.32	--	--
(xii)	अन्य विविध ऋण	31.73	--	--	--	31.73	--	--
	योग – 190 – सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	93,58.49	--	--	--	93,58.49	--	--
789	अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना –							
	लघु हथकरघा इकाइयों को सहायता	1.20	--	--	--	1.20	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना स्कीम अंतर्गत ऋण	29.70	--	--	--	29.70	--	--
	योग – 01 – वस्त्र उद्योग	93,89.39	--	--	--	93,89.39	--	--
03	चमड़ा –							
800	अन्य ऋण – अन्य विविध ऋण	6.42	--	--	--	6.42	--	--
04	चीनी –							
101	सहकारी चीनी मिलों के लिए ऋण – अन्य विविध ऋण	1,93.35	--	--	--	1,93.35	--	--
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	14,18.62	--	--	--	14,18.62	--	--
	योग – 04 – चीनी	16,11.97	--	--	--	16,11.97	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 89.58 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 8.78 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा ऋण – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(च)	उद्योग तथा खनिज – जारी							
6860	उपभोक्ता उद्योगों के लिये ऋण – समाप्त							
60	अन्य							
101	खाद्य तेल – अन्य विविध ऋण	0.27	--	--	--	0.27	--	--
600	अन्य –							
(i)	म.प्र. राज्य औद्योगिक विकास निगम को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
(ii)	डी.एम.आई.सी.परियोजना हेतु टी.आर.आई.एफ.सी. को भूमि अधिग्रहण मुआवजा	16,97.51	--	--	--	16,97.51	--	--
	योग – 600 – अन्य	16,97.51	--	--	--	16,97.51	--	--
	योग – 60 – अन्य	16,97.78	--	--	--	16,97.78	--	--
	योग – 6860 – उपभोक्ता उद्योगों के लिये ऋण	1,27,05.56	--	--	--	1,27,05.56	--	--
6885	उद्योग और खनिज के लिए अन्य ऋण –							
01	औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण							
(i)	मध्यप्रदेश वित्त निगम, इंदौर को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
(ii)	मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
	योग – 190 – सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनागत योजनाओं के अंतर्गत ऋण	2,82.98	--	--	--	2,82.98	--	--
800	अन्य ऋण	46.78	--	--	--	46.78	--	--
	योग – 01 – औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं को ऋण	3,29.76	--	--	--	3,29.76	--	--

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बट्टे खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – जारी							
(च)	उद्योग तथा खनिज – समाप्त							
6885	उद्योग और खनिज के लिए अन्य ऋण – समाप्त							
60	अन्य –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –							
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनागत योजनाओं के अंतर्गत ऋण	59.08	--	--	--	59.08	--	--
800	अन्य ऋण –							
(i)	औद्योगिक विकास निगम को ऋण	--	--	--	--	--	--	--
(ii)	नये उद्योगों को विक्रय कर ऋण	1,76.69	--	--	--	1,76.69	--	--
(iii)	चीनी मिलों को ऋण	1,36.03	--	--	--	1,36.03	--	--
(iv)	मैसर्स विनोद मिल्स, उज्जैन को ऋण	3,23.27	--	--	--	3,23.27	--	--
(v)	मैसर्स हॉप टेक्सटाइल्स मिल्स, उज्जैन को ऋण	85.00	--	--	--	85.00	--	--
(vi)	अन्य विविध ऋण	2,05.65	--	1,90.20	--	15.45	(-) 1,90.20	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	9,26.64	--	1,90.20	--	7,36.44	(-) 1,90.20	--
	योग – 60 – अन्य	9,85.72	--	1,90.20	--	7,95.52	(-) 1,90.20	--
	योग – 6885 – उद्योग और खनिज के लिए अन्य ऋण	13,15.48	--	1,90.20	--	11,25.28	(-) 1,90.20	--
	योग – (च) – उद्योग तथा खनिज	23,75,37.34	2,72,16.00	1,91.04	--	26,45,62.30	2,70,24.96	--
(छ)	परिवहन –							
7053	नागर विमानन के लिए ऋण –							
800	अन्य ऋण – अन्य विविध ऋण	0.50	--	--	--	0.50	--	--
	योग – 7053 – नागर विमानन के लिए ऋण	0.50	--	--	--	0.50	--	--
7055	सड़क परिवहन के लिए ऋण –							
101	सड़क परिवहन निगम को स्थाई ऋण –							
	मध्य प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को ऋण	17,00.58 ^(क)	--	--	--	17,00.58	--	--
	योग – 7055 सड़क परिवहन के लिए ऋण	17,00.58	--	--	--	17,00.58	--	--

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 6,16.92 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बढ़ते खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – जारी							
ग	आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण – समाप्त							
(छ)	परिवहन – समाप्त							
7075	अन्य परिवहन सेवाओं के लिये ऋण –							
01	सड़क तथा पुल –							
190	सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को ऋण –							
	राजकुमार मिल इन्दौर के पास निर्माणाधीन रेल्वे ओवर ब्रिज हेतु नगर निगम, इन्दौर को ऋण	1.00	--	--	--	1.00	--	--
800	अन्य ऋण –							
(i)	नगर निगमों को ऋण	59.51	--	--	--	59.51	--	--
(ii)	जन निजी भागीदारी के अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु ऋण	54,21.00	--	--	--	54,21.00	--	--
	योग – 800 – अन्य ऋण	54,80.51	--	--	--	54,80.51	--	--
	योग – 7075 – अन्य परिवहन सेवाओं के लिये ऋण	54,81.51	--	--	--	54,81.51	--	--
	योग – (छ) – परिवहन	71,82.59	--	--	--	71,82.59	--	--
(ज)	सामान्य आर्थिक सेवाएं –							
7452	पर्यटन के लिये ऋण –							
01	पर्यटन अधोसंरचना –							
101	पर्यटक केन्द्र – अन्य विविध ऋण	1.95 ^(क)	--	--	--	1.95	--	--
796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना –		--	--	--		--	--
	जनजाति क्षेत्र उप-योजनागत योजनाओं के अंतर्गत ऋण	5.51 ^(ख)				5.51		
	योग – 7452 – पर्यटन के लिये ऋण	7.46	--	--	--	7.46	--	--
7465	सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं के लिए ऋण –							
101	सामान्य वित्तीय संस्थायें – अन्य विविध ऋण	1.68 ^(ग)	--	--	--	1.68	--	--
	योग – 7465 – सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाओं को ऋण	1.68	--	--	--	1.68	--	--
	योग – (ज) – सामान्य आर्थिक सेवाएं	9.14	--	--	--	9.14	--	--
	योग – ग – आर्थिक सेवाओं के लिये ऋण	3,75,08,56.35	7,70,25.17	18,15.78	--	3,82,60,65.74	7,52,09.39	63.23

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 0.71 लाख कम किया गया।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 1.99 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 0.61 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 18 – जारी

(₹ लाख में)

मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	1 अप्रैल 2018 को शेष	वर्ष के दौरान संवितरण	वर्ष के दौरान पुनर्भुगतान	बढ़ते खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम	31 मार्च 2019 को शेष (3+4)-(5+6)	वर्ष के दौरान निवल वृद्धि/ कमी (7-3)	जमा ब्याज
1	2	3	4	5	6	7	8	9
च	ऋण तथा अग्रिम – समाप्त							
घ	सरकारी कर्मचारियों को ऋण –							
7610	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि –							
201	भवन निर्माण अग्रिम	2,36.37	--	0.64	--	2,35.73	(-) 0.64	--
202	मोटर वाहन का क्रय करने के लिये अग्रिम	1,76.73	--	0.09	--	1,76.64	(-) 0.09	--
203	अन्य वाहनों का क्रय करने के लिए अग्रिम	0.08	--	--	--	0.08	--	--
204	कम्प्यूटर का क्रय करने के लिये अग्रिम	39.51	--	0.08	--	39.43	(-) 0.08	--
800	अन्य अग्रिम	14,61.11	--	--	--	14,61.11	--	--
	योग – 7610 – सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि	19,13.80	--	0.81	--	19,12.99	(-) 0.81	2,03,67.04
	योग – घ – सरकारी कर्मचारियों को ऋण	19,13.80	--	0.81	--	19,12.99	(-) 0.81	2,03,67.04
ड.	विविध –							
7615	विविध ऋण –							
200	विविध ऋण –							
	अन्य विविध ऋण	4.46	--	--	--	4.46	--	--
	योग – 7615 – विविध ऋण	4.46	--	--	--	4.46	--	--
	योग – ड. – विविध	4.46	--	--	--	4.46	--	--
	योग – च – ऋण तथा अग्रिम	4,11,24,06.84	10,89,65.94	69,88.08	--	4,21,43,84.70	10,19,77.86	2,34,65.46

टीप :- कॉलम 6 के अन्तर्गत 'बढ़ते खाते डाले गये अवसूली योग्य ऋण और अग्रिम' से संबंधित जानकारी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई।

विवरण संख्या 18 – समाप्त

अनुभाग-2 : ऋणी इकाईयों से बकाया पुनर्भुगतान।

(₹ लाख में)

ऋणी इकाई	दिनांक 31 मार्च, 2019 को बकाया राशि			सबसे पूर्व का वर्ष जिससे बकाया राशि सम्बन्धित है	दिनांक 31 मार्च, 2019 को ऋणी इकाई के विरुद्ध ऋण की बकाया राशि
	मूलधन	ब्याज	योग		
1	2	3	4	5	6

राज्य सरकार से जानकारी प्रतिक्षित है।

अतिरिक्त प्रकटीकरण

वर्ष के दौरान दिये गये नवीन ऋण एवं अग्रिम :

(₹ लाख में)

स. क्र.	ऋणी इकाई	ऋणों की सं.	ऋणों की कुल राशि	अवधि एवं शर्तें	
				ब्याज की दर	अस्थाई निलंबन अवधि, यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6

राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है

ऋणों एवं अग्रिमों के सम्बन्ध में असामान्य लेन-देन दर्शाते हुए प्रकटीकरण

1. निरन्तर ऋण के रूप में स्वीकृत ऋणों के प्रकरण निम्नानुसार हैं :-

(₹ लाख में)

स.क्र.	स्वीकृति का वर्ष	स्वीकृति आदेश क्रमांक	राशि	ब्याज की दर
1	2	3	4	5

राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है

2. शासन द्वारा निम्नलिखित ऋण प्रदान किये गये हैं जिनकी अवधि एवं शर्तें अभी निश्चित होना है :-

(₹ लाख में)

ऋणी इकाई	ऋणों की संख्या	कुल राशि	सबसे पूर्व की अवधि जिससे ऋण सम्बन्धित है
1	2	3	4

राज्य सरकार से जानकारी प्रतिक्षित है।

3. शासन द्वारा वर्ष के दौरान ऋणी को दिये गये नवीन ऋण एवं अग्रिम जिनसे पूर्व ऋणों का पुनर्भुगतान बकाया है :-

(₹ लाख में)

ऋणी इकाई का नाम	चालू वर्ष के दौरान संवितरित ऋण		दिनांक 31 मार्च, 2018 को बकाया राशि			सबसे पूर्व की अवधि जिससे ऋण सम्बन्धित है	चालू वर्ष के दौरान संवितरण के कारण
	ब्याज की दर	मूलधन	मूलधन	ब्याज	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8

राज्य सरकार से जानकारी प्रतिक्षित है।

19 – सरकार के निवेशों का विस्तृत विवरण पत्रक

अनुभाग 1 – वर्ष 2018-19 के अंत तक निवेशों का ब्यौरा

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ब्याज किन्तु सरकारी लेख में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
I- सांविधिक निगम—										
1.	मध्यप्रदेश राज्य भाण्डागार निगम, भोपाल /लॉजिस्टिक निगम	1957-58 से 1990-91 1991-92 1992-93 1994-95 से 2002-03 2017-18 छत्तीसगढ़ को प्रभाजित	साधारण साधारण साधारण	249540 17020 (50%)	100 100	7,31.58 (-) 4,63.60 17.02 3,10.24 (-) 1,51.92 ^(क)		7,53.42		
					योग	4,43.32	50	7,53.42		
2.	मध्यप्रदेश वित्त निगम, इन्दौर	1955-56 से 1983-84 1989-90 1990-91 से 2003-04 2004-05 से 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 छत्तीसगढ़ को अंशों का आवंटन 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18	साधारण विशेष साधारण साधारण साधारण साधारण साधारण	* * 134000 550000 1890000 6500000	100 100 100 100 100 100	4,86.67 -- 42,10.11 5,50.00 1,89,00.00 65,00.00 23,91.13 ^(ख) (-) 11,10.06 5,00.00 5,00.00 5,00.00 5,00.00 पू.नि.(-) 10,00.00 5,00.00 पू.नि. (-) 10,44.13 5,00.00 पू.नि. (-) 5,51.00 5,00.00 5,00.00 25,00.00 पू.नि. (-) 72.69	82.25 और 94.27			
					योग	3,57,60.03				

टीप:- कई प्रतिष्ठानों से स्तम्भ 8 तथा 10 हेतु जानकारी प्रतीक्षित है।

- (क) राजपत्र की अधिसूचना क्रमांक 587 दिनांक 16.11.2012 के अनुसार ₹ 1,51.92 लाख की राशि छत्तीसगढ़ राज्य को प्रभाजित की गयी है। वित्त लेखे तथा निगम की पुस्तकों में पुनर्मिलान किया जा चुका है, तदनुसार अंतर की राशि को ₹ 15.24 लाख तक कम किया जा चुका है।
- (ख) मुख्य शीर्ष 6885 के अंतर्गत कर्ज के मुख्यशीर्ष 4885-01-190 के अन्तर्गत निवेश में परिवर्तन से संबंधित 16,91.13 लाख रुपये सम्मिलित है। निगम को दोनों राशियों को सम्मिलित करने एवं वर्ष 2012-13 का ₹ 10,00.00 लाख, वर्ष 2013-14 का 10,44.13 लाख एवं वर्ष 2014-15 का ₹ 5,51.00 लाख का विनिवेश करने हेतु कहा गया है। वित्त लेखे तथा निगम की पुस्तकों में विसंगति मुख्यतः निगम द्वारा विनिवेश की राशि को निगम की पुस्तकों में नहीं दर्शाये जाने के कारण परिलक्षित हो रही है।
- पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
I -	सांविधिक निगम—जारी									
3.	मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल	1962-63 से 2005-06		*	*	1,10,60.05 ^(क)				
4.	मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ (सहकारी) मर्यादित	1978-79 से 1997-98		*	*	1,07.99 ^(ख)				
5.	मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम, भोपाल	1982-83 से 1999-2000		*	*	99.48 ^(ग)				
6.	मध्यप्रदेश भूमि विकास निगम, भोपाल	1977-78 एवं 1978-79	इक्विटी	750	10000	75.00				
		1977-78 से 1979-80	*	*	1,96.19					
		1980-81 से 1983-84	साधारण	3590	10000	4,71.18				
					योग	7,42.37 ^(घ)				
7.	मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम, भोपाल	1980-81 से 1989-90	इक्विटी	2073	10000	1,49.39 ^(ङ)				
		1993-94 से 1999-2000		*	*	4,19.00 ^(च)				
		2014-15				25,00.00				
					योग	30,68.39				
8.	कृषि पुनर्वित्त एवं विकास निगम, मुम्बई	1978-79 एवं 1979-80		*	*	11.00 ^(छ)				

(क) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बीच विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, निवेश के आंकड़े ₹ 37,76.44 लाख कम किए गए।

(ख) महासंघ की पुस्तकों के अनुसार निवेश ₹ 1.06 लाख है। विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ राज्य के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 36.09 लाख कम किए गए।

(घ) निगम की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश ₹ 9,79.57 लाख है। विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 54.19 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,52.00 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4.00 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
I -	सांविधिक निगम—जारी									
9.	मध्यप्रदेश महिला वित्त निगम	1991-92 से 2005-06		*	*	47.43 ^(क)				
		2006-07		*	*	1,26.00				
		2009-10		*	*	1,00.00				
		2010-11		*	*	2,00.00				
		2011-12				2,04.00				
		2012-13				2,00.00				
		2013-14				1,00.00				
					योग	9,77.43				
10.	आदिवासी वित्त एवं विकास निगम	1994-95		*	*	1.07 ^(ख)				
		1995-96 से 2002-03		*	1.00	13,23.60 ^(ग)				
		2003-04		*	*	90.00				
		2005-06	10000 (100%)	*	*	1,00.00				
		2006-07		*	*	4,45.00				
		2008-09		*	*	2,00.00				
		2009-10		*	*	1,00.00				
		2010-11				1,50.00 ^(घ)				
		2011-12				75.00 ^(ङ)				
		2012-13				1,33.00				
					योग	26,17.67	51			

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 13.57 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.39 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3,43.40 लाख कम किए गए।

(घ) ₹ 1,50.00 लाख म.प्र.अ.जा. वित्त एवं विकास निगम के विरुद्ध दर्शाये गये थे, जबकि राशि आदिवासी वित्त एवं विकास निगम से सम्बन्धित है।

(ङ) ₹ 1,00.00 लाख के स्वीकृति आदेशों के विरुद्ध वर्ष 2011-12 के दौरान निगम द्वारा केवल ₹ 75.00 लाख आहरित किए गए। हालांकि निगम की पुस्तकों में निवेश ₹ 1,00.00 लाख का दर्शाया गया है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I- सांविधिक निगम—जारी										
11.	मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी आवास निगम	1994-95 से 2000-01 (अक्टूबर 2000 तक)	*	*		2,94.00 ^(क)				
		2002-03 से 2003-04		*	*	95.00				
					योग	3,89.00				
12.	मध्यप्रदेश विद्युत मंडल, जबलपुर ^(ख)	1996-97 से 1997-98		*	*	2,08,03.50 ^(ग)				
13.	सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई	2006-07		*	*	6,00.00				
		2007-08		*	*	1,50,00.00				
		2009-10		*	*	69,92.06				
		2010-11		*	*	36,96.00				
		2011-12				80,00.00				
		2012-13				2,08,00.00				
		2013-14				13,33.00				
		2015-16				85,00.00				
		2016-17				79,00.00				
		2017-18				(-) 79,00.00 ^(घ)				
					योग	6,49,21.06	100			
14.	मालवा ताप विद्युत परियोजना	2006-07		*	*	40,00.00				
		2007-08		*	*	95,19.00				
		2008-09		*	*	64,61.00				
		2009-10		*	*	56,00.00 ^(ङ)				
		2010-11		*	*	2,49,04.00				
		2011-12				2,42,43.00				
		2012-13				3,30,10.00				
		2013-14				2,39,73.00				
		2015-16				20,00.00				
		2016-17				1,51,20.00 ^(च)				
					योग	14,88,30.00	100			

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,06.65 लाख कम किए गए।

(ख) मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल को नवम्बर 2002 में पांच विभिन्न कंपनियों में असमूहीकृत किया गया है। नामतः (i) म.प्र.विद्युत उत्पादक कंपनी लिमिटेड, (ii) म.प्र.पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (iii) म.प्र.पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (iv) म.प्र.मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, (v) म.प्र.पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड।

(ग) ₹ 2,31,15.00 लाख का मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य प्रभाजन किया गया, इसमें से ₹ 2,08,03.50 लाख मध्यप्रदेश को तथा ₹ 23,11.50 लाख छत्तीसगढ़ को आवंटित किए गए।

(घ) भारत सरकार द्वारा सतपुड़ा एवं श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना को आवंटित राशि गोधवारा उद्देगी कॉल ब्लॉक को हस्तांतरित की गई।

(ङ) पिछले वर्षों के वित्त लेखों में त्रुटिपूर्ण रूप से मालवा ताप विद्युत परियोजना के विरुद्ध निवेश ₹ 49,00.00 लाख का दर्शाया गया।

(च) राशि श्री सिंगाजी थर्मल प्रोजेक्ट (2x600 मेगावाट) के विरुद्ध वित्त लेखों 2016-17 में त्रुटिपूर्ण दर्शायी गयी थी।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश के ब्यौरे अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						₹	(₹ लाख में)			
I- सांविधिक निगम—जारी										
15.	अमरकंटक ताप विद्युत विस्तार इकाई-5	2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2009-10		*	*	12,00.00 ^(क) 54,51.00 ^(ख) 45,22.00 58,67.00 6,41.90				
						योग	1,76,81.90	100		
16.	अमरकंटक ताप विद्युत विस्तार इकाई 1×250 मेगावाट	2016-17				25.00 ^(ग)				
17.	वीरसिंहपुर परियोजना	2004-05 2005-06 2006-07 2007-08				40,00.00 ^(क) 2,80,15.00 ^(ख) 1,65,00.00 (-) 30,00.00 ^(घ) 20,77.00				
						योग	4,75,92.00	100		
18.	गारंटीकृत ऋणों के व्यवस्थापन के लिये प्रावधान	2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10				3,53,56.44 ^(क) 4,00,00.00 ^(क) 2,98,38.95 1,60,00.00 1,60,00.00 33,67.20				
						योग	14,05,62.59	100		

(क) राशि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल जबलपुर के विरुद्ध वित्त लेखों 2004-05 तथा 2005-06 में त्रुटिपूर्ण दर्शायी गयी थी।

(ख) ₹ 2,80,15.00 लाख तथा ₹ 54,51.00 लाख की राशि वित्त लेखों 2005-06 में त्रुटिपूर्ण रूप से म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के विरुद्ध दर्शायी गयी थी।

(ग) राशि वित्त लेखों 2016-17 में त्रुटिपूर्ण रूप से अमरकंटक थर्मल पावर एक्सटेंशन यूनिट-5 के विरुद्ध दर्शायी गयी थी।

(घ) ₹ (-) 30,00.00 लाख की राशि वीरसिंहपुर प्रोजेक्ट के निवेश को 2006-07 के दौरान मुख्यशीर्ष 4801-06-190 के तहत वर्गीकृत ऋण में परिवर्तित करने से संबंधित है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
I -	सांविधिक निगम—जारी									
19.	मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल	1995-96 से 1999-2000		*	*	4,65.75 ^(क)				
		नवम्बर 2000 से 2005-06		*	*	3,59.04				
		2008-09		*	*	50.00				
		2009-10		*	*	50.00				
		2010-11		*	*	50.00				
		2011-12				50.00 ^(ख)				
		2012-13				10.00				
		2013-14				50.00				
		2014-15				20.00				
		2015-16				60.00				
					योग	11,64.79 ^(ग)	100			
20.	म.प्र.वि.मं. को एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से प्राप्त परियोजना सहायता ^(घ)	2004-05				1,46,75.38				
		2005-06				31,34.46				
		2006-07				68,86.44				
					योग	2,46,96.28				
21.	मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम	2004-05 से 2005-06	इक्विटी	*	10	15,00.00				
		2006-07	इक्विटी	*	10	1,00.00				
		2007-08	इक्विटी	*	10	1,00.00				
		2008-09		*	10	1,00.00				
		2009-10		*		1,00.00				
		2010-11		*		1,00.00				
					योग	20,00.00 ^(ङ)	100			

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,68.96 लाख कम किए गए।

(ख) ₹ 1,50.00 लाख में से ₹ 1,00.00 लाख मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम से सम्बन्धित है। अतः मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के समक्ष केवल ₹ 50.00 लाख की राशि प्रदर्शित है।

(ग) निगम की पुस्तकों में वर्ष 2016-17 तक निवेश ₹ 10,74.85 लाख है। निगम की पुस्तकों में वर्ष 2014-15 के दौरान निवेश ₹ 20.00 लाख के स्थान पर त्रुटिपूर्ण रूप से ₹ 50.00 लाख दर्शाया गया है। ₹ 89.94 लाख की विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(घ) निवेश की राशि ₹ 1,46,75.38 लाख, ₹ 2,75.36 लाख (₹ 31,34.46 लाख में से पूंजीगत लेखे की पुनर्प्राप्तियां ₹ 28,59.10 लाख घटाकर) तथा ₹ 68,86.44 लाख वित्त लेखे 2004-05, 2005-06 तथा 2006-07 में क्रमशः त्रुटिपूर्ण रूप से म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के विरुद्ध दर्शायी गयी हैं।

(ङ) निगम की सूचना अनुसार 2007-08 तक निवेशित राशि ₹ 11.50 करोड़ है तथा ₹ 5.50 करोड़ अंश आवेदन के रूप में रखे गये हैं।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश के ब्यौरे अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
I - सांविधिक निगम—जारी										
22.	म.प्र.विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित (श्री सिंघाजी ताप विद्युत परियोजना दो गुणा 660 मेगावाट)	2010-11 से 2011-12		*	*	40,20.00				
		2012-13				27,90.00				
		2014-15				3,60,00.00				
		2015-16				60,00.00				
		2016-17				1,90,00.00 ^(क)				
		2017-18				3,00,00.00				
		2018-19				59,28.27				
योग						9,78,69.28 ^(ख)				
23.	दादा धुनी वाले ताप विद्युत परियोजना	2010-11		*	*	22,50.00				
		2011-12				20,00.00				
		2012-13				5,00.00				
योग						47,50.00 ^(ग)				
24.	राष्ट्रीय हाइड्रोइलेक्ट्रिक विकास निगम, मर्यादित (एन.एच.डी.सी.) यूनिट I एवं II/ इंदिरा सागर परियोजना यूनिट I एवं III ^(घ)	2004-05		*	*	8,21,81.00		2,65,96.43		
25.	दिल्ली—मुम्बई औद्योगिक गलियारा निगम	2008-09		*	*	40.00				
26.	बाणसागर ताप विद्युत गृह (2×800 मेगावाट)	2011-12				15,00.00				
		2012-13				31,99.00				
योग						46,99.00 ^(ङ)				
27.	औद्योगिक विकास केन्द्र निगम ^(च)	2012-13				10,00.00				
		2013-14				1,00.00				
		2014-15				1,00.00				
		2015-16				1,00.00				
		2016-17				1,00.00				
		2017-18				1,00.00				
योग						15,00.00 ^(छ)				

(क) ₹ 1,51,20.00 लाख की राशि श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट के विरुद्ध दर्शायी गयी थी, जबकि यह मालवा थर्मल पावर प्रोजेक्ट से सम्बन्धित है।

(ख) कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) के पत्र क्र.ES-III/COPU/पुनर्मिलान/डी-289 दिनांक 18.04.2019 के अनुसार श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में निवेश को म.प्र.विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड की पुस्तकों में सम्मिलित किया गया है।

(ग) प्रतिष्ठान म.प्र. विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड के अधीन है। प्रतिष्ठान की पुस्तकों में म.प्र.शासन का निवेश ₹ 42,50.00 लाख है। प्रतिष्ठान के वर्ष 2012-13 के लेखों के तुलन पत्र (Balance Sheet) में ₹ 5.00 लाख का अंतर शामिल करना है।

(घ) पूर्व वर्षों के वित्त लेखों में प्रतिष्ठान का नाम त्रुटिपूर्ण रूप से नर्मदा हाइड्रो इलेक्ट्रिक विकास निगम, मर्यादित दर्शाया गया था। जिसे वित्त वर्ष 2017-18 के बजट दस्तावेज के अनुसार सुधारा गया है।

(ङ) कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) के पत्र क्र.ES-III/COPU/पुनर्मिलान/डी-289 दि.18.04.2019 के अनुसार यह सार्वजनिक उपक्रम कार्यशील नहीं है/परिसमापन की स्थिति में है।

(च) वर्तमान में पाँच अलग-अलग औद्योगिक केन्द्र विकास निगम है जो पृथक सार्वजनिक उपक्रमों के रूप में अस्तित्व में हैं।

(छ) वर्ष 2016-17 तक औद्योगिक केन्द्र विकास निगम सागर, भोपाल, जबलपुर, रीवा, इन्दौर, ग्वालियर तथा मध्यप्रदेश ट्राइफेक में क्रमशः ₹ 5,50.00 लाख ₹ 1,50.00 लाख, ₹ 2,50.00 लाख ₹ 1,00.00 लाख, ₹ 1,50.00 लाख, ₹ 1,75.00 लाख तथा ₹ 25.00 लाख का निवेश है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
I-	सांविधिक निगम—समाप्त									
28	राज्य जल निगम	2012-13				25,00.00				
		2014-15				15,00.00				
		2015-16				15,00.00				
		2016-17				45,00.00				
					योग	1,00,00.00				
29	ग्रामीण विद्युतिकरण निगम को भुगतान की जाने वाली राशि के समायोजन हेतु म.प्र.रा.वि.मण्डल/उत्तरवर्ती कम्पनियों को सहायता	2004-05				14,14,80.00 ^(क)				
30	अहलूवालिया समिति की अनुशंसा के अनुसार बोर्ड को दायित्व के भुगतान हेतु अनुदान	2004-05				39,91.00 ^(ख)				
31	मध्यप्रदेश शहरी विकास निगम लिमिटेड (स्मार्ट सिटी)	2017-18				2,04,00.00				
		2018-19				2,45,00.00				
					योग	4,49,00.00				
32	म.प्र.पर्यटन मण्डल की अंशपूंजी में निवेश	2017-18				10,00.00				
33	म.प्र.हस्तशिल्प विकास निगम की अंशपूंजी में निवेश	1990-91				1.70 ^(ग)		0.03		
34	मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड	2018-19				1,00,00.00				
योग – I – सांविधिक निगम						92,59,65.83		2,73,49.88		

(क) वर्ष 2004–05 के वित्त लेखों में निवेश की राशि ₹ 14,14,80.00 लाख में पूंजीगत लेखों की पुनर्प्राप्तियां ₹ 5,00,00.00 लाख घटाकर निवल राशि ₹ 9,14,80.00 लाख म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल के विरुद्ध दर्शायी गयी थी।

(ख) वर्ष 2004–05 के वित्त लेखों में ₹ 39,91.00 लाख का निवेश म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के विरुद्ध दर्शाया गया था।

(ग) वर्ष 1990–91 के वित्त लेखों में ग्रामीण उद्योग विभाग, मध्यप्रदेश सरकार के पत्र क्रमांक 1422/52/90 दिनांक 21.01.1991 द्वारा जारी स्वीकृतियों के विरुद्ध किये गये ₹ 1.70 लाख के आहरण को नहीं दर्शाया गया था क्योंकि राशि ₹ 50.00 लाख से कम थी। वर्ष 1990–91 की मूल प्रविष्टि के विरुद्ध त्रुटि कर टिप्पणी दर्ज की गयी है तथा वर्ष 2017–18 के वित्त लेखों के सम्बन्धित विवरणों में अभियुक्ति दी गयी है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश के ब्यौरे अंशों / डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश / डिबेन्चर का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश / ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश / ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
II- सरकारी कम्पनियां—										
1.	प्रॉविडेंट इन्वेस्टमेन्ट कम्पनी मर्यादित, मुंबई	1948 से पहले 1967-68 1971-72 1972-73 1976-77	साधारण साधारण साधारण साधारण साधारण	4662 10(98%) 24 60 200	1000 1000 1000 1000 1000	46.62 ^(क) 0.10 0.48 0.60 2.00				
		छत्तीसगढ़ को अंशों का आवंटन				(-) 12.81 ^(ख)				
				योग		36.99				
2.	मध्यप्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल	1968-69 से 1984-85 1994-95 से 2002-03 2017-18		182000 * *	100 * *	1,33.55 ^(ग) 90.00 पू.नि. (-) 0.01 पू.नि. (-) 89.99 ^(घ) 7.34 ^(ङ)		4,27.41		
				योग		1,40.89		4,27.41		
3.	केला तथा फल विकास निगम, चैन्नई	1976-77	इक्विटी	1000	100	0.73 ^(घ)				
4.	मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम, भोपाल	1974-75 1990-91 से 1993-94 छत्तीसगढ़ को अंशों का आवंटन	साधारण —	5000 115000	1000 1000	50.00 11,50.00 (-) 3,52.56 ^(घ)				
				योग		8,47.44				
5.	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम मर्यादित, भोपाल	1975-76 से 2011-12	इक्विटी	477000	100	2,97.47 ^(ज)				

- (क) “मु.शी.8235—सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां—मध्यप्रदेश सरकार की अन्य निधियों” के अंतर्गत वर्गीकृत पूर्व ग्वालियर राज्य की निधियों से निवेशित ₹ 1.05 लाख सम्मिलित है। निवेश 31 मार्च 1964 के शेयरों के बाजार मूल्य के प्रोफार्मा अपनाने को दर्शाता है जो कि भूतपूर्व ग्वालियर और होलकर राज्यों की कुछ निधियों के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था।
- (ख) मध्यप्रदेश सरकार वित्त विभाग के पत्र क्र.1139/4818/2007/ई/iv भोपाल दिनांक 31.03.2008 के अनुसार 25.72 प्रतिशत अंश छत्तीसगढ़ को आवंटित किये गये हैं।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 48.45 लाख कम किए गए।
- पू.नि. यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(घ)
- (घ) ₹ 89.99 लाख की राशि वर्ष 2013-14 में त्रुटिपूर्ण रूप से मु.शी.0401-800 के अन्तर्गत वर्गीकृत की गयी थी अतः वर्ष 2017-18 के वित्त लेखों में मूल प्रविष्टि के विरुद्ध टिप्पणी तथा अभियुक्ति दी गई है। पी.एस. यू. के द्वारा ₹ 17.00 लाख के स्वीकृति आदेश उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.66 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.27 लाख कम किए गए।
- (छ) म.प्र.सरकार के पत्र दिनांक 06.12.2005 के अनुसार 29.38% अंश छत्तीसगढ़ नागरिक आपूर्ति निगम मर्यादित को आवंटित किये गये हैं।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश की राशि ₹ 1,07.91 लाख कम की गई। वित्त लेखों एवं निगम की पुस्तकों के बीच पुनर्मिलान हो चुका है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
				अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
II-	सरकारी कम्पनियां—जारी									
6.	मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम मर्यादित	1965-66 से 1985-86	इक्विटी साधारण	175600	1000	12,88.55 ^(क)				घाटे में चल रही है।
		1986-87 से 1990-91	इक्विटी	170000	1000	13,13.50 ^(ख)				
		1986-87 से 1990-91	इक्विटी	639917	1000	23,99.46 ^(ग)				
		1991-92	इक्विटी	75800 (100%)	1000	5,56.22 ^(घ)				
		1992-93 से 1993-94	*	*	*	2,85.18 ^(ङ)				
		2003-04 से 2005-06				13,76.28				
		2006-07				16,00.00				
		2007-08				17,50.00				
		2008-09				3,71.44				
		2009-10				9,87.58				
		2010-11				13,00.98				
		2011-12				11,26.66				
		2016-17				पू.नि. (-) 12.13				
		2017-18				(-) 85,00.81 ^(च)				
योग						58,42.91				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4,67.45 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4,76.50 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 8,70.45 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,01.78 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,03.45 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।⁽¹⁾

(च) आंकड़ों के पुनर्मिलान के पश्चात ₹ 4.89 लाख, ₹ 41,58.93 लाख तथा ₹ 43,39.09 लाख क्रमशः प्रतिष्ठान स.क्र.7 (वर्ष 2003–04), प्रतिष्ठान स.क्र.8(2004–05 से 2011–12) तथा प्रतिष्ठान स.क्र.9(2005–06 से 2007–08 तथा 2009–10 से 2011–12) के विरुद्ध दर्शाये गये हैं। कुल निवेश ₹ 85,02.91 लाख है। वर्ष 2016–17 में ₹ (-) 12.13 लाख पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश है। ₹ 10.03 लाख का अंतर का कारण, प्रतिष्ठान के विरुद्ध आंकड़ों का समावेश है जो कि 2010–11 तथा तथा 2011–12 में निवेश से संबंधित नहीं थे।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
				अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
II- सरकारी कम्पनियाँ—जारी										
7.	भूमि अधिग्रहण, सर्वेक्षण तथा सीमांकन ^(क)	2003-04	*	*		4.89				
		2004-05	*	*		5,10.39				
		2005-06	*	*		2,00.00				
		2006-07	*	*		2,00.00				
		2007-08	*	*		6,50.00				
		2008-09	*	*		3,71.44				
		2009-10	*	*		3,87.58				
		2010-11	*	*		9,89.61				
		2011-12	*	*		8,49.91				
		2012-13	*	*		74,99.49				
		2013-14	*	*		89,71.62				
		2014-15	*	*		49,55.82				
		2015-16	*	*		10,04.93				
		2016-17	*	*		5,00.00				
		2017-18	*	*		2,51.84				
		2018-19	*	*		35,50.00				
					योग	3,08,97.52				

(क) राज्य बजट में भूमि अधिग्रहण सर्वेक्षण तथा सीमांकन को निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है, हालांकि यह इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। वर्ष 2003-04 से वर्ष 2011-12 में राशि को त्रुटिपूर्ण रूप से म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम के विरुद्ध दर्शायी गई है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक की राशि संबंधित वर्षों के वित्त लेखों में शामिल नहीं की गई। वर्ष 2016-17 के वित्त लेखों में प्रतिष्ठान V—सहकारी बैंकों और समितियों के अन्तर्गत दर्शायी गई थी।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश के ब्यौरे अंशों / डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश / डिबेन्चर का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश / ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश / ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
II-	सरकारी कम्पनियाँ—जारी									
8.	विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना हेतु भूमि अधिग्रहण ^(क)	2005-06 2006-07 2007-08 2009-10 2010-11 2011-12				6,61.00 14,00.00 11,00.00 6,00.00 3,03.09 2,75.00				
				Total		43,39.09				
9.	मध्य प्रदेश ट्रेड एंड इनवेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमिटेड ^(ख)	1976-77 से 1987-88	इक्विटी	45250	100	33.20 ^(ख)				
10.	मध्यप्रदेश राज्य उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल	1961-62 से 1988-89 1992-93 एवं 1993-94 2011-12 2016-17	इक्विटी *	248582 *	1000 *	15,65.48 ^(ग) 2,17.90 ^(घ) पू.नि. (-) 2.77 पू.नि. (-) 12.13 ^(ङ)				
				योग		17,68.48 ^(घ)				
11.	मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम मर्यादित, भोपाल	1961-62 से 1974-75	इक्विटी	267753	100	1,96.47 ^(घ)				
12.	मध्य प्रदेश राज्य टेक्सटाइल निगम, भोपाल ^(ज)	1970-71 से 1990-91 1991-92	इक्विटी इक्विटी	660640 620950 (100%)	100 100	4,88.45 ^(झ) 25.68 ^(ञ)				
				योग		5,14.13				

(क) वर्ष 2005—06 से 2007—08 तथा वर्ष 2009—10 से 2011—12 में राशि त्रुटिपूर्ण रूप से म.प्र.राज्य औद्योगिक विकास निगम के विरुद्ध दर्शायी गयी थी।

(ख) वर्ष 2003—04 तक के वित्त लेखों में निगम का नाम म.प्र.राज्य निर्यात निगम भोपाल दर्शाया गया था। ₹ 35.00 लाख का निवेश जो कि राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की बैलेंस शीट में दर्शाया गया है उसे राज्य विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त नहीं है।

(ग) वर्ष 1988—89 से संबंधित ₹ 6,83.00 लाख की राशि सम्मिलित है जो मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम से संबंधित है। मूल प्रविष्टि के विरुद्ध त्रुटि की टिप्पणी तथा वर्ष 2017—18 के वित्त लेखों में मध्यप्रदेश राज्य विद्युत विकास निगम के विरुद्ध अभियुक्ति दी गई है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 79.04 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(घ)

(ङ) वर्ष 2016—17 के वित्त लेखों में पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश की राशि ₹ 12.13 लाख जो म.प्र.राज्य उद्योग निगम भोपाल से सम्बन्धित थी, त्रुटिवश मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के विरुद्ध दर्शायी गयी थी।

(घ) निगम का पंजीयन कम्पनियों के पंजीयक द्वारा वर्ष 2000 से निरस्त कर दिया गया है। निवेश की राशि म.प्र.सरकार से बट्टे खाते में डालने का अनुमोदन प्राप्त होने पर विलोपित की जायेगी।

(छ) निगम के लेखों के अनुसार भारत सरकार, वस्त्र विभाग से 2002—03 में अंशपूंजी प्राप्त होने के कारण ₹ 15.00 लाख से भिन्न है।

(ज) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 31.10.2000 को बंद कर दी गई है। वर्ष 2006—07 तक संचयी हानि ₹ 1,07,90.39 लाख थी।

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,77.19 लाख कम किए गए।

(ञ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 9.32 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेख में न जमा किया गया	टिप्पणी
				अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
(₹ लाख में)										
II- सरकारी कम्पनियाँ—जारी										
13.	नेशनल न्यूज प्रिन्ट तथा पेपर मिल्स मर्यादित, नेपालनगर	1947-48 से 1958-59	साधारण	1697290 (1.58%)		10	1,24.55 ^(क)			
14.	मैंगनीज अयस्क (इंडिया) मर्यादित	1962-63	इक्विटी	24418		100	17.92 ^(ख)	3,20.35		
		1963-64	अधिमान	12209 (17%)		100	8.96 ^(ग)			
		1977-78	इक्विटी	10772		60	4.74 ^(घ)			
		1977-78	अधिमान	5386 (24.5%)		75	2.96 ^(ङ)			
		1982-83 से 1990-91	इक्विटी	27100			44.94 ^(च)			
		1991-92 और 1992-93	इक्विटी	38640		100	28.35 ^(छ)			
				योग			1,07.87 ^(ज)	3,20.35		

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 45.18 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 6.50 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3.25 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.72 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.08 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 16.30 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 10.29 लाख कम किए गए।

(ज) वर्ष 1994-95 तक निगम की पुस्तकों में तदनुरूपी निवेश ₹ 1,35.07 लाख है। पत्र सं.सी.एस./जी.ओ.एम.पी./शेयर/2018-19/428 दिनांक 05.12.2018 के द्वारा निगम से प्राप्त सूचना के आधार पर सभी 17595 अधिमान शेयर दिनांक 01.04.1992 की स्थिति में भुनाए जा चुके हैं। अतः आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार के जी.ओ.एम.पी. के अधिमान शेयर शेष नहीं हैं।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
II-	सरकारी कम्पनियां—जारी									
15.	मध्यप्रदेश राज्य खनन निगम मर्यादित, भोपाल	1961-62 से 1990-91	इक्विटी	203740	100	1,49.50 ^(क)		62,38.55		
		1991-92	इक्विटी	15850 (100%)	100	11.63 ^(ख)				
				योग		1,61.13 ^(ग)		62,38.55		
16.	धार परिवहन कम्पनी मर्यादित, धार	1948 से पहले	साधारण	599	250	1.10 ^(घ)				
17.	मध्यप्रदेश उद्वहन सिंचाई निगम मर्यादित, भोपाल	1976-77 से 1981-82	इक्विटी	190000	100	4,29.88 ^(ङ)				
18.	म.प्र.पर्यटन विकास निगम मर्यादित, भोपाल/ म.प्र.पर्यटन विकास निगम की अंशपूंजी में निवेश/ निगम की इकाइयों का उन्नयन	1977-78 से 1990-91	इक्विटी	1239980	100	8,75.24 ^(च)	100			
		1991-92	इक्विटी	174330	100	1,28.14 ^(छ)				
		1992-93 से 2001-02	इक्विटी	1082980	100	8,61.79 ^(ज)				
		2016-17				89,00.00				
		2017-18				53,55.87				
				योग		1,61,21.04 ^(झ)				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 54.24 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4.22 लाख कम किए गए।

(ग) विवरण संख्या 16 में मुख्यशीर्ष 4853–60–190 तथा 796 के अन्तर्गत दर्शित निवेश से ₹ 14.77 हजार का अन्तर है, जो 1987–88 एवं 1991–92 से संबंधित है तथा मुख्यशीर्ष 4853–02–190 में सम्मिलित किया गया है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.40 लाख कम किए गए। इस कम्पनी के कम्पनियों के पंजीयन ने इसे दि.27 मार्च 1965 से निष्क्रिय घोषित कर दिया है। 1956–57 के बाद से लेखापरीक्षा को लेखा उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। संपत्ति और देनदारियों के अंतिम निपटान एवं एक परिसमापक की नियुक्ति की जानकारी प्रतीक्षित है।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,55.95 लाख कम किए गए। निगम अगस्त 1992 से विघटन की स्थिति में है। शेष का पुनर्मिलान किया जा चुका है।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3,17.51 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 46.48 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,58.21 लाख कम किए गए।

(झ) वित्त लेख एवं निगम की पुस्तकों के बीच विसंगति का पुनर्मिलान किया जा चुका है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	प्रकार	निवेश के ब्यौरे अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य	निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
II- सरकारी कम्पनियाँ—जारी										
19.	मध्यप्रदेश राज्य सेतु निर्माण निगम मर्यादित, भोपाल	1978-79 और 1979-80	इक्विटी	510000	100	3,74.24 ^(क)				
20.	मध्यप्रदेश पंचायती राज वित्त और ग्रामीण विकास निगम, भोपाल	1980-81 से 1988-89	इक्विटी	28000	100	20.55 ^(ख)				
21.	मध्यप्रदेश पुलिस आवास निगम	1980-81 से 1986-87	इक्विटी	17500	1000	1,28.42 ^(ग)				
22.	मध्यप्रदेश चमड़ा विकास निगम, भोपाल	1981-82 से 1985-86	इक्विटी	10331	1000	75.81 ^(घ)				
		1995-96	इक्विटी	100%	1000	18.35 ^(ङ)				
		1996-97 से 1998-99	इक्विटी			25.68 ^(च)				
				योग		1,19.84 ^(छ)				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,35.76 लाख कम किए गए। वित्त लेखे एवं निगम की पुस्तकों के बीच विसंगति का पुनर्मिलान किया जा चुका है।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 7.45 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 46.58 लाख कम किए गए। वित्त लेखे 1982-83 के अनुसार कुल निवेश ₹ 1,20.00 लाख है एवं निगम की पुस्तकों में तदनुरूपी निवेश ₹ 95.00 लाख है जो कि वित्त लेखे के आंकड़ों से ₹ 25.00 लाख कम है। परन्तु वित्त लेखे 1986-87 के अनुसार कुल निवेश ₹ 1,75.00 लाख है और तदनुरूपी निवेश ₹ 2,00.00 लाख है जो वित्त लेखे के आंकड़ों से ₹ 25.00 लाख ज्यादा है। अतएव विसंगति का पुनर्मिलान हो चुका है। म.प्र.सरकार गृह विभाग के स्वीकृति आदेश क्रमांक एफ-21-49/90/बी-3/2 भोपाल दिनांक 06.09.1996 द्वारा वर्गीकरण 03-0216-80-201-0101- 9097-36 ऋण तथा अग्रिम के अंतर्गत ₹ 4,00.00 लाख की स्वीकृति दी गयी थी।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 27.50 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 6.65 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 9.32 लाख कम किए गए।

(छ) निगम की पुस्तकों में तदनुरूपी निवेश ₹ 1,31.29 लाख है इसमें से ₹ 31.52 लाख 'के-डिपॉजिट के अंतर्गत रखे गये हैं। विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश / ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
II- सरकारी कम्पनियां—जारी										
23.	मध्यप्रदेश फिल्म विकास निगम, भोपाल	1981-82 से 1987-88	इक्विटी	103690	100	69.71 ^(क)				घाटे में चल रही है।
		1988-89		*	*	3.12 ^(ख)				
		1989-90	इक्विटी	800 (100%)	100	0.59 ^(ग)				
		1990-91		..	*	0.62 ^(घ)				
		1991-92	इक्विटी		100	0.62 ^(ङ)				
		1992-93 एवं 1993-94	*	*	*	1.54 ^(च)				
योग						76.20				
24.	समाचार भारती समाचार एजेन्सी, नई दिल्ली	1981-82 से 1984-85	इक्विटी	9000	100	6.60 ^(छ)				
25.	मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम, भोपाल	1982-83 और 1983-84	इक्विटी	68920	100	50.57 ^(ज)				
26.	मध्य प्रदेश इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम, भोपाल	1984-85 से 1990-91	इक्विटी	*	100	10,33.38 ^(झ)				घाटे में चल रही है।
		1991-92	इक्विटी (100%)	50000	100	6,83.00 ^(ञ)				
		1992-93 एवं 1994-95	*	*	100	36.69 ^(ट)				
योग						17,93.43				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 25.29 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.13 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.21 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.23 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.22 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.56 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.40 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 18.35 लाख कम किए गए।

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3,74.88 लाख कम किए गए।

(ञ) वित्त वर्ष 1988-89 के विवरण पत्रक 13/16 में मुख्यशीर्ष 4851-102-सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में निवेश के अन्तर्गत कुल ₹ 7,62.33 लाख की राशि दर्ज हुई, जिसमें ₹ 6,83.00 लाख का निवेश मध्यप्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल से सम्बन्धित था जिसे वित्त लेखे वर्ष 2017-18 के विवरण पत्रक 14/19 में नहीं दर्शाया गया था। अतः वर्ष 2017-18 के वित्त लेखे में त्रुटि की टिप्पणी दर्ज की गयी है। वित्त वर्ष 1988-89 के विवरण पत्रक 14/19 में म.प्र.सरकार वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के पत्र सं.23/1/88/11/अ दि.14.07.1988 और 23/1/88/11/अ दिनांक 22.11.1988 के अनुसार स्वीकृतियों के विरुद्ध क्रमशः ₹ 2,83.00 लाख एवं ₹ 4,00.00 लाख के आहरण म.प्र.राज्य उद्योग निगम लिमिटेड, भोपाल में सम्मिलित किये गये हैं। आंकड़ों का पुनर्मिलान संपूर्ण किया जा चुका है और कोई विसंगति शेष नहीं है।

(ट) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 13.31 लाख कम किए गए।

(ठ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 14.64 लाख कम किए गए। वर्ष 1992-93 तथा 1994-95 हेतु कुल निवेश ₹ 55.00 लाख है जो वित्त लेखे में सही दर्शाया गया है, जबकि संबंधित प्रतिष्ठान के तुलन पत्रक में निवेश केवल ₹ 50.00 लाख दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है एवं त्रुटि सुधार आवश्यक है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
II-	सरकारी कम्पनियां—जारी									
27.	मध्य प्रदेश शहरी विकास वित्त निगम	1980-81 से 1988-89	*		*	1.61 ^(क)				
28.	म.प्र.विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों में राज्य सरकार द्वारा निवेश	2005-06				32,89,00.00 ^(ख)				
29.	मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड (म.प्र.विद्युत मण्डल की उत्तरवर्ती कम्पनियों के पारेषण प्रणाली के लिए निवेश/पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण ^(ग))	2005-06				20,00.00 ^(ग)				
		2006-07				1,10,00.00				
		2007-08				2,14,71.67 ^(घ)				
		2008-09				1,75,40.00 ^(ङ)				
		2009-10	*	*	*	4,81,84.33 ^(च)				
		2010-11	*	*	*	37,50.00 ^(ज)				
		2011-12				30,00.00 ^(झ)				
		2012-13				1,91,20.00 ^(ञ)				
		2014-15				1,77,50.00				
		2015-16				1,34,55.93 ^(ट)				
		2016-17				25,00.00				
		2017-18				1,30,00.00				
		2018-19				1,00,00.00				
					योग	18,27,71.93	100			

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.58 लाख कम किए गए।

(ख) निवेश पाँच अलग-अलग कंपनियों में किया गया है, (i) म.प्र.विद्युत उत्पादक कम्पनी लिमिटेड ₹ 12,78,00.00 लाख (ii) म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड ₹ 8,45,00.00 लाख (iii) म.प्र. पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ₹ 3,17,00.00 लाख (iv) म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ₹ 3,16,00.00 लाख (v) म.प्र. पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ₹ 5,33,00.00 लाख। कुल राशि ₹ 32,89,00.00 लाख कंपनी तथा वित्त लेखों के आंकड़ों में कोई विसंगति नहीं है।

(ग) वर्ष 2005-06 के वित्त लेखों में निवेश की राशि ₹ 20,00.00 लाख तथा पूँजीगत लेखों पर घटायी गयी पुनर्प्राप्तियों की राशि ₹ 5,39,64.00 लाख तथा ₹ 8,14,78.00 लाख को त्रुटिपूर्ण रूप से म.प्र.राज्य विद्युत मण्डल के विरुद्ध दर्शाया गया था।

(घ) वर्ष 2007-08 के वित्त लेखों में म.प्र.वि.मं.जबलपुर के विरुद्ध दर्शायी गयी निवेश की राशि ₹ 5,87,55.67 लाख में ₹ 2,14,71.67 लाख की राशि शामिल है, जो वास्तव में इस प्रतिष्ठान से सम्बन्धित है।

(ङ) वित्त वर्ष 2008-09 में म.प्र.विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कम्पनियों के पारेषण प्रणाली के विरुद्ध ₹ 56,00.00 लाख तथा ₹ 81,24.00 लाख एवं म.प्र. विद्युत मंडल के विरुद्ध दर्शाए गए ₹ 38,16.00 लाख सम्मिलित है।

(च) वित्त लेखों वर्ष 2009-10 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के विरुद्ध ₹ 3,80,84.33 लाख तथा ₹ 58,00.00 लाख (प्रतिष्ठान के विरुद्ध पहले से ही ₹ 43,00.00 लाख दर्शाए गए) शामिल है।

(ज) म.प्र.विद्युत मंडल के विरुद्ध निवेश, पुराने वर्षों के वित्त लेखों में शामिल है।

(झ) वित्त लेखों वर्ष 2010-11 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के विरुद्ध दर्शाये गये ₹ 15,00.00 लाख, ₹ 13,50.00 लाख और ₹ 9,00.00 लाख शामिल हैं।

(ञ) वित्त लेखों वर्ष 2011-12 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के विरुद्ध दर्शाये गये ₹ 15,00.00 लाख, ₹ 9,00.00 लाख और ₹ 6,00.00 लाख शामिल हैं।

(ट) वित्त लेखों वर्ष 2012-13 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के विरुद्ध दर्शाये गये ₹ 68,93.00 लाख, ₹ 54,39.00 लाख और ₹ 67,88.00 लाख शामिल हैं।

(ट) वर्ष 2015-16 के वित्त लेखों में मध्यप्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी मर्यादित के विरुद्ध दर्शाये गए ₹ 47,65.00 लाख और ₹ 86,90.93 लाख शामिल है।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
II- सरकारी कम्पनियां—जारी										
30.	कृषि उपयोग हेतु स्वतन्त्र फीडरों की व्यवस्था ^(क)	2008-09	*	*	*	1,00,00.00				
		2009-10	*	*	*	8,00.00				
		2010-11	*	*	*	69,97.46				
		2011-12				4,56,00.00				
		2012-13				1,93,99.00				
योग						8,27,96.46	100			
31.	उप—पारेषण तथा वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण(7900) ^(ख)	2004-05				25,00.00				
		2005-06				95,00.00				
		2006-07				2,50,00.00				
		2007-08				3,72,84.00				
		2008-09				2,80,09.00 ^(ग)				
		2009-10				13,86,39.96				
		2010-11				1,16,70.67				
		2011-12				61,05.00				
		2012-13				4,23,04.00				
		2013-14				3,34,34.90				
		2014-15				2,45,09.60				
		2015-16				1,08,15.00				
		2016-17				65,84.10 ^(घ)				
2017-18				39,00.00						
2018-19				18,00.00 ^(ङ)						
योग						38,20,56.23				

(क) बजट में दिखाई गई योजना के अनुसार प्रतिष्ठान का नाम दर्शाया गया है जो कि सभी तीनों डिस्कॉम यथा मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित में कार्यान्वित की गई है।

(ख) बजट में दिखाई गई योजना के अनुसार प्रतिष्ठान का नाम दर्शाया गया है जो कि सभी तीनों डिस्कॉम यथा मध्यप्रदेश पूर्व, मध्य एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित में कार्यान्वित की गई है। वर्ष 2004-05 में ₹ 25,00.00 लाख, 2005-06 में ₹ 95,00.00 लाख, 2006-07 में ₹ 2,40,00.00 लाख एवं ₹ 10,00.00 लाख, वर्ष 2007-08 में ₹ 3,01,84.00 लाख, ₹ 30,80.00 लाख एवं ₹ 40,20.00 लाख, वर्ष 2009-10 में ₹ 12,31,61.61 लाख एवं ₹ 66,59.28 लाख (₹ 88,19.07 लाख प्रतिष्ठान के विरुद्ध पहले से ही दर्शाया गया है), वर्ष 2010-11 में ₹ 30,91.07 लाख, ₹ 49,54.87 लाख एवं ₹ 36,24.73 लाख, वर्ष 2011-12 में ₹ 61,05.00 लाख, वर्ष 2012-13 में ₹ 19,62.00 लाख एवं ₹ 1,21,46.00 लाख एम.पी.ई.बी. के विरुद्ध वित्त लेखे में वर्षवार दर्शाया गया है।

(ग) वित्त लेखे वर्ष 2008-09 में मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के विरुद्ध दर्शाये गए ₹ 2,02,45.00 लाख, ₹ 36,27.00 लाख तथा ₹ 41,37.00 लाख शामिल है।

(घ) वर्ष 2016-17 के वित्त लेखे में त्रुटिवश राशि ₹ 65,85.00 दर्शायी गयी थी।

(ङ) राशि मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित से संबंधित है।

(क) वित्त लेखे वर्ष 2016-17 में प्रतिष्ठान का नाम म.प्र. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड दर्शाया गया है। बजट दस्तावेजों के अनुसार प्रतिष्ठान का मूलनाम म.प्र.पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड में अंशपूजी में निवेश है। कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) भोपाल में ऊर्जा विभाग, म.प्र.शासन, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, म.प्र. ग्वालियर तथा कार्यालय महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा) म.प्र., भोपाल के अधिकारियों की बैठक दिनांक 28.05.2018 को आयोजित की गई। जिसमें यह निश्चय किया गया कि ऊर्जा विभाग, सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में म.प्र.सरकार के योजनावार निवेश को बजट अनुसार तथा अंश ऋण को उनके तुलन पत्र में दिखाए अनुसार पृथक प्रकटीकरण देने हेतु निर्देश जारी कराया।

(ख) प्रतिष्ठान को तीन डिस्कों यथा मध्य, पूर्व एवं पश्चिम विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड में विखण्डित किया गया है, जिनमें क्रमशः ₹ 14,75,25.00 लाख, ₹ 13,23,27.00 लाख तथा ₹ 7,58,48.00 लाख का निवेश है।

(ग) वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के वित्त लेखे में यह प्रतिष्ठान नहीं दर्शाया गया था। राशियाँ क्रमशः म.प्र.विद्युत उत्पादन कम्पनी मर्यादित तथा सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई के विरुद्ध दर्शायी गयी थी।

(घ) राशि मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित से संबंधित है।

यह पूंजी की निवृत्ति / विनिवेश का प्रतीक है।^(८)

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
II- सरकारी कम्पनियां—समाप्त										
40.	मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प कनेक्शन योजना ^(क)	2016-17				4,41,71.00				
		2017-18				8,50,69.00				
		2018-19				5,90,73.00 ^(ख)				
					योग	18,83,13.00				
41.	ऑटो टेस्टिंग ट्रैक हेतु भूमि अधिग्रहण मुआवजा ^(ग)	2012-13				82,58.41				
		2015-16				1,47,00.00				
		2016-17				14,00,00.00				
		2017-18				1,60,50.00				
					योग	17,90,08.41				
					योग - II - सरकारी कम्पनियां	2,43,49,56.41	73,70.87			

(क) वित्त लेखे वर्ष 2016-17 में प्रतिष्ठान को V-सहकारी बैंक और समितियों के अंतर्गत दर्शाया गया है।

(ख) ₹ 5,90,73.00 लाख की राशि में से ₹ 1,31,00.00 लाख, ₹ 2,48,91.00 लाख, ₹ 1,07,58.00 लाख और ₹ 1,03,24.00 लाख की राशि क्रमशः मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रबन्धन कम्पनी मर्यादित, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित, म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत कम्पनी मर्यादित और मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित से संबंधित है।

(ग) भूमि अधिग्रहण मुआवजे को राज्य बजट में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है हालांकि यह इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आता है। वित्त लेखे वर्ष 2016-17 में प्रतिष्ठान को v-सहकारी बैंकों और समितियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है। वर्ष 2012-13 और 2015-16 के आंकड़े संबंधित वर्षों के वित्त लेखों में शामिल नहीं थे।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
III-	संयुक्त पूंजी कम्पनियां—									
1.	भारतीय निवेश निगम मर्यादित, मुम्बई	1948 से पहले	साधारण (7-3/4%) अधिमान (2.34%)	550 500	100 1000	0.34 ^(क) 2.26 ^(ख)				
योग						2.60				
2.	देवास बिस्कुट और फूड प्रोडक्ट्स मर्यादित, देवास	1948 से पहले	साधारण	15000	10	1.50				
3.	ग्वालियर डेरी मर्यादित, ग्वालियर	*	साधारण (2%)	175	50	0.09				
4.	सेन्ट्रल इण्डिया मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी मर्यादित ग्वालियर (पूर्व में टैक्समेको, ग्वालियर के नाम से प्रसिद्ध)	1948 से पहले	अधिमान (5%) साधारण अधिमान संचयी मोच्य	2025 8000 7000	100 10 100	1.38 1.05 ^(ग) 7.00				
योग						9.43				
5.	मेसर्स शमा इंजन वाल्व्स मर्यादित, नई दिल्ली	1961-62 और 1962-63	अधिमान इक्विटी	2435 10000	100 10	1.78 ^(घ) 0.74 ^(ङ)				
योग						2.52				
6.	मशीनरी मैन्यूफैक्चरिंग निगम मर्यादित, मुंबई	1948 से पहले	साधारण (4%) अधिमान (1.7%)	6200 1000	10 100	1.04 ^(घ) 0.40 ^(ङ)				
योग						1.44 ^(ग)				
7.	जीवाजीराव शक्कर कम्पनी मर्यादित, दलोदा, जिला मन्दसौर	1948 से पहले	साधारण (31.9%)	7000	100	5.14 ^(ज)				
8.	महारानी पार्वतीबाई शक्कर कारखाना मर्यादित, सारंगपुर	1948 से पहले	साधारण (31.9%)	4000	100	2.94 ^(झ)				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.13 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.81 लाख कम किए गए।

(ग) यह निवेश पूर्व में भूतपूर्व ग्वालियर तथा होल्कर रियासतों की कतिपय निधियों में वर्गीकृत किये अंशों के 31 मार्च 1964 को बाजार मूल्य के प्रोफार्मा अंगीकरण को प्रदर्शित करता है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.65 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.26 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.37 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.15 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.86 लाख कम किए गए।

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.06 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ब्याज किन्तु सरकारी लेख में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				₹	(₹ लाख में)					
III-	संयुक्त पूंजी कम्पनियां—जारी									
9.	विक्रम शक्कर कारखाना मर्यादित, आलोट	1948 से पहले	साधारण अधिमान	750 250	100 100	0.55 ^(क) 0.18 ^(ख)				
				योग		0.73				
10.	केशर शक्कर कार्य मर्यादित, मुंबई	1948 से पहले	5-1/2% अधिमान	2000	100	1.10 ^(ग)				
11.	ग्वालियर शक्कर कम्पनी, डबरा	1979-80 1991-92	प्रतिदेय संचयी मोच्य	1500 *	100	1.10 ^(घ) 47.81 ^(ङ)				
				योग		48.91 ^(च)				
12.	बेंगाल—नागपुर सूती कारखाना मर्यादित, राजनंदगांव	1955-56	साधारण (1.46%)	4378	10	0.32 ^(छ)				
13.	दि कल्याणमल मिल्स मर्यादित, इन्दौर	1948 से पहले	साधारण (7%) अधिमान (5.1%)	25 290	100 100	0.01 ^(ज) 0.14 ^(झ)				
				योग		0.15				
14.	एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी मर्यादित, मुंबई	1948 से पहले	साधारण (1% से कम)	2790 ^(ञ)	100	2.44 ^(ट)				
15.	हिंडाल्को मर्यादित, मुंबई (भारतीय राष्ट्रीय अल्युमीनियम कम्पनी मर्यादित का प्रबंधन प्रतिनिधि)	1947-48 और 1948-49	साधारण	2450	100	1.80 ^(ठ)				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.20 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.07 लाख कम किए गए।

(ग) मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.40 लाख कम किए गए। यह निवेश पूर्व में भूतपूर्व ग्वालियर तथा होल्कर रियासतों की कतिपय निधियों में वर्गीकृत किये अंशों के 31 मार्च 1964 को बाजार मूल्य के प्रोफार्मा अंगीकरण को प्रदर्शित करता है।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.40 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 17.34 लाख कम किए गए।

(च) कम्पनी की पुस्तकों के अनुसार निवेश ₹ 1.50 लाख है। विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.12 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.01 लाख कम किए गए।

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.05 लाख कम किए गए।

(ञ) 547 बोनस शेयर सम्मिलित हैं।

(ट) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.89 लाख कम किए गए।

(ठ) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर किये जाने के कारण निवेश की राशि ₹ 0.65 लाख कम हुई। सरकार ने कंपनी के समस्त अंशधारियों से अंश संबंधी हितों का क्रय कर लिया था। कंपनी का परिसमापन करना उचित नहीं समझा गया क्योंकि कंपनी के पास परिसम्पत्तियां नहीं थीं। महाराष्ट्र सरकार ने कंपनी के अंशों के अपने हिस्सों का दावा किया था और भारत सरकार ने यह अवार्ड दिया कि मध्यप्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार में 64.20 और 35.80 के अनुपात में वितरित किये जावें। राज्य सरकार द्वारा महाराष्ट्र सरकार को अंश अभी भी अंतरित किये जाने हैं।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
III-	संयुक्त पूंजी कम्पनियाँ—जारी									
16.	टाटा आयरन और स्टील कम्पनी मर्यादित, मुंबई	1948 से पहले	साधारण	120 ^(क)	75	0.13 ^(ख)		2.23		
		*	साधारण	120	75	0.13 ^(ख)				
		*	अधिमान (7-3/4%)	123	150	0.13 ^(ख)				
		1948 से पहले	द्वितीय अधिमान	33365	100	25.10 ^(ग)				
		*	द्वितीय अधिमान	300	100	0.22 ^(घ)				
					योग	25.71		2.23		
17.	इण्डस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट मर्यादित, मुंबई	1948 से पहले	साधारण	230 (1% से कम)	100	0.13 ^(ख)				
18.	देवास (सीनियर) इलेक्ट्रिक सप्लाय कम्पनी (निजी) मर्यादित, देवास	1948 से पहले	साधारण	30 (9%)	500	0.11 ^(घ)				
19.	दि. सूरत इलेक्ट्रीसिटी कम्पनी मर्यादित, मुंबई	1948 से पहले	साधारण	8	100	0.01 ^(घ)				
			अधिमान	(1% से कम)						
20.	दि टाटा पावर कम्पनी मर्यादित, मुंबई	1948 से पहले		7-1/2%	1169	9.49 ^(ज)				
			अधिमान	(2%)						
21.	दि सेन्ट्रल प्रॉविन्सेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मर्यादित, नागपुर	1945-46 से 1948-49	साधारण	9980	100	7.10 ^(झ)				

(क) बोनस शेयर्स।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.05 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 9.10 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.08 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.05 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.04 लाख कम किए गए।

(छ) सम्पूर्ण राशि मध्यप्रदेश को प्रदत्त।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3.44 लाख कम किए गए।

(झ) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण निवेश की राशि ₹ 2.58 लाख कम की गई। सेन्ट्रल प्रॉविन्सेज ट्रांसपोर्ट सर्विसेज मर्यादित के प्रबंधन प्रतिनिधि मैसर्स एफ.एम.चिनाय एण्ड कंपनी मर्यादित से 2310 अंश ₹ 1,50,000/— के मूल्य पर खरीदे गये। इसके अतिरिक्त अंतिम मांग पर 2060 साधारण अंशों के लिए प्रति अंश ₹ 25/— की दर से ₹ 51,500/— की अदायगी की गई।

1.

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
III-	संयुक्त पूंजी कम्पनियां—समाप्त									
22.	पीपुल्स ट्रांसपोर्ट कम्पनी मर्यादित, राजगढ़	1925	साधारण	18 (1% से कम)	40	0.01 ^(क)				
23.	आन्ध्रा वेली पॉवर सप्लाय कम्पनी मर्यादित, मुंबई	1986-87	इक्विटी	251	100	.. ^(ख)				
24.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम मर्यादित, नई दिल्ली	1957-58	इक्विटी	1000	1000	7.34 ^(ग)		0.22		
योग—III—संयुक्त पूंजी कम्पनियां						1,31.01		2.45		
IV	बैंक—									
	दि बैंक ऑफ देवास मर्यादित, देवास	1948 से पहले	साधारण	1717	25	0.12 ^(घ)				
योग—IV—बैंक						0.12				

(क) सम्पूर्ण राशि मध्यप्रदेश को प्रदत्त।

(ख) कंपनी की पुस्तकों में तदनरूपी निवेश ₹ 0.25 लाख है विसंगति पुनर्मिलान के अधीन है।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.66 लाख कम किए गए।

(घ) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ 0.04 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां—										
(i) उधार सहकारी समितियां—										
(क) सहकारी बैंक										
1.	केन्द्रीय सहकारी बैंक (69)	1948 से पहले	साधारण	*	प्रति अंश ₹ 10 से लेकर ₹ 1000 तक	1,43.74 ^(क)		2.95		
		*	‘ख’ वर्ग	1000	100	0.74 ^(ख)				
		*	*	120	25	0.02 ^(ग)				
	1964-65 से 1968-69		साधारण	304890	प्रति अंश ₹ 10 से लेकर ₹ 1000 तक	1,46.69 ^(घ)				
	1967-68			*	*	31.55 ^(ङ)				
	1969-70 से 1979-80		साधारण	*		3,64.27 ^(च)				
						पू.नि. (-) 2.87 ^(छ)				
	1980-81		*	20000	100	14.68 ^(ज)				
						पू.नि. (-) 0.01 ^(झ)				
	1981-82 से 2005-06		*	*	*	34,53.29 ^(ञ)				
	2008-09 से 2010-11					पू.नि. (-) 55,19.94				
	2012-13					पू.नि. (-) 4,59.72				
	2013-14					पू.नि. (-) 11,13.18				
	2014-15									
	2015-16					पू.नि. (-) 3,19.40				
	2016-17					पू.नि. (-) 13,70.42				
						30,59.00				
						पू.नि. (-) 13,65.97				
	2017-18					पू.नि. (-) 3,00.82				
	2018-19					10,00,00.00				
						पू.नि. (-) 5,62.18				
			योग			9,61,99.47		2.95		

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 52.15 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.26 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.01 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 53.21 लाख कम किए गए।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 11.45 लाख कम किए गए।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,32.15 लाख कम किए गए।
- पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)
- (छ) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 1.04 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 5.32 लाख कम किए गए।
- (झ) सम्पूर्ण राशि मध्यप्रदेश को प्रदत्त।
- (ञ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 6,16.84 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(i)	उधार सहकारी समितियां—जारी									
(क)	सहकारी बैंक—जारी									
2.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक	1965-66 से 1972-73	साधारण	11400	500	57.51 ^(क)				
3.	प्राथमिक भूमि विकास बैंक	1970-71	साधारण	3750	100	2.75 ^(ख)				
	मर्यादित, मध्यप्रदेश	1971-72 से 2005-06	*	*	*	34,38.97 ^(ग)				
		2006-07	*	*	*	2,48.98				
		2006-07 से 2011-12				पू.नि. (-) 20,59.53				
				योग		16,31.17				
4.	मध्यप्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक मर्यादित, भोपाल	1966-67 से 1971-72	साधारण	63000	100	46.23 ^(घ)				
		1967-68 से 1983-84	*	*		6,91.07 ^(ङ)				
						पू.नि. (-) 3,93.27 ^(च)				
		1976-77	साधारण	*	*	18.34 ^(छ)				
		1980-81	*	112364	100	82.45 ^(ज)				
						पू.नि. (-) 81.83 ^(झ)				
		1984-85 से 1997-98	*	*	*	पू.नि. (-) 72.16 ^(ञ)				
				योग		2,90.83				

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 20.86 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.00 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 5,09.71 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 16.77 लाख कम किए गए।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,50.71 लाख कम किए गए।
- पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)
- (च) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 1,42.67 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 6.66 लाख कम किए गए।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 29.91 लाख कम किए गए।
- (झ) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 29.69 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।
- (ञ) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 26.18 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(i)	उधार सहकारी समितियां— जारी									
(क)	सहकारी बैंक — समाप्त									
5.	मन्दसौर वाणिज्यिक सहकारी बैंक मर्यादित, मन्दसौर	1975-76 से 1977-78	*	*		1.10 ^(क)				
6.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होशंगाबाद, बिलासपुर, रायपुर, रीवा, सीधी, टीकमगढ़, छतरपुर और सतना (8)	1975-76 से 2004-05		*	*	38,95.20 ^(ख)				
		2008-09		*	*	9,80.28				
		2011-12				9,00.00				
		2013-14				14,54.00				
		2018-19				24,70.00				
योग						96,99.48				
7.	नगरीय सहकारी बैंक, शिवपुरी, रायपुर, बैतूल (3)	1977-78 से 1979-80		*	*	2.20 ^(ग)				
8.	राष्ट्रीय सहकारी विकास परियोजना (12 जिले)	2009-10				3,00.00				
		2010-11				10,00.00				
		2011-12				22,50.00				
		2012-13				40,56.00				
		2018-19				पू.नि. (-) 5,88.80				
योग						70,17.20				
योग—(क)—सहकारी बैंक						11,48,98.96	2.95			

(क) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा ट्रांसफर किये जाने के कारण निवेश की राशि ₹ 0.40 लाख कम की गई। बैंक की पुस्तकों के अनुसार वर्ष 1994–95 तक संचयी हानि ₹ 1,38.50 लाख थी।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 7,33.38 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.80 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(६)

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियाँ— जारी									
(i)	उधार सहकारी समितियाँ—जारी									
(ख)	सहकारी समितियाँ— जारी									
1.	ग्राम सेवा सहकारी समितियाँ (4,638)	1961-62 से 1999-2000 2018-19	साधारण	*	*	6,21.60 ^(क) पू.नि. (-) 10.09				
					योग	6,11.51				
2.	प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (1,548)	1971-72 से 2005-06 2006-07 2010-11 2013-14 2014-15 2015-16 2018-19		*	*	40,97.40 ^(ख) पू.नि. (-) 27,37.43 पू.नि. (-) 30.77 पू.नि. (-) 1,29.38 पू.नि. (-) 15.39 पू.नि. (-) 0.40				
					योग	16,61.42				
3.	जन सहकारी बैंक, खिलचीपुर	*		*	*	0.01 ^(ग)				
4.	जनजाति सेवा सहकारी समितियाँ (128)	1975-76 से 2001-02 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19		*	*	5.00 पू.नि. (-) 2.85 10,02.70 ^(घ) पू.नि. (-) 2.47 पू.नि. (-) 7.50 पू.नि. (-) 9.36 पू.नि. (-) 9.09 पू.नि. (-) 3.99 पू.नि. (-) 0.18				
					योग	9,72.26				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,25.50 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(१)

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 10,05.04 लाख कम किए गए।

(ग) समस्त राशि मध्यप्रदेश को प्रदत्त।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3,63.75 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेख में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				₹	(₹ लाख में)					
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(i)	उधार सहकारी समितियां—समाप्त									
(ख)	सहकारी समितियां— समाप्त									
5.	नवीन सहकारी समितियों को अंश पूंजी सहायता	2012-13				1,00.00				
		2013-14				1,00.00				
		2013-14				पू.नि. (-) 0.32				
		2014-15				1,00.00				
		2015-16				1,00.00				
		2016-17				1,50.00				
		2017-18				1,19.00				
						योग	6,68.68			
						योग—(ख)—सहकारी समितियां	39,13.88			
						योग—(i)—उधार सहकारी समितियां	11,88,12.84	2.95		

पू.नि. यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(c)

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेख में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(ii)	आवास सहकारितायें—									
1.	एपेक्स आवास संघ	1971-72 से 1996-97	*	*		1,53.95 ^(क)				
2.	मध्यप्रदेश आवास संघ, भोपाल	1970-71 से 1978-79	साधारण	30900	100	22.67 ^(ख)				
		1972-73 से 1975-76	*	*		3.12 ^(ग)				
		1980-81	*	20000	100	14.68 ^(घ)				
		1979-80 से मार्च 2001 तक		*	*	2,01.77				
		2011-12				पू.नि. (-) 11.35				
		2013-14				2,47.63 ^(ङ)				
		2014-15				पु.नि. (-) 10.00				
		2015-16				पु.नि. (-) 15.00				
						पु.नि. (-) 20.00				
				योग		4,33.52				
3.	मध्य प्रदेश राज्य आवास वित्त प्रबन्ध सहकारी समितियां	1988-89 से 2000-01 (अक्टूबर 2000 तक)	*	*		1,79.56 ^(च)				
					योग—(ii)—आवास सहकारितायें	^(क) 7,67.03				

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 55.85 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 8.23 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.13 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 5.32 लाख कम किए गए।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 89.83 लाख कम किए गए।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 65.14 लाख कम किए गए।
- पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क) कृपया पृष्ठ 296 पर पाद टीप (ख) देखें।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां— जारी										
(iii) श्रम सहकारितायें—										
1.	वन श्रमिक सहकारी समितियां	1961-62 से 1966-67	साधारण	10290	प्रति अंश रु. 10 से लेकर रु. 100 तक	0.87 ^(क) ..				
2.	श्रम सहकारी समितियां (3)	1972-73 1974-75 से 1985-86 1980-81 1993-94	साधारण * * *	1500 * 800 *	10 * 100	0.11 ^(ख) 1.50 ^(ग) 0.59 ^(घ) 0.15 ^(ङ)				
योग						2.35				
योग—(iii)—श्रम सहकारितायें						3.22				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.31 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.04 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.54 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.21 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.06 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(iv)	खेतिहर सहकारितार्यों—									
1.	कृषि सहकारी समितियां (499)	1958-59 से 1961-62	साधारण	58474	प्रति अंश रु. 5 से लेकर रु. 300 तक	6.99 ^(क)				
		1970-71 से 2000-01 (अक्टूबर 2000 तक)		*		45.32 ^(ख)				
					योग	52.31				
2.	भूमिहीन कृषि सहकारी समितियां (43)	(1971-72 और 1972-73)		*	*	8.30 ^(ग)				
3.	संयुक्त कृषि समितियां और प्रशिक्षण केन्द्र (482)	1960-61 से 1966-67	साधारण	12828	प्रति अंश रु. 10 से लेकर रु. 100 तक	4.92 ^(घ)				
		1967-68 से 1982-83		*	*	पू.नि. (-) 3.70 ^(ङ)				
					योग	1.22				
योग—(iv)—खेतिहर सहकारितार्यों						61.83				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.54 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 16.44 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3.01 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.78 लाख कम किए गए। यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(६)

(ङ) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 1.34 लाख की पूँजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(v)	भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियां—									
1.	क्षेत्रीय विपणन समितियां (217)	*	साधारण	*	प्रति अंश रु. 10 से लेकर रु. 100 तक	30.83 ^(क)				
		*	विशेष	*	—तदैव—	0.40 ^(ख)				
		*	“ख” श्रेणी	400	100	0.30 ^(ग)				
	1964-65		साधारण	4400	100	3.23 ^(घ)				
	1964-65		साधारण	75	2000	1.10 ^(ङ)				
	1970-71 से 1973-74		साधारण	*	*	पू.नि. (-) 2.23 ^(च)				
					योग	33.63				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 11.19 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.15 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.10 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.17 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.40 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।¹

(च) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 0.81 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(v)	भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियां—जारी									
2.	विपणन समितियां (240)	1965-66 से 1967-68	साधारण	42450	प्रति अंश ₹ 10 से लेकर ₹ 100 तक	24.99 ^(क)				
		1968-69	साधारण	3500	प्रति अंश ₹ 5 से लेकर ₹100 तक	2.20 ^(ख)				
		1967-68 से 2001-02		*	*	2,15.27				
		2011-12				पू.नि. (-) 81.15				
		2012-13				पु.नि. (-) 39.93				
						4,29.31 ^(ग)				
		2013-14				पु.नि. (-) 66.73				
		2014-15				पु.नि. (-) 56.26				
		2015-16				पु.नि. (-) 47.77				
		2016-17				पू.नि. (-) 1.30				
		2017-18				पू.नि. (-) 1.00				
		2018-19				पू.नि. (-) 33.12				
				योग		3,44.51				
3.	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल	1966-67 से 1971-72 1967-68 से 2000-2001	साधारण	59590	100	43.73 ^(घ)				
				*	*	6,56.67 ^(ङ)				
				योग		7,00.40				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 9.06 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.80 लाख कम किए गए।
पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,55.74 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 15.86 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,04.35 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेख में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(v)	भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियां—जारी									
4.	प्राथमिक विपणन समितियां (24)	1970-71 और 1971-72 से 1986-87	साधारण	14500	100	10.64 ^(क)				
		1972-73 से 1986-87		*	*	2,97.52 ^(ख)				
		1978-79	साधारण	26000	*	18.95 ^(ग)				
		1980-81		20400	100	13.13 ^(घ)				
		1988-89 से 2000-01 (अक्टूबर 2000 तक)				2,39.78 ^(ङ)				
		2012-13				पू.नि. (-) 1.16				
		2012-13				2,10.00				
		2013-14				2,00.00				
		2014-15				1,50.00				
		2015-16				1,50.00				
		2015-16				पु.नि. (-) 3.80				
		2016-17				90.00				
				योग		13,75.06				
5.	मध्यप्रदेश, सहकारी विपणन समिति मर्यादित, नागपुर	*	साधारण	*		3.64 ^(घ)				
6.	मध्यप्रदेश सहकारी विपणन समिति मर्यादित, जबलपुर	1964-65	साधारण	4250	100	3.12 ^(घ)				
7.	क्षेत्रीय सहकारी विपणन समिति, जबलपुर	1975-76 और 1976-77	*	*	*	14.68 ^(ज)				
8.	क्षेत्रीय जनजाति सहकारी विपणन समितियां (4)	1977-78 से 1979-80	*	*	*	41.88 ^(झ)				

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3.86 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,07.94 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 6.87 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4.76 लाख कम किए गए।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 86.98 लाख कम किए गए।
- पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.32 लाख कम किए गए।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.13 लाख कम किए गए।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 5.32 लाख कम किए गए।
- (झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 15.19 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेख में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹		(₹ लाख में)			
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(v)	भाण्डागार एवं विपणन सहकारी समितियां—समाप्त									
9.	भाण्डागार समितियां	1980-81 से 2002-03	*	*	*	15,42.26 ^(क)				
10.	एपेक्स विपणन संघ की ब्याज और पूंजी को केन्द्रीय उर्वरक अंश पूंजी में परिवर्तन हेतु देय राशि	1985-86 से 1992-93		*	*	6,21.66 ^(ख)				
11.	अतिरिक्त गोदामों का निर्माण	1986-87 से 1992-93	*	*	*	10,59.69 ^(ग)				
	योग—(v)— भांडागार एवं विपणन सहकारी समितियां					57,40.53				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4,26.05 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,25.53 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3,84.43 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(vi)	प्रसंस्करण सहकारी समितियां—									
1.	सहकारी चावल मिल	1965-66 से 1967-68 1968-69 से 1997-98	साधारण *	159000	100	1,16.67 ^(क) 1,03.80 ^(ख)				
योग						2,20.47				
2.	चावल चोकर तेल इकाई, दुर्ग	1966-67 से 1969-70 1983-84 और 1984-85	साधारण *	48000 *	100 *	35.22 ^(ग) 7.65 ^(घ)				
योग						42.87				
3.	प्रसंस्करण समितियां (84)	*	साधारण	*	प्रति अंश ₹ 10 से लेकर ₹ 100 तक प्रति अंश	29.76 ^(ङ)				
		1964-65	साधारण	41225	₹ 25 से लेकर ₹ 200 तक प्रति अंश	25.79 ^(च)				
		1967-68 से 1991-92	*	*	*	2,36.99 ^(छ)				
		2015-16				पू.नि. (-) 27.33				
		2016-17				पू.नि. (-) 74.69				
		2017-18				पू.नि. (-) 22.80				
योग						1,67.72				

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 42.33 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 37.65 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 12.78 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.77 लाख कम किए गए।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 10.79 लाख कम किए गए।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 9.36 लाख कम किए गए।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 85.97 लाख कम किए गए।
- पू.नि. यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।⁽ⁱ⁾

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श तथा व्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(vi)	प्रसंस्करण सहकारी समितियां—									
4.	शीत भंडार गृह संयंत्र सहकारी समितियां (5)	1970-71 1971-72 से 1979-80 1980-81 1982-83 से 1998-99 2011-12 2013-14	साधारण * * * *	2000 * 5714 *	100 * 100 *	1.46 ^(क) 11.92 ^(ख) 4.20 ^(ग) 4,29.19 ^(घ) पू.नि. (-) 4.70 पु.नि. (-) 24.66				
योग						4,17.41				
5.	साईजिंग एवं कलेण्डरिंग संयंत्र, बुरहानपुर	1971-72 से 1981-82	*	*	*	4.50 ^(ख)				
6.	सोलवेंट एक्सट्रैक्शन संयंत्र, दुर्ग	1977-78 और 1978-79 1980-81	* *	* 11200	* 100	27.88 ^(घ) 8.22 ^(घ)				
योग						36.10				
7.	सोयाबीन भवन समूह स्थापना	1981-82 से 1993-94	*	*	*	20,04.25 ^(ज)				
8.	सोलवेंट एक्सट्रैक्शन स्थापना	1982-83	*	*	*	0.86 ^(झ)				
9.	मध्यप्रदेश राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ, भोपाल	1982-83 से 1999-2000 2018-19	*	*	*	27,92.66 ^(झ) पु.नि. (-) 9.26				
योग						27,83.40				

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.54 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4.32 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.52 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,55.70 लाख कम किए गए।
पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.63 लाख कम किए गए।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 10.12 लाख कम किए गए।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.98 लाख कम किए गए।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 7,27.08 लाख कम किए गए।
- (झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.31 लाख कम किए गए।
- (ञ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 10,13.10 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स.क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियाँ—जारी									
(vi)	संसाधन सहकारी समितियाँ—समाप्त									
10.	मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ भोपाल द्वारा साबुन फैक्ट्री, दुर्ग की स्थापना	1983-84 और 1984-85	*	*	*	9.86 ^(क)				
11.	वनस्पति प्रसंस्करण स्थापना	1986-87	*	*	*	60.58 ^(ख)				
12.	सोयाबीन भवन समूह संयंत्र, छिन्दवाड़ा की स्थापना	1987-88 से 1992-93	*	*	*	5,29.76 ^(ग)				
13.	मुरैना मस्टर्ड भवन समूह	1988-89 और 1989-90	*	*	*	1,69.51 ^(घ)				
14.	सीहोर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना	1990-91 से 1992-93	*	*	*	2,32.12 ^(ङ)				
15.	महाकाल सहकारी शीत गृह, उज्जैन एवं माँ चामुंडा सहकारी शीत—गृह	1999-2000 2012-13 2015-16 2016-17	*	*	*	1,29.15 ^(च) पु.नि. (-) 8.00 (-) 2.50 (-) 2.05				
					योग	1,16.60				
16.	माँ तुलजा भवानी सहकारी शीत गृह समिति, देवास को शीत गृह की स्थापना हेतु सहायता	2000-2001 (नवम्बर 2000 से मार्च 2001 तक) 2018-19	*	*	*	62.50 पु.नि. (-) 3.00				
					योग	59.50				
					योग—(vi)—प्रक्रिया सहकारी समितियाँ	68,55.51				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3.58 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 21.97 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,92.18 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 61.49 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 84.21 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 46.85 लाख कम किए गए।

पु.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।⁽¹⁾

विवरण संख्या 19 – जारी

स.क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां—जारी									
(vii)	दुग्ध सहकारितायें—									
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां (67)	1971-72 से 1983-84	*	*	*	2.39 ^(क)				
		2011-12				प्र.नि. (-) 48.26				
		2012-13				प्र.नि. (-) 17.31				
		2013-14				प्र.नि. (-) 0.98				
		2014-15				प्र.नि. (-) 0.40				
		2015-16				प्र.नि. (-) 0.25				
		2016-17				प्र.नि. (-) 0.37				
		2018-19				प्र.नि. (-) 012				
					योग	(-) 65.30				
2.	दुग्ध संघ, इन्दौर	1966-67	साधारण (50%)	1660	100	1.22 ^(ख)				
	योग—(vii)—दुग्ध सहकारितायें					(-) 64.08				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.87 लाख कम किए गए।

प्र.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.44 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां—जारी										
(viii)	मछुआरा सहकारी समितियां—									
1.	मछुआरा सहकारी संघ	1970-71	साधारण	60	100	0.04 ^(क)				
		1986-87		*	*	0.57 ^(ख)				
		2018-19				पू.नि. (-) 0.36				
		योग—(viii)—मछुआरा सहकारी समितियां				0.25				
(ix)	सहकारी शक्कर कारखाने—									
1.	सहकारी शक्कर कारखाना (मुरैना मण्डल सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित, कैलारस)	1965-66 से 1971-72	साधारण	8470	1000	62.15 ^(ग)				
		1973-74 से 2005-06	*	*	*	7,44.55 ^(घ)				
		2006-07	*	*	*	15.00				
		2007-08	*	*	*	15.00				
		2008-09	*	*	*	15.00				
				योग		8,51.70				
2.	मालवा सहकारी शक्कर कारखाना, बरलाई, (जिला इन्दौर)	1975-76 से 1979-80	*			1,06.40 ^(ङ)				
		1980-81	*	1000	1000	7.34 ^(च)				
		1985-86 से 2000-2001				3,54.86 ^(छ)				
				योग		4,68.60				
3.	नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना, बुरहानपुर	1981-82 से 1993-94	*	*	*	3,52.91 ^(ज)				
		2011-12				पू.नि. (-) 60.52				
		2012-13				पू.नि. (-) 45.00				
		2014-15				पू.नि. (-) 35.00				
		2014-15				पू.नि. (-) 65.00				
				योग		1,47.39				

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.02 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.20 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 22.55 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,09.04 लाख कम किए गए।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 38.60 लाख कम किए गए।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.66 लाख कम किए गए।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,03.00 लाख कम किए गए।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,28.03 लाख कम किए गए।
- पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।¹

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के व्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(ix)	सहकारी शक्कर कारखाने – समाप्त									
4.	मध्यप्रदेश सहकारी शक्कर महासंघ मर्यादित, भोपाल	1986-87	*		*	1.47 ^(क)				
5.	कृषक सहकारी शक्कर कारखाना नारायणपुर, गुना	1998-99 और 1999-2000	*		*	10,33.87 ^(ख)				
						योग—(ix)—सहकारी शक्कर कारखाने	25,03.03			
(x)	सहकारी कताई कारखाने—									
1.	भारत सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, जबलपुर	1964-65	अपरिभाषित	1020	1000	7.48 ^(ग)				
2.	श्रमिक सहकारी सूती कारखाना मर्यादित, उज्जैन	1964-65 1973-74	अपरिभाषित *	1020	1000	7.48 ^(घ) पू.नि. (-) 1.85 ^(ङ)				
						योग	5.63			
3.	रतलाम सहकारी जवाहर स्मारक कताई कारखाना मर्यादित, रतलाम	1964-65 से 1973-74	1020	1000		7.48 ^(घ) ..				
4.	सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, बुरहानपुर	1964-65 से 2000-2001	अपरिभाषित	*		4,26.63 ^(घ)				
						योग	4,26.63			
5.	सहकारी कताई मिल, खरगौन	1983-84 से 1990-91	*	*		3,96.99 ^(ज)				
6.	सहकारी सूती मिलों की स्थापना	1994-95 और 1995	*	*		2,14.93 ^(झ)				
						योग—(x)—सहकारी कताई कारखाने	10,59.14			

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.53 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3,75.05 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.72 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.72 लाख कम किए गए।
पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(१)
- (ङ) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 0.68 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.72 लाख कम किए गए।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 11.27 लाख कम किए गए।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,44.01 लाख कम किए गए।
- (झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 77.97 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां—जारी										
(xi)	औद्योगिक सहकारी समितियां—									
1.	मध्यप्रदेश हथकरघा बुनकर केन्द्रीय सहकारी समिति, जबलपुर	1959-60 से 1964-65	*	1083	100	0.79 ^(क)				
		1970-71 से 1977-78	*	*	*	25.02 ^(ख)				
		1978-79	*	750	100	0.55 ^(ग)				
		1979-80	*	*	*	1.49 ^(घ)				
		1980-81	*	20525	100	15.06 ^(ङ)				
		1982-83 से 1989-90	*	*	*	1,62.17 ^(च)				
योग						2,05.08				
2.	औद्योगिक सहकारी समितियां (144)	1964-65	साधारण	1421	₹ 10 से लेकर ₹ 100 तक	0.37 ^(ख)				
		1965-66 और 1966-67	अपरिभाषित	1880	₹ 25 से लेकर ₹ 100 तक	0.66 ^(ज)				
		1972-73	साधारण	*	₹ 5 से लेकर ₹ 100 तक	0.90 ^(झ)				
		1978-79	साधारण	5509	₹ 5 से लेकर ₹ 100 तक	2.63 ^(ञ)				
						पू.नि. (-) 0.03 ^(ट)				
		1968-69 से 2004-05	*	*	*	28.49				
		2012-13				पु.नि. (-) 2.35				
						3,98.18 ^(ड)				
		2014-15				पु.नि. (-) 0.50				
		2015-16				पु.नि. (-) 0.45				
योग						4,27.90				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.29 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 9.07 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.20 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.54 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 5.46 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 58.83 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.13 लाख कम किए गए।

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.24 लाख कम किए गए।

(ञ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.33 लाख कम किए गए।

(ट) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.96 लाख कम किए गए।
यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।¹

(ड) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 0.02 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।

(ड) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,44.45 लाख कम किए गए।

(क)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 1.44 लाख कम किए गए।
(ख)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 0.28 लाख कम किए गए।
(ग)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 3.58 लाख कम किए गए।
(घ)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 1.06 लाख कम किए गए।
यू.नि.	यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है। ⁽¹⁾	
(ङ)	मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 0.06 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।	
(च)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 38.74 लाख कम किए गए।
(छ)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 0.54 लाख कम किए गए।
(ज)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 0.03 लाख कम किए गए।
(झ)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 7.24 लाख कम किए गए।
(ञ)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 0.51 लाख कम किए गए।
(ट)	छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े	₹ 0.03 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स.क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				₹	(₹ लाख में)					
V	सहकारी बैंक और समितियां—जारी									
(xi)	औद्योगिक सहकारी समितियां—जारी									
7.	सहकारी कताई कारखाना मर्यादित, बुरहानपुर	1979-80	*	*	*	61.26 ^(क)				
		1980-81	*	225	1000	1.65 ^(ख)				
		1984-85 से 1989-90	*	*	*	55.03 ^(ग)				
						योग	1,17.94			
8.	मध्यप्रदेश राज्य विद्युत करघा वस्त्र विपणन संघ, बुरहानपुर	1981-82 से 1986-87	*	*	*	37.35 ^(घ)				
9.	प्राथमिक विद्युत करघा बुनकर सहकारी समितियों की स्थापना	1984-85 से 1987-88	*	*	*	7.24 ^(ङ)				
10.	विद्युत करघा कर्मशाला	1984-85 से 1986-87	*	*	*	1.91 ^(च)				
11.	प्राथमिक हथकरघा बुनकर समितियां	1984-85 से 1989-90	*	*	*	54.07 ^(छ)				
12.	विद्युत करघा भवन समूह	1986-87 से 1999-2000	*	*	*	38.08 ^(ज)				
13.	आकार संयंत्र की स्थापना	1986-87 और 1987-88	*	*	*	5.87 ^(झ)				
14.	नवभारत विद्युत करघा बुनकर सहकारी संघ, बुरहानपुर	2004-05	*	*	*	30.79				

- (क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 22.22 लाख कम किए गए।
- (ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.60 लाख कम किए गए।
- (ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 19.97 लाख कम किए गए।
- (घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 13.55 लाख कम किए गए।
- (ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.63 लाख कम किए गए।
- (च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.69 लाख कम किए गए।
- (छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 19.61 लाख कम किए गए।
- (ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 13.82 लाख कम किए गए।
- (झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.13 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स.क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11
					₹	(₹ लाख में)			
V	सहकारी बैंक और समितियां—जारी								
(xi)	औद्योगिक सहकारी समितियां—समाप्त								
15.	क्लस्टर्स की स्थापना	2005-06	*	*	*	20.00			
		2007-08	*	*	*	7,30.00			
		2011-12				20.00			
		2012-13				4.96			
		2015-16				2,60.00			
		2016-17				4,00.00			
		2017-18				3,01.35			
		2018-19				9.86 ^(क)			
					योग	17,46.17			
					योग—(xi)—औद्योगिक सहकारी समितियां	29,27.38			
(xii)	उपभोक्ता सहकारी समितियां—								
1.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार (367)	1961-62 से 1966-67	साधारण	35692	प्रति अंश ₹ 5 से लेकर ₹100 तक	29.01 ^(ख)			
		1967-68 से 1978-79	*	*	*	84.88 ^(ग)			
		1980-81	*	650	100	0.48 ^(घ)			
						पू.नि. (-) 0.13 ^(ङ)			
		1984-85 से 1999-2000		*	*	54.92 ^(च)			
		2011-12				पू.नि. (-) 7.00			
		2012-13				पू.नि. (-) 21.35			
		2013-14				पू.नि. (-) 3.47			
		2014-15				पू.नि. (-) 2.24			
		2015-16				पू.नि. (-) 9.23			
					योग	1,25.87			

(क) राशि औद्योगिक अधोसंरचना विकास निगम से संबंधित है।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 10.52 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 30.79 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.17 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।⁽

(ङ) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 0.05 लाख की पूंजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 19.93 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां—जारी										
(xii)	उपभोक्ता सहकारी समितियां—जारी									
2.	थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार (37)	1962-63 से 1965-66	साधारण	5900	प्रति अंश ₹100 से लेकर ₹ 1000 तक	10.27 ^(क)				
		1978-79 से 2001-02	*	*	*	3,46.38 ^(ख)				
		2011-12				पू.नि. (-) 2.26				
		2012-13				पू.नि. (-) 3.97				
		2013-14				पू.नि. (-) 6.07				
		2014-15				पू.नि. (-) 2.99				
		2016-17				पू.नि. (-) 1.22				
		2017-18				पू.नि. (-) 0.20				
		2018-19				पू.नि. (-) 0.45				
					योग	3,39.49				
3.	मध्य प्रदेश थोक उपभोक्ता सहकारी भण्डार संघ, भोपाल	1964-65	साधारण	100	1000	0.73 ^(ग)				
		1973-74 से 1983-84	*	*	*	24.13 ^(घ)				
		1980-81	*	500	1000	3.67 ^(ङ)				
		1984-85 से 2005-06	*	*	*	35.77 ^(च)				
			*	*	*	10.00				
		2006-07				पू.नि. (-) 1.63				
		2014-15				पू.नि. (-) 4.47				
		2016-17								
					योग	68.20				
4.	विभागीय भण्डार, उज्जैन	1975-76	*	*	*	1.10 ^(छ)				
5.	विभागीय भण्डार, शिवपुरी	1976-77	*	*	*	1.10 ^(छ)				
6.	थोक उपभोक्ता भंडार, उज्जैन	1982-83 से 1987-88	*	*	*	0.88 ^(ज)				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3.73 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,25.29 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.27 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 8.76 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.33 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 11.76 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.40 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.32 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(xii)	उपभोक्ता सहकारी समितियां — समाप्त									
7.	विश्वविद्यालय/उपाधि	1982-83 से 1984-85	*	*	*	0.22 ^(क)				
8.	महाविद्यालय उपभोक्ता भण्डार									
8.	उपभोक्ता भंडारों द्वारा सहकारी बाजारों की स्थापना	1984-85 से 1991-92	*	*	*	16.75 ^(ख)				
9.	सामूहिक रसोईघर	1984-85	*	*	*	0.11 ^(ग)				
10.	उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण	1987-88 से 2001-02	*	*	*	6,11.27 ^(घ)				
11.	विभागीय भण्डार का स्व-सेवा केन्द्र	1992-93 से 2000-2001		*	*	68.57 ^(ङ)				
		2013-14				पू.नि. (-) 4.69				
		2014-15				पू.नि. (-) 4.69				
		2015-16				पु.नि. (-) 4.69				
योग						54.50				
12.	सहकारी भण्डारों का विकास	1992-93 से 1995-96	*	*	*	4.12 ^(च)				
13.	विद्यार्थी सहकारी स्टोर	1997-98		*	*	0.25 ^(छ)				
योग—(xii)—उपभोक्ता सहकारी समितियां						12,23.86				
(xiii)	अन्य सहकारी समितियां -									
1.	मध्यप्रदेश राज्य जनजाति सहकारी विकास निगम	1967-68 और 1968-69	साधारण	16500	100	12.11 ^(ज)				
2.	बागवानी सहकारी समिति	1970-71	साधारण	80	100	0.06 ^(झ)				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.08 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 6.07 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.04 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,03.61 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 21.25 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।⁽¹⁾

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.50 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.09 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4.39 लाख कम किए गए।

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.02 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियाँ—जारी									
(xiii)	अन्य सहकारी समितियाँ – जारी									
3.	साईजिंग और कलेण्डरिंग संयंत्र, जबलपुर	1976-77	*	*	*	0.18 ^(क)				
4.	बड़ी बहुददेशीय समितियाँ (622)	*	साधारण	65590	प्रति अंश ₹ 10 से लेकर ₹ 850 तक	21.32 ^(ख)				
		1958-59 से 1960-61	*		प्रति अंश ₹ 10 से लेकर ₹ 100 तक	11.98 ^(ग)	पू.नि. (-) 33.94 ^(घ)			
		1971-72 से 2003-04		*	*	5,29.94 ^(ङ)				
					योग	5,29.30				
5.	सहकारी मुद्रणालय (6)	1962-63 से 1964-65	साधारण	44	1000	0.32 ^(च)				
		1982-83	*	400	100	0.29 ^(छ)				
						(पू.नि.) (-) 0.23 ^(ज)				
					योग	0.38				
6.	महू रेलवे सहकारी संघ	*	*	*	*	--				
7.	मराठा सहकारी समिति	*	*	*	*	--				
8.	कृषि विपणन सहकारी समितियाँ, भोपाल के लिये सेवा कार्य तथा मरम्मत	1970-71 और 1971-72	साधारण	2740	100	2.01 ^(झ)				
		1973-74 और 1974-75	*	*	*	1.22 ^(ञ)				
					योग	3.23				
9.	सहकारी सिंचाई समितियाँ (2)	1971-72 से 1977-78	*	*	*	4.34 ^(ट)				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.07 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 7.73 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4.34 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।⁽¹⁾

(घ) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 12.31 लाख की पूँजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 62.51 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.12 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.11 लाख कम किए गए।

(ज) मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ के मध्य विभाजन के कारण, छत्तीसगढ़ को ₹ (-) 0.08 लाख की पूँजी की निवृत्ति प्रोफार्मा ट्रांसफर की गई।

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.73 लाख कम किए गए।

(ञ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.44 लाख कम किए गए।

(ट) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.57 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां—जारी									
(xiii)	अन्य सहकारी समितियां – जारी									
10.	इंजीनियरों और डिप्लोमाधारियों के लिये सहकारी समिति, भोपाल	1972-73	*	*	*	0.27	(क)			
11.	लौह अयस्क खान श्रमिक सहकारी समिति, दुर्ग	1973-74 से 1990-91	*	*	*	0.10	(ख)			
12.	ग्वालियर साईजिंग संयंत्र	1974-75	*	*	*	0.15	(ग)			
13.	ग्रामीण विद्युत् सहकारी समितियां, पांदुरना तथा मनावर	1975-76 से 1983-84	*	*	*	1,93.31	(घ)			
		1980-81	*	15000	100	9.54	(ङ)			
		1984-85 से 1994-95	*	*	*	2,89.85	(च)			
		योग			4,92.70					
14.	सायकल-रिक्शा चालक सहकारी समितियां	1982-83 और 1983-84	*	*	*	0.09	(छ)			
15.	पंचायती राज मुद्रणालय, उज्जैन	1982-83	*	*	*	3.04	(ज)			
16.	साइजिंग और कलेण्डरिंग सहकारी समिति, बुरहानपुर	1982-83 से 1986-87	*	*	*	13.58	(झ)			
17.	मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र विपणन संघ, बुरहानपुर	1982-83	*	*	*	5.50	(ञ)			
18.	ग्रामीण विपणन हेतु बड़े, आकार के गोदामों की स्थापना	1984-85 से 1992-93	*	*	*	1,97.27	(ट)			

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.09 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.04 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.05 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 70.13 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3.46 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,05.15 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.03 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.10 लाख कम किए गए। मुद्रणालय की पुस्तकों में तदनुसूची निवेश ₹ 10.00 लाख है तथा 1994-95 तक संचयी हानि ₹ 11.62 लाख थी।

(झ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4.92 लाख कम किए गए।

(ञ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.00 लाख कम किए गए।

(ट) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 71.56 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखों में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V	सहकारी बैंक और समितियां— जारी									
(xiii)	अन्य सहकारी समितियां— जारी									
19.	मध्यप्रदेश दुग्ध महासंघ (सहकारी) मर्यादित, भोपाल	1975-76 से 2001-02	*	*	*	2,93.03 ^(क)				
20.	मध्यप्रदेश अन्त्यावसायी विकास निगम/मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम/म.प्र.एस.सी. सहकारी वित्त विकास निगम	1978-79 से 1986-87 1988-89 से 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2017-18	साधारण * * * * * * * * * * * * *	570250 * * * * * * * * * * * * *	100 * * * * * * * * * * * * *	4,18.45 ^(ख) 3,40.00 6,73.98 ^(ग) 50.00 1,00.00 1,00.00 75.00 ^(घ) 1,00.00 ^(ङ) 1,00.00 10,00.00 70.00 1,00.00 2,00.00				
					योग	33,27.43				
21.	मध्यप्रदेश राज्य वन उपज एवं व्यापार संघ मर्यादित, भोपाल	1983-84 से 1984-85 1988-89 से 1996-97	* *	27500 *	1000 *	2,01.79 ^(घ) 24,18.10 ^(ङ)				
					याग	26,19.89				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 88.17 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1,51.80 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,44.50 लाख कम किए गए।

(घ) ₹ 2,25.00 लाख में से ₹ 1,50.00 लाख जो आदिवासी वित्त एवं विकास निगम से सम्बन्धित थे, त्रुटिवश एम.पी.एस.सी. वित्त एवं विकास निगम के विरुद्ध दर्शाये गये थे।

(ङ) वर्ष 2011-12 से सम्बन्धित ₹ 1,00.00 लाख की राशि जो कि एम.पी.एस.सी. सहकारी बिल एवं विकास निगम से सम्बन्धित थी, वर्ष 2010-11 में त्रुटिवश म.प्र.पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम, भोपाल के विरुद्ध दर्शायी गयी थी। वर्ष 2011-12 के विरुद्ध कोई राशि दर्शाई नहीं गई थी।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 73.21 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 8,77.21 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूँजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां— जारी										
(xiii)	अन्य सहकारी समितियां— जारी									
22.	भारत भवन न्यास	1988-89	*	*	*	73.38 ^(क)				
23.	वन साधन सहकारी समितियां	1990-91 2017-18	*	*	*	1.64 ^(ख)				
						पू.नि. (-) 0.17				
						योग	1.47			
24.	ग्रामीण तिलहन सहकारी समिति	1992-93	*	*	*	6,71.49 ^(ग)				
25.	कस्टम हाइरिंग केन्द्रों की स्थापना	1992-93	*	*	*	4.95 ^(घ)				
26.	फल एवं बीज मण्डी क्षेत्र, इन्दौर	1993-94	*	*	*	55.04 ^(ङ)				
27.	इफको आंवला फर्टिलाइजर	1993-94	*	*	*	6.24 ^(च)				
28.	सहकारी सूती मिल	1993-94	*	*	*	13.28 ^(छ)				
29.	अंबिका आलू उत्पादन विपणन समिति पलासिया, इन्दौर	1993-94	*	*	*	37.79 ^(ज)				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 26.62 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.60 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूँजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(१)

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2,43.59 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.80 लाख कम किए गए।

(ङ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 19.96 लाख कम किए गए।

(च) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.26 लाख कम किए गए।

(छ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4.82 लाख कम किए गए।

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 13.71 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे			निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभान्श/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभान्श/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या	प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां—जारी										
(xiii)	अन्य सहकारी समितियां— जारी									
30.	समन्वित विकास परियोजना, नरसिंहपुर राजगढ़, रायसेन, खरगौन, बस्तर, रतलाम, छिंदवाड़ा, भिण्ड और रायपुर	1994-95 से 2005-06	*	*	*	39,31.84 ^(क)				
		2006-07	*	*	*	11,71.43				
		2007-08	*	*	*	22,98.92				
		2011-12				पू.नि. (-) 18,32.45				
		2012-13				पु.नि. (-) 13,25.73				
		2013-14				27,50.00				
						पु.नि. (-) 10,77.35				
		2014-15				24,05.00				
						पु.नि. (-) 15,03.06				
		2015-16				20,48.00				
						पु.नि. (-) 5,50.77				
		2016-17				25,00.00				
						पू.नि. (-) 6,84.66				
		2017-18				21,45.11				
						पू.नि. (-) 8,51.81				
		2018-19				7,49.60				
						योग	1,21,74.07			
31.	महिला सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता	1995-96 से 2000-2001	*	*	*	38.35 ^(ख)				
		2013-14				पु.नि. (-) 0.04				
		2015-16				पु.नि. (-) 0.01				
		2016-17				पू.नि. (-) 0.45				
		2018-19				पू.नि. (-) 0.50				
						योग	37.35			
32.	लीड/लिक सहकारी समितियों को सहायता	1996-97 से 1999-2000	*	*	*	5.50 ^(ग)				
33.	जवाहर लाल सहकारी कृषि उत्पादक समिति, खरगोन	1997-98 और 1998-99	*	*		13,72.50				
		2011-12				पू.नि. (-) 1,77.25				
		2012-13				पू.नि. (-) 1,77.25				
						58.07 ^(घ)				
		2013-14				पु.नि. (-) 1,77.25				
		2014-15				पु.नि. (-) 64.02				
		2015-16				पु.नि. (-) 24.02				
						योग	8,10.78			

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 4,76.11 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 13.10 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 2.00 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 21.07 लाख कम किए गए।

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					₹	(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां— जारी										
(xiii)	अन्य सहकारी समितियां— जारी									
34.	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी ग्रामीण संघ मर्यादित, जबलपुर	1989-90	*	*		3.67 ^(क)				
35.	कमजोर वर्गों की सहकारी समितियां	1998-99				2.64 ^(ख)				
36.	मध्यप्रदेश राज्य रेशम संघ	1999-2000	*	*		1,21.08 ^(ग)				
37.	विद्युत प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर	1999-2000 से 2000-01 (अक्टूबर 2000 तक)		*	*	10.27 ^(घ)				
38.	कृषि ऋण समितियां	(नवम्बर 2000 से मार्च 2001 तक)		*		10,21.41				
		2011-12				पू.नि. (-) 4,67.36				
		2012-13				पू.नि. (-) 2.33				
		2016-17				पू.नि. (-) 40.31				
		2017-18				पू.नि. (-) 1.53				
						पू.नि. (-) 1.48				
					योग	5,08.40				
39.	बीज निगम को अंशपूंजी	2012-13				2,00.00				
		2013-14				2,00.00				
		2014-15				1,00.00				
					योग	5,00.00				

(क) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 1.33 लाख कम किए गए।

(ख) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 0.96 लाख कम किए गए।

(ग) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 43.92 लाख कम किए गए।

(घ) छत्तीसगढ़ राज्य को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण, मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के बीच विभाजन के कारण निवेश के आंकड़े ₹ 3.73 लाख कम किए गए।

पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।¹

विवरण संख्या 19 – जारी

स. क्र.	प्रतिष्ठान का नाम	निवेश का वर्ष	निवेश के ब्यौरे		निवेशित राशि	कुल प्रदत्त पूंजी में सरकारी निवेश की प्रतिशतता	वर्ष के दौरान लाभांश/ ब्याज प्राप्त हुआ तथा सरकार के पास जमा किया गया	घोषित लाभांश/ ब्याज किन्तु सरकारी लेखे में न जमा किया गया	टिप्पणी	
			प्रकार	अंशों/ डिबेन्चर की संख्या						प्रत्येक अंश/ डिबेन्चर का अंकित मूल्य
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
₹						(₹ लाख में)				
V सहकारी बैंक और समितियां— समाप्त										
(xiii)	अन्य सहकारी समितियां— समाप्त									
40.	अक्षम पैक्स एवं लेम्स समितियों को सहायता	2012-13				3,00.00				
		2013-14				2,62.71				
						पू.नि. (-) 0.39				
		2014-15				13.71				
						पु.नि. (-) 49.86				
				योग		5,26.17				
				योग (xiii)–अन्य सहकारी समितियों		2,30,66.22 ^(क)				
				योग–V–सहकारी बैंक और समितियां		16,29,56.76		2.95		
				महायोग		3,52,40,10.13		3,47,26.15		

टीप :- विवरण के कॉलम 5 के अन्तर्गत दिखाए गए अंशों/डिबेंचरों की संख्या मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य विभाजित की जानी है।

पू.नि. यह पूंजी की निवृत्ति/विनिवेश का प्रतीक है।^(क)

(क) विवरण संख्या 16 में दर्शाये गये प्रगामी निवेश परिव्यय से ₹ 1.05 लाख का अंतर है। ₹ 1.05 लाख के निवेश का अंतर प्रोवीडेण्ट इन्वेस्टमेंट कम्पनी मर्यादित, मुंबई में भूतपूर्व ग्वालियर रियासत की निधि से वित्त पोषित किये जाने के कारण से है।

विवरण संख्या 19 — समाप्त

अनुभाग 2 — वर्ष के दौरान निवेशों का मुख्य तथा लघु शीर्षवार विवरण

(केवल ऐसे प्रकरण सम्मिलित हैं, जिनमें आंकड़े विवरण संख्या 19 में दर्शित आंकड़ों से मेल नहीं खाते हैं)

						(₹ लाख में)
स.क्र. विवरण संख्या 16	मुख्य/लघु शीर्ष	गत वर्ष के अंत तक निवेश	वर्ष के दौरान निवेश	वर्ष के दौरान विनिवेश	वर्ष के अन्त तक निवेश	प्राप्त लाभांश/ ब्याज

विवरण संख्या 16 में संबंधित मुख्यशीर्ष के नीचे लघुशीर्ष 190—सार्वजनिक क्षेत्र के एवं अन्य उपक्रमों में निवेश और लघुशीर्ष 107—साख सहकारी समितियों में निवेश और लघुशीर्ष 108—अन्य सहकारी समितियों में निवेश के आंकड़ों को विवरण संख्या 19 में दिखाया गया है। तदनुसार विवरण संख्या 16 एवं 19 में कोई अंतर नहीं है।

20 – सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का विस्तृत विवरण पत्रक

प्रत्याभूतियों का विवरण नीचे दिया गया है :-

विद्युत

(₹ लाख में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया (मूल+ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अन्त में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
म.प्र.वि.उत्पादन कं.लिमि. जबलपुर (04)	27,06,99.65	13,67,35.81	2,81,98.34	--	--	--	16,49,34.15	9.59	*	--
म.प्र.वि.पारेषण कं.लिमि. जबलपुर (03)	23,00,83.00	2,39.66	17,00,00.00	15,82,10.55	--	--	1,20,29.11	9.30	*	--
म.प्र.पूर्व क्षेत्र वि.वितरण कं.लिमि.जबलपुर (11)	27,14,41.54	8,14,51.41	13,15,08.75	--	--	--	21,29,60.16	50,86.13	*	--
म.प्र.मध्य क्षेत्र वि.वितरण कं.लिमि. भोपाल (05)	21,17,76.50	94,03.26	17,00,00.00	4,81,95.61	--	--	13,12,07.65	2,92.40	*	--
म.प्र.पश्चिम क्षेत्र वि.वितरण कं.लिमि. इन्दौर (05)	19,79,23.00	1,08,41.66	17,00,00.00	3,44,44.44	--	--	14,63,97.22	4,65.65	*	--
म.प्र.वि.प्रबंधन कं.लिमिटेड, जबलपुर (04)	22,00,00.00	11,95,00.00	22,00,00.00	33,95,00.00	--	--	--	9,13.00	*	--
योग (32)	1,40,19,23.69	35,81,71.80	88,97,07.09 ^(क)	58,03,50.60	--	--	66,75,28.29	67,76.07	*	--

सहकारिता

(₹ लाख में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया (मूल+ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अन्त में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
साख सहकारिता (10)	51,50,05.00	9,01,12.45	8,25,00.00	11,34,54.95	--	--	5,91,57.50	--	*	--
योग (10)	51,50,05.00	9,01,12.45	8,25,00.00	11,34,54.95	--	--	5,91,57.50	--	*	--

राज्य वित्तीय निगम

(₹ लाख में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया (मूल+ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अन्त में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्यप्रदेश वित्तीय निगम (19)	13,00,00.00	8,73,23.85	--	1,10,24.10	--	--	7,62,99.75	2,50.00	*	--
योग (19)	13,00,00.00	8,73,23.85	--	1,10,24.10	--	--	7,62,99.75	2,50.00	*	--

* कोषालय से चालान प्राप्त न होने के कारण क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं है।

(क) पिछले वर्षों के दौरान हुए गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण आंकड़े संशोधित किए गए।

विवरण संख्या 20 – जारी
शहरी विकास एवं आवास

(₹ लाख में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया (मूल+ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अन्त में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
नगर निगम (32)	17,14,15.30	6,09,72.44	--	2,88.92	--	--	6,06,83.52	1,25.75	*	--
नगर पालिका (223)	9,81,27.48	6,53,15.74	1,64.43	--	--	--	6,54,80.17	1,07.90	*	--
नगर पंचायत	--	--	--	--	--	--	--	--	*	--
राज्य शहरी विकास प्राधिकरण (04)	18,38,30.70	36,84.21	9,24,75.00	--	--	--	9,61,59.21	4.12	*	--
नगर परिषद (124)	9,40,83.52	2,05,57.44	1,94,59.02	--	--	--	4,00,16.46	34.50	*	--
मध्यप्रदेश पुलिस गृह निर्माण निगम लिमिटेड (03)	8,07,80.00	5,44,23.50	--	36,64.01	--	--	5,07,59.49	8,07.80	*	--
योग (386)	62,82,37.00	20,49,53.33	11,20,98.45^(क)	39,52.93	--	--	31,30,98.85	10,80.07	*	--

अन्य

(₹ लाख में)

क्षेत्र (कोष्ठक के अन्तर्गत प्रत्याभूतियों की संख्या)	अधिकतम प्रत्याभूतित राशि	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया (मूल+ब्याज)	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (प्रदत्त प्रत्याभूतियों को छोड़कर)	वर्ष के दौरान प्रदत्त		वर्ष के अन्त में बकाया (मूल+ब्याज)	प्रत्याभूति कमीशन अथवा शुल्क		अन्य महत्वपूर्ण विवरण
					उन्मोचित	उन्मोचित न की गई		प्राप्य	प्राप्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार विभाग (14)	10,61,42.00	2,75,20.49	6,14,10.00	4,82,84.49	--	--	4,06,46.00	--	*	--
मध्यप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड (01)	39,50.00	34,75.86	--	18,33.20	--	--	16,42.66	--	*	--
मध्यप्रदेश खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग (13)	2,37,75,00.00	62,76,35.00	2,37,75,00.00	1,08,83,96.00	--	--	1,91,67,39.00	--	*	--
लोक निर्माण विभाग (02)	40,00,00.00	--	--	--	--	--	--	--	*	--
उच्चतर शिक्षा (102)	12,26.56	11,07.00	1,19.56	--	--	--	12,26.56	--	*	--
योग (132)	2,88,88,18.56	65,97,38.35	2,43,90,29.56^(क)	1,13,85,13.69	--	--	1,96,02,54.22	--	*	--

टीप : अधिकतम राशि की गारंटी में मध्यप्रदेश समग्र राज्य की शेष राशि शामिल है जिसे मध्यप्रदेश को आवंटित किया गया है।

* कोषालय से चालान प्राप्त न होने के कारण क्षेत्रवार विवरण उपलब्ध नहीं है। वर्ष के दौरान कुल प्रत्याभूति शुल्क ₹ 14,73.13 लाख प्राप्त हुए।

(क) पिछले वर्षों के दौरान हुए गलत वर्गीकरण में सुधार के कारण आँकड़े संशोधित किए गए।

विवरण संख्या 20 – समाप्त

व्याख्यात्मक टिप्पणी

1. सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी संस्थाओं, स्थानीय निकायों, फर्मों और व्यक्तियों आदि द्वारा लिये गये ऋणों जैसे कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा प्रत्याभूति दी जाती हैं। ये प्रत्याभूतियाँ राज्य के राजस्व पर आकस्मिक दायित्व हैं।
2. मध्यप्रदेश राज्य सरकार गारंटी नियम, 2009 (संशोधित) 20 नवम्बर, 2009 से प्रभावी हुआ। गारंटियों के स्वीकृति आदेश संबंधित प्रशासनिक विभाग के स्थान पर वित्त विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं।
3. वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्याभूति की अधिकतम राशि ₹ 5,56,39,84.25 लाख थी जिसके विरुद्ध उस तारीख को (जब तक सूचना प्राप्त हुई थी) प्रत्याभूति की बकाया राशि ₹ 3,07,63,38.61 लाख थी।
4. राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अनुसार राज्य सरकार, यह सुनिश्चित करने के लिए कि, कुल प्रत्याभूति चालू वर्ष के पिछले वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के 80 प्रतिशत से अधिक न हो, प्रत्याभूति की वार्षिक वृद्धि सीमित करेगी। वर्ष 2018-19 के दौरान बकाया कुल गारण्टी ₹ 3,07,63,38.61 लाख थी, जो कि पिछले वर्ष (2017-18) की राजस्व प्राप्तियों ₹ 13,48,75,38.96 लाख की 80 प्रतिशत की सीमा में थी।
5. प्रत्याभूति शुल्क जब तक विशेष रूप से माफ न हो, मुख्य देनदार से वसूली जाती है। उगाहा गया शुल्क का आगम सरकार के राजस्व में जमा किया जाता है। वर्ष 2018-19 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के रूप में कुल ₹ 14,73.12 लाख वसूले गये तथा सरकारी लेखे (लेखाशीर्ष 0075-108) में जमा किये गए।
6. मध्य प्रदेश सरकार के बजट दस्तावेज (खण्ड-5) में प्रत्याभूतियों का विवरण दिया गया है।
7. वार्षिक बजट में प्रकाशित किया गया प्रत्याभूतियों का विवरण राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
8. प्रत्याभूति के मनोनीत प्राधिकारी के रूप में, मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग को नामित किया गया है। वित्त विभाग के ऋण प्रबन्धन प्रकोष्ठ में प्रत्याभूति के सभी प्रकरणों का सम्पूर्ण विवरण रखा जाता है।
9. मध्य प्रदेश गारण्टी नियम, 2009 (संशोधित) के नियम 5 के अन्तर्गत प्रशासनिक विभाग एवं उधारगृहीता संस्थान के मध्य कुछ शर्तें दी गई हैं। उक्त अनुबन्ध की शर्त 9 में प्रत्याभूति शुल्क की वसूली की प्रक्रिया निम्न प्रकार दी गई है :-
उधारगृहीता से सरकार को भुगतान बकाया होने पर, भुगतान न होने के प्रकरण में विभाग को प्रत्याभूति शुल्क कटौती करने का अधिकार होगा।
10. राज्य सरकार ने वर्ष 2005-06 के दौरान एक प्रत्याभूति मोचन निधि गठित की थी। वर्ष 2018-19 के अंत में निधि तथा निवेश लेखा के अन्तर्गत ₹ 4,08,78.50 लाख शेष थे।
निधि के विस्तृत लेखे नीचे दिये गए हैं :-

	(₹ लाख में)
(i) प्रारंभिक शेष	4,08,78.50
(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान निधि को अन्तरित राशि	निरंक
(iii) योग	4,08,78.50
(iv) घटाएं : इनवोक्ड गारंटी के निर्वहन हेतु निधि से भुगतान की गई राशि	निरंक
(v) अंत शेष	4,08,78.50
(vi) गारंटी मोचन निधि से निवेश की गई राशि	4,08,78.50
11. प्रत्याभूति देने की स्थिति में सरकार द्वारा किया गया कुल भुगतान आरंभिक रूप से संबंधित ऋण शीर्ष के अधीन राज्य सरकार की समेकित निधि को भारित किया जाता है तथा अवसूली योग्य राशि को अंतिम रूप से प्रत्याभूति निधि को अन्तरित किया जाता है। तथापि वर्ष 2018-19 के दौरान कोई भी प्रत्याभूति याचित नहीं हुई।	

21 – आकस्मिकता निधि और अन्य लोक लेखा लेन-देनों का विस्तृत विवरण पत्रक

लेखे का शीर्ष		1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष		प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 को अंत शेष		(₹ लाख में)	
								निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)	
								राशि	प्रतिशत
आकस्मिकता निधि –									
8000	आकस्मिकता निधि –								
201	समेकित निधि से विनियोग	जमा	5,00,00.00	--	--	जमा	5,00,00.00	--	--
	योग – 8000 – आकस्मिकता निधि	जमा	5,00,00.00	--	--	जमा	5,00,00.00	--	--
	योग – आकस्मिकता निधि	जमा	5,00,00.00	--	--	जमा	5,00,00.00	--	--
लोक लेखा –									
झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि –								
(क)	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि –								
8001	राष्ट्रीय बचत जमा –								
103	राष्ट्रीय बचत सावधि तथा मियादी जमा	जमा	17.12	--	--	जमा	17.12	--	--
	योग – 8001 – राष्ट्रीय बचत जमा	जमा	17.12	--	--	जमा	17.12	--	--
	योग – (क) – राष्ट्रीय अल्प बचत निधि	जमा	17.12	--	--	जमा	17.12	--	--
(ख)	राज्य भविष्य निधियां –								
8009	राज्य भविष्य निधियां	जमा	1,29,33,31.67	44,57,85.90	21,26,00.59	जमा	1,52,65,16.98	23,31,85.31	18.03
	योग – 8009 – राज्य भविष्य निधियां	जमा	1,29,33,31.67	44,57,85.90	21,26,00.59	जमा	1,52,65,16.98	23,31,85.31	18.03
	योग – (ख) – राज्य भविष्य निधियां	जमा	1,29,33,31.67	44,57,85.90	21,26,00.59	जमा	1,52,65,16.98	23,31,85.31	18.03
(ग)	अन्य लेखा –								
8010	न्यास तथा अक्षय निधि –								
101	खजाना नोट	जमा	0.32 ^(क)	--	--	जमा	0.32	--	--
	योग – 8010 – न्यास तथा अक्षय निधि	जमा	0.32	--	--	जमा	0.32	--	--
8011	बीमा तथा पेंशन निधियाँ –								
103	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	जमा	0.11 ^(क)	--	--	जमा	0.11	--	--
105	राज्य सरकारी बीमा निधि	जमा	16,88.65 ^(ख)	--	--	जमा	16,88.65	--	--
106	अन्य बीमा तथा पेंशन निधियां	जमा	5,01,13.67	1,13,07.04	1,09,72.05	जमा	5,04,48.66	3,34.99	0.67
107	राज्य सरकारी कर्मचारी समूह बीमा योजना	जमा	8,77,28.26	(-) 12.82	86,55.67	जमा	7,90,59.77	(-) 86,68.49	(-) 9.88
	योग – 8011 – बीमा तथा पेंशन निधि	जमा	13,95,30.69	1,12,94.22	1,96,27.72	जमा	13,11,97.19	(-) 83,33.50	(-) 5.97

(क) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य सम्पूर्ण अविभाजित शेष को मध्यप्रदेश को आवंटित कर दिया गया है।

(ख) प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण छत्तीसगढ़ का प्रारंभिक शेष ₹ 2,49.65 लाख कम किया गया।

विवरण संख्या 21 – जारी

(₹ लाख में)

लेखे का शीर्ष		1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष		प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 को अंत शेष		निवल वृद्धि (+)/कमी (-)		
								राशि	प्रतिशत	
लोक लेखा – जारी										
झ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि – समाप्त									
(ग)	अन्य लेखा – समाप्त									
8012	विशेष जमा तथा लेखा –									
107	'भविष्य, अधिवार्षिता तथा उपादान निधि द्वारा विशेष निक्षेप'		जमा	0.86	--	--	जमा	0.86	--	--
116	भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा जमा		जमा	0.09	--	--	जमा	0.09	--	--
योग–8012–विशेष जमा तथा लेखा			जमा	0.95	--	--	जमा	0.95	--	--
योग – (ग) अन्य लेखा			जमा	13,95,31.96	1,12,94.22	1,96,27.72	जमा	13,11,98.46	(-) 83,33.50	(-) 5.97
योग – झ – लघु बचत, भविष्य निधि आदि			जमा	1,43,28,80.75	45,70,80.12	23,22,28.31	जमा	1,65,77,32.56	22,48,51.81	15.69
ज	आरक्षित निधि–									
(क)	ब्याज वाली आरक्षित निधियां–									
8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां–									
122	राज्य आपदा मोचन निधि		जमा	75,18.84 ^(क)	10,16,00.00	10,16,00.00	जमा	75,18.84	--	--
129	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि		जमा	--	23.92	--	जमा	23.92	--	--
योग – 8121 – सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां			जमा	75,18.84	10,16,23.92	10,16,00.00	जमा	75,42.76	23.92	--
योग – (क) – ब्याज वाली आरक्षित निधियां			जमा	75,18.84	10,16,23.92	10,16,00.00	जमा	75,42.76	23.92	--
(ख)	बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां–									
8223	अकाल राहत निधि –									
101	अकाल राहत निधि		जमा	5,92.81	--	--	जमा	5,92.81	--	--
102	अकाल राहत निधि–निवेश लेखा		नामे	(-) 5.34	--	--	नामे	(-) 5.34 ^(ख)	--	--
योग – 8223 – अकाल राहत निधि			जमा	5,98.15	--	--	जमा	5,98.15	--	--
8226	मूल्य हास/नवीनीकरण आरक्षित निधि –									
102	सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्य हास आरक्षित निधि		जमा	4,63.58	--	--	जमा	4,63.58	--	--
योग – 8226 – मूल्य हास/नवीनीकरण आरक्षित निधि			जमा	4,63.58	--	--	जमा	4,63.58	--	--
8228	राजस्व आरक्षित निधि –									
101	राजस्व आरक्षित निधि		जमा	31,69.84	--	--	जमा	31,69.84	--	--
102	राजस्व आरक्षित निधि–निवेश लेखा		नामे	7,60.57	--	--	नामे	7,60.57	--	--
योग – 8228 – राजस्व आरक्षित निधि			जमा	24,09.27	--	--	जमा	24,09.27	--	--

(क) छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा ट्रांसफर करने के कारण आरंभिक शेष ₹ 27,27.60 लाख कम हुआ।

(ख) ऋणात्मक शेष को वित्त वर्ष 2019–20 में सुधार कर दिया जावेगा।

विवरण संख्या 21 – जारी

		(₹ लाख में)						
लेखे का शीर्ष		1 अप्रैल 2018 को	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 को	निवल वृद्धि (+)/ कमी (-)		
		प्रारंभिक शेष			अंत शेष	राशि	प्रतिशत	
लोक लेखा – जारी								
ज	आरक्षित निधि – समाप्त							
(ख)	बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां – समाप्त							
8229	विकास तथा कल्याण निधियां –							
103	कृषि प्रयोजनों के लिये विकास निधि–							
	निधि लेखा	जमा	37.36	--	--	जमा	37.36	--
	निवेश	नामे	7.45	--	--	नामे	7.45	--
110	विद्युत विकास निधि	जमा	16,25,59.62	5,72,00.00	18,00.00	जमा	21,79,59.62	5,54,00.00
114	खदान कल्याण निधि	जमा	12,25,82.28	6,43,71.85	5,71,65.67	जमा	12,97,88.46	72,06.18
200	अन्य विकास तथा कल्याण निधियां							
	पंचायत भूमि राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि	जमा	17,89,92.49	--	--	जमा	17,89,92.49	--
	वन विकास निधि	जमा	2,01,73.46	--	36,38.89	जमा	1,65,34.57	(-) 36,38.89
	मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास निधि	जमा	4,98,92.49	--	--	जमा	4,98,92.49	--
	क्षतिपूर्ति वन निधि	जमा	31,81.33	--	--	जमा	31,81.33	--
	योग – 200 – अन्य विकास तथा कल्याण निधियां	जमा	25,22,39.77	--	36,38.89	जमा	24,86,00.88	(-) 36,38.89
	योग – 8229 – विकास तथा कल्याण निधि	जमा	53,74,11.58	12,15,71.85	6,26,04.56	जमा	59,63,78.87	5,89,67.29
8235	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां –							
117	प्रत्याभूति मोचन निधि	जमा	4,08,78.50	--	--	जमा	4,08,78.50	--
120	प्रत्याभूति मोचन निधि–निवेश लेखा	नामे	4,08,78.50	--	--	नामे	4,08,78.50	--
200	अन्य निधियां	जमा	3.00	--	--	जमा	3.00	--
201	अन्य निधियां–निवेश लेखा	नामे	0.79	--	--	नामे	0.79	--
	निवल	जमा	2.21	--	--	जमा	2.21	--
	योग – 8235 – सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियां	जमा	2.21	--	--	जमा	2.21	--
	योग – (ख) – बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	जमा	54,08,84.79	12,15,71.85	6,26,04.56	जमा	59,98,52.08	5,89,67.29
	योग – ज – आरक्षित निधियां – निधि लेखा	जमा	59,00,45.60	22,31,95.77	16,42,04.56	जमा	64,90,36.81	5,89,91.21
	निवेश लेखा	नामे	4,16,41.97	--	--	नामे	4,16,41.97	--

विवरण संख्या 21 – जारी

लेखे का शीर्ष		1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 को अंत शेष	(₹ लाख में)	
						निवल वृद्धि (+) राशि	कमी (-) प्रतिशत
लोक लेखा – जारी							
ट	जमा तथा अग्रिम –						
(क)	ब्याज वाली जमा –						
8342	अन्य जमा –						
117	सरकारी कर्मचारियों के लिए निर्धारित अंशदायी पेंशन स्कीम	जमा 20,49.21	(-) 2.87	--	जमा 20,46.34	(-) 2.87	(-) 0.14
120	विविध जमा	जमा (-) 37,11.78 ^(क)	1,79.49	16,68.25	जमा (-) 52,00.54 ^(ख)	(-) 14,88.76	(-) 40.11
	योग – 8342 – अन्य जमा	जमा (-) 16,62.57	1,76.62	16,68.25	जमा (-) 31,54.20	(-) 14,91.63	(-) 89.72
	योग – (क) – ब्याज वाली जमा	जमा (-) 16,62.57	1,76.62	16,68.25	जमा (-) 31,54.20	(-) 14,91.63	(-) 89.72
(ख)	बिना ब्याज वाली जमा –						
8443	सिविल जमा –						
101	राजस्व जमा	जमा 3,97,28.79	15,07,36.32	14,31,93.86	जमा 4,72,71.25	75,42.46	18.98
103	प्रतिभूति जमा	जमा 46,68.61	4,86.12	6,69.62	जमा 44,85.11	(-) 1,83.50	(-) 3.93
104	सिविल न्यायालय जमा	जमा 81,64.66	39,19.69	37,95.66	जमा 82,88.69	1,24.03	1.52
106	व्यक्तिगत जमा	जमा 53,70,05.87	48,68,83.61	63,00,41.14	जमा 39,38,48.34	(-) 14,31,57.53	(-) 26.66
108	लोक निर्माण कार्य जमा	जमा 38,63,13.92	24,64,32.95	22,28,50.56	जमा 40,98,96.31	2,35,82.39	6.10
109	वन जमा	जमा (-) 77,04.49	1,50.68	2,34.04	जमा (-) 77,87.85 ^(ग)	(-) 83.36	(-) 1.08
110	पुलिस निधि की जमा	जमा 1.42	2.26	34.69	जमा (-) 31.01 ^(घ)	(-) 32.43	(-) 22,83.80
111	अन्य विभागीय जमा	जमा (-) 3,24,77.88	5,42,56.77	5,26,54.90	जमा (-) 3,08,76.01 ^(घ)	16,01.87	4.93
113	विदेश में क्रय आदि के लिये जमा	जमा 2.83	--	--	जमा 2.83	--	--
116	विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा	जमा 6,92.12	22.18	0.32	जमा 7,13.98	21.86	3.16
117	सार्वजनिक निकायों या निजी व्यक्तियों के लिये किये गये कार्य के लिये जमा	जमा 22.82	--	--	जमा 22.82	--	--
121	चुनावों के संबंध में जमा	जमा 1,08.79	10.72	3.44	जमा 1,16.07	7.28	6.69
123	शैक्षणिक संस्थाओं की जमा	जमा 1,33,58.63	11,28.08	9,51.49	जमा 1,35,35.22	1,76.59	1.32
124	सामान्य भविष्य निधि में अदावाकृत जमा	जमा 0.85	--	--	जमा 0.85	--	--
129	शराब, गांजा तथा भांग के लागत मूल्य के कारण जमा	जमा 6,08.48	--	--	जमा 6,08.48	--	--
800	अन्य जमा	जमा 3,86,71.90	64,13.97	1,07,07.49	जमा 3,43,78.38	(-) 42,93.52	(-) 11.10
	योग – 8443 – सिविल जमा	जमा 98,91,67.32	95,04,43.35	1,06,51,37.21	जमा 87,44,73.46	(-) 11,46,93.86	(-) 11.59

(क) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य संपूर्ण अविभाजित ₹ (-) 2,37.80 लाख को मध्यप्रदेश को आवंटित कर दिया गया है।

(ख) ऋणात्मक शेष पेंशन, भविष्यनिधि एवं बीमा निदेशालय, मध्य प्रदेश, भोपाल से ब्याज के समायोजन हेतु स्वीकृति आदेश प्राप्त नहीं होने के कारण परिलक्षित हो रहा है।

(ग) ऋणात्मक शेष पुनर्मिलान के अधीन है।

(घ) ऋणात्मक शेष, वित्त लेखे वर्ष 2019–20 में समायोजित किया जावेगा।

विवरण संख्या 21 – जारी

लेखे का शीर्ष		1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष		प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 को अंत शेष		(₹ लाख में)	
								निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत
लोक लेखा – जारी									
ट	जमा तथा अग्रिम – समाप्त								
(ख)	बिना ब्याज वाली जमा – समाप्त								
8448	स्थानीय निधियों की जमा –								
101	जिला निधियां	जमा	3,96.87	8,62.07	--	जमा	12,58.94	8,62.07	2,17.22
102	नगरपालिका संबंधी निधियां	जमा	47.45	14,32.10	--	जमा	14,79.55	14,32.10	30,18.12
109	पंचायत निकाय निधियां	जमा	13,31.54	1.21	--	जमा	13,32.75	1.21	0.09
120	अन्य निधियां	जमा	41,98,82.11	17,17,89.38	4,34,68.39	जमा	54,82,03.10	12,83,20.99	30.56
योग – 8448 – स्थानीय निधियों की जमा		जमा	42,16,57.97	17,40,84.76	4,34,68.39	जमा	55,22,74.34	13,06,16.37	30.98
8449	अन्य जमा –								
105	बाजार ऋण की जमा राशि	जमा	--	2,04,96,00.13	2,04,96,00.00	जमा	0.13	0.13	--
120	विविध जमा	जमा	4,64.18	2.59	--	जमा	4,66.77	2.59	0.56
123	राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास जमा	जमा	--	19,59.50	--	जमा	19,59.50	19,59.50	--
योग – 8449 – अन्य जमा		जमा	4,64.18	2,05,15,62.22	2,04,96,00.00	जमा	24,26.40	19,62.22	4,22.73
योग – (ख) – बिना ब्याज वाली जमा		जमा	1,41,12,89.47	3,17,60,90.33	3,15,82,05.60	जमा	1,42,91,74.20	1,78,84.73	1.27
(ग)	अग्रिम –								
8550	सिविल अग्रिम –								
101–	वन अग्रिम	नामे	17.13	0.13	--	नामे	17.00	(-) 0.13	(-) 0.76
102–	राजस्व अग्रिम	नामे	2.64	--	--	नामे	2.64	--	--
103–	अन्य विभागीय अग्रिम	नामे	4.15	--	--	नामे	4.15	--	--
104–	अन्य अग्रिम	नामे	3,16.19	--	--	नामे	3,16.19	--	--
योग – 8550 – सिविल अग्रिम		नामे	3,40.11	0.13	--	नामे	3,39.98	(-) 0.13	(-) 0.04
योग – (ग) – अग्रिम		नामे	3,40.11	0.13	--	नामे	3,39.98	(-) 0.13	(-) 0.04
योग – ट – जमा तथा अग्रिम		जमा	1,40,92,86.79	3,17,62,67.08	3,15,98,73.85	जमा	1,42,56,80.02	1,63,93.23	1.16

विवरण संख्या 21 – जारी

		(₹ लाख में)						
लेखे का शीर्ष		1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 को अंत शेष	निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि प्रतिशत		
लोक लेखा – जारी								
ठ	उचन्त तथा विविध –							
(ख)	उचन्त –							
8658	उचन्त लेखा –							
101	वेतन तथा लेखा कार्यालय उचन्त	नामे 58,00.96	1,18,22.37	53,83.96	नामे (-) 6,37.45 ^(क)	(-) 64,70.38	(-) 1,11.54	
102	उचन्त लेखा (सिविल)	नामे 41.52	2.83	(-) 19.41	नामे 19.28	(-) 22.24	(-) 53.56	
107	नकद निपटान उचन्त लेखा	नामे 1,13,75.05	21.87	1.90	नामे 1,13,55.08	(-) 19.97	(-) 0.18	
109	रिजर्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	नामे (-) 7,61.76	(-) 15.76	1,79.71	नामे (-) 5,66.29 ^(क)	1,95.47	25.66	
110	रिजर्व बैंक उचन्त- केन्द्रीय लेखा कार्यालय	नामे 10,34,25.72	10,37.21	(-) 3,18,44.77	नामे 7,05,43.74	(-) 3,28,81.98	(-) 31.79	
112	स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उचन्त	जमा 3,32,09.24 ^(ख)	69,42.28	0.13	जमा 4,01,51.41	69,42.15	20.90	
113	भविष्य निधि उचन्त	नामे 12,31.49 ^(ग)	0.04	2,24.87	नामे 14,56.32	2,24.83	18.26	
120	अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा- उचन्त लेखा	नामे 13.22	18.56	--	नामे (-) 5.34 ^(क)	(-) 18.56	(-) 1,40.39	
121	अतिरिक्त मंहगाई भत्ता जमा- उचन्त लेखा (नया)	जमा 0.08	--	--	जमा 0.08	--	--	
123	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	जमा 10,05.15	1,00.71	53.67	जमा 10,52.19	47.04	4.68	
127	मध्यभारत रेल्वे तथा मिलिट्री निधियों के निवेश लेखे	जमा 25.10 ^(घ)	--	--	जमा 25.10	--	--	
129	सामग्री क्रय निपटान उचन्त लेखा	जमा 1,87,16.86	0.16	15.92	जमा 1,87,01.10	(-) 15.76	(-) 0.08	
134	महालेखाकार जम्मू तथा कश्मीर और अन्य महालेखाकारों के बीच नकद निपटान	नामे --	--	--	नामे -- ^(ङ)	--	--	
योग – 8658 – उचन्त लेखा		जमा (-) 6,81,69.77	1,99,30.29	(-) 2,60,04.02	जमा (-) 2,22,35.46	4,59,34.31	67.38	
योग – (ख) – उचन्त		जमा (-) 6,81,69.77	1,99,30.29	(-) 2,60,04.02	जमा (-) 2,22,35.46	4,59,34.31	67.38	

(क) ऋणात्मक शेष वर्ष 2019-20 में समायोजित किया जावेगा।

(ख) छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 3,81.85 लाख कम किया गया।

(ग) छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण आरंभिक शेष ₹ 1,53.92 लाख कम किया गया।

(घ) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य संपूर्ण अविभाजित शेष को मध्यप्रदेश को आवंटित किया गया।

(ङ) मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के मध्य ₹ 0.24 लाख के संपूर्ण अविभाजित शेष को मध्यप्रदेश को आवंटित किया गया तथा मध्यप्रदेश का शेष ₹ (-) 0.23 लाख था, अतः इस मद का जमा शेष निरंक हो गया।

विवरण संख्या 21 – जारी

लेखे का शीर्ष		1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष		प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 को अंत शेष		(₹ लाख में)	
								निवल वृद्धि (+)/कमी (-) राशि	प्रतिशत
लोक लेखा – जारी									
ठ	उच्चन्त तथा विविध – समाप्त								
(ग)	अन्य लेखा –								
8670	चैक तथा बिल –								
103	विभागीय चैक	जमा	1,32,58.53	5,22,40.04	5,15,40.45	जमा	1,39,58.12	6,99.59	5.28
104	खजाना चैक	जमा	18,75,05.45	12,88,50,65.21	12,99,91,88.86	जमा	7,33,81.80	(-) 11,41,23.65	(-) 60.86
	योग – 8670 – चैक तथा बिल	जमा	20,07,63.98	12,93,73,05.25	13,05,07,29.31	जमा	8,73,39.92	(-) 11,34,24.06	(-) 56.50
8671 विभागीय शेष –									
101	सिविल	नामे	(-) 23.41	26,23.00	23,29.58	नामे	(-) 3,16.83 ^(क)	(-) 2,93.42	(-) 12,53.40
	योग – 8671 – विभागीय शेष	नामे	(-) 23.41	26,23.00	23,29.58	नामे	(-) 3,16.83	(-) 2,93.42	(-) 12,53.40
8672 स्थाई रोकड़ अग्रदाय –									
101	सिविल	नामे	83.19	0.30	--	नामे	82.89	(-) 0.30	(-) 0.36
	योग – 8672 – स्थाई रोकड़ अग्रदाय	नामे	83.19	0.30	--	नामे	82.89	(-) 0.30	(-) 0.36
8673 रोकड़ शेष निवेश लेखा –									
101	रोकड़ शेष निवेश लेखा	नामे	74,12,18.98	12,83,70,99.50	12,95,97,26.30	नामे	86,38,45.78	12,26,26.80	16.54
	योग – 8673 – रोकड़ शेष निवेश लेखा	नामे	74,12,18.98	12,83,70,99.50	12,95,97,26.30	नामे	86,38,45.78	12,26,26.80	16.54
	योग – (ग) – अन्य लेखा	नामे	54,05,14.78	25,77,70,28.05	26,01,27,85.19	नामे	77,62,71.92	23,57,57.14	43.62
(घ) विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे –									
8679	अन्य देशों की सरकारों के साथ खाता खोले गए लेखे–								
105	पाकिस्तान	नामे	15.30	--	--	नामे	15.30	--	--
	योग–8679–अन्य देशों की सरकारों के साथ खोले गए लेखे	नामे	15.30	--	--	नामे	15.30	--	--
	योग – (घ) – विदेशी सरकारों के साथ खोले गए लेखे	नामे	15.30	--	--	नामे	15.30	--	--
(ङ.) विविध –									
8680 विविध सरकारी लेखे ^(ख)									
102	शेष संवृत्त करने के लिए लेखा शीर्षों से बट्टे खाते डालना	नामे	--	--	2,29.56	नामे	--	--	--
	योग – 8680 – विविध सरकारी लेखे	नामे	--	--	2,29.56	नामे	--	--	--
	योग – ङ. – विविध	नामे	--	--	2,29.56	नामे	--	--	--
	योग – ठ – उच्चन्त तथा विविध	नामे	60,86,99.85	25,79,69,58.34	25,98,67,81.17	नामे	79,85,22.68	18,98,22.83	31.18
					2,29.56				

(क) ऋणात्मक शेष पुनर्मिलान के अधीन है।

(ख) मुख्यशीर्ष 8680 से संबंधित राशि सरकारी लेखों का संवृत होता है।

विवरण संख्या 21 – जारी

लेखे का शीर्ष		1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष		प्राप्तियाँ	संवितरण	31 मार्च 2019 को अंत शेष		(₹ लाख में)	
								निवल वृद्धि (+)/ कमी (-) राशि	प्रतिशत
लोक लेखा – समाप्त									
ड.–	प्रेषण –								
(क)	धनादेश तथा अन्य प्रेषण –								
8782	एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन –								
102	लोक निर्माण प्रेषण	जमा	28,95,66.46	1,77,54,95.95	1,69,48,19.70	जमा	37,02,42.71	8,06,76.25	27.86
103	वन प्रेषण	नामे	1,54,45.73	3,26,62.71	49,91.36	नामे	1,22,25.63	2,76,71.36	1,79.15
105	भारतीय रिजर्व बैंक प्रेषण	नामे	2,33.52	--	--	नामे	2,33.52	--	--
108	अन्य विभागीय प्रेषण	जमा	(-) 2.09	63.38	14.48	जमा	46.81	48.90	23,39.71
110	विविध प्रेषण	नामे	5,71,71.43	1,24,25.93	4,89,88.43	नामे	9,37,33.93	3,65,62.50	63.95
योग – 8782 – एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन		जमा	21,67,13.69	1,82,06,47.97	1,74,88,13.97	जमा	28,85,47.69	7,18,34.00	33.15
योग – (क) – धनादेश तथा अन्य प्रेषण		जमा	21,67,13.69	1,82,06,47.97	1,74,88,13.97	जमा	28,85,47.69	7,18,34.00	33.15
(ख)	अंतर्संस्कार समायोजन लेखा –								
8786	केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच समायोजन लेखे	नामे	69.50	--	--	नामे	69.50	--	--
8793	अन्तर्राज्यीय उचंत लेखा	नामे	5,78,77.88	(-) 2.51	76,07.04	नामे	6,54,87.43	76,09.55	13.15
योग – (ख) – अंतर्संस्कार समायोजन लेखा		नामे	5,79,47.38	(-) 2.51	76,07.04	नामे	6,55,56.93	76,09.55	13.13
योग – ड. – प्रेषण		जमा	15,87,66.31	1,82,06,45.46	1,75,64,21.01	जमा	22,29,90.76	6,42,24.45	40.45
योग – लोक लेखा		जमा	2,94,06,37.62	31,47,41,46.76	31,29,95,08.90	जमा	3,11,52,75.50	17,46,37.86	5.94
				--	2,29.56 ^(क)				
च–	रोकड़ शेष का विवरण								
8999	नकद शेष								
	प्रारम्भिक शेष		(-) 6,93,64.64	--	--		--	--	--
	अंत शेष		--	--	--		(-) 36,63,51.58	--	--
योग–च–रोकड़ शेष का विवरण			(-) 6,93,64.64	--	--		(-) 36,63,51.58	--	--

(क) मुख्यशीर्ष 8680 से संबंधित राशि सरकारी लेखों का संवृत होता है।

विवरण संख्या 21 – जारी
विवरण संख्या 21 का अनुलग्नक
उच्चतम शेषों तथा प्रेषण शेषों का विश्लेषण

(₹ लाख में)

अनु. क्र.	लेखे का शीर्ष/मंत्रालय/विभाग जिसके साथ संबंधित है	31 मार्च 2019 को शेष		संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति	पूर्वतम वर्ष जिससे संबंधित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		नाम	जमा			
(क)	उच्चतम शेष					
8658—उच्चतम लेखा						
101	वेतन तथा लेखा कार्यालय उच्चतम					
(i)	परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	48,12.09	20.44	सड़कों एवं पुलों पर व्यय (राष्ट्रीय राजमार्ग)	10/2010 से	शोधन पर नकद शेष बढ़ेगा
(ii)	केन्द्रीय वेतन तथा लेखा कार्यालय	3.02	--	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों एवं केन्द्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पेंशन भुगतान	03/2018	परिशोधन पर नकद शेष घटेगा
(iii)	विधि एवं विधायी मंत्रालय	--	40.68	उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का सामान्य भविष्य निधि कटौती	2017-18	शोधन पर नकद शेष घटेगा
(iv)	अन्य वेतन तथा लेखा कार्यालय	64,00.65	1,17,92.09	—	2018-19	शोधन पर नकद शेष घटेगा
	योग—101	1,12,15.76	1,18,53.21	(निवल—जमा 6,37.45)		
102	उच्चतम लेखा (सिविल)					
(क)	अन्य विविध उच्चतम	78.67	62.48	--	1995 के पूर्व से	नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं
(ख)	रक्षा के साथ लेखा (ज)			--	--	--
	रक्षा लेखा नियंत्रक पेंशन इलाहाबाद	1.32	--	रक्षा विभाग की तरफ से भुगतान किये गये पेंशन भुगतान दावे	08/2017 से	शोधन पर नकद शेष बढ़ेगा
(ग)	रेलवे के साथ लेखा (छ)	1.42	--	रेलवे पेंशनरों को भुगतान	2003-04 से	शोधन पर नकद शेष बढ़ेगा
(झ)	डाक के साथ लेखा	--	0.44	डाक विभाग, कोलकाता को भुगतान	02/2017 से	शोधन पर नकद शेष घटेगा
(ठ)	गृह निर्माण अग्रिम उच्चतम	1.41	--	--	1995 के पूर्व से	शोधन पर नकद शेष बढ़ेगा
	एम.सी.ए.उच्चतम	--	0.62	--	1995 के पूर्व से	शोधन पर नकद शेष बढ़ेगा
	योग—102	82.82	63.54	(निवल—नामे 19.28)		
107	नकद निपटान उच्चतम लेखा	1,41,59.99	28,04.91	एक संभाग द्वारा दूसरे संभाग की ओर से भण्डार की आपूर्ति संपादित कार्य या सेवाओं के संबंध में भुगतानों के लेन-देन का परिशोधन	1990-91 तथा उसके बाद	नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं
	योग—107	1,41,59.99	28,04.91	(निवल नामे 1,13,55.08)		
109	रिजर्व बैंक उच्चतम (मुख्यालय)	(-) 6,13.05	(-) 46.76	वारंट का भुगतान और पेंशन तथा सामान्य भविष्य निधि, एम. सी.ए., एच.बी.ए. की वसूली की बैंक में जमा	02/2014 से	नामे समाशोधन से नकद शेष कम होगा और जमा समाशोधन पर बढ़ेगा
	योग—109	(-) 6,13.05	(-) 46.76	(निवल नामे (-) 5,66.29)		
110	रिजर्व बैंक उच्चतम (सी.ए.ओ.)	7,19,30.63	13,86.89	दावे मंत्रालय/विभागों द्वारा निराकृत किये जाने हैं	2012-13 से	जमा के अंतर्गत बकाया शेष के समाशोधन पर नकदी शेष घटेगा। नामे समाशोधन किये जाने पर नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
	योग—110	7,19,30.63	13,86.89	(निवल—जमा 7,05,43.74)		

विवरण संख्या 21 – समाप्त
विवरण संख्या 21 का अनुलग्नक – समाप्त

(₹ लाख में)

अनु. क्र.	लेखे का शीर्ष/मंत्रालय/विभाग जिसके साथ लंबित है	31 मार्च 2019 को शेष		संक्षिप्त में लेन-देन की प्रकृति	पूर्वतम वर्ष जिससे लंबित है	रोकड़ शेष पर बकाया का प्रभाव
		नामे	जमा			
112	स्त्रोत पर कर कटौती (टी.डी.एस.) उंचत लेखा	0.13	4,01,51.54	संग्रहीत स्त्रोत पर आयकर का केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड भोपाल को अंतरण	03 / 2018	शोधन पर नकद शेष घटेगा
	योग-112	0.13	4,01,51.54	(निवल जमा 4,01,51.41)		
123	अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों की समूह बीमा योजना	2,69.81	13,22.00	गृह मंत्रालय, नई दिल्ली में लंबित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों की समूह बीमा योजना से संबंधित अंशदान एवं अंतिम भुगतान का समायोजन	1990-91 से 2018-19	शोधन पर नकद शेष घटेगा
	योग-123	2,69.81	13,22.00	(निवल जमा 10,52.19)		
129	सामग्री क्रय परिशोधन उंचत लेखा	36,09.55	2,23,10.65	एक संभाग से दूसरे संभाग या विभाग को स्थानान्तरित या क्रय की गई सामग्री का लंबित समायोजन	1990-91 तथा उसके बाद	नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं
	योग-129	36,09.55	2,23,10.65	(निवल जमा 1,87,01.10)		
8782-एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण तथा समायोजन						
102	लोक निर्माण प्रेषण					
(i)	I-खजानों में प्रेषण	1,45,63,44.44	1,48,69,77.50	लोक निर्माण विभाग द्वारा खजानों में जमा राशि	1990-91 तथा उसके बाद	शोधन पर नकद शेष घटेगा
(ii)	II-लोक निर्माण धनादेश	10,61,90,49.02	10,98,17,96.76	लोक निर्माण विभाग द्वारा भुगतानों के लिये जारी चेक		शोधन पर नकद शेष घटेगा
(iii)	III-अन्य प्रेषण	3,52,51.38	23,46.16	लोक निर्माण विभाग द्वारा पुस्तक समायोजन द्वारा समायोजनीय मदें	1990-91 तथा उसके बाद	नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं
(iv)	IV-लोक निर्माण अधिकारियों के मध्य अंतरण	64,48.97	1,62,16.10	लोक निर्माण अधिकारियों के मध्य लेन देनों का परिशोधन जिन्होंने "नकद परिशोधन" पद्धति को स्वीकार नहीं किया है।	1990-91 तथा उसके बाद	शोधन पर नकद शेष घटेगा
	योग-102	12,11,70,93.81	12,48,73,36.52	(निवल जमा 37,02,42.71)		
103	वन प्रेषण					
(i)	I-खजानों में प्रेषण	32,49,28.08	32,40,72.84	खजानों में जमा वन संभागों का राजस्व	*	शोधन पर नकद शेष घटेगा
(ii)	II-वन धनादेश	12,30,14.22	13,64,61.83	वन संभागों द्वारा जारी चेक	*	शोधन पर नकद शेष घटेगा
(iii)	III-अन्य प्रेषण	3,66.75	--	दो लेखा मण्डलों के मध्य पुस्तकीय समायोजन	*	शोधन पर नकद शेष घटेगा
	योग-103	44,83,09.05	46,05,34.67	(निवल - जमा 1,22,25.62)	*	
108	अन्य विभागीय प्रेषण	19.04	65.85	उत्पाद प्रेषण से संबंधित लेन-देन	*	नकद शेष पर कोई प्रभाव नहीं
	योग-108	19.04	65.85	(निवल-जमा 46.81)		
110	विविध प्रेषण	80,46,85.30	71,09,51.37	जमा कार्यों के लिये प्राप्त राशि का कोषालय को प्रेषण	1990-91 तथा उसके बाद	नकद शेष पर प्रभाव नहीं
	योग-110	80,46,85.30	71,09,51.37	(निवल-नामे 9,37,33.93)		
8793	अन्तर्राज्यीय उचन्त लेखा	6,54,68.91	(-) 18.52	अन्तर्राज्यीय पेंशन दावे	*	शोधन पर नकद शेष बढ़ेगा
	योग-8793	6,54,68.91	(-) 18.52	(निवल-नामे 6,54,87.43)		

* पूर्व वर्ष जिससे लंबित है, जानकारी उपलब्ध नहीं है।

22 – उद्दिष्ट शेषों के निवेश का विस्तृत विवरण पत्रक

					(₹ लाख में)		
आरक्षित निधि या जमा लेखे का नाम		1 अप्रैल 2018 को शेष			31 मार्च 2019 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
आरक्षित निधि –							
ज	आरक्षित निधियां –						
(क)	ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ –						
8121	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ –						
122	राज्य आपदा मोचन निधि	75,18.84 ^(क)	--	75,18.84	75,18.84	--	75,18.84
129	राज्य प्रतिपूरक वनीकरण निधि	--	--	--	23.92	--	23.92
	योग – 8121 – सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	75,18.84	--	75,18.84	75,42.76	--	75,42.76
	योग – (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	75,18.84	--	75,18.84	75,42.76	--	75,42.76
(ख)	बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ –						
8223	अकाल राहत निधि –						
101	अकाल राहत निधि	5,98.15	(-) 5.34	5,92.81	5,98.15	(-) 5.34	5,92.81
	योग – 8223 – अकाल राहत निधि	5,98.15	(-) 5.34 ^(ख)	5,92.81	5,98.15	(-) 5.34 ^(ख)	5,92.81
8226	मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि –						
102	सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्य ह्रास आरक्षित निधि –						
(क)	शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल	2,80.91	--	2,80.91	2,80.91	--	2,80.91
(ख)	शासकीय मुद्रणालय, ग्वालियर	68.34	--	68.34	68.34	--	68.34
(ग)	शासकीय मुद्रणालय, इन्दौर	51.67	--	51.67	51.67	--	51.67
(घ)	शासकीय मुद्रणालय, रीवा	29.84	--	29.84	29.84	--	29.84
(ङ)	मूल्य ह्रास आरक्षित निधि – सिंचाई	32.82	--	32.82	32.82	--	32.82
	योग – 102 – सरकारी अवाणिज्यिक विभागों की मूल्य ह्रास आरक्षित निधि	4,63.58	--	4,63.58	4,63.58	--	4,63.58
	योग – 8226 – मूल्य ह्रास/नवीनीकरण आरक्षित निधि	4,63.58	--	4,63.58	4,63.58	--	4,63.58
8228	राजस्व आरक्षित निधि –						
101	राजस्व आरक्षित निधि	24,09.27	7,60.57	31,69.84	24,09.27	7,60.57	31,69.84
	योग – 8228 – राजस्व आरक्षित निधि	24,09.27	7,60.57	31,69.84	24,09.27	7,60.57	31,69.84
8229	विकास तथा कल्याण निधि –						
103	कृषि प्रयोजन के लिये विकास निधि –						
	राज्य कृषि सम्बन्धी साख राहत और गारंटी निधि	29.91	7.45	37.36	29.91	7.45	37.36
110	विद्युत विकास निधि	16,25,59.62	--	16,25,59.62	21,79,59.62	--	21,79,59.62
114	खदान कल्याण निधि	12,25,82.28	--	12,25,82.28	12,97,88.46	--	12,97,88.46

(क) छत्तीसगढ़ को प्रोफार्मा ट्रांसफर के कारण प्रारम्भिक शेष ₹ 27,27.60 लाख कम किया गया।

(ख) शेष को बट्टे खाते डालने का प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

विवरण संख्या 22 – जारी

(₹ लाख में)							
आरक्षित निधि या जमा लेखे का नाम		1 अप्रैल 2018 को शेष			31 मार्च 2019 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
आरक्षित निधि — समाप्त							
ज	आरक्षित निधियाँ — समाप्त						
(ख)	बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ — समाप्त						
8229	विकास तथा कल्याण निधि—समाप्त						
200	अन्य विकास तथा कल्याण निधियाँ —						
	पंचायत भू-राजस्व उपकर तथा मुद्रांक शुल्क निधि	17,89,92.49	--	17,89,92.49	17,89,92.49	--	17,89,92.49
	वन विकास निधि	2,01,73.46	--	2,01,73.46	1,65,34.57	--	1,65,34.57
	मध्यप्रदेश ग्रामीण विकास निधि	4,98,92.49	--	4,98,92.49	4,98,92.49	--	4,98,92.49
	क्षतिपूर्ति वनरोपण निधि	31,81.33	--	31,81.33	31,81.33	--	31,81.33
	योग — 200 — अन्य विकास तथा कल्याण निधि	25,22,39.77	--	25,22,39.77	24,86,00.88	--	24,86,00.88
	योग — 8229 — विकास तथा कल्याण निधि	53,74,11.58	7.45	53,74,19.03	59,63,78.87	7.45	59,63,86.32
8235	सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ —						
117	गारंटी मोचन निधि	--	4,08,78.50	4,08,78.50	--	4,08,78.50	4,08,78.50
200	अन्य निधियाँ — मध्यप्रदेश सरकार की अन्य निधियाँ	2.21	0.79	3.00	2.21	0.79	3.00
	योग — 8235 — सामान्य तथा अन्य आरक्षित निधियाँ	2.21	4,08,79.29	4,08,81.50	2.21	4,08,79.29	4,08,81.50
	योग — (ख) — बिना ब्याज वाली आरक्षित निधियां	54,08,84.79	4,16,41.97	58,25,26.76	59,98,52.08	4,16,41.97	64,14,94.05
	योग — ज — आरक्षित निधियाँ	54,84,03.63	4,16,41.97	59,00,45.60	60,73,94.84	4,16,41.97	64,90,36.81

विवरण संख्या 22 – समाप्त

		(₹ लाख में)					
आरक्षित निधि या जमा लेखे का नाम		1 अप्रैल 2018 को शेष			31 मार्च 2019 को शेष		
		रोकड़	निवेश	योग	रोकड़	निवेश	योग
जमा लेखे –							
ट	जमा तथा अग्रिम –						
(क)	ब्याज वाली आरक्षित निधियाँ	--	--	--	--	--	--
(ख)	बिना ब्याज वाली जमा –						
8449	अन्य जमा–						
120	विविध जमा –						
	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् द्वारा दिये अनुदानों का जमा लेखा	1.60	--	1.60	1.60	--	1.60
	रेशम उत्पादन उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा	0.41	--	0.41	0.41	--	0.41
	हथकरघा उद्योग के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा	1.21	--	1.21	1.21	--	1.21
	कपास उत्पादकों के लाभ हेतु निधि से दिये गये अनुदानों का जमा लेखा	0.26	--	0.26	0.26	--	0.26
	खाद्य उत्पादन योजनाओं के लिये केन्द्रीय सरकार से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा	26.94	--	26.94	26.94	--	26.94
	कपास विस्तार योजनाओं के वित्तीय पोषण के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए अनुदानों का जमा लेखा	1.22	--	1.22	1.22	--	1.22
	गहन खेती और अधिक अन्न उपजाओ योजना के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा दिये गए अनुदानों का जमा लेखा	2.60	--	2.60	2.60	--	2.60
	यूनिसेफ से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा	2.33	--	2.33	2.33	--	2.33
	अन्य राज्यों को अनाज प्रदाय हेतु प्राप्त राशियों का जमा लेखा	0.04	--	0.04	0.04	--	0.04
	राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा दिए गए अनुदानों का जमा लेखा	2,29.55	--	2,29.55	2,29.55	--	2,29.55
	शिल्पकारों को कर्ज देने के लिये फोर्ड फाउण्डेशन से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा	0.37	--	0.37	0.37	--	0.37
	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त अनुदानों का जमा लेखा	2.34	--	2.34	2.34	--	2.34
	जनगणना कार्य 1981 के गणनाकारों को मानदेय भुगतान का जमा लेखा	1,34.45	--	1,34.45	1,34.45	--	1,34.45
	जनगणना कार्य 1991 के गणनाकारों को मानदेय भुगतान का जमा लेखा	62.39	--	62.39	62.39	--	62.39
	उर्वरक विक्रेताओं से प्राप्त राशियों का जमा लेखा	0.02	--	0.02	0.02	--	0.02
	जल प्रभार के लिए हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जमा लेखा	(-) 1.55	--	(-) 1.55 ^(क)	(-) 1.55	--	(-) 1.55 ^(क)
	योग–120–‘विविध जमा’ के अन्तर्गत उद्दिष्ट शेष	4,64.18	--	4,64.18	4,64.18	--	4,64.18
	योग–8449–‘अन्य जमा’ के अन्तर्गत उद्दिष्ट शेष	4,64.18	--	4,64.18	4,64.18	--	4,64.18
	योग – जमा लेखे – (ख) – बिना ब्याज वाली जमा	4,64.18	--	4,64.18	4,64.18	--	4,64.18
	महायोग– आरक्षित निधियाँ तथा जमा लेखे	54,88,67.81	4,16,41.97	59,05,09.78	60,78,59.02	4,16,41.97	64,95,00.99

(क) ऋणात्मक शेष पुनर्मिलान के अधीन है।

भाग — II

परिशिष्ट संख्या I - XIII

परिशिष्ट – I
वेतन पर तुलनात्मक व्यय

(₹ लाख में)

विभाग	मुख्यशीर्ष	विवरण	वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़े		वर्ष 2017-18 के वास्तविक आंकड़े	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)
सामान्य प्रशासन	2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	6,77.56	--	5,47.30	--
	2013	मंत्री परिषद्	6,61.11	--	6,85.19	--
	2015	निर्वाचन	9,72.38	--	7,98.30	--
	2051	लोक सेवा आयोग	8,17.76	--	7,42.44	--
	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	79,58.37	--	67,80.90	--
	2055	पुलिस	18,92.09	--	16,16.70	--
	2059	लोक निर्माण कार्य	3,71.00	--	3,30.65	--
	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	30,25.72	--	26,87.90	--
	2251	सचिवालय- सामाजिक सेवाएं	27,74.18	--	26,75.48	--
	3451	सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	18,07.11	--	16,19.73	--
सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2,78.70	--	2,92.03	--
पुलिस	2055	पुलिस	50,54,12.78	42,09.15	42,41,95.08	33,54.05
	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	43,52.89	--	63,96.32	--
गृह विभाग से संबंधित अन्य व्यय	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	3,12.30	--	2,81.24	--
	2216	आवास	86.13	--	69.08	--
	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	11,39.30	--	10,56.27	--
जेल	2056	जेल	2,05,92.72	--	1,76,61.89	--
वित्त	2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं	2,18.59	--	2,00.55	--
	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	4,61.47	--	4,00.82	--
	2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन	1,34,53.95	--	1,11,55.55	--
	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	--	--	17,12.77	--
	2075	विविध सामान्य सेवाएं	19,69.76	--	0.28	--
वाणिज्यिक कर	2020	आय तथा व्यय पर करों का संग्रहण	0.20	--	--	--
	2030	स्टाम्प एवं पंजीकरण	41,89.80	--	36,67.01	--
	2039	राज्य उत्पाद शुल्क	1,17,39.94	--	1,09,29.28	--
	2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,03.39	--	1,34,55.34	--
	2043	वस्तु एवं सेवाकर के अन्तर्गत संग्रहण प्रभार	1,49,84.17	--	--	--
भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	2029	भू-राजस्व	7,61,04.69	--	5,19,54.31	--
	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	3,53.65	--	3,18.65	--
	2053	जिला प्रशासन	4,18,53.08	--	3,70,94.35	--
	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	50.19	--	21.46	--

परिशिष्ट I – जारी

(₹ लाख में)

विभाग	मुख्यशीर्ष	विवरण	वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़े		वर्ष 2017-18 के वास्तविक आंकड़े	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)
राजस्व विभाग से संबंधित व्यय	2058	लेखन सामग्री तथा मुद्रण	32,63.98	--	29,75.55	--
वन	2055	पुलिस	16,33.81	--	13,62.87	--
	2406	वानिकी तथा वन्य प्राणी	8,25,10.34	--	7,63,05.88	--
वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार	2230	श्रम एवं रोजगार	1,02.85	--	15,23.38	--
	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3,75.74	--	3,46.54	--
ऊर्जा	2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	25,33.33	--	22,17.25	--
किसान कल्याण एवं कृषि विकास	2401	फसल कृषि कर्म	4,90,91.39	2,16.04	4,50,50.48	1,73.23
	2402	मृदा तथा जल संरक्षण	65,60.42	--	61,32.18	--
पशुपालन	2403	पशुपालन	5,01,66.12	3,68.08	4,34,50.33	3,23.72
तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण विभाग	2203	तकनीकी शिक्षा	--	--	44.87	--
मत्स्य पालन	2405	मत्स्य पालन	36,28.37	--	32,16.64	--
	2415	कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	46.41	--	45.25	--
सहकारिता	2425	सहकारिता	1,08,68.13	--	98,99.47	--
श्रम	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	92,84.75	--	86,36.11	--
	2230	श्रम एवं रोजगार	44,38.32	--	40,93.83	--
लोक स्वास्थ्य एवं लोक कल्याण	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	20,44,68.12	--	17,89,74.82	--
	2211	परिवार कल्याण	--	4,87,11.70	--	4,01,41.02
लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	2215	जल प्रदाय तथा सफाई	2,07,80.90	73.17	1,81,53.52	70.56
	4215	जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	4,21.74	11,02.75	3,42.59	11,43.41
लोक सेवा एवं प्रबन्धन	2053	जिला प्रशासन	2,23.31	--	1,84.90	--
शहरी विकास एवं पर्यावरण	2059	लोक निर्माण कार्य	16,84.09	--	15,28.53	--
	2070	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	13,16.63	--	11,55.81	--
	2217	शहरी विकास	31,15.46	--	28,45.98	--
जल संसाधन विभाग	2700	मुख्य सिंचाई	24,31.95	--	20,22.49	--
	2701	मध्यम सिंचाई	5,01,28.01	--	4,51,08.38	--
	2705	कमान क्षेत्र विकास	--	7,23.99	--	6,41.90
	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	79,28.76	--	64,10.39	--
लोक निर्माण कार्य – सड़क एवं सेतु	3054	सड़क एवं सेतु	1,26,90.65	--	74,87.26	--
खनिज स्रोत	2853	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	28,94.62	--	25,87.93	--
संस्कृति	2202	सामान्य शिक्षा	8,80.65	--	8,08.40	--
	2205	कला एवं संस्कृति	18,01.90	--	16,56.71	--
	3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	38.05	--	29.67	--

परिशिष्ट I – जारी

(₹ लाख में)

विभाग	मुख्यशीर्ष	विवरण	वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़े		वर्ष 2017-18 के वास्तविक आंकड़े	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस.सहित)	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस.सहित)
स्कूल शिक्षा (प्राथमिक)	2202	सामान्य शिक्षा	46,63,83.21	63,65.34	41,31,97.64	58,18.45
संसदीय कार्य	2011	संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मंडल	37,24.90	--	34,03.38	--
विधि और विधायी कार्य	2014	न्याय प्रशासन	5,92,36.79	--	4,85,43.03	--
	2015	निर्वाचन	27,58.17	--	22,35.85	--
	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	13,17.26	--	11,98.49	--
	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	--	21,23.55	--	20,84.24
ग्रामीण विकास	2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	4,13.44	--	3,62.42	--
	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	2,89,31.11	--	2,55,89.76	--
आर्थिक एवं सांख्यिकीय योजना	3451	सचिवालय – आर्थिक सेवाएं	2,41.78	--	2,24.80	--
	3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	44,62.97	--	38,98.01	--
जनसम्पर्क	2220	सूचना तथा प्रचार	28,34.48	--	25,55.61	--
आदिवासी कल्याण	2202	सामान्य शिक्षा	16,34,27.29	--	14,62,84.74	--
	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	2,88,09.24	--	2,58,02.28	--
	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	26,66.05	--	24,34.73	--
सामाजिक न्याय	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	56,77.65	--	44,54.65	--
पुनर्वास	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	68,78.07	--	58,57.46	--
परिवहन	2041	वाहन कर	43,28.81	--	38,12.95	--
पर्यटन	3452	पर्यटन	31.99	--	27.24	--
आयुष	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3,31,38.95	--	3,00,77.18	--
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता सुरक्षा	2408	खाद्य भंडारण तथा भंडागार	50,03.23	--	44,94.00	--
	3475	अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	15,58.61	--	14,12.05	--
स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त)	2202	सामान्य शिक्षा	13,54,50.99	--	12,05,52.53	--
	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	25,86.15	--	23,32.93	--
	2205	कला एवं संस्कृति	12,28.20	--	10,79.00	--
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	60,13.58	--	56,07.18	--
	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	2,68.40	--	2,31.58	--
खेलकूद तथा युवा कल्याण	2204	खेलकूद तथा युवा सेवाएं	16,49.37	--	17,12.31	--
उच्च शिक्षा	2202	सामान्य शिक्षा	10,94,14.51	--	10,92,27.90	--
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203	तकनीकी शिक्षा	1,64,17.92	--	1,64,55.30	--
	2230	श्रम एवं रोजगार	2,12,43.80	18.76	1,72,75.90	10.84

परिशिष्ट I – समाप्त

(₹ लाख में)

विभाग	मुख्यशीर्ष	विवरण	वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़े		वर्ष 2017-18 के वास्तविक आंकड़े	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस./सी.एस.सहित)
नर्मदा घाटी विकास	2055	पुलिस	9,59.81	--	8,67.10	--
	4700	मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	1,15,88.49	--	1,03,69.60	--
	4701	मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,55.72	--	4,44.39	--
	4801	बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	57,69.35	--	54,78.09	--
अनुसूचित जाति कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	1,58,93.23	49.06	1,31,91.82	57.35
बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण	2401	फसल कृषि कर्म	1,25,47.86	--	1,08,02.62	--
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	1,05.32	--	1,02.62	--
चिकित्सा शिक्षा विभाग	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1,87,55.30	--	1,75,67.61	--
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2202	सामान्य शिक्षा	22,74.51	--	18,90.36	--
	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	14,39.29	--	13,73.83	--
	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	60.47	--	71.81	--
महिला एवं बाल विकास	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,32,88.30	1,96,01.05	57,36.05	2,32,54.89
	2236	पोषण	37.33	--	43.94	--
ग्रामीण उद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	51,20.51	33.81	62,24.68	31.16
प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	1,09.16	--	88.56	--
पंचायत	2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	1,69,42.74	--	1,47,06.44	--
अल्पसंख्यक कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	1,50.95	--	1,08.85	--
शहरी निकायों को वित्तीय सहायता	2215	जल प्रदाय तथा सफाई	36,87.21	--	33,32.31	--
उड्डयन	2052	सचिवालय – सामान्य सेवाएं	5,58.41	--	5,53.65	--
पिछड़े वर्गों के कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	15,76.88	--	14,47.97	--
लोक निर्माण कार्य – इमारतें	2059	लोक निर्माण कार्य	2,06,61.76	--	2,10,48.16	--
नये एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	2810	गैर-पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत	91.20	--	75.40	--
बंजारे एवं आंशिक बंजारा जाति का कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	4,41.00	--	3,96.52	--
योग			2,50,27,35.50	8,35,96.45	2,19,02,08.16	7,71,04.82

परिशिष्ट – II
राजसहायता पर तुलनात्मक व्यय

(₹ लाख में)

विभाग	मुख्यशीर्ष	विवरण	वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़े		वर्ष 2017-18 के वास्तविक आंकड़े	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस. एस. / सी. एस. सहित)	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस. एस. / सी. एस. सहित)
सामान्य प्रशासन	2012	राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति/राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक	36.80	--	4.45	--
	2013	मंत्री परिषद्	15480.84	--	16247.92	--
	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	356.06	--	471.20	--
गृह	2055	पुलिस	643.76	--	100.00	--
वित्त	2052	सचिवालय-सामान्य सेवाएं	152.71	--	119.61	--
वन	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	70.00	--	88.00	--
वाणिज्य, उद्योग तथा रोजगार	2852	उद्योग	26052.50	--	50700.20	--
ऊर्जा	2801	बिजली	968420.82	--	948352.40	--
कृषक कल्याण तथा कृषि विकास	2401	फसल कृषि कर्म	570764.85	16111.67	381004.76	14008.60
पशुपालन	2403	पशुपालन	2331.94	--	2320.04	--
मत्स्य पालन	2405	मत्स्य पालन	2.55	192.66	10.11	50.50
सहकारिता	2425	सहकारिता	35122.78	--	147291.12	--
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	31981.14	--	11888.33	--
शहरी विकास एवं पर्यावरण	2217	शहरी विकास	--	--	30.00	--
स्कूल शिक्षा (प्राथमिक/शिक्षा)	2202	सामान्य शिक्षा	6260.00	--	6270.00	--
ग्रामीण विकास	2216	आवास	15000.00	--	19000.00	--
जनसम्पर्क	2220	सूचना एवं प्रचार	230.42	--	214.71	--
आदिवासी कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	2078.97	--	8159.60	--
सामाजिक न्याय	2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	10030.96	--	8232.78	--
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	61599.21	--	68823.18	--
पर्यटन	3452	पर्यटन	240.00	--	100.00	--
खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता सुरक्षा	2408	खाद्य भंडारण तथा भंडागार	86293.77	--	101753.61	--
स्कूल शिक्षा विभाग से संबंधित अन्य व्यय (प्राथमिक शिक्षा के अतिरिक्त)	2202	सामान्य शिक्षा	57175.71	--	33394.55	--
भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	2210	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	1320.00	--	939.67	--
खेल एवं युवा कल्याण	2204	खेल एवं युवा सेवाएं	2124.35	--	1504.46	--
उच्च शिक्षा	2202	सामान्य शिक्षा	126.36	--	283.99	--
विज्ञान एवं तकनीक	3425	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	4441.50	--	6260.00	--
तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास	2203	तकनीकी शिक्षा	17810.53	--	7405.56	--
	2230	श्रम एवं रोजगार	26.55	--	20.37	--

परिशिष्ट II – समाप्त

(₹ लाख में)

विभाग	मुख्यशीर्ष	विवरण	वर्ष 2018-19 के वास्तविक आंकड़े		वर्ष 2017-18 के वास्तविक आंकड़े	
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)	राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी.एस.सहित)
अनुसूचित जाति कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	13397.20	--	13067.05	800.00
	2801	बिजली	--	--	--	4773.91
बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण	2401	फसल कृषि कर्म	93160.68	--	11330.03	--
धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व	2250	अन्य सामाजिक सेवाएं	15952.49	--	16695.59	--
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को वित्तीय सहायता	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	--	--	20.50	--
	2401	फसल कृषि कर्म	1290.75	--	1278.73	--
	2403	पशुपालन	1819.31	--	1976.17	--
	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	85.14	--	112.10	--
महिला एवं बाल विकास	2235	सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	--	6800.00	--	7506.13
ग्रामीण उद्योग	2851	ग्राम तथा लघु उद्योग	7708.90	--	1651.63	--
प्राकृतिक आपदाओं और कमी के कारण राहत पर व्यय	2245	प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	7019.54	--	9381.81	--
जिला आयोजना से संबंधित व्यय	2515	अन्य ग्रामीण विकास योजनाएं	4381.05	--	4427.22	--
अल्पसंख्यक कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	566.65	--	440.71	--
शहरी निकाय को वित्तीय सहायता	3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन	10460.00	--	12040.27	--
पिछड़ी जाति का कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	2858.80	--	2608.46	--
नये एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत	2810	गैर-पारम्परिक ऊर्जा के स्रोत	24130.00	--	14631.00	--
बंजारे एवं आंशिक बंजारा जाति का कल्याण	2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्गों का कल्याण तथा अल्पसंख्यक	103.00	--	348.97	--
		महायोग	2099108.59	23104.33	1911000.86	27139.14

परिशिष्ट - III										
राज्य सरकार द्वारा दी गई अनुदान/सहायता (संस्थावार एवं योजनावार)										
(₹ लाख में)										
प्राप्तिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी / एफ. सी / ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस. / सी.एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस. / सी. एस. सहित)	योग	
पंचायती राज संस्थाएं	0581-हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शालाएं	0102	26093.66	--	26093.66	--	12218.36	--	12218.36	--
	2773-प्राथमिक शालाएं	0102	76678.55	--	76678.55	--	60804.17	--	60804.17	--
	3496-माध्यमिक शालाएं	0102	42845.09	--	42845.09	--	25103.60	--	25103.60	--
	5216-हाई स्कूल	0102	7149.34	--	7149.34	--	5173.16	--	5173.16	--
	5206-समग्र स्वच्छता अभियान	0701	--	37388.35	37388.35	--	--	130241.30	130241.30	--
	5206-समग्र स्वच्छता अभियान	0702	--	17167.91	17167.91	--	--	54213.10	54213.10	--
	5206-समग्र स्वच्छता अभियान	0703	--	13732.96	13732.96	--	--	42969.19	42969.19	--
	5198-इंदिरा आवास योजना	0701	--	282366.10	282366.10	--	--	323331.00	323331.00	--
	5198-इंदिरा आवास योजना	0702	--	135000.00	135000.00	--	--	323331.00	323331.00	--
	5198-इंदिरा आवास योजना	0703	--	135000.00	135000.00	--	--	146665.50	146665.50	--
	4717-अनुसूचित जाति छात्रावास	0103	3053.69	--	3053.69	--	2933.53	--	2933.53	--
	1329-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम हेतु दूध का वितरण	0101	4227.62	--	4227.62	--	4417.00	--	4417.00	--
	6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	0701	--	82076.27	82076.27	--	--	45080.18	45080.18	--
	6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	0702	--	70806.01	70806.01	--	--	35695.15	35695.15	--
	6923-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	0703	--	50636.60	50636.60	--	--	66077.47	66077.47	--
	6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	0701	--	34642.35	34642.35	--	--	35797.45	35797.45	--
	6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	0702	--	24513.81	24513.81	--	--	32400.00	32400.00	--
	6931-मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम	0703	--	14376.77	14376.77	--	--	17100.00	17100.00	--
	7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	0801	--	2930.16	2930.16	--	--	1885.12	1885.12	--
	7886-मध्यान्ह भोजन सामग्री परिवहन	0802	--	1228.79	1228.79	--	--	--	--	--
	6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	0101	15334.20	--	15334.20	--	19612.76	--	19612.76	--
	8209-पंचायत पदाधिकारियों को मानदेय एवं सुविधाएं	--	1634.69	--	1634.69	--	1738.84	--	1738.84	--
	8214-सचिवीय व्यवस्था	--	41593.30	--	41593.30	--	7596.92	--	7596.92	--
	8775-जिला स्तरीय प्रशासनिक योजना	0701	--	4820.62	4820.62	--	--	3999.84	3999.84	--
	5770-एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम	0702	--	7200.00	7200.00	--	--	6514.68	6514.68	--
	6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	0702	--	6520.84	6520.84	--	--	6981.54	6981.54	--
	5770-एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम	0703	--	5400.00	5400.00	--	--	5163.05	5163.05	--
	6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	0703	--	4595.54	4595.54	--	--	5890.00	5890.00	--
	6093-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर पेयजल के लिए विद्युत व्यय पूर्ति हेतु अनुदान	--	1620.00	--	1620.00	--	4000.33	--	4000.33	--
	7571-मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0101	1850.00	--	1850.00	--	1850.00	--	1850.00	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्राप्तिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी / एफ. सी / ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग	
पंचायती राज संस्थाएं	5770-एकीकृत जल संरक्षण प्रबंधन कार्यक्रम	0701	--	13050.00	13050.00	--	--	10795.60	10795.60	--
	6836-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	0701	--	9955.42	9955.42	--	--	15102.63	15102.63	--
	6255-मुख्यमंत्री आवास मिशन	0102	6066.00	--	6066.00	--	1600.00	--	1600.00	--
	6255-मुख्यमंत्री आवास मिशन	0103	21700.00	--	21700.00	--	13500.00	--	13500.00	--
	9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0102	10268.30	--	10268.30	--	7511.73	--	7511.73	--
	9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0103	7271.06	--	7271.06	--	8512.63	--	8512.63	--
	7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	0101	75863.16	--	75863.16	--	75053.54	--	75053.54	--
	7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	0102	11189.83	--	11189.83	--	21079.16	--	21079.16	--
	7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	0103	5315.28	--	5315.28	--	13863.61	--	13863.61	--
	1221- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	0101	178779.40	--	178779.40	--	174390.00	--	174390.00	--
	4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	0101	18637.94	--	18637.94	--	27549.37	--	27549.37	--
	0819- पंचायत उपकर से प्राप्त राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास एवं रखरखाव	0101	7148.75	--	7148.75	--	2278.84	--	2278.84	--
	6107-राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत जनपद पंचायतों को सामान्य प्रयोजन हेतु अनुदान	0101	--	--	--	--	1012.49	--	1012.49	--
	1221- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	0102	50111.92	--	50111.92	--	48900.00	--	48900.00	--
	4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	0102	5118.85	--	5118.85	--	9612.80	--	9612.80	--
	6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	0102	5017.21	--	5017.21	--	7126.03	--	7126.03	--
	1329- अपराह्न भोजन कार्यक्रम हेतु दूध का वितरण	0102	3643.45	--	3643.45	--	3693.60	--	3693.60	--
	1221- 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान	0103	41986.66	--	41986.66	--	40950.00	--	40950.00	--
	4610-स्टाम्प शुल्क वसूली के विरुद्ध अनुदान	0103	3073.28	--	3073.28	--	6266.93	--	6266.93	--
	6299-ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण	0103	1861.82	--	1861.82	--	5438.92	--	5438.92	--
	1329- अपराह्न भोजन कार्यक्रम हेतु दूध का वितरण	0103	1944.00	--	1944.00	--	1949.40	--	1949.40	--
	1213- प्रधानमंत्री आधार ग्राम योजना	0803	--	--	--	--	--	1050.00	1050.00	--
	8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान	0101	576822.10	--	576822.10	--	468640.08	--	468640.08	--
	8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान	0102	139403.00	--	139403.00	--	114966.21	--	114966.21	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्राप्तिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी./एफ. सी/ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग	
पंचायती राज संस्थाएं	8403-शिक्षा कर्मियों के वेतन के लिए अनुदान	0103	135001.50	--	135001.50		140783.53	--	140783.53	--
	9416-प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	0102	80961.23	--	80961.23	--	71597.97	--	71597.97	--
	5859-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	0801	--	--	--	--	--	2586.71	2586.71	--
	5859-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	0802	--	--	--	--	--	1045.62	1045.62	--
	5863-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	0801	--	--	--	--	--	15614.48	15614.48	--
	5863-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	0802	--	--	--	--	--	8729.85	8729.85	--
	5863-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	0803	--	--	--	--	--	5618.65	5618.65	--
	6255-मुख्यमंत्री आवास मिशन	0103	--	--	--	--	4200.00	--	4200.00	--
	7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0801	--	--	--	--	--	4041.47	4041.47	--
	5859-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन	0701	--	1161.63	1161.63	--	--	--	--	--
	0647-ग्राम स्वराज अभियान	0701	--	1680.30	1680.30	--	--	--	--	--
	5863-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	0701	--	13674.52	13674.52	--	--	--	--	--
	8786-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	0701	--	18016.95	18016.95	--	--	--	--	--
	8786-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	0702	--	8888.42	8888.42	--	--	--	--	--
	5863-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	0702	--	6758.00	6758.00	--	--	--	--	--
	5863-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन	0703	--	5576.83	5576.83	--	--	--	--	--
	0647-ग्राम स्वराज अभियान	0703	--	1471.17	1471.17	--	--	--	--	--
	0647-ग्राम स्वराज अभियान	0702	--	1986.36	1986.36	--	--	--	--	--
	8786- इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	0703	--	8215.83	8215.83	--	--	--	--	--
	योग		1609264.88	1020838.51	2630103.39	--	1415925.51	1347920.58	2763846.09	--
शहरी स्थानीय निकाय	1425- शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क के अधिभार से ब्याज/ऋणों का पुनर्भुगतान	0570	--	7997.79	7997.79	7997.79	--	--	--	--
	2669-स्थानीय निकायों को पोषण अनुदान (ग्रामीण एवं शहरी)	0101	9747.50	--	9747.50	--	12101.42	--	12101.42	--
	2181-नगरीय जल प्रदाय योजना	--	3318.30	--	3318.30	--	3091.22	--	3091.22	--
	1263-राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन	0701	--	4500.00	4500.00	--	--	1907.00	1907.00	--
	7707-मुख्यमंत्री शहरी स्वरोजगार योजना	0101	1975.00	--	1975.00	--	3750.00	--	3750.00	--
	1239-14वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार नगरीय निकायों को सामान्य अनुदान	--	91944.00	--	91944.00	--	79480.00	--	79480.00	--
	4035-पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क के अधिभार का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण	--	9621.00	--	9621.00	--	10666.91	--	10666.91	--
	8017-वाहनों पर कर कीआय से नगरीय निकायों को सड़क संधारण के लिए अनुदान	--	26608.18	--	26608.18	--	20769.09	--	20769.09	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्राप्तकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी./एफ. सी/ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग	
शहरी स्थानीय निकाय	8018-प्रवेश कर से प्राप्त आय के समतुल्य नगरीय निकायों को सहायता अनुदान	--	362000.00	--	362000.00	--	316830.85	--	316830.85	--
	9436-यात्रीकर समाप्त किये जाने के एवज में नगरीय निकायों को विशेष अनुदान	--	6111.72	--	6111.72	--	8999.99	--	8999.99	--
	8860-वेट कर प्रणाली लागू होने से इसकी क्षतिपूर्ति राशि का नगरीय निकायों को हस्तान्तरण	--	105541.80	--	105541.80	--	101481.99	--	101481.99	--
	7668-स्थानीय निकायों को मूलभूत सेवाओं हेतु एक मुश्त अनुदान (राज्य करों में हिस्सा)	--	30921.73	--	30921.73	--	32665.27	--	32665.27	--
	7056-अग्निशमन सेवाएँ	0101	1668.26	--	1668.26	--	1800.00	--	1800.00	--
	7704-डेडिकेटेड अर्बन ट्रांसपोर्ट फण्ड	0101	3018.00	--	3018.00	--	1732.00	--	1732.00	--
	7146-मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम	0101	--	--	--	--	1711.59	--	1711.59	1711.59
	7145-मुख्यमंत्री पेयजल कार्यक्रम	0101	--	--	--	--	1899.22	--	1899.22	1899.22
	8049-म.प्र. प्रदूषण निवारण मंडल हेतु अनुदान	0101	1637.90	--	1637.90	--	1215.00	--	1215.00	--
	6221-छोटे एवं मध्यम शहरों के लिये अधोसंरचना विकास योजना	0102	--	--	--	--	1744.00	--	1744.00	--
	6221-छोटे एवं मध्यम शहरों के लिये अधोसंरचना विकास योजना	0103	--	--	--	--	5385.00	--	5385.00	--
	7146-मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास कार्यक्रम	0103	--	--	--	--	2932.50	--	2932.50	--
	1237-सभी के लिए आवास	0701	--	285127.90	285127.90	--	--	206699.70	206699.70	--
	1238-शहरी परिवर्तन एवं पुनर्जीवन के लिए अटल मिशन	0701	--	67775.00	67775.00	--	--	46029.18	46029.18	--
	7705-स्मार्ट सिटी	0701	--	--	--	--	--	38400.00	38400.00	--
	7706-स्वच्छ भारत अभियान	0701	--	7994.21	7994.21	--	--	18452.50	18452.50	--
	9417-उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	0102	10915.59	--	10915.59	--	8224.53	--	8224.53	--
	2669-संविदा शिक्षकों को मानदेय	0102	2068.22	--	2068.22	--	3596.77	--	3596.77	--
	9418-माध्यमिक शिक्षा के लिये ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	0102	3142.89	--	3142.89	--	2843.63	--	2843.63	--
	1325-चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सामान परिपालन अनुदान	--	--	--	--	--	22975.00	--	22975.00	--
	2669-संविदा शिक्षकों को मानदेय	0103	1729.94	--	1729.94	--	2878.92	--	2878.92	--
	7709-मुख्यमंत्री शहरी गरीबों के लिये आर्थिक कल्याण योजना	0103	1350.00	--	1350.00	--	1350.00	--	1350.00	--
	1237-सभी के लिए आवास	0702	--	25366.58	25366.58	--	--	16500.00	16500.00	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्राप्तकर्ता	योजना	सामान्य/टी. एस.पी./ एस. सी.एस. पी/एफ. सी/ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग	
शहरी स्थानीय निकाय	1238-शहरी परिवर्तन एवं पुनर्जीवन के लिए अटल लक्ष्य	0702	--	10500.00	10500.00	--	--	9749.30	9749.30	--
	7706-स्वच्छ भारत अभियान	0702	--	1113.88	1113.88	--	--	2239.74	2239.74	--
	9142-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	0102	--	--	--	--	2394.50	--	2394.50	--
	9416-प्राथमिक शिक्षा के लिए ग्रामीण और शहरी निकायों को अनुदान	0102	--	--	--	--	21007.99	--	21007.99	--
	1237-सभी के लिए आवास	0703	--	33966.00	33966.00	--	--	65300.00	65300.00	--
	1238-शहरी परिवर्तन एवं पुनर्जीवन के लिए अटल मिशन	0703	--	17500.00	17500.00	--	--	16249.93	16249.93	--
	7706-स्वच्छ भारत अभियान	0703	--	1074.78	1074.78	--	--	5159.38	5159.38	--
	1263-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0702	--	1053.00	1053.00	--	--	--	--	--
	1263-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	0703	--	3600.00	3600.00	--	--	--	--	--
	योग		673320.03	467569.14	1140889.17	7997.79	673527.39	426686.73	1100214.12	3610.81
सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम	3346-मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम को सूचना और प्रचार हेतु अनुदान	0101	5400.00	--	5400.00	--	7498.56	--	7498.56	--
	3185-मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम	0103	1890.00	--	1890.00	--	1890.00	--	1890.00	--
	0688-उदय योजनांतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को अंशपूँजी/अनुदान	0101	--	--	--	--	61100.00	--	61100.00	61100.00
	3229-मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	--	19958.49	--	19958.49	--	27425.99	--	27425.99	--
	5322-मध्यप्रदेश लघु वनोपज संघ	--	36018.00	--	36018.00	--	--	--	--	--
	7458-समग्र बांस विकास योजना (बांस मिशन)	0701	--	2836.74	2836.74	--	--	--	--	--
	योग		63266.49	2836.74	66103.23	--	97914.55	--	97914.55	61100.00

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्राप्तिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी / एफ. सी / ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस. / सी. एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस. / सी. एस. सहित)	योग	
स्वायत्त निकाय	3939-विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन	--	1086.00	--	1086.00	--	1086.00	--	1086.00	--
	1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय	0101	36297.65	--	36297.65	--	--	--	--	--
	5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	0701	--	102780.00	102780.00	--	--	137431.04	137431.04	--
	6710-दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता	0102	4500.00	--	4500.00	--	2432.33	--	2432.33	--
	5899-पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	0101	1848.96	--	1848.96	--	--	--	--	--
	1455-जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्व विद्यालय जबलपुर को अनुदान	0101	9300.00	--	9300.00	--	4840.00	--	4840.00	--
	5664-राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना	0101	4140.00	--	4140.00	--	1800.00	--	1800.00	--
	9087-खुला बाजार नीति में शक्कर के क्रय पर शासन से अनुदान	0101	--	--	--	--	2175.90	--	2175.90	--
	7165- खाद्य भंडारण के लिए गारंटी योजना	0101	1478.55	--	1478.55	--	2000.00	--	2000.00	--
	0715- होटल और अतिथिगृह में लकजरी वस्तुओं पर कर	--	3278.00	--	3278.00	--	2871.00	--	2871.00	--
	5664-राजमाता विजयाराजे सिंधिया, कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर की स्थापना	--	--	--	--	--	2090.00	--	2090.00	--
	5724- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	0702	--	29233.31	29233.31	--	--	--	--	--
	5724- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	0703	--	27587.33	27587.33	--	--	--	--	--
	6710- दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को वित्तीय सहायता	0103	3000.00	--	3000.00	--	--	--	--	--
	योग		64929.16	159600.64	224529.80	--	19295.23	137431.04	156726.27	--
सहकारी समिति एवं सहकारी संस्थान	9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0102	--	--	--	--	5582.39	--	5582.39	--
	9254-सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	0103	--	--	--	--	1967.47	--	1967.47	--
	5006-जनजाति सेवा समितियों को प्रबंधकीय अनुदान	0101	--	--	--	--	1024.70	--	1024.70	--
	9134- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मध्यावधि ऋण के लिए अल्पकालीन ऋण के रूपांतरण के लिए ब्याज अनुदान	0102	--	--	--	--	2145.95	--	2145.95	--
	9134- प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को मध्यावधि ऋण के लिए अल्पकालीन ऋण के रूपांतरण के लिए ब्याज अनुदान	0103	--	--	--	--	1399.55	--	1399.55	--
	2091- मुख्यमंत्री किसान सहयोग ऋण सहायता योजना	0102	--	--	--	--	1259.82	--	1259.82	--
	0570-सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सहकारी समितियों को खद्यान्न की बिक्री से होने वाली हानि की प्रतिपूर्ति	--	1058.86	--	1058.86	--	1255.19	--	1255.19	--
	2372- घर ले जाकर खाने के लिए तैयार राशन कार्यक्रम	0101	6970.00	--	6970.00	--	--	--	--	--
	योग		8028.86	--	8028.86	--	14635.07	--	14635.07	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्रतिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी / एफ. सी / ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस. / सी. एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस. / सी. एस. सहित)	योग	
अशासकीय संगठन	8885-स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता	0101	6198.03	--	6198.03	--	5061.47	--	5061.47	--
	0671-स्वयंसेवी संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी क्रियाकलापों के लिए अनुदान	0103	1877.05	--	1877.05	--	1942.01	--	1942.01	--
	6270-जन अभियान परिषद का गठन	0101	3427.00	--	3427.00	--	5932.67	--	5932.67	--
	6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	0702	--	7185.34	7185.34	--	--	28132.15	28132.15	--
	6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	0703	--	7389.37	7389.37	--	--	15586.75	15586.75	--
	6484-आर.टी.ई.के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	0102	3534.00	--	3534.00	--	7650.00	--	7650.00	--
	6484-आर.टी.ई.के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	0103	4275.00	--	4275.00	--	3081.60	--	3081.60	--
	6464-स्मारकों / संग्रहालयों का विकास एवं रखरखाव	0102	1350.00	--	1350.00	--	1200.00	--	1200.00	--
	4968-चिकित्सा महाविद्यालय	--	--	--	--	--	14802.09	--	14802.09	--
	5094-मंगल दिवस	0101	1233.31	--	1233.31	--	1268.66	--	1268.66	--
	5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	0702	--	--	--	--	--	57467.51	57467.51	--
	5724-राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	0703	--	--	--	--	--	42354.48	42354.48	--
	1385-छात्र गृह योजना	0102	--	--	--	--	9476.07	--	9476.07	--
	5191-अनुसूचित जाति / जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सहायता / पुनर्वास सहायता	0703	--	5808.76	5808.76	--	--	3222.59	3222.59	--
	0073-अंध, मूक, बधिर शालाओं को अनुदान	0101	3208.64	--	3208.64	--	3239.67	--	3239.67	--
	3255-मध्य प्रदेश विधिक सहायता तथा विधिक सलाह बोर्ड को सहायक अनुदान	0101	3393.45	--	3393.45	--	2434.59	--	2434.59	--
	6710-दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को वित्तीय सहायता	0103	--	--	--	--	1700.16	--	1700.16	--
	9223-तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	1201	--	--	--	--	--	2700.00	2700.00	--
	6673-खाद भण्डारण पर ब्याज अनुदान	0101	1916.15	--	1916.15	--	2250.00	--	2250.00	--
	6295-डेयरी संचालन विकास और विस्तार गतिविधियां	0101	1196.10	--	1196.10	--	1329.00	--	1329.00	--
	3248-मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपाजर्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति	--	12267.45	--	12267.45	--	12427.82	--	12427.82	--
	6965-एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (12 जिले)	0701	--	--	--	--	--	1340.11	1340.11	--
	7211-अनुसूचित जाति / जनजातियों के लिये विद्युत्तिकरण योजना	0102	--	--	--	--	5035.78	--	5035.78	--
	5531-डिस्ट्रिक्शन म.प्र. इन्वेस्टमेंट ड्राइव	0101	1350.00	--	1350.00	--	1350.00	--	1350.00	--
	0671-स्वैच्छिक संस्थाओं को शिक्षा और विकास के लिए अनुदान	0102	2920.13	--	2920.13	--	4292.83	--	4292.83	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्रतिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी / एफ. सी / ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस. / सी. एस. सहित)	योग	
अशासकीय संगठन	0694- नर्मदा नदी तट पर प्रदूषण रोकथाम और पर्यावरण सुधार	0101	1373.64	--	1373.64	--	2181.49	--	2181.49	--
	9143-गैर सरकारी तकनीकी महाविद्यालयों और संस्थाओं को सहायता	0101	1995.16	--	1995.16	--	1829.52	--	1829.52	--
	9819-विशेष पिछड़े आदिवासी समूह अभिकरण	0102	--	--	--	--	4897.66	--	4897.66	--
	8885-स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता	0102	1800.09	--	1800.09	--	1798.10	--	1798.10	--
	8885-स्वशासी तकनीकी संस्थाओं को सहायता	0103	1400.00	--	1400.00	--	1192.97	--	1192.97	--
	1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना	0701	--	9187.59	9187.59	--	--	13382.69	13382.69	--
	1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना	0702	--	1478.76	1478.76	--	--	4558.22	4558.22	--
	1482- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना	0703	--	--	--	--	--	2471.27	2471.27	--
	1353-चिकित्सा महाविद्यालय तथा सम्बद्ध चिकित्सालय	--	--	--	--	--	11862.51	--	11862.51	--
	1920- मूल्य स्थायीकरण निधि की स्थापना	--	2880.00	--	2880.00	--	4000.00	--	4000.00	--
	6974-सागर चिकित्सा महाविद्यालय	--	--	--	--	--	2667.89	--	2667.89	--
	5899-पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर	--	--	--	--	--	1375.00	--	1375.00	--
	3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	0101	12258.05	--	12258.05	--	12463.56	--	12463.56	--
	3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	0102	4151.69	--	4151.69	--	3857.16	--	3857.16	--
	3444-महाविद्यालयों को पोषण अनुदान	0103	3170.75	--	3170.75	--	2951.95	--	2951.95	--
	7043-जनभागीदारी समितियों को महाविद्यालयों में रिक्त पदों को मानदेय के आधार पर भरने हेतु अनुदान	0101	10312.41	--	10312.41	--	2974.39	--	2974.39	--
	7400-सिंहस्थ मेला के लिए प्रबन्ध	--	9499.93	--	9499.93	--	--	--	--	--
	योग		96988.03	31049.82	128037.85	--	138526.62	171215.77	309742.39	--
अन्य	6484-आर.टी.ई.के तहत अशासकीय विद्यालयों को ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति	0101	9861.00	--	9861.00	--	8528.40	--	8528.40	--
	7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0701	--	17550.00	17550.00	--	--	9500.00	9500.00	--
	6809-कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	0701	--	--	--	--	--	1822.50	1822.50	--
	7492-कृषि विस्तार पर उप अभियान (आत्मा)	0701	--	3200.47	3200.47	--	--	4293.23	4293.23	--
	5116-राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	0701	--	3392.54	3392.54	--	--	3818.28	3818.28	--
	6011-शिक्षित भारत	0701	--	--	--	--	--	2946.59	2946.59	--
	6809-कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय	0702	--	--	--	--	--	1296.00	1296.00	--
	6344-मदरसों का आधुनिकीकरण	0801	--	2230.15	2230.15	--	--	1187.33	1187.33	--
	0096-अग्नि पीड़ितों को राहत	--	2942.30	--	2942.30	--	2868.12	--	2868.12	--
	5191-अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत सहायता/पुनर्वास सहायता	0702	--	2299.95	2299.95	--	--	2135.01	2135.01	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्राप्तिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी./एफ. सी/ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग	
अन्य	5722-कॉल सेंटर की स्थापना	0101	1707.00	--	1707.00	--	1917.50	--	1917.50	--
	6360-निर्वाचित कृषक संस्थाओं के लिए निधि की व्यवस्था	0101	1470.63	--	1470.63	--	1412.28	--	1412.28	--
	6422-सूखे के कारण फसलों के नुकसान के लिए अनुदान सहायता	--	84420.81	--	84420.81	--	74867.72	--	74867.72	--
	6442-अटल बाल आरोग्य मिशन	0101	1286.34	--	1286.34	--	1567.92	--	1567.92	--
	7062-राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी पार्क की स्थापना	0101	4500.00	--	4500.00	4500.00	4750.00	--	4750.00	4750.00
	7073-मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद विकास अनुदान	0101	3150.00	--	3150.00	--	1327.50	--	1327.50	--
	7249-कीट प्रकोप से फसल क्षति	--	3533.45	--	3533.45	--	3096.06	--	3096.06	--
	8840-खिलाड़ियों को प्रोत्साहन	0101	1355.59	--	1355.59	--	1389.11	--	1389.11	--
	6500-विशेष पिछड़ी जनजातियों का विकास	0802	--	6424.06	6424.06	--	--	9016.76	9016.76	--
	5067-लाडली लक्ष्मी योजना	0101	50539.17	--	50539.17	--	60522.74	--	60522.74	--
	5067-लाडली लक्ष्मी योजना	0102	20473.72	--	20473.72	--	19020.42	--	19020.42	--
	5067-लाडली लक्ष्मी योजना	0103	8115.26	--	8115.26	--	13188.75	--	13188.75	--
	6005-राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का क्रियान्वयन	0701	--	30035.29	30035.29	--	--	51764.26	51764.26	--
	0747-ओला पीड़ितों को राहत	--	19336.09	--	19336.09	--	5160.26	--	5160.26	--
	2018-नगद दान	--	7138.89	--	7138.89	--	5324.96	--	5324.96	--
	2661-शहरी इलाकों में पेयजल का परिवहन	--	1900.02	--	1900.02	--	--	--	--	--
	7571-मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना	0101	--	--	--	--	6616.00	--	6616.00	--
	1271-पर्यटन नीति के लिए प्रशासन	0101	2610.00	--	2610.00	--	4500.00	--	4500.00	--
	5153-उद्योग उन्नयन अंतर्गत खाद्य प्रक्रिया उद्योगों के विकास के लिए योजना	0101	2999.99	--	2999.99	--	4870.08	--	4870.08	--
	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0701	--	19059.89	19059.89	--	--	1453.39	1453.39	1453.39
	7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0701	--	18114.61	18114.61	--	--	11753.40	11753.40	--
	7600-राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	0701	--	5000.00	5000.00	5000.00	--	4219.18	4219.18	4219.18
	7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0701	--	2881.05	2881.05	--	--	--	--	--
	5240-झील संरक्षण योजना	0701	--	2590.42	2590.42	--	--	1800.00	1800.00	--
	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0701	--	1972.90	1972.90	--	--	19600.21	19600.21	--
	7498-फार्म जल प्रबंधन पर सबमिशन	0701	--	1963.57	1963.57	--	--	1756.74	1756.74	--
	7494-बीज और नियोजन सामग्री पर सबमिशन	0701	--	2176.39	2176.39	--	--	2760.30	2760.30	--
	0665-अन्य प्राप्तियाँ	0701	--	--	--	--	--	1092.52	1092.52	--
	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0702	--	5690.87	5690.87	--	--	5246.72	5246.72	--
	7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0702	--	3742.41	3742.41	--	--	1720.34	1720.34	--
	7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0702	--	1819.68	1819.68	--	--	--	--	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्रतिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी.एस. पी. / एफ. सी. / ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी.एस.एस. / सी.एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस. / सी. एस. सहित)	योग	
अन्य	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0702	--	1302.55	1302.55	--	--	1008.22	1008.22	--
	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0703	--	4030.73	4030.73	--	--	3685.15	3685.15	--
	7501-राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	0703	--	2823.59	2823.59	--	--	1519.17	1519.17	--
	1455-जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	--	--	--	--	--	4000.00	--	4000.00	--
	1425-शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पंजीयन एवं स्टाम्प शुल्क के अधिभार से ब्याज / ऋणों का पुनर्भुगतान	0101	31010.00	--	31010.00	31010.00	28425.00	--	28425.00	28425.00
	6255-मुख्यमंत्री आवास मिशन	0102	--	--	--	--	3600.00	--	3600.00	--
	0073-अध, मूक एवं बधिर शालाओं को अनुदान	0102	--	--	--	--	1049.22	--	1049.22	--
	1489-ए.डी.आर. केन्द्रों के निर्माण हेतु अनुदान	0101	--	--	--	--	1012.50	--	1012.50	1012.50
	2356- कलाकारों के लिए एकीकरण	0101	--	--	--	--	5752.00	--	5752.00	--
	6103-समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.)	0701	--	1359.35	1359.35	--	--	1267.53	1267.53	--
	8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	0801	--	--	--	--	--	19244.34	19244.34	--
	8786-इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	0802	--	--	--	--	--	7585.08	7585.08	--
	7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0802	--	--	--	--	--	1974.57	1974.57	--
	8786-इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन	0803	--	--	--	--	--	8239.06	8239.06	--
	7084-राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना	0803	--	--	--	--	--	1776.72	1776.72	--
	9223-तेजस्वनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	1202	--	--	--	--	--	1080.00	1080.00	--
	0850- नये औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु औद्योगिक क्षेत्र विकास निगम को अनुदान	0101	--	--	--	--	9901.10	--	9901.10	9901.10
	6938-हिन्दी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए अनुदान	0101	--	--	--	--	1603.02	--	1603.02	1603.02
	7488-राष्ट्रीय वन्य कार्यक्रम (हरित भारत)	0101	--	--	--	--	1050.00	--	1050.00	--
	2103- धार्मिक संस्कृति महोत्सव का पुनःस्थापन	0103	--	--	--	--	1150.72	--	1150.72	--
	1509-जिला स्थापना	--	--	--	--	--	9946.81	--	9946.81	--
	7467-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	0420	--	--	--	--	--	10000.00	10000.00	--
	8810-सर्व शिक्षा अभियान	0701	--	158900.65	158900.65	--	--	157940.23	157940.23	--
	8810-सर्व शिक्षा अभियान	0702	--	70549.77	70549.77	--	--	64634.19	64634.19	--
	8810-सर्व शिक्षा अभियान	0703	--	58993.72	58993.72	--	--	33249.03	33249.03	--
	9948-प्राथमिक शालाएँ	0101	--	--	--	--	8226.42	--	8226.42	--
	9948-प्राथमिक शालाएँ	0102	--	--	--	--	2502.13	--	2502.13	--
	9948-प्राथमिक शालाएँ	0103	--	--	--	--	1981.97	--	1981.97	--
	3491-माध्यमिक शालाएँ	0101	--	--	--	--	19100.83	--	19100.83	--
	9949-माध्यमिक शालाओं को सहायता अनुदान	0101	27438.66	--	27438.66	--	3998.92	--	3998.92	--
	0686-साम्प्रदायिक दंगों के पीड़ितों को सहायता	--	1361.31	--	1361.31	--	--	--	--	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्रतिकर्ता	योजना	सामान्य/ टी.एस.पी./ एस.सी.एस. पी./एफ. सी./ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूँजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग	
कृषि	0819-पंचायत उपकर से प्राप्ति राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास और रखरखाव	0102	2136.99	--	2136.99	--	--	--	--	--
	0819-पंचायत उपकर से प्राप्ति राशि से पेयजल आपूर्ति का विकास और रखरखाव	0103	1697.26	--	1697.26	--	--	--	--	--
	1277-चिकित्सा योजना सहित चिकित्सा का राष्ट्रीय मिशन	0701	--	2678.96	2678.96	--	--	--	--	--
	2315-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	0701	--	2000.00	2000.00	--	--	--	--	--
	2315-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	0702	--	3879.42	3879.42	--	--	--	--	--
	2315-राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	0703	--	2771.02	2771.02	--	--	--	--	--
	2326-पी.वी.टी.खाद्य अनुदान योजना	0102	21976.52	--	21976.52	--	--	--	--	--
	2365- मुख्यमंत्री कल्याण (संबल) योजना	0101	77495.17	--	77495.17	--	--	--	--	--
	2947-डॉ.बी.आर.अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान महू की स्थापना के लिए अनुदान	0103	1049.75	--	1049.75	--	--	--	--	--
	3220-म.प्र.ऊर्जा विकास निगम को सहायता अनुदान	0101	1192.50	--	1192.50	--	--	--	--	--
	5116-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	0702	--	1067.62	1067.62	--	--	--	--	--
	5319-मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना	0101	253229.50	--	253229.50	--	--	--	--	--
	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0703	--	1146.10	1146.10	--	--	--	--	--
	5664-राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर की स्थापना	0102	1050.00	--	1050.00	--	--	-	--	--
	6225-सेवादारों के मानदेय की वृद्धि	--	1050.44	--	1050.44	--	--	--	--	--
	6377-भारत भवन	--	1080.00	--	1080.00	--	--	--	--	--
	7021-पाला के कारण हुई हानि के लिए राहत सहायता	--	3245.01	--	3245.01	--	--	--	--	--
	7043-जन भागीदारी समिति के लिए मानदेय के आधार पर महाविद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के लिए अनुदान	0102	1500.07	--	1500.07	--	--	--	--	--
	7488-राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम (हरित भारत)	0701	--	3031.66	3031.66	--	--	--	--	--
	7763-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए आवास सहायता	0102	5639.27	--	5639.27	--	--	--	--	--
	9080-रतलाम/दतिया/शिवपुरी/छिंदवाड़ा, चिकित्सा महाविद्यालय	0101	5500.21	--	5500.21	--	--	--	--	--
	9223-तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना	1203	--	1121.45	1121.45	--	--	--	--	--
	9949-मध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान	0102	5115.11	--	5115.11	--	--	--	--	--

परिशिष्ट III – जारी

(₹ लाख में)

प्राप्तिकर्ता	योजना	सामान्य / टी.एस.पी. / एस.सी. एस.पी. / एफ.सी. / ई.ए.पी.	2018-19			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि	2017-18			कुल विमुक्त राशि में से पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण हेतु स्वीकृत राशि
			राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग		राज्य निधि व्यय	केन्द्रीय सहायता (सी. एस.एस./सी. एस. सहित)	योग	
अन्य	9949-मध्यमिक विद्यालयों को सहायता अनुदान	0103	3622.06	--	3622.06	--	--	--	--	--
	7879-औद्योगिक अधोसंरचना विकास	0101	7700.00	--	7700.00	7700.00	--	--	--	--
	5084-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कृषकों के कुँए तक विद्युत लाईनों का विस्तार	0603	--	3443.62	3443.62	3443.62	--	--	--	--
	5626-राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	0701	--	2164.52	2164.52	2164.52	--	--	--	--
	7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	0702	--	2463.88	2463.88	2463.88	--	--	--	--
	7600-राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना का क्रियान्वयन	0703	--	1552.45	1552.45	1552.45	--	--	--	--
	योग		681430.09	455425.31	1136855.40	57834.47	324228.46	452386.05	776614.51	51364.19
₹ 10 करोड़ से कम की अन्य योजनाएं	0101		47131.34	--	47131.34	7439.36	--	--	48539.90	4004.25
	0102		18222.08	--	18222.08	590.06	--	--	23365.77	143.85
	0103		14433.81	--	14433.81	334.30	--	--	19078.19	194.00
	0602		--	--	--	--	--	566.79	566.79	--
	0603		--	434.25	434.25	--	--	270.00	270.00	--
	0701		--	3085.40	3085.40	215.00	--	3314.67	3314.67	209.00
	0702		--	3621.01	3621.01	59.50	--	3360.21	3360.21	502.98
	0703		--	6111.52	6111.52	--	--	5955.98	5955.98	866.94
	0801		--	1685.63	1685.63	--	--	625.26	625.26	--
	0802		--	17.85	17.85	--	--	798.13	798.13	--
	0803		--	1003.26	1003.26	--	--	1567.78	1567.78	--
	0910		--	399.33	399.33	--	--	--	--	--
	1201		--	774.50	774.50	--	--	500.00	500.00	--
	1203		--	--	--	--	--	720.00	720.00	--
	--		11337.71	--	11337.71	--	17143.74	--	17143.74	--
	योग		91124.94	17132.75	108257.69	8638.22	108127.60	17678.82	125806.42	5921.02
	महायोग		3288352.48	2154452.91	5442805.39^(क)	74470.48	2792180.43	2553318.99	5345499.42	121996.02

(क) परिशिष्ट-III के सहायता अनुदान के आंकड़े विवरण पत्रक संख्या 2 के आंकड़ों से ₹ 83,16.42 करोड़ से भिन्न है, जिसका संबंध (i) सहायता अनुदान (पूंजीगत) के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 42 की राशि ₹ 5,41.41 करोड़, (ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उद्देश्य शीर्ष 45 की राशि ₹ 2,07.95 करोड़, (iii) क्षेत्र-घ 'स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन' के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 42 (राजस्व) से संबंधित ₹ 71,76.98 करोड़ तथा (iv) क्षेत्र-घ 'स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन' के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 45 (राजस्व) से संबंधित ₹ 3,90.08 करोड़ से है।

विवरण पत्रक संख्या 15 के सहायता अनुदान के आंकड़े परिशिष्ट-III के आंकड़ों से ₹ 7,49.36 करोड़ से भिन्न है, जो (i) सहायता अनुदान (पूंजीगत) के अंतर्गत उद्देश्य शीर्ष 42 की राशि ₹ 5,41.41 करोड़, (ii) सहायता अनुदान (पूंजीगत) के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए उद्देश्य शीर्ष 45 की राशि ₹ 2,07.95 करोड़ से संबंधित है।

परिशिष्ट III – समाप्त

समूह शीर्षों के नामकरण की सूची नीचे दी गई है :-

समूह शीर्ष	नामकरण
0101	राज्य आयोजना-सामान्य
0102	आदिवासी क्षेत्र उप-योजना
0103	अनुसूचित जाति उप-योजना
0701	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (सामान्य)
0702	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ (आदिवासी क्षेत्र उप-योजना)
0703	केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ अनुसूचित जाति उप-योजना
0801	केन्द्र क्षेत्रीय योजना (सामान्य)
0802	केन्द्र क्षेत्रीय योजना (आदिवासी क्षेत्र उप-योजना)
0803	केन्द्र क्षेत्रीय योजना (अनुसूचित जाति योजना)
0410	ऊर्जा विकास निधि
0420	खनिज क्षेत्र विकास निधि
1201	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (सामान्य)
1202	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (आदिवासी क्षेत्र उप-योजना)
1203	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएँ (अनुसूचित जाति योजना)
1301	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (सामान्य)
1302	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (आदिवासी क्षेत्र उप-योजना)
1303	केन्द्रीय वित्त आयोग की अनुशंसा (अनुसूचित जाति योजना)
0602	भारत सरकार से आदिवासी क्षेत्र उप-योजना-निधियों के लिए वित्त पोषित योजना
0603	भारत सरकार से अनुसूचित आदिवासी क्षेत्र उप-योजना निधियों के लिए वित्त पोषित योजना
1401	नाबार्ड (सामान्य)
1402	नाबार्ड (आदिवासी क्षेत्र उप-योजना)
1403	नाबार्ड (अनुसूचित जाति योजना)
1501	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (सामान्य)
1502	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (आदिवासी क्षेत्र उप-योजना)
1503	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (अनुसूचित जाति उप-योजना)

परिशिष्ट – IV
विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे

(₹ लाख में)

सहायता देने वाली संस्था (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना)	योजना / परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						पुनर्भुगतान राशि		व्यय	
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			अभी तक			वर्ष के दौरान	अभी तक	वर्ष के दौरान	अभी तक
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग				
विश्व बैंक (राष्ट्रीय हॉइड्रोलॉजी परियोजना- फेस-II)	निदेशन तथा प्रशासन	21.06	--	21.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	जिक ओ.आर. एस. के उपयोग को बढ़ावा	40.00	--	40.00	--	--	--	10.00	--	10.00	--	--	--	10.00
	निर्माण कार्य	2445.02	--	2445.02	--	--	--	1333.29	--	1333.29	--	--	--	1333.29
	मलेरिया कार्यक्रम का सुदृढ़ीकरण	200.00	--	200.00	--	--	--	200.00	--	200.00	--	--	--	200.00
ए.डी.बी. (मध्यप्रदेश राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना फेस-II)	म.प्र.सड़क विकास कार्यक्रम	915795.77	--	915795.77	139315.00	--	139315.00	640370.65	--	640370.65	--	--	139315.00	640370.65
डी.एफ.आई.डी (म.प्र.विजली क्षेत्र सुधार कार्यक्रम-II)	विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत डी. एफ.आई.डी. से अनुदान (फेस-III)	4264.63	--	4264.63	--	--	--	4285.25	--	4285.25	--	--	--	4285.25
विश्व बैंक (तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम)	विश्व बैंक सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम- राज्य कार्यक्रम	939.31	--	939.31	4.85	--	4.85	366.97	--	366.97	--	--	4.85	366.97
विश्व बैंक (जिला गरीबी आरंभिक कार्यक्रम)	डी.पी.आई.पी. योजनाएँ	64810.00	--	64810.00	--	--	--	45940.00	--	45940.00	--	--	--	45940.00
आई.बी.आर.डी. (म.प्र.जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना)	जल संसाधन प्रबंधन संस्थान तथा स्त्रोत -स्वरा	1845.48	--	1845.48	--	--	--	908.43	--	908.43	--	--	--	908.43
	जल संसाधन प्रबंधन संस्थान एवं स्त्रोत स्वराडक	593.40	--	593.40	--	--	--	233.36	--	233.36	--	--	--	233.36

परिशिष्ट IV – जारी

(₹ लाख में)

सहायता देने वाली संस्था (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना)	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						पुनर्भुगतान राशि		व्यय	
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			अभी तक			वर्ष के दौरान	अभी तक	वर्ष के दौरान	अभी तक
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग				
आई.बी.आर.डी. (म.प्र.जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना)	जल संसाधन प्रबंधन संस्थान—स्वरा तालाब	624.52	--	624.52	--	--	--	270.92	--	270.92	--	--	--	270.92
	सिंचाई प्रदान करने वाली सेवाएं तथा जल निकासी संस्थान—जल संसाधन विभाग	12324.89	--	12324.89	--	--	--	7947.45	--	7947.45	--	--	--	7947.45
	पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—कृषि विभाग	6962.06	--	6962.06	--	--	--	2336.53	--	2336.53	--	--	--	2336.53
	पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई योजनाओं की उत्पादकता में सुधार—मछली पालन विभाग	2939.92	--	2939.92	--	--	--	1625.13	--	1625.13	--	--	--	1625.13
	स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजनांतर्गत भुगतान	0.02	--	0.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	राजीव गांधी स्वास्थ्य मिशन	0.02	--	0.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं की उत्पादकता में सुधार—उद्यानिकी विभाग	4051.81	--	4051.81	--	--	--	2107.49	--	2107.49	--	--	--	2107.49

परिशिष्ट IV – जारी

(₹ लाख में)

सहायता देने वाली संस्था (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना)	योजना/ परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						पुनर्भुगतान राशि		व्यय	
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			अभी तक			वर्ष के दौरान	अभी तक	वर्ष के दौरान	अभी तक
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग				
आई.बी.आर.डी. (म.प्र.जल क्षेत्र पुनर्निर्माण परियोजना)	पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं की उत्पादकता में सुधार—जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय	1319.93	--	1319.93	--	--	--	748.16	--	748.16	--	--	--	748.16
	पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं की उत्पादकता में सुधार—पशुपालन विभाग	4415.90	--	4415.90	--	--	--	3278.86	--	3278.86	--	--	--	3278.86
	पांच कछारों की पूर्व निर्मित सिंचाई परियोजनाओं की उत्पादकता में सुधार—जल संसाधन विभाग	534123.32	--	534123.32	--	--	--	212349.59	--	212349.59	--	--	--	212349.59
	नष्ट हुये जल ग्रहण क्षेत्र का उपचार—चयनित सिंचाई परियोजनाओं में वनरोपण कार्य	0.02	--	0.02	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	म.प्र.शहरी अधोसंरचना एवं निवेश कार्यक्रम (डी.एफ.आई.डी.)	25723.72	--	25723.72	--	--	--	18907.30	--	18907.30	--	--	--	18907.30
	समन्वित इकाई में परियोजना क्रियान्वयन — पी.आई.सी.यू.	14837.42	--	14837.42	--	--	--	4305.04	--	4305.04	--	--	--	4305.04
आई.डी.ए. (सामुदायिक वन प्रबंधन के लिये क्षमता का विकास)	जापान सामाजिक विकास निधि	126.70	--	126.70	--	--	--	127.37	--	127.37	--	--	--	127.37

परिशिष्ट IV – जारी

(₹ लाख में)

सहायता देने वाली संस्था (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना)	योजना / परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						पुनर्भुगतान राशि		व्यय	
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			अभी तक			वर्ष के दौरान	अभी तक	वर्ष के दौरान	अभी तक
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग				
ए.डी.बी. (म.प्र.राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना-II)	लेखा प्रशिक्षण विद्यालय आंतरिक लेखा परीक्षा का सुदृढीकरण	247.95	--	247.95	--	--	--	0.13	--	0.13	--	--	--	0.13
	प्रभावी परामर्श के लिए संचार की गुणवत्ता	160.00	--	160.00	--	--	--	179.29	--	179.29	--	--	--	179.29
	सड़क निर्माण कार्य	95086.08	--	95086.08	--	--	--	94837.84	--	94837.84	--	--	--	94837.84
	विश्व बैंक सहायतायित तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम- बहुतकनीकी महाविद्यालयों को अनुदान	27.51	--	27.51	--	--	--	27.47	--	27.47	--	--	--	27.47
	म.प्र.विजली प्रबंधन कम्पनी परियोजना	--	5879.60	5879.60	--	--	--	--	2058.52	2058.52	--	--	--	2058.52
ए.डी.बी. (म.प्र.विद्युत क्षेत्र निवेश कार्यक्रम)	पारेषण प्रणाली कार्य के लिये निवेश	--	202022.21	202022.21	--	--	--	--	166620.98	166620.98	--	45939.73	--	160758.38
	नवीन सड़कों का प्रस्ताव	50.96	--	50.96	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
डी.एफ.आई.डी. (म.प्र.शासन में निष्पादन प्रबंधन सुदृढीकरण)	शासकीय निर्माण कार्य प्रबंधन का सुदृढीकरण	16057.35	--	16057.35	--	--	--	5169.53	--	5169.53	--	--	--	5169.53
डी.एफ.आई.डी. (म.प्र.गरीबों के लिए शहरी सेवाएं कार्यक्रम)	गरीबों के लिये शहरी सेवाएं कार्यक्रम	22128.69	--	22128.69	--	--	--	22128.70	--	22128.70	--	--	--	22128.70
डी.एफ.आई.डी. (म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना फेज-II)	म.प्र.ग्रामीण आजीविका परियोजना	27082.52	--	27082.52	--	--	--	27082.52	--	27082.52	--	--	--	27082.52

[illegible]

परिशिष्ट IV – जारी

(₹ लाख में)

सहायता देने वाली संस्था (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना)	योजना/परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						पुनर्भुगतान राशि		व्यय	
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			अभी तक			वर्ष के दौरान	अभी तक	वर्ष के दौरान	अभी तक
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग				
विश्व बैंक बांध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना	बांध पुनर्वास तथा सुधार परियोजना	26168.62	--	26168.62	1408.47	--	1408.47	14345.80	--	14345.80	--	--	1408.47	14345.80
	किशोर बालिका गर्भावस्था तथा यौन स्वास्थ्य कार्यक्रम	50.00	--	50.00	--	--	--	40.25	--	40.25	--	--	--	40.25
ए.डी.बी. (म.प्र.फीडर पृथक्कीकरण योजना)	कृषि के उपयोग के लिए स्वतंत्र फीडर्स के प्रबन्ध हेतु निवेश	--	226063.65	226063.65	--	3718.75	3718.75	--	135782.44	135782.44	--	-2076.16 ^(क)	3718.75	135782.44
ए.डी.बी.-3 (पारेषण प्रणाली)	पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण (ए.डी.बी.3)	--	81523.34	81523.34	--	13464.31	13464.31	--	43558.90	43558.90	--	--	13464.31	43558.90
जे.आई.सी.ए. (सड़क निर्माण)	जायका ऋण से सड़क निर्माण	2.04	--	2.04	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जे.आई.सी.ए. (जल प्रदाय योजना)	जायका ऋण से जल योजना का निर्माण	0.06	--	0.06	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
जे.आई.सी.ए. (म.प्र. पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण)	33/11 के.व्ही.उप केन्द्रों एवं डी.टी. आर. मीटरिंग का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण	--	29815.66	29815.66	--	2326.37	2326.37	--	37263.79	37263.79	--	--	2326.37	37263.79
ए.डी.बी. (जल प्रदाय योजना)	समूह जल प्रदाय योजना	0.04	--	0.04	--	--	--	0.18	--	0.18	--	--	--	0.18
	म.प्र.उच्च शिक्षा में सुधार/संशोधन	38373.78	--	38373.78	12339.06	--	12339.06	15151.44	--	15151.44	--	--	12339.06	15151.44
	म.प्र.शहरी, सफाई एवं पर्यावरण क्षेत्र कार्यक्रम (एम.पी. यू.एस.ई.पी.)	4550.00	3000.00	7550.00	2150.00	2150.00	4300.00	2150.00	2150.00	4300.00	--	--	4300.00	4300.00
	सभी परियोजनाओं की सेवाओं का क्रियान्वयन	1550.00	--	1550.00	500.00	--	500.00	1550.00	--	1550.00	--	--	500.00	1550.00

(क)

आंकड़े पुनर्मिलान के अधीन हैं

परिशिष्ट IV – समाप्त

(₹ लाख में)

सहायता देने वाली संस्था (भारत सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना)	योजना / परियोजना	कुल अनुमोदित सहायता			प्राप्त राशि						पुनर्भुगतान राशि		व्यय	
		अनुदान	ऋण	योग	वर्ष के दौरान			अभी तक			वर्ष के दौरान	अभी तक	वर्ष के दौरान	अभी तक
					अनुदान	ऋण	योग	अनुदान	ऋण	योग				
ए.डी.बी. (जल प्रदाय योजना)	मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना	101000.00	--	101000.00	80000.00	--	80000.00	101000.00	--	101000.00	--	--	80000.00	101000.00
	मध्यप्रदेश शहरी सेवा सुधार कार्यक्रम	35575.02	55500.00	91075.02	13168.73	11263.77	24432.50	17483.73	20523.77	38007.50	2642.94	3918.03	24432.50	38007.50
	म.प्र.सड़क विकास निगम (एन.डी.बी.)	123900.00	--	123900.00	93900.00	--	93900.00	123900.00	--	123900.00	--	--	93900.00	123900.00
	आई.सी.डी.एस. का सुदृढीकरण और पोषण स्तर सुधार परियोजना (एस.एन.आई.पी.)	13359.67	--	13359.67	6887.16	--	6887.16	13321.53	--	13321.53	--	--	6887.16	13321.53
	ए.डी.बी.से सहायता प्राप्त विदेशी वित्त कर्ज द्वारा पारेषण प्रणाली का सुदृढीकरण	25744.93	--	25744.93	15461.78	--	15461.78	25744.93	--	25744.93	--	--	15461.78	25744.93
	मध्यप्रदेश शहरी विकास परियोजना (विश्व बैंक)	9000.00	17000.00	26000.00	2000.00	5000.00	7000.00	4100.00	9900.00	14000.00	--	--	7000.00	14000.00
	हरित कोरिडोर	--	6577.09	6577.09	--	1236.71	1236.71	--	1236.71	1236.71	--	--	1236.71	1236.71
	कौशल विकास	19989.27	--	19989.27	8020.67	--	8020.67	8020.67	--	8020.67	--	--	8020.67	8020.67
	मेट्रो रेल	20100.00	0.01	20100.01	10000.00	--	10000.00	10000.00	--	10000.00	--	--	10000.00	10000.00
	ग्रामीण समूह जलपूर्ति योजना	43100.00	--	43100.00	43100.00	--	43100.00	43100.00	--	43100.00	--	--	43100.00	43100.00
	एन.डी.बी.द्वारा वित्त पोषित (सेतु निर्माण)	12531.14	--	12531.14	4331.13	--	4331.13	4331.13	--	4331.13	--	--	4331.13	4331.13
	नहर तथा संबंधित निर्माण कार्य	30000.00	--	30000.00	31734.95	--	31734.95	31734.95	--	31734.95	--	--	31734.95	31734.95
	एन.डी.बी. से वित्त पोषित (सड़क निर्माण)	24970.19	--	24970.19	17055.19	--	17055.19	17055.19	--	17055.19	--	--	17055.19	17055.19
	योग	2487316.97	830417.25	3317734.22	482772.94	41838.12	524611.06	1595520.39	673042.70	2268563.09	2642.94	122859.46	524611.06	2158296.69

परिशिष्ट V-अ
योजनाओं पर व्यय – अ – केन्द्रीय योजनाएं (केन्द्र प्रायोजित योजनाएं एवं केन्द्रीय योजनाएं)

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजनाएं	व्यय लेखाशीर्ष के अधीन राज्य योजनाएं	सामान्य / आदिवासी / अनुसूचित जाति	बजट प्रावधान 2018-19			वास्तविक व्यय 2018-19				वास्तविक व्यय 2017-18			
			भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग	भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय ^(क)			भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय		
							भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग		भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
एकीकृत वाटरशेड विकास कार्यक्रम	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (वाटरशेड विकास) (5770)	सामान्य	--	--	14500.00	16241.00	--	--	13050.00	13659.86	--	--	10795.59
		टी.एस.पी.	4800.00	3200.00	8000.00		--	--	7200.00		--	--	6514.68
		एस.सी.एस.पी.	3600.00	2400.00	6000.00		--	--	5400.00		--	--	5163.05
भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम	भूमि रिकार्ड का अद्यतन (एन.एल. आर.एम.पी.) (6337)	सामान्य	--	--	--	--	--	--	--	1754.00	--	--	--
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी कार्यक्रम	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (6923)	सामान्य	50000.00	30000.00	90076.27	1553.61	--	--	82076.27	277852.32	--	--	45080.18
		टी.एस.पी.	42000.00	28000.00	77806.01		--	--	70806.01		--	--	35695.15
		एस.सी.एस.पी.	30000.00	20000.00	55636.60		--	--	50636.60		--	--	66077.47
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना	राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (7084)	सामान्य	1692.00	2538.00	2881.05	6350.16	-	-	2881.05	5810.52	--	--	4041.46
		टी.एस.पी.	810.00	1215.00	1814.93		--	--	1819.68		--	--	1974.57
		एस.सी.एस.पी.	700.00	1050.00	793.72		--	--	793.72		--	--	1776.71
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (6836)	सामान्य	17520.00	11680.00	12875.42	14179.65	--	--	9955.42	18165.37	--	--	15102.63
		टी.एस.पी.	12000.00	8000.00	8520.84		--	--	6520.84		--	--	6981.54
		एस.सी.एस.पी.	8460.00	5640.00	6005.54		--	--	4595.54		--	--	5890.00
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (7467)	सामान्य	93180.00	62120.00	116193.56	107061.43	--	--	114243.56	130845.24	--	--	107874.97
		टी.एस.पी.	32460.00	21640.00	36823.27		--	--	36823.27		--	--	74100.00
		एस.सी.एस.पी.	24360.00	16240.00	25887.22		--	--	25887.22		--	--	45600.00
श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रबन मिशन (0660)	सामान्य	1500.00	1000.00	2500.00	4050.00	--	--	2250.00	21000.00	--	--	220.50
		टी.एस.पी.	900.00	600.00	1500.00		--	--	1350.00		--	--	73.50
		एस.सी.एस.पी.	600.00	400.00	1000.00		--	--	900.00		--	--	56.00
मदरसों और अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा योजना	अल्पसंख्यकों को शिक्षा / मदरसा प्रदान करें (2082)	सामान्य	--	--	450.00	567.12	--	--	--	846.74	--	--	--
पंचायत सशक्तीकरण अभियान (पी. एस.ए.)	ग्राम स्वराज अभियान (0647)	सामान्य	1120.20	746.80	6623.29	6279.00	--	--	1680.30	3013.18	--	--	--
		टी.एस.पी.	689.68	459.79	2207.07		--	--	1986.36		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	517.26	344.84	1634.60		--	--	1471.17		--	--	--

(क) भारत सरकार तथा म.प्र.राज्य के हिस्से से किये गये व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट V-अ – जारी

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजनाएं	व्यय लेखाशीर्ष के अधीन राज्य योजनाएं	सामान्य/आदिवासी/अनुसूचित जाति	बजट प्रावधान 2018-19			वास्तविक व्यय 2018-19				वास्तविक व्यय 2017-18			
			भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग	भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय ^(क)			भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय		
							भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग		भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
औद्योगिक आधारिक संरचना उन्नयन योजना (आई.आई.यू.एस.)	चंदेरी परियोजना को सहायता आई. आई.यू.एस. के तहत (5877)	सामान्य	--	--	--	--	--	--	--	667.00	--	--	--
इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेन्स	राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स योजना (7493)	सामान्य	--	--	--	--	--	--	--	203.97	--	--	26.07
केन्द्रीय सड़क निधि से वित्त पोषित राज्यों की योजनाएं (सी.आर.एफ.)	केन्द्रीय सड़क निधि (0948)	सामान्य	--	--	88000.00	62570.00	--	--	63905.86	74497.00	--	--	91441.55
		टी.एस.पी.	--	--	2315.38		--	--	2315.37		--	--	2075.79
		एस.सी.एस.पी.	--	--	6455.77		--	--	5904.12		--	--	570.00
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आई.जी. एन.डी.पी.एस.)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन (5859)	सामान्य	1108.53	2713.97	2073.15	3705.18	--	--	2073.15	3705.18	--	--	3247.96
		टी.एस.पी.	690.79	1450.91	1490.11		--	--	1167.11		--	--	1496.76
		एस.सी.एस.पी.	480.30	1175.90	930.94		--	--	947.19		--	--	1186.41
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आई.जी.एन.ओ. ए.पी.एस.)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन (8786)	सामान्य	16605.00	14725.15	27763.03	46018.20	--	--	27779.98	46018.20	--	--	28174.76
		टी.एस.पी.	7529.45	6677.04	16882.99		--	--	12930.99		--	--	11597.77
		एस.सी.एस.पी.	6463.57	5731.84	11160.43		--	--	11160.43		--	--	10858.15
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आई.जी.एन. डब्ल्यू.पी.एस.)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (5863)	सामान्य	13446.12	7992.78	18396.30	19890.16	--	--	18396.30	19890.16	--	--	19605.47
		टी.एस.पी.	3210.77	9138.33	10636.84		--	--	8962.84		--	--	11262.58
		एस.सी.एस.पी.	2105.25	5991.85	7241.65		--	--	7282.65		--	--	7125.34
स्कूलों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	मध्याह्न भोजन कार्यक्रम (6931)	सामान्य	29700.00	19800.00	39592.35	56191.95	--	--	34642.35	58098.87	--	--	35797.45
		टी.एस.पी.	23760.00	15840.00	28473.81		--	--	24513.81		--	--	32400.00
		एस.सी.एस.पी.	12540.00	8360.00	16466.77		--	--	14376.77		--	--	17100.00
	मध्याह्न भोजन सामग्री परिवहन (7886)	सामान्य	-	-	3330.16		--	--	2930.16		--	--	566.39
		टी.एस.पी.	-	-	1628.79		--	--	1228.79		--	--	1885.12
		एस.सी.एस.पी.	-	-	969.96		--	--	869.96		--	--	798.13

(क) भारत सरकार तथा म.प्र.राज्य के हिस्से से किये गये व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट V-अ – जारी

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजनाएं	व्यय लेखाशीर्ष के अधीन राज्य योजनाएं	सामान्य / आदिवासी / अनुसूचित जाति	बजट प्रावधान 2018-19			वास्तविक व्यय 2018-19				वास्तविक व्यय 2017-18			
			भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग	भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय ^(क)			भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय		
							भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग		भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
सर्व शिक्षा अभियान	सर्व शिक्षा अभियान (8810)	सामान्य	87196.20	75630.80	158900.65	199290.74	--	--	158900.65	173814.00	--	--	170443.60
		टी.एस.पी.	55373.80	40249.20	77974.60		--	--	77974.60		--	--	69765.59
		एस.सी.एस.पी.	30400.00	22000.00	64235.67		--	--	64235.67		--	--	36878.80
उच्चतर शिक्षा के तहत स्थापना व्यय	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा निदेशालय की स्थापना (7599)	सामान्य	1.80	1.20	63.00	25.00	--	--	50.00	40.00	--	--	80.38
प्रधानमंत्री आवास योजना	प्रधानमंत्री आवास योजना (5198)	सामान्य	272055.00	87945.00	282366.14	367701.16	--	--	282366.14	476026.83	--	--	323331.00
		टी.एस.पी.	86000.00	64000.00	135000.00		--	--	135000.00		--	--	323331.00
		एस.सी.एस.पी.	86000.00	64000.00	135000.00		--	--	135000.00		--	--	146665.50
राष्ट्रीय एड्स और यौन जनित रोगों का नियंत्रण कार्यक्रम	एड्स की रोकथाम (8132)	सामान्य	--	--	--	--	--	--	--	3703.09	--	--	--
राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.)	औषधीय पौधों पर राष्ट्रीय अभियान आयुष सहित (7489)	सामान्य	25.00	--	2.50	2829.13	--	--	--	--	--	--	--
	आयुष पर राष्ट्रीय अभियान औषधीय पौधा मिशन सहित (1277)	सामान्य	1080.00	720.00	4769.05		--	--	2678.96		--	--	439.51
		टी.एस.पी.	720.00	480.00	1145.90		--	--	906.54		--	--	38.17
		एस.सी.एस.पी.	540.00	360.00	1287.00		--	--	919.96		--	--	--
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (5724)	सामान्य	70200.02	44000.00	114200.02	163693.69	--	--	102780.00	152001.18	--	--	137431.04
		टी.एस.पी.	31800.02	20000.00	51800.02		--	--	29233.31		--	--	57467.51
		एस.सी.एस.पी.	19500.02	12000.00	31500.02		--	--	27587.33		--	--	42354.48

(क) भारत सरकार तथा म.प्र.राज्य के हिस्से से किये गये व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट V-अ – जारी

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजनाएं	व्यय लेखाशीर्ष के अधीन राज्य योजनाएं	सामान्य/आदिवासी/अनुसूचित जाति	बजट प्रावधान 2018-19			वास्तविक व्यय 2018-19				वास्तविक व्यय 2017-18			
			भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग	भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय ^(क)			भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय		
							भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग		भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	पी.एम.एस.एस.वाई परियोजना के तहत सुपर स्पेसिमेन्स अस्पताल की स्थापना (1211)	सामान्य	3600.00	2400.00	5830.00	--	--	--	5830.00	9990.00	--	--	5804.27
तिलहन और पाम तेल पर राष्ट्रीय मिशन	राष्ट्रीय तिलहन और पाम तेल मिशन (7500)	सामान्य	3116.95	2078.07	1018.76	500.00	--	--	1018.76	500.00	--	--	1826.96
		टी.एस.पी.	1411.86	941.31	169.92		--	--	169.92		--	--	312.79
		एस.सी.एस.पी.	1194.93	796.68	149.00		--	--	149.00		--	--	249.61
शहरी स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छ भारत अभियान (7706)	सामान्य	10800.00	7200.00	15625.00	40973.53	--	--	7994.21	29386.84	--	--	18452.50
		टी.एस.पी.	3600.00	2400.00	6000.00		--	--	1113.88		--	--	2239.74
		एस.सी.एस.पी.	4500.00	3000.00	7500.00		--	--	1074.78		--	--	5159.37
एकीकृत योजना तथा जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना	जलवायु परिवर्तन तथा कृषि की सतत निगरानी का अभियान (7496)	सामान्य	--	--	--	--	--	--	--	366.23	--	--	--
		टी.एस.पी.	--	--	--		--	--	--		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	--	--	--		--	--	--		--	--	--
उपभोक्ता कल्याण कोष/उपभोक्ता जागरुकता	उपभोक्ता जागरुकता कल्याण योजना (9253)	सामान्य	--	--	68.98	--	--	--	68.79	82.42	--	--	45.14
मत्स्यपालन का एकीकृत विकास और प्रबन्धन	मत्स्य विस्तार (3313)	सामान्य	--	--	--	711.39	--	--	--	672.02	--	--	--
कृषि संगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	कृषि संगणना (0908)	सामान्य	--	--	37.45	231.70	--	--	183.94	505.07	--	--	146.58
पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण	पशु संगणना की योजना (6625)	सामान्य	--	--	118.10	299.36	--	--	118.10	82.00	--	--	--

(क) भारत सरकार तथा म.प्र.राज्य के हिस्से से किये गये व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट V-अ – जारी

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजनाएं	व्यय लेखाशीर्ष के अधीन राज्य योजनाएं	सामान्य / आदिवासी / अनुसूचित जाति	बजट प्रावधान 2018-19			वास्तविक व्यय 2018-19				वास्तविक व्यय 2017-18			
			भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग	भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय ^(क)			भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय		
							भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग		भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य और रोग (7480)	सामान्य	--	--	--	2944.55	--	--	--	1717.10	--	--	--
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (7501)	सामान्य	13733.62	9155.74	20354.51	10439.74	--	--	20354.51	10380.00	--	--	13456.03
		टी.एस.पी.	6120.04	4080.03	4642.32		--	--	4060.36		--	--	1834.14
		एस.सी.एस.पी.	3043.82	2029.22	3903.48		--	--	3104.61		--	--	1645.82
विपणन सहायता और सेवाएं	स्टोर और मार्केटिंग (6080)	सामान्य	--	--	--	--	--	--	--	67.79	--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	--	--	--		--	--	--		--	--	--
राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम	हथकरघा एक्ट 1985 लागू करने हेतु कार्यालय की स्थापना (8252)	सामान्य	--	--	39.83	37.25	--	--	34.86	198.00	--	--	32.28
बीज तथा रोपण सामग्री पर उपमिशन	बीज तथा रोपण सामग्री पर उपमिशन (7494)	सामान्य	2234.33	1489.56	2225.74	2836.78	--	--	2225.74	6822.79	--	--	2814.44
		टी.एस.पी.	614.66	409.78	488.38		--	--	488.38		--	--	509.45
		एस.सी.एस.पी.	612.01	614.66	453.58		--	--	453.58		--	--	314.04
राष्ट्रीय पशुधन मिशन	बुन्देलखण्ड क्षेत्र में पशुधन विकास (6078)	सामान्य	123.43	82.28	185.14	1247.04	--	--	185.14	48.00	--	--	797.99
		एस.सी.एस.पी.	--	--	--		--	--	--		--	--	--
राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन	राष्ट्रीय उद्यानिकी मिशन (5116)	सामान्य	2280.00	1520.00	4229.40	3197.18	--	--	3392.54	3072.40	--	--	3818.28
		टी.एस.पी.	720.00	480.00	1674.63		--	--	1067.62		--	--	433.02
		एस.सी.एस.पी.	768.00	5,12.00	1500.45		--	--	861.47		--	--	535.04
मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता पर राष्ट्रीय परियोजना	मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर उपमिशन (7499)	सामान्य	3748.70	2499.14	1400.92	2165.06	--	--	1400.92	2669.47	--	--	38.15
		टी.एस.पी.	100.88	67.25	--		--	--	--		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	60.75	40.50	--		--	--	--		--	--	--
	मृदा स्वास्थ्य कार्य योजना (1229)	सामान्य	1480.00	986.66	2195.41		--	--	2195.41		--	--	3171.18
		टी.एस.पी.	480.00	320.00	408.74		--	--	408.74		--	--	408.20
		एस.सी.एस.पी.	440.00	293.33	490.71		--	--	490.71		--	--	948.82
		सामान्य	1319.82	879.88	2149.10		--	--	2149.10		--	--	1124.26
परम्परागत कृषि विकास योजना	परम्परागत कृषि विकास योजना (1227)	टी.एस.पी.	285.73	190.49	476.21	2471.99	--	--	476.21	2919.00	--	--	374.73
		एस.सी.एस.पी.	260.61	173.74	434.33		--	--	434.33		--	--	285.51

(क) भारत सरकार तथा म.प्र.राज्य के हिस्से से किये गये व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट V-अ — जारी

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजनाएं	व्यय लेखाशीर्ष के अधीन राज्य योजनाएं	सामान्य / आदिवासो / अनुसूचित जाति	बजट प्रावधान 2018-19			वास्तविक व्यय 2018-19				वास्तविक व्यय 2017-18			
			भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग	भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय ^(क)			भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय		
							भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग		भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (1482)	सामान्य	11613.76	7742.50	14548.26	13256.00	--	--	9187.59	15000.00	--	--	13382.69
		टी.एस.पी.	3470.38	2313.59	2083.97		--	--	1478.76		--	--	4558.21
		एस.सी.एस.पी.	2915.86	1943.91	1159.77		--	--	608.66		--	--	2471.27
लड़कों तथा लड़कियों के लिये छात्रावास	जिला स्तर पर लड़कों के लिए छात्रावास भवन का निर्माण (5512)	सामान्य	342.00	228.00	570.00	412.50	--	--	68.25	--	--	--	--
बाल संरक्षण योजना	समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (6103)	सामान्य	2242.42	1494.95	2835.22	2959.23	--	--	2834.81	--	--	--	--
		टी.एस.पी.	426.23	284.16	545.32		--	--	544.03		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	467.59	311.72	552.65		--	--	551.47		--	--	--
जलीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण	जलीय पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (5240)	सामान्य	817.95	2060.30	2878.25	424.67	--	--	2590.42	--	--	--	--
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन राज्य घटक	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (1263)	सामान्य	3000.00	2000.00	5000.00	2160.17	--	--	4500.00	--	--	--	--
		टी.एस.पी.	900.00	600.00	1500.00		--	--	1053.00		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	2400.00	1600.00	4000.00		--	--	3600.00		--	--	--
परम्परागत कृषि विकास योजना	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (5626)	सामान्य	20393.54	13614.69	28603.80	2471.99	--	--	23811.61	--	--	--	--
		टी.एस.पी.	6961.16	4640.77	9518.38		--	--	8555.46		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	7937.48	5291.66	6791.18		--	--	6291.27		--	--	--
पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण	महत्वपूर्ण पशु रोग का व्यवस्थित नियंत्रण (1458)	सामान्य	306.16	154.11	239.99	2944.55	--	--	239.96	--	--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	46.01	30.00	23.82		--	--	14.00		--	--	--
पुलिस बल का आधुनिकीकरण	पुलिस बल का आधुनिकीकरण (2643)	सामान्य	--	--	233.07	4184.95	--	--	233.07	--	--	--	--
	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के पुलिस स्टेशनों की स्थापना (5172)	एस.सी.एस.पी.	2050.82	2052.83	4718.74		--	--	4707.38		--	--	--

(क) भारत सरकार तथा म.प्र.राज्य के हिस्से से किये गये व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट V-अ – समाप्त

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजनाएं	व्यय लेखाशीर्ष के अधीन राज्य योजनाएं	सामान्य / आदिवासी / अनुसूचित जाति	बजट प्रावधान 2018-19			वास्तविक व्यय 2018-19				वास्तविक व्यय 2017-18			
			भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग	भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय ^(क)			भारत सरकार द्वारा विमुक्त	व्यय		
							भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग		भारत सरकार का अंश	राज्य अंश	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100 स्मार्ट सिटी के विकास के लिए मिशन	स्मार्ट सिटी (7705)	सामान्य	35000.00	35000.00	60000.00	33900.00	--	--	24500.00	--	--	--	--
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (आई.जी.एम.एस.वाई.) (6917)	सामान्य	--	--	8008.24	8999.94	--	--	8008.23	--	--	--	--
कृषि विस्तार के लिए उप मिशन	कृषि विस्तार के लिए उप मिशन (आत्मा) (7492)	सामान्य	2370.00	1580.00	3200.47	2784.93	--	--	3200.47	--	--	--	--
		टी.एस.पी.	960.00	640.00	688.23		--	--	688.23		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	547.80	365.20	821.70		--	--	821.70		--	--	--
स्वाधार गृह	स्वाधार गृह (1326)	सामान्य	--	--	79.25	46.10	--	--	79.25	--	--	--	--
प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	पी.एम.एस.एस.वाई. परियोजना के अंतर्गत सुपर स्पेसिमेन्स अस्पताल की स्थापना (1211)	सामान्य	3600.00	2400.00	5830.00	11925.00	--	--	5830.00	9990.00	--	--	--
		सामान्य	2520.00	1680.00	25200.00		--	--	2000.00		--	--	--
		टी.एस.पी.	1080.00	720.00	10200.00		--	--	3879.42		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	900.00	600.00	7100.00		--	--	2771.02		--	--	--
मतस्य पालन का एकीकृत विकास और प्रबन्धन	मछुआरे सहकारी समितियों के सदस्यों के लिए व्यक्तिगत आकस्मिक बीमा (3287)	सामान्य	--	--	12.00	711.39	--	--	9.54	--	--	--	--
		टी.एस.पी.	--	--	3.00		--	--	3.00		--	--	--
		एस.सी.एस.पी.	--	--	1.20		--	--	1.12		--	--	--

- टीप :- 1. इस परिशिष्ट में राज्य की केवल वह योजनाएं सम्मिलित की गयी हैं जो भारत सरकार की योजनाओं से मैप की गयी हैं।
2. इस परिशिष्ट में :-
 (क) भारत सरकार एवं राज्य के अंश में पुनर्विनियोजन एवं समर्पण शामिल नहीं है (कॉलम 4 एवं 5)।
 (ख) कुल बजट प्रावधान (निवल बजट प्रावधान) में पुनर्विनियोजन एवं समर्पण शामिल है (स्तम्भ 6)।
3. बजट पुस्तकों में कुछ योजनाओं में भारतीय शासन का तथा राज्य का अंश बहुत बार अलग-अलग आवंटित किया गया, इस मामले में भारत सरकार के सभी अंशों और राजस्व की हिस्सेदारी को इस परिशिष्ट में शामिल किया गया है।

(क) भारत सरकार तथा म.प्र.राज्य के हिस्से से किये गये व्यय को अलग-अलग नहीं किया जा सकता।

परिशिष्ट V-ब
योजनाओं पर खर्च व राज्य योजनाएं

(₹ लाख में)

राज्य योजनाएं	सामान्य/आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाति उपयोजना	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
आश्रम (0494)	जनजातीय	1,86,70.82	1,32,47.38	1,56,65.20	1,15,46.24	1,55,46.04	1,15,16.49
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय (0581)	जनजातीय	6,84,79.89	5,81,83.72	6,68,73.66	5,13,78.04	6,62,11.30	5,12,80.57
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (0717)	सामान्य	2,14,81.31	1,79,05.33	2,12,47.05	1,81,18.86	1,91,96.05	1,69,32.24
कार्यपालन स्थापना (0815)	सामान्य	3,68,71.01	4,18,90.63	3,61,88.61	3,60,00.47	3,57,56.49	3,29,08.91
कार्यालय विकास खण्ड (1033)	सामान्य	--	1,28,33.67	--	1,06,73.34	--	1,06,73.34
गहन पशु विकास परियोजना (1108)	सामान्य	1,41,31.40	1,09,51.94	1,18,43.92	1,10,92.68	1,18,43.90	1,10,42.68
ग्रामीण अभियांत्रिकीय सेवा (1208)	सामान्य	1,35,59.74	1,75,02.78	1,30,66.58	1,31,98.48	1,30,44.58	1,30,40.16
नर्मदा माल्वा - गम्भीर सम्बद्ध उद्वहन योजना (1298)	सामान्य	1,00,00.00	6,00,00.00	2,29,95.00	5,34,50.65	2,04,95.00	5,34,50.65
चिकित्सा महाविद्यालयों से संलग्न अस्पताल (1353)	सामान्य	8,93,69.26	--	9,11,55.55	--	8,15,02.68	--
निदेशन तथा प्रशासन (2304)	सामान्य	2,47,04.40	2,06,25.42	2,47,04.40	2,06,40.92	18,13.83	2,05,24.70
कार्यपालन स्थापना (ईकाई-I एवं II) (2428)	सामान्य	1,36,35.33	1,44,19.52	1,16,76.29	1,22,45.30	1,24,54.83	1,21,77.58
न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़क सहित) (2457)	सामान्य	7,00,00.05	9,50,00.08	7,00,00.05	9,22,85.92	7,26,56.91	12,66,65.89
	अनुसूचित जाति	1,50,00.01	2,00,00.00	1,64,06.46	1,99,98.33	1,81,43.98	1,85,49.68
	जनजातीय	1,00,00.00	1,00,00.00	1,00,00.00	99,37.07	1,05,21.22	89,96.03
पशु चिकित्सालय (2549)	सामान्य	1,54,30.83	1,27,05.93	1,43,72.76	1,28,23.44	1,42,48.12	1,26,87.30
	अनुसूचित जाति	--	27,43.62	--	16,07.55	--	16,07.55
	जनजातीय	--	38,41.00	--	29,27.35	--	29,27.35
बाहुशिल्प संस्थान (2667)	सामान्य	1,48,31.04	1,05,03.13	1,39,57.04	1,05,03.13	93,26.66	1,05,02.14
	अनुसूचित जाति	--	23,51.59	--	23,51.59	--	17,72.10
	जनजातीय	--	32,84.41	--	30,04.41	--	23,45.31
संविदा शिक्षकों को मानदेय (2669)	सामान्य	1,06,50.00	1,28,00.00	1,06,50.00	1,28,00.00	97,47.50	1,21,01.42
मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति (2676)	सामान्य	5,69,35.00	6,00,00.00	5,63,00.00	6,00,00.00	4,86,23.43	5,32,62.49
प्राथमिक विद्यालय (2773)	जनजातीय	14,57,62.50	11,31,61.75	14,27,17.13	12,11,81.25	14,34,25.33	12,09,33.95
नहर एवं संबंधित कार्य (2884)	सामान्य	14,86,59.86	17,02,30.00	14,46,70.46	17,99,61.00	14,01,19.80	17,87,16.21
	अनुसूचित जाति	2,60,02.00	1,00,00.00	2,65,02.00	1,00,00.00	2,66,29.24	1,05,96.60
माध्यमिक विद्यालय (3496)	जनजातीय	10,93,59.61	7,93,49.33	10,89,84.35	7,73,92.94	10,12,65.20	7,73,27.68
लघु एवं सूक्ष्मलघु सिंचाई योजना (3803)	सामान्य	6,54,18.10	6,04,00.05	6,54,18.10	6,54,55.05	6,10,89.76	6,44,40.43
सूक्ष्म सिंचाई योजना (3828)	जनजातीय	2,76,32.07	3,31,00.04	3,30,21.70	3,33,45.04	3,02,34.82	3,33,39.11
अनुसूचित जाति छात्रावास (4717)	अनुसूचित जाति	3,60,92.91	2,20,62.70	3,10,99.66	1,97,60.18	2,40,25.53	1,97,59.18
वृहद पुलों का निर्माण (4149)	सामान्य	1,28,00.01	2,50,00.03	1,68,00.01	2,46,21.57	2,22,06.21	2,14,78.29
	जनजातीय	--	1,00,00.01	--	84,87.82	--	36,29.23

परिशिष्ट V-ब – जारी
योजनाओं पर खर्च व राज्य योजनाएं

(₹ लाख में)

राज्य योजनाएं	सामान्य/आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाति उपयोजना	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
चिकित्सा महाविद्यालय (4968)	सामान्य	--	5,00.00	--	5,00.00	--	5,00.00
पशु औषधालय (5007)	सामान्य	--	91,59.00	--	82,52.87	--	82,52.87
	अनुसूचित जाति	--	26,46.89	--	19,92.90	--	19,92.90
	जनजातीय	--	30,05.60	--	25,06.60	--	25,06.60
लाइली लक्ष्मी योजना (5067)	सामान्य	5,87,41.33	6,27,22.59	5,16,69.74	6,17,04.50	5,16,69.74	6,17,04.50
	अनुसूचित जाति	--	1,34,62.20	--	1,32,63.27	--	1,32,53.30
	जनजातीय	2,30,29.69	2,10,78.10	2,05,29.78	1,91,59.12	2,05,02.18	1,91,34.79
ग्रामीणों के पुनर्वास हेतु क्षतिपूर्ति (5109)	सामान्य	--	38,00.00	--	37,99.98	--	37,99.98
	जनजातीय	--	70,34.00	--	70,34.00	--	70,34.00
जिले की मुख्य सड़कों का उन्नयन (5139)	सामान्य	2,28,00.00	2,80,00.00	2,23,00.00	2,59,67.42	2,25,19.65	1,55,82.74
ऑटो टेस्टिंग ट्रेक हेतु भूमि अधिग्रहण क्षतिपूर्ति (5380)	सामान्य	--	1,60,50.01	--	1,60,50.00	--	1,60,50.00
बड़े शहरों एवं संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा (5555)	सामान्य	1,47,42.01	1,08,00.00	1,27,48.62	1,29,90.72	1,27,47.42	1,29,90.71
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों को अतिरिक्त मानदेय (5643)	सामान्य	5,47,00.00	2,08,88.00	5,46,94.28	1,77,59.29	5,36,15.84	1,77,59.29
	अनुसूचित जाति	--	63,06.00	--	51,66.77	--	51,66.77
	जनजातीय	2,48,40.00	67,34.00	2,47,99.58	67,31.55	2,47,99.58	67,31.10
राज्य छात्रवृत्तियां (6175)	सामान्य	1,66,27.34	1,34,00.00	1,66,25.47	1,34,00.00	1,66,25.47	1,17,36.57
	जनजातीय	--	40,00.00	--	90,00.00	--	90,00.00
लघु एवं मध्यम नगरों हेतु अधोसंरचना विकास योजना (6221)	सामान्य	--	70,00.02	--	8,00.02	--	4,05.00
	अनुसूचित जाति	--	60,00.00	--	60,00.00	--	53,85.00
	जनजातीय	--	40,00.00	--	23,00.00	--	17,44.00
ग्रामीण क्षेत्रों के गौण खनिज से प्राप्त राजस्व का पंचायतों को अंतरण (6299)	सामान्य	2,79,97.53	2,14,47.65	3,51,05.27	2,14,47.65	1,53,34.20	1,96,12.76
	अनुसूचित जाति	--	54,47.00	--	54,47.00	--	54,38.92
	जनजातीय	93,32.62	71,49.00	1,12,03.62	71,49.00	50,17.21	71,26.03
शिक्षा का अधिकार (आर.टी.ई.) के अंतर्गत अशासकीय विद्यालयों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति (6484)	सामान्य	--	94,76.00	--	85,28.40	--	85,28.40
	अनुसूचित जाति	--	34,24.00	--	30,81.60	--	30,81.60
	जनजातीय	--	85,00.00	--	76,50.00	--	76,50.00
गणवेशों का मुफ्त प्रदाय (6716)	सामान्य	--	36,98.50	--	15,00.00	--	15,00.00
	अनुसूचित जाति	--	15,01.50	--	5,00.00	--	5,00.00
	जनजातीय	--	13,00.00	--	5,00.00	--	5,00.00
वार्षिक भत्ता (6738)	सामान्य	4,39,00.00	3,50,00.00	4,39,00.00	3,50,00.00	4,39,00.00	3,50,00.00
	अनुसूचित जाति	1,49,00.00	1,75,00.00	1,49,00.00	1,75,00.00	1,49,00.00	1,75,00.00
	जनजातीय	2,20,00.00	1,86,00.00	2,20,00.00	1,86,00.00	2,20,00.00	1,86,00.00

परिशिष्ट V-ब – जारी
योजनाओं पर खर्च व राज्य योजनाएं

(₹ लाख में)

राज्य योजनाएं	सामान्य/आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाति उपयोजना	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
साईकिलों का प्रदाय (6813)	सामान्य	1,12,00.00	1,43,65.00	1,32,00.00	1,04,45.00	1,32,00.00	1,04,45.00
	अनुसूचित जाति	--	37,00.00	--	25,66.81	--	25,66.81
	जनजातीय	--	52,00.00	--	34,40.00	--	34,39.97
म.प्र.सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण (6841)	सामान्य	2,00,00.00	3,46,00.00	2,00,00.00	3,46,00.00	2,06,38.74	3,46,00.00
	अनुसूचित जाति	--	94,00.00	--	94,00.00	--	94,00.00
	जनजातीय	--	1,28,03.00	--	1,28,03.00	--	1,28,03.00
उच्च विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन (6968)	सामान्य	--	38,55.92	--	27,74.92	--	26,56.15
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये विद्युतीकरण योजना (7211)	जनजातीय	--	90,00.00	--	59,36.00	--	50,35.78
मंत्रीमंडल का विस्तार (7218)	सामान्य	1,82,00.00	1,76,91.00	1,82,00.00	1,93,59.00	1,14,58.05	1,93,59.00
केन्द्रीकृत पुलिस कॉल सेन्टर एवं नियंत्रण कक्ष तंत्र (7346)	सामान्य	1,14,16.80	1,14,49.74	1,26,26.47	1,22,96.56	1,26,26.27	1,19,72.53
विद्यालयों में शौचालयों का निर्माण/मरम्मत (7592)	सामान्य	--	15,00.00	--	36.96	--	--
मूलभूत सेवाओं हेतु स्थानीय निकायों को एकमुश्त अनुदान (राज्य कर में अंश) (7668)	सामान्य	10,02,26.22	7,77,91.52	10,02,26.22	7,77,91.52	7,58,63.16	7,50,53.54
	जनजातीय	3,10,79.16	2,10,79.16	3,10,79.16	2,10,79.16	1,11,89.83	2,10,79.16
	अनुसूचित जाति	1,97,17.19	1,38,63.61	1,97,17.19	1,38,63.61	53,15.28	1,38,63.61
उद्योग निवेश उन्नति सहायता योजना (7880)	सामान्य	--	9,51.00	--	9,51.00	--	15,77.30
म.प्र.सदन विधानसभा क्षेत्र विकास योजना (8284)	सामान्य	2,75,65.00	3,52,90.42	2,72,05.50	3,52,90.42	2,52,25.32	2,59,23.40
	अनुसूचित जाति	--	76,68.71	--	76,68.71	--	60,53.69
	जनजातीय	--	95,71.85	--	95,71.85	--	84,91.23
राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (8768)	सामान्य	18,97,62.44	12,54,09.61	5,36,56.04	12,27,28.88	5,40,78.03	12,27,28.88
	अनुसूचित जाति	4,46,46.00	2,95,00.00	1,23,71.37	2,84,05.26	1,24,76.80	2,84,05.26
	जनजातीय	6,82,68.00	4,51,00.00	1,64,95.17	3,82,73.18	1,66,36.60	3,82,73.18
सामाजिक सुरक्षा और कल्याण (9142)	सामान्य	2,55,81.00	2,49,25.00	2,29,10.65	2,26,92.87	2,29,07.40	2,18,26.70
	अनुसूचित जाति	--	1,16,25.00	--	1,16,25.00	--	1,08,75.76
	जनजातीय	1,77,63.00	1,23,25.00	1,54,74.50	1,02,58.24	1,02,68.30	99,06.23
प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत निर्मित सड़कों का उन्नयन एवं नवीनीकरण (9216)	सामान्य	2,78,00.00	2,78,00.00	1,94,60.00	2,78,00.00	1,94,60.00	2,78,00.00
	अनुसूचित जाति	--	1,20,00.00	--	1,20,00.00	--	1,20,00.00
	जनजातीय	2,24,50.00	2,24,50.00	1,79,60.00	2,24,50.00	1,79,60.00	2,24,50.00
सहकारी बैंकों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज अनुदान (9254)	सामान्य	5,29,20.00	5,29,20.00	5,29,00.00	5,28,82.50	--	4,17,96.54
	अनुसूचित जाति	--	25,20.00	--	25,20.00	--	19,67.47
	जनजातीय	--	75,60.00	--	75,60.00	--	55,82.39
रखरखाव एवं मरम्मत – साधारण (0134)	सामान्य	6,03,52.72	5,29,45.57	5,59,52.26	4,99,51.80	5,18,15.55	5,28,61.02
	जनजातीय	1,80,47.27	1,83,15.19	1,59,49.54	1,46,31.62	1,02,70.40	1,37,24.22

परिशिष्ट V-ब – जारी
योजनाओं पर खर्च व राज्य योजनाएं

(₹ लाख में)

राज्य योजनाएं	सामान्य/आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाति उपयोजना	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
अन्य छोटे सिंचाई निर्माण कार्य (0207)	सामान्य	1,44,97.50	1,26,92.98	1,44,97.50	1,15,00.88	1,26,27.56	1,14,14.09
	अनुसूचित जाति	--	6,90.40	--	2,03.00	--	1,80.96
	जनजातीय	--	42,30.99	--	33,03.40	--	31,78.79
आयुर्वेदिक अस्पताल एवं औषधालय (0460)	सामान्य	1,15,14.86	1,06,56.12	1,03,82.15	1,03,86.12	1,03,23.46	1,02,92.59
	अनुसूचित जाति	--	42,62.43	--	42,62.43	--	40,12.12
	जनजातीय	--	63,93.65	--	63,93.65	--	59,91.65
राज्य जल आपूर्ति घरों की स्थापना एवं रखरखाव (0545)	सामान्य	2,20,61.93	2,13,38.83	1,63,52.42	1,91,02.33	1,63,46.91	1,79,69.37
अतिथि शिक्षकों हेतु मानदेय (0701)	सामान्य	1,42,00.00	3,20,00.00	1,27,55.19	1,34,66.43	1,28,98.98	1,36,38.93
बालिका शैक्षिक परिसर (0762)	जनजातीय	--	1,23,80.60	--	1,12,29.26	--	1,09,69.97
कला, विज्ञान एवं वाणिज्य महाविद्यालय (0798)	सामान्य	15,49,77.67	12,08,85.06	10,93,29.10	11,64,60.79	10,87,90.31	10,90,62.47
कार्यकारी योजना संगठन और कार्यकारी वन अंचलों की स्थापना (0812)	सामान्य	9,30,11.76	11,03,34.98	8,30,33.15	8,57,90.73	8,30,59.16	8,55,99.49
औद्योगिक केन्द्र विकास निगम की ओर से वर्ष 2016 में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास हेतु सहायता (0850)	सामान्य	--	1,00,00.00	--	1,00,00.00	--	99,01.10
ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं का रखरखाव (1194)	सामान्य	--	1,50,55.00	--	1,27,10.00	--	1,22,69.08
	अनुसूचित जाति	--	10,20.00	--	7,03.00	--	6,03.41
	जनजातीय	--	19,60.00	--	11,05.00	--	10,03.98
14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान (1221)	सामान्य	20,13,27.00	17,43,90.00	20,13,27.00	17,43,90.00	17,87,79.42	17,43,90.00
	अनुसूचित जाति	4,72,82.00	4,09,50.00	4,72,82.00	4,09,50.00	4,19,86.66	4,09,50.00
	जनजातीय	5,64,32.00	4,89,00.00	5,64,32.00	4,89,00.00	5,01,11.92	4,89,00.00
अलीराजपुर लिफ्ट सिंचाई योजना (1250)	जनजातीय	85,00.00	1,50,00.00	2,95,89.02	2,53,98.66	2,70,88.99	2,53,98.66
चैगांवमाखन लिफ्ट सिंचाई योजना (1407)	सामान्य	1,30,00.00	1,50,00.00	1,67,00.00	2,32,29.97	1,76,45.32	2,32,29.96
जिला/नागरिक अस्पताल एवं औषधालय (1473)	सामान्य	6,49,57.81	6,26,97.16	6,49,57.81	6,12,87.16	6,23,88.60	5,48,15.41
	अनुसूचित जाति	2,31,71.07	1,49,24.33	2,31,71.07	1,49,34.33	2,31,65.70	1,28,63.11
	जनजातीय	1,84,63.53	2,18,73.87	1,84,63.53	1,50,23.87	1,87,44.76	1,14,75.51
मुख्यमंत्री भावान्तर भुगतान योजना (1941)	सामान्य	6,00,00.00	40,00,00.00	1,89,10.10	17,38,32.83	1,89,09.90	17,38,32.84
ट्यूबवेल का रखरखाव (2219)	सामान्य	2,29,42.27	1,79,47.17	2,53,32.27	1,83,99.17	2,50,60.87	1,81,19.40
	जनजातीय	--	59,82.39	--	34,82.39	--	17,57.60
गांवों के लिए पाइप द्वारा जल की आपूर्ति (2580)	सामान्य	64,00.00	4,90,00.00	1,40,20.00	3,08,60.00	1,33,24.67	2,96,08.17
	अनुसूचित जाति	--	50,00.00	--	25,40.00	--	21,32.88
	जनजातीय	--	60,00.00	--	33,50.00	--	30,14.56
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और संचालन (2777)	सामान्य	4,93,21.94	5,13,58.54	4,93,21.94	5,17,56.69	4,19,90.98	4,46,01.91
	अनुसूचित जाति	2,01,02.63	1,20,89.65	2,01,02.63	1,22,90.30	2,01,08.61	1,15,02.58
राष्ट्रीय उद्यान (2899)	सामान्य	1,25,26.06	1,24,66.76	1,10,03.50	1,12,15.24	1,09,14.05	1,14,94.91

परिशिष्ट V-ब – जारी
योजनाओं पर खर्च व राज्य योजनाएं

(₹ लाख में)

राज्य योजनाएं	सामान्य/आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाति उपयोजना	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
महाविद्यालयों को राष्ट्रीय अनुदान (3444)	सामान्य	1,26,00.00	1,26,00.00	1,23,82.00	1,26,00.00	1,22,58.05	1,24,63.56
	अनुसूचित जाति	--	32,00.00	--	32,00.00	--	29,51.95
	जनजातीय	--	42,00.00	--	42,00.00	--	38,57.16
माध्यमिक विद्यालय (3491)	सामान्य	19,13,21.14	18,85,55.18	17,01,94.58	18,85,97.68	17,00,61.02	17,05,03.13
वन्य जीवन पर्यावरण का समन्वित विकास (3730)	सामान्य	--	57,19.51	--	23,75.12	--	52,58.18
	जनजातीय	--	2,38,80.49	--	2,15,32.59	--	1,80,95.40
मलेरिया (4245)	सामान्य	1,12,25.54	1,10,94.19	1,12,25.54	1,11,94.19	94,31.83	94,08.34
	अनुसूचित जाति	--	25,23.54	--	25,23.54	--	24,02.25
	जनजातीय	--	32,05.90	--	32,05.90	--	19,82.51
समस्या निवारण के लिए जल आपूर्ति योजना (4379)	सामान्य	88,00.00	70,80.00	1,06,00.00	2,07,34.00	95,75.39	1,98,64.93
	अनुसूचित जाति	--	22,80.00	--	22,80.00	--	21,11.00
	जनजातीय	--	26,40.00	--	26,40.00	--	25,61.57
सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना (4396)	सामान्य	30,89,60.44	27,05,12.03	28,17,79.97	27,04,37.53	28,15,98.10	24,74,42.15
अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी वसूली के विरुद्ध अनुदान (4610)	सामान्य	3,86,07.42	2,93,66.25	4,61,15.09	2,93,66.25	1,86,37.94	2,75,49.37
	अनुसूचित जाति	98,05.06	74,58.00	1,03,54.26	74,58.00	30,73.28	62,66.93
	जनजातीय	1,28,69.14	97,89.00	1,63,39.93	97,89.00	51,18.85	96,12.80
गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए अन्नपूर्णा योजना (5623)	सामान्य	2,52,00.00	2,40,00.00	2,04,25.91	2,18,00.00	2,04,25.91	2,18,00.00
	एस.सी.एस.पी.	--	1,10,00.00	--	1,00,00.00	--	1,00,00.00
	जनजातीय	1,57,50.00	1,50,00.00	1,27,66.20	1,38,00.00	1,27,66.20	1,36,85.09
1 प्वाइंट एवं 5 हॉर्स पावर कृषि पंप/शेसर कनेक्शन के खर्च के पुनर्भुगतान के लिए एम.पी.ई.बी. को राजसहायता का भुगतान (5855)	अनुसूचित जाति	21,87,11.00	20,38,11.00	14,62,11.00	14,09,72.00	14,62,45.57	13,86,06.40
	जनजातीय	14,54,74.00	13,58,74.00	17,24,74.00	19,86,84.15	17,24,74.00	18,68,02.00
मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क एवं अधोसंरचना योजना (6084)	अनुसूचित जाति	--	1,58,00.00	--	1,58,00.00	--	3,76.71
मुख्य जिला एवं अन्य सड़कों का पुनर्निर्माण (7081)	सामान्य	3,20,00.00	3,95,00.00	2,66,23.09	2,41,68.83	1,64,61.74	2,26,87.11
	जनजातीय	--	1,05,00.00	--	43,78.37	--	28,45.15
अन्य तथा मुख्य जिला रोड का नवीकरण, उन्नयन और बिटुमेनीसेशन (7215)	सामान्य	2,60,83.26	1,77,00.00	2,54,17.62	1,81,44.61	2,42,13.66	1,80,53.33
	अनुसूचित जाति	1,32,50.39	1,71,95.99	1,29,05.54	1,55,55.62	1,29,05.09	1,52,94.01
	जनजातीय	--	1,52,44.00	--	1,45,94.20	--	1,33,99.68
तीर्थयात्रा के लिए अनुदान (7227)	सामान्य	2,00,00.00	1,10,25.00	2,00,00.00	1,65,00.00	1,59,52.49	1,63,78.10
टैरिफ अनुदान (7313)	सामान्य	53,43,30.00	49,15,30.00	50,03,97.00	48,69,84.00	50,03,97.00	48,58,11.00
	अनुसूचित जाति	6,51,91.50	6,14,41.50	5,54,91.50	5,54,91.50	5,54,91.50	5,20,00.00
	जनजातीय	6,84,91.50	6,14,41.50	5,54,91.50	4,90,03.50	5,54,91.50	4,89,99.00
बहुउद्देश्यीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (8150)	सामान्य	1,34,78.86	1,31,50.96	1,34,78.86	1,53,50.96	1,21,43.70	1,35,18.03
	अनुसूचित जाति	--	31,99.01	--	41,49.01	--	33,97.35
	जनजातीय	--	37,38.00	--	37,38.00	--	32,66.41

परिशिष्ट V-ब – जारी
योजनाओं पर खर्च व राज्य योजनाएं

(₹ लाख में)

राज्य योजनाएं	सामान्य / आदिवासी उपयोजना / अनुसूचित जाति उपयोजना	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
अध्यापक संवर्ग के वेतन के लिए अनुदान (8403)	सामान्य	65,71,18.21	44,80,00.00	57,85,72.24	47,30,00.00	57,68,22.10	46,86,40.08
	अनुसूचित जाति	14,99,50.39	13,70,00.00	13,49,11.63	13,70,00.00	13,50,01.53	14,07,83.53
	जनजातीय	15,29,31.41	11,50,00.00	13,73,76.69	11,50,00.00	13,94,02.95	11,49,66.21
ग्रामीण एवं शहरी बोर्डों के प्राथमिक शिक्षा हेतु अनुदान (9416)	जनजातीय	8,10,00.00	7,91,85.55	8,08,69.19	9,30,78.55	8,09,61.23	9,26,05.96
उज्जैनी देवास उज्जैन पाईप लाईन योजना (0651)	अनुसूचित जाति	45,00.00	--	1,19,96.08	--	1,10,24.62	--
मुख्यमंत्री स्थाई कृषि पंप कनेक्शन योजना (0663)	सामान्य	3,33,91.00	--	3,30,00.00	--	3,30,00.00	--
	अनुसूचित जाति	1,40,00.00	--	1,26,91.00	--	1,26,91.00	--
	जनजातीय	1,80,00.00	--	1,33,82.00	--	1,33,82.00	--
उदय योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुदान / शेयर पूंजी (0688)	सामान्य	56,27,00.00	--	46,22,00.00	--	--	--
डिपार्टमेंटर स्टोर से प्राप्तियां (1004)	सामान्य	90,00.00	--	1,34,91.51	--	1,04,72.27	--
मेधावी छात्रों को लैपटॉप की आपूर्ति (1265)	सामान्य	41,00.00	--	1,45,60.15	--	1,45,60.15	--
वरिष्ठ छात्रावास (1398)	अनुसूचित जाति	1,38,03.25	--	1,10,68.30	--	1,03,27.23	--
	जनजातीय	3,06,29.41	--	2,66,98.17	--	2,46,88.44	--
काली सिंध लिंक परियोजना (1406)	सामान्य	2,65,00.00	--	1,95,87.82	--	1,70,87.82	--
बिस्टन लिफ्ट सिंचाई परियोजना (1408)	सामान्य	85,00.00	--	1,84,48.67	--	1,74,48.67	--
नर्मदा (आई.एस.पी.) पार्वती लिंक परियोजना (1953)	सामान्य	3,00,00.00	--	2,61,89.98	--	2,61,89.98	--
निवेश प्रोत्साहन योजना (2123)	सामान्य	6,87,00.00	--	6,84,35.00	--	5,14,57.50	--
एम.एस.एम.ई.प्रोत्साहन बिजनेस निवेश सुविधा आपूर्ति योजना (2124)	सामान्य	1,69,84.01	--	1,71,58.21	--	1,69,57.32	--
पी.वी.टी.जी.खाद्य अनुदान योजना (2326)	जनजातीय	3,00,00.00	--	3,00,00.00	--	2,19,76.52	--
नर्मदा-चिपरा लिंक बहुउद्देशीय परियोजना (2334)	सामान्य	2,85,00.00	--	1,14,98.65	--	1,04,98.65	--
मुख्यमंत्री ऋण समाशोधन योजना (2341)	सामान्य	3,00,00.00	--	3,00,00.00	--	3,00,00.00	--
कृषक समृद्धि योजना (2343)	सामान्य	20,22,12.00	--	23,68,37.07	--	23,70,41.31	--
	अनुसूचित जाति	6,85,09.50	--	8,32,28.00	--	8,33,28.18	--
	जनजातीय	10,42,78.50	--	11,72,75.62	--	11,73,75.24	--
मुख्यमंत्री कल्याण (संबल) योजना (2365)	सामान्य	8,00,00.00	--	7,99,99.37	--	7,74,95.17	--
मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता (2366)	सामान्य	3,60,00.00	--	3,60,00.00	--	1,38,24.00	--
	जनजातीय	1,44,00.00	--	1,44,00.00	--	45,36.00	--
कृषक विकास परियोजना (2378)	सामान्य	4,84,40.00	--	8,56,48.00	--	8,55,01.43	--
बैराज और कैनल (2894)	सामान्य	1,42,97.13	--	1,52,70.13	--	1,24,51.35	--
बाँध और संबंधित कार्य (2897)	सामान्य	4,87,06.51	--	7,29,40.08	--	7,07,86.03	--
	जनजातीय	3,02,34.10	--	2,43,85.17	--	2,42,62.28	--
म.प्र.पुलिस आवास मंडल द्वारा आवासीय गृहों का निर्माण (3059)	सामान्य	2,40,62.00	--	1,38,27.90	--	1,38,27.90	--
एम.पी.राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक द्वारा मंगाई गई डिबेंचर की खरीद (3242)	सामान्य	1,06,43.00	--	1,06,42.12	--	1,06,42.12	--

**परिशिष्ट V-ब – समाप्त
योजनाओं पर खर्च व राज्य योजनाएं**

(₹ लाख में)

राज्य योजनाएं	सामान्य/आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित जाति उपयोजना	योजनागत परिव्यय		बजट आवंटन		व्यय	
		2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18
जलमग्न क्षेत्र और सरदार सरोवर में भूमि अधिग्रहण और अन्य कार्यों के लिए व्यय (4406)	सामान्य	1,74,26.78	--	3,46,51.99	--	3,38,91.10	--
सशक्तीकरण (4557)	सामान्य	4,28,00.00	--	3,40,88.65	--	2,27,02.21	--
अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजाति कॉलोनियों का विकास (4722)	जनजातीय	1,65,00.00	--	1,32,62.30	--	1,32,62.30	--
हाईस्कूल (5216)	जनजातीय	1,16,10.05	--	1,13,25.74	--	1,06,37.93	--
उदय योजना के अन्तर्गत वितरण कम्पनियों का 5 प्रतिशत की हानि का अधिग्रहण (5309)	सामान्य	2,54,19.00	--	2,54,18.39	--	2,53,21.25	--
सहकारी बैंकों की शेयर पूंजी (5318)	सामान्य	10,00,00.00	--	10,00,00.00	--	10,00,00.00	--
मुख्यमंत्री फसल ऋण माफी योजना (5319)	सामान्य	50,00,00.00	--	25,32,29.51	--	25,32,29.51	--
भावांतर/फ्लैट रेंट योजना (5321)	सामान्य	15,00,00.00	--	1,01,87.56	--	1,01,87.56	--
मुख्यमंत्री आवास योजना (6255)	सामान्य	1,50,00.00	--	1,50,00.00	--	1,50,00.00	--
	अनुसूचित जाति	2,17,00.00	--	2,17,00.00	--	2,17,00.00	--
दो बार 660 मेगावाट श्री सिंघाजी थर्मल पावर परियोजना (6323)	सामान्य	3,10,00.00	--	1,40,00.00	--	59,28.27	--
व्यवसायिक प्रशिक्षण का सशक्तीकरण तथा विस्तार (6477)	सामान्य	97,30.82	--	1,01,34.92	--	74,82.38	--
सुधार, सुदृढीकरण और पुनःस्थापना (6596)	सामान्य	1,37,13.00	--	1,54,96.88	--	1,50,24.20	--
भू अधिग्रहण सर्वेक्षण तथा सीमांकन सेवा प्रभार (6749)	सामान्य	2,32,50.01	--	2,65,50.00	--	35,50.00	--
शासकीय स्कूली भवनों का निर्माण तथा विस्तार (6970)	सामान्य	2,55,76.00	--	1,16,11.62	--	1,11,68.79	--
मानदेय के आधार पर कॉलेज में रिक्त पदों को भरने के लिए जन भागीदारी समिति को अनुदान (7043)	सामान्य	49,75.00	--	1,07,75.00	--	1,03,12.41	--
मेडिकल कॉलेज, भोपाल में 02 हजार बिस्तरों वाले सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का निर्माण (7296)	सामान्य	80,05.00	--	1,77,88.67	--	1,52,88.17	--
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना (7589)	सामान्य	1,07,00.00	--	1,01,24.67	--	1,01,23.89	--
औद्योगिक अवसंरचना विकास (7879)	सामान्य	2,00,00.00	--	2,00,00.00	--	2,00,00.00	--
कार्य योजना का कार्यान्वयन संरक्षण समूह (7882)	सामान्य	1,28,75.00	--	1,25,51.30	--	1,24,75.37	--
	जनजातीय	1,41,00.00	--	1,39,91.10	--	1,38,17.44	--
रतलाम/दतिया/शिवपुरी/छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज (9080)	सामान्य	1,69,46.00	--	1,27,91.81	--	62,70.98	--
ग्रामीण तथा शहरी निकायों को उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए अनुदान (9417)	जनजातीय	1,10,00.00	--	1,09,15.60	--	1,09,15.59	--
अशासकीय स्कूलों को अनुदान (9949)	सामान्य	3,55,00.00	--	2,74,66.30	--	2,74,38.66	--
योग		8,65,28,38.83	5,96,85,48.83	7,67,14,63.14	5,60,16,99.73	6,73,48,88.08	5,43,65,76.34

टीप :- ₹ 100 करोड़ एवं इससे अधिक बजट आवंटन वाली योजनाएं इस परिशिष्ट में शामिल की गई हैं।

परिशिष्ट – VI
राज्य में क्रियान्वयन संस्थाओं को केन्द्रीय योजना निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट के बाहर)
(अलेखापरीक्षित राशियां)

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजना नाम तथा केन्द्र तथा राज्य के मध्य निधियों के अंशों का प्रतिशत-90:10,60:40 इत्यादि	क्रियान्वित करने वाली संस्था का नाम	सामान्य, आदिवासी उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति उप-योजना	भारत सरकार द्वारा विमुक्त		
			2018-19	2017-18	2016-17
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ	जिला कलेक्टर, जिला मजिस्ट्रेट, विभिन्न जिलों के डी.डब्ल्यू.ई.ओ.		9,55.93	1,01.29	--
स्थानीय सांसद क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.एस.)	जिला कलेक्टर (सभी जिले)		2,15,00.00	1,92,50.00	2,22,50.00
राष्ट्रीय हैण्डलूम विकास कार्यक्रम	हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड		34.87	1,98.00	--
भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसी		7,91,76.55	8,76,95.88	--
राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजी उत्पाद	जल संसाधन विभाग		--	3,00.00	--
खाद्य प्रक्रिया पर राष्ट्रीय मिशन	ब्रिज डेयरी एवं ब्रेवज		--	14.95	--
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	मध्यप्रदेश राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड (एम.पी.सी.डी.एफ.)		--	3,58.83	--
आयातित पी. एण्ड के. फर्टिलाइजर्स हेतु भुगतान	खेतान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (के.सी.एफ.एल.)		10,39.88	10.52	--
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.एच.डब्ल्यू. विनिर्माण का उन्नयन (एम.एस.आई.पी.एस., ई.डी.एफ एवं विनिर्माण समूह)	जबलपुर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पार्क लिमिटेड, मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.एस.ई.डी.सी.) भोपाल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण पार्क लिमिटेड		5,32.78	6,54.10	--
पेट्रो केमिकल का उन्नयन	मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड		80.00	6,69.00	16,39.00
अनुसंधान एवं विकास, संरक्षण और विकास	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, म.प्र. (आई.जी.एन.टी.यू.)		--	7.73	--
कला संस्कृति विकास योजना	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		--	3,57.45	--
खेलो इंडिया	मध्यप्रदेश खेल प्राधिकरण (एम.पी.एस.ए.)		--	10,50.00	--
सी.आर.एफ.से प्राप्त वित्त से राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव	कुमार कंस्ट्रक्शन कम्पनी		--	61.65	--
जनशक्ति विकास	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (आई.जी.एन.टी.यू.ए.)		--	20.80	--
बाजार अनुसंधान	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.टी.डी.सी.एल.)		--	23.50	--
विपणन विकास सहायता	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		25.32	25.65	--
विपणन समर्थन एवं सेवाएं	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		--	67.79	--
मीडिया और प्रकाशन	पंचायत राज संचालनालय, भोपाल – पी.आर.एस.भोपाल		4,00.00	50.95	--
राष्ट्रीय एड्स एवं एस.टी.डी. नियंत्रण कार्यक्रम	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति		--	37,03.09	39,14.00

परिशिष्ट VI – जारी

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजना	क्रियान्वित करने वाली संस्था का नाम	सामान्य, आदिवासी उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति उप-योजना	भारत सरकार द्वारा विमुक्त		
			2018-19	2017-18	2016-17
नाम तथा केन्द्र तथा राज्य के मध्य निधियों के अंशों का प्रतिशत-90:10,60:40 इत्यादि					
स्वदेशी पी.एण्ड के. फर्टिलाइजर्स के लिए भुगतान (9745)	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		2,76,42.79	2,58,00.63	--
राष्ट्रीय कैरियर सेवा	मध्यप्रदेश सरकार		--	1,14.80	--
मानव संसाधन विकास हस्तशिल्प	अनुसंधान एवं औद्योगिक स्टाफ, प्रदर्शन केन्द्र, भोपाल (सी.आर.आई.एस.पी.) और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियां		9.98	60.32	--
पंचायत की संवेदना	पंचायती राज संचनालय, भोपाल		2,53.00	2,47.54	--
औद्योगिक आधारभूत संरचना उन्नयन योजना	जबलपुर वस्त्र तथा फैशन डिजाइन संघ समिति		7,82.64	6,67.00	--
सूचना एवं सामूहिक शिक्षा सेल	लायन्स क्लब अंतर्राष्ट्रीय और विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		1.00	6.16	--
अधोसंरचना का विकास और क्षमता निर्माण	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		4,51.84	11,54.35	--
पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण (3113)	पर्यावरण योजना और समन्वय संगठन (ई.पी.सी.ओ.)		7,27.76	6,66.82	--
वानिकी प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण (0270)	राज्य वन विकास एजेंसी मध्यप्रदेश (एस.एफ.डी.ए.एम.पी.)		--	19.03	--
सामूहिक बीमा योजना (1877)	वस्त्र आयुक्त इंदौर का क्षेत्रीय कार्यालय (आर.ओ.इन्दौर)		--	0.51	--
वर्कशेड समूह योजना (1871)	जिक्रा वस्त्र प्राइवेट लिमिटेड (एम.पी.बी.यू.00001368)		--	27.64	--
राष्ट्रीय गोकुल मिशन (3033)	मध्यप्रदेश राज्य पशुधन और कुक्कुट विकास निगम (एम. पी.एल.पी.डी.)		28,52.32	16,18.48	--
प्लेन पावरलूम सेतु उन्नयन हेतु योजना (9099)	जिला व्यापार और उद्योग केन्द्र, जबलपुर (डी.टी.आई.)		--	0.62	--
अल्कोहलिज्म और सब्सटेंस (ड्रग्स) के दुरुपयोग की रोकथाम के लिए योजना	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		--	1,58.95	--
कोयला बियरिंग एरिया अधिग्रहण (सी.बी.ए.) निधि से योजना शुल्क (9799)	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		--	6.02	--
उत्तर पूर्व परिषद की योजनाएं – विशेष विकास परियोजना (0248)	अरुशी न्यूज नेटवर्क (ए.एन.एन.)		--	1.30	--
सीखो और कमाओ – कौशल विकास उपक्रम (9257)	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		--	23,63.10	--
क्षमता निर्माण – पंचायत सशक्तिकरण अभियान (पी.एस.ए.) (9279)	महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, आधारतल, जबलपुर		--	30,30.18	55,45.07
जलीय परितंत्र का संरक्षण (3095)	मध्यप्रदेश सरकार		--	3,47.40	--
अधोसंरचना का विकास	मध्यप्रदेश सरकार		--	10,50.00	--
दीनदयाल अक्षम पुनर्वास योजना (0971)	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		19.55	1,48.03	--
जैविक ऊर्जा – ऑफग्रीड	श्री दयोदय ऊर्जा एवं जैविक खाद प्राइवेट लिमिटेड		--	50.50	--
	मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड, भोपाल				

परिशिष्ट VI – जारी

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजना नाम तथा केन्द्र तथा राज्य के मध्य निधियों के अंशों का प्रतिशत-90:10,60:40 इत्यादि	क्रियान्वित करने वाली संस्था का नाम	सामान्य, आदिवासी उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति उप-योजना	भारत सरकार द्वारा विमुक्त		
			2018-19	2017-18	2016-17
बायोगैस कार्यक्रम – ऑफग्रीड	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड		4,61.29	8,35.25	--
सौर ऊर्जा ग्रीड इंटरैक्टिव	मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड (एम.पी.एम.के.व्ही.व्ही.सी.एल.)		--	3,13.56	--
सौर ऊर्जा – ऑफग्रीड	मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास लिमिटेड, भोपाल (एम.पी.यू. व्ही.एन. एल.)		28,46.51	69,16.55	--
पी.डी.एस. के तहत चीनी सब्सिडी भुगतान (3043)	मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड		--	4,07.07	--
गैस आधारित बिजली की खरीद हेतु डिस्कॉम को समर्थन (9790)	पश्चिम मध्य रेलवे (डब्ल्यू.सी.आर.)		--	55,74.94	--
स्वच्छ भारत मिशन (एस.बी.एम.) शहरी	मध्यप्रदेश सरकार		--	2,93,86.84	--
व्यवहार्यता गैप फंडिंग (0276)	खण्डवा एग्रो पाथवे प्राईवेट लिमिटेड (एम.पी.के.डी.बी.) महू एग्रो पाथवे प्राईवेट लिमिटेड		1,71.00	5,92.00	--
मतदाता शिक्षा (2330)	मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्यप्रदेश का कार्यालय		--	1,73.87	--
सड़क विंग के अंतर्गत कार्य (0833)	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियां		8,27,72.73	3,47,71.15	--
यूथ हॉस्टल	मनोज कुमार खरे		--	1.26	--
योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (स्पा) को सहायता	योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (स्पा) भोपाल		--	--	--
राज्य होटल प्रबंधन संस्थान एवं राज्य खाद्य शिल्प संस्थान इत्यादि को सहायता	खाद्य शिल्प संस्थान		--	--	20.00
	राज्य होटल प्रबंधन, खान-पान तकनीकी एवं प्रायोगिक पोषण, म.प्र.		--	--	--
	मध्यप्रदेश – भारतीय खाद्य निगम समिति (रीवा)		--	--	1,00.00
सभी ग्रामों के लिए ग्रामीण प्रयोग के लिए नवीकरणीय ऊर्जा	मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम मर्यादित		--	--	--
भारतीय भाषाओं के उन्नयन के लिये अनुदान-महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन केन्द्रीय संस्थान	महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन		--	--	25,65.79
राष्ट्रीय चिकित्सीय पौध मंडल	मध्यप्रदेश राज्य लघु वन उत्पाद (टी एंड डी) सहकारी समिति		--	--	--
ऑफ ग्रीड वितरित संसाधन योजनाएं (डी.आर.पी.)	मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम मर्यादित, भोपाल		--	--	1,04.90
स्वदेशी प्रजाति	मध्यप्रदेश पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम		--	--	5,00.00
सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में निवेश	नेपा मर्यादित		--	--	--
केन्द्रीय रोड फण्ड (सी.आर.एफ.) से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम मर्यादित		--	--	4,84.66
	एल.ए.सोहागपुर के सक्षम प्राधिकारी, जिला शहडोल और परियोजना प्रबन्धक एम.पी.आर.डी.सी. मर्यादित		--	--	15,41.08

परिशिष्ट VI – जारी

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजना नाम तथा केन्द्र तथा राज्य के मध्य निधियों के अंशों का प्रतिशत-90:10,60:40 इत्यादि	क्रियान्वित करने वाली संस्था का नाम	सामान्य, आदिवासी उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति उप-योजना	भारत सरकार द्वारा विमुक्त		
			2018-19	2017-18	2016-17
स्वदेश दर्शन – कथानक आधारित पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम, मर्यादित		1,37,80.29	--	58,42.29
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (मनरेगा) सी.एस.	मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारण्टी भोपाल		--	--	6,77,96.73
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन सी.एस.	मध्यप्रदेश राज्य आजीविका मंत्र (एम.पी.आर.ए. एफ.)		--	--	7,58.69
राष्ट्रीय सेवा योजना एन.एस.एस. सी.एस.	मध्यप्रदेश राज्य एन.एस.एस. सेल		5,47.56	--	5,27.65
निर्भरता योजना डब्ल्यू.सी.डी.	विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाएं		--	--	7,73.48
ऑफ ग्रिड/विकेन्द्रीयकृत एवं वितरित नवीकरणीय ऊर्जा	विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाएं		--	--	6,35.60
भारतीय भाषाओं का उन्नयन	महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी		--	--	25,65.79
प्रधानमंत्री काशल विकास योजना	मध्यप्रदेश व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद		--	--	5,84.89
शहरी परिवहन में परिवहन योजना और क्षमता निर्माण	मध्य प्रदेश मट्रो रेल कम्पनी लिमिटेड		1,36.49	--	--
स्वदेश दर्शन – कथानक आधारित पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन निगम, मर्यादित		--	--	58,42.39
भारत में हाईब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन को तेजी से अपनाने और विनिर्माण के लिए योजना	अटल इन्दौर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड		4,49.40	--	--
राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम	अध्यक्ष, एम.जी.एम. मेडिकल कॉलेज, इन्दौर		69.00	--	--
विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण	विभिन्न क्रियान्वयन एजेंसी		74.04	--	--
आकांक्षा (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता का प्रचार)	मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड		50.00	--	--
वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान मॉडलिंग प्रणालियों और सेवाओं का अवलोकन (अक्रांस)	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (आर.वी.एस.के.वी.वी.)		33.24	--	--
जैव विविधता संरक्षण	पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन		28.19	--	--
सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण	म.प्र.राज्य पर्यटन विकास लिमिटेड, म.प्र. आतिथ्य यात्रा और पर्यटन अध्ययन संस्थान		11.79	--	--
जलवायु परिवर्तन की कार्य योजना	पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन		4,54.00	--	--
डिजाइन और तकनीकी उन्नयन योजना	अनुसंधान और औद्योगिक कर्मचारियों के प्रदर्शन के लिए केन्द्र, भोपाल		7.43	--	--
घरेलू संवर्धन और प्रचार जिसमें बाजार विकास सहायता भी शामिल है	मध्यप्रदेश पर्यटन मंडल		50.00	--	--

परिशिष्ट VI – समाप्त

(₹ लाख में)

भारत सरकार की योजना नाम तथा केन्द्र तथा राज्य के मध्य निधियों के अंशों का प्रतिशत-90:10,60:40 इत्यादि	क्रियान्वित करने वाली संस्था का नाम	सामान्य, आदिवासी उप-योजना अथवा अनुसूचित जाति उप-योजना	भारत सरकार द्वारा विमुक्त		
			2018-19	2017-18	2016-17
हरित ऊर्जा कोरिडोर – ग्रिड इंटरैक्टिव	म.प्र.विद्युत संचारण कंपनी लिमिटेड		71,63.18	--	--
नवाचार, तकनीकी विकास और परिनियोजन	राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (आर.वी.एस.के. वी.वी.)		10.00	--	--
अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की उच्चशिक्षा के लिए 41वीं राष्ट्रीय फेलोशिप और छात्रवृत्ति	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल (एन.एल.आई.यू.बी.)		3.54	--	--
कृषि जनगणना और सांख्यिकी पर एकीकृत योजना	राजामाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (आर.व्ही.एस. के.व्ही.व्ही.)		6.70	--	--
उद्यानिकी पर राष्ट्रीय मिशन	मिशन निदेशक, राज्य उद्यानिकी मिशन, भोपाल		21.18	--	--
तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक आवर्धन ड्राईव (प्रसाद)	म.प्र.राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (एम.पी.टी.डी.सी.एल.)		10,62.75	--	--
बीज और रोपण सामग्री पर उप-मिशन	मध्यप्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम		55.90	--	--
अनुसूचित जातियों के लिए उच्चवर्गीय शिक्षा	राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल (एन.एस.आई.यू.बी.)		3.51	--	--
जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		24.13	--	--
पेट्रोकेमिकल का प्रचार	मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड		80.00	--	--
वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी, जबलपुर (आई.आर.सी.एस. जबलपुर)		11.45	--	--
प्रधानमंत्री मातृ वंदना	समेकित बाल विकास सेवाओं का निदेशालय, म.प्र.(डब्ल्यू.सी.डी. म.प्र.)		87,87.94	--	--
संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		76.45	--	--
प्रशिक्षण योजना	प्रशासन एवं प्रबन्धन के लिए आर.सी.वी.पी. नोरोन्हा अकादमी, मध्यप्रदेश (ए.टी.आई. भोपाल)		2,18.58	--	--
निःशक्तजन के लिए योजना	विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसी		1,04.86	--	--
		योग	25,60,59.34	23,11,33.05	12,39,92.01

स्रोत – डाटा महालेखा-नियंत्रक के लोक वित्त प्रबंधक प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) पोर्टल से लिया गया है।

परिशिष्ट VII
शेषां की स्वीकृति एवं पुनर्मिलान

(₹ लाख में)

लेखाशीर्ष	स्वीकृतियों की संख्या प्रतीक्षित	जिस वर्ष से स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित हैं	प्रारंभिक वर्ष से 31 मार्च, 2019 तक बकाया राशि
च – कर्ज और अग्रिम—			
6515—अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये ऋण			
(i) वित्तीय सामुदायिक विकास परियोजनाओं के लिये ऋण	30	1956-57	39.49
(ii) राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजना के लिये ऋण	38	1957-58	4.67
		योग	44.16
ट – जमा एवं अग्रिम			
(ख) – बिना ब्याज वाली जमा			
8443 – सिविल जमा			
101 – राजस्व जमा	70	*	51,55.70
103 – प्रतिभूति जमा	166	*	6,97.71
104 – सिविल न्यायालय जमा	412	*	47,50.46
106 – व्यक्तिगत जमा	185	*	(-) 7,69,00.32
108 – लोक निर्माण कार्य जमा		*	(-) 2,63,33.71
116 – विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों के अधीन जमा	236	*	1,72.57
123 – शैक्षणिक संस्थाओं की जमा	56	*	19,94.93
800 – अन्य जमा	455	*	(-) 6,46,35.00
		योग	(-) 15,50,97.66

* प्रारंभिक वर्ष, जिससे स्वीकृतियाँ प्रतीक्षित हैं, से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट VIII
सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम
सिंचाई निर्माण कार्यों के वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अन्त तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान राजस्व का छोड़ना/ राजस्व की छूट	वर्ष के दौरान कुल राजस्व	वर्ष के दौरान कार्य चालन व्यय और रखरखाव प्रभार			ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व			ब्याज के मिलने के बाद निवल लाभ अथवा हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व (लोक निर्माण कार्य प्राप्तियाँ)	अप्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	व्यय के ऊपर राजस्व अधिशेष (+) अथवा राजस्व के ऊपर खर्च की अधिकता (-)	वर्ष के अन्त में पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	पूँजीगत परिव्यय पर ब्याज	व्यय के ऊपर राजस्व अधिशेष अथवा राजस्व के ऊपर खर्च की अधिकता	वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत ता
1.	23-4702-00-800-3828-64-102-V-002 (जनजाति योजना)	850.67	--	850.67	2697.73	--	2697.73	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2.	23-2701-80-800-0101-6360-42-007	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4.42	--	4.42	--	--	--	--	--
3.	45-4702-00-101-3803-64-0101-V-001 (गैर आदिवासी योजना)	2336.38	--	2336.38	16702.59	--	16702.59	--	--	--	--	--	64.13	--	64.13	--	--	--	--	--
4.	45-2702-80-800-0101-0207-V-33-001 (लघु/ गौण रख रखाव)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	27.96	--	27.96	--	--	--	--	--
5.	0702-00-800-0000-0945-00-000 (लघु सिंचाई राजस्व)	--	--	--	--	--	--	29.85	--	29.85	29.85	29.85	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

परिशिष्ट VIII – जारी

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना का नाम	वर्ष के दौरान पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के अन्त तक पूंजीगत परिव्यय			वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ			वर्ष के दौरान राजस्व का छोड़ना/ राजस्व की छूट	वर्ष के दौरान कुल राजस्व	वर्ष के दौरान कार्य चालन व्यय और रखरखाव प्रभार			ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व			ब्याज के मिलने के बाद निवल लाभ अथवा हानि	
		प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	प्रत्यक्ष राजस्व (लोक निर्माण कार्य प्राप्तियाँ)	अप्रत्यक्ष प्राप्तियाँ	योग			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष	योग	व्यय के ऊपर राजस्व अधिशेष (+) अथवा राजस्व के ऊपर खर्च की अधिकता (-)	वर्ष के अन्त में पूंजीगत परिव्यय पर प्रतिशत दर	पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	व्यय के ऊपर राजस्व अधिशेष अथवा राजस्व के ऊपर खर्च की अधिकता	वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशतता
26.	सारसडोली जलाशय	987.16	--	987.16	2958.83	--	2958.83	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
27.	रनगाँव जलाशय	63.99	--	63.99	392.15	--	392.15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
28.	चिताखुदारी मध्यम परियोजना	399.81	--	399.81	399.81	4385.67	4785.48	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
29.	हिरण मध्यम सिंचाई परियोजना	398.88	--	398.88	398.88	813.35	1212.23	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
30.	दरगाह जलाशय	158.49	--	158.49	158.49	2614.19	2772.68	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
31.	घुघारा जलाशय	32.96	--	32.96	32.96	248.42	281.38	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
32.	आलोड जलाशय	45.76	--	45.76	45.76	1127.64	1173.40	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

सिंचाई विभाग के प्रशासनिक लेखों को उत्पादक या अनुत्पादक के अंतर्गत श्रेणीबद्ध करने का आधार यह है, कि निर्माण प्राक्कलनों की समाप्ति की तारीख से दस वर्ष बाद प्रत्येक निर्माण कार्य से प्राप्त होने वाला निवल राजस्व (कुल राजस्व में से कार्यपालन व्यय काटकर) निवेशित पूंजी पर निर्धारित वार्षिक ब्याज प्रभारों को पूरा करता है या नहीं।

चूंकि पूंजी और राजस्व लेख तैयार करने के लिये पूरी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई इसलिये 1959-60 तथा उसके बाद के लेख अभी तक तैयार नहीं किये जा सके। नवम्बर 1963 में लेखा परीक्षा ने राज्य सरकार को निम्नलिखित सुझाव दिए :-

- छोटे निर्माण कार्यों (₹ 15 लाख तक की लागत वाले) के प्रोफार्मा लेख तैयार करने की आवश्यकता नहीं है;
- मध्यम निर्माण कार्यों (₹ 15 लाख और ₹ 5 करोड़ के बीच की लागत वाले) के लेख पांच वर्ष में एक बार तैयार किए जाएं; और
- बड़े निर्माण कार्यों (₹ 5 करोड़ से अधिक की लागत वाले) के लेख प्रति वर्ष तैयार किए जाएं।

परिशिष्ट VIII – समाप्त

सरकार ने इन सुझावों को जून 1969 में स्वीकार कर लिया था। जबकि उन परियोजनाओं के निर्माण कार्य जिनके प्रशासकीय लेखे तैयार किए जाना आवश्यक है, की सूची प्रमुख अभियंता द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है और न ही अगस्त 1971 में लेखा परीक्षा द्वारा सुझाई गई प्रयोजनात्मक सूची की राज्य सरकार द्वारा अभी तक पुष्टि की गई है। प्रत्येक परियोजनाओं/निर्माण कार्यों से संबंधित विवरण, जैसे परियोजनाओं/निर्माण कार्यों को पूर्ण करने की तिथि, सिंचाई हेतु पानी देने की तिथि, सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता, उगाहा गया, परित्यक्त या छूट में दिया गया राजस्व आदि के विवरण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं, और कई मामलों में पूंजीगत परिव्यय के दर्शाये गए आंकड़े, लेखा आंकड़ों से भी नहीं मिलते हैं। जल संसाधन विभाग के प्रमुख अभियंता और सरकार से मामले पर आग्रह करते रहने के बावजूद प्रशासकीय लेखे तैयार करने के लिये संपूर्ण आंकड़े विभाग से अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं (जून 2018)।

विद्युत योजनाओं के वित्तीय परिणाम

(₹ लाख में)

स. क्र.	परि- योजनाओं के नाम	प्रत्यक्ष पूंजीगत परिव्यय		वर्ष के दौरान सकल राजस्व	कार्यचालन खर्च			ब्याज को छोड़कर निवल राजस्व		पूंजीगत परिव्यय पर ब्याज	ब्याज के बाद निवल लाभ या हानि	
		वर्ष के दौरान	वर्ष के अन्त में		मूल्य ह्रास	प्रत्यक्ष कार्य चालन खर्च	कुल कार्य चालन खर्च	व्यय से राजस्व का अधिक (+) या राजस्व से अधिक व्यय (-)	वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत		व्यय से अधिक राजस्व (+) या राजस्व से अधिक व्यय (-)	वर्ष के अंत में पूंजीगत परिव्यय पर दर प्रतिशत
राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार सरकार के सीधे नियंत्रण में कोई भी विभागीय विद्युत परियोजना नहीं चलाई जा रही है।												

परिशिष्ट – IX
सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तारीख	प्रारंभ होने का वर्ष	पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में) ^(क)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, अगर कोई हो/पुनरीक्षण की तारीख	लागत में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
लोक निर्माण विभाग										
1.	100 बिस्तरों के सरकारी अस्पताल के भवन के उन्नयन से संबंधित निर्माण कार्य, बड़नगर, जिला उज्जैन	11,50.00/ 17.07.12	2015	2017	31.5%	--	3,62.28	--	--	--
2.	ट्रॉमा इकाई, नवजात इकाई, मातृत्व विंग माइक्रोबायोलॉजी, का निर्माण सीधी	5,97.57/ 21.03.13	2015	2016	24.64%	--	1,47.26	--	--	--
3.	बालिका छात्रावास, गरोठ, मंदसौर	1,37.00/ 05.09.13	2016	2017	99.41%	9.20	1,36.19	--	--	--
4.	बालिका छात्रावास, बलदेवगढ़, टीकमगढ़	1,37.00/ 05.09.13	2014	2015	79.85%	--	1,09.39	--	--	--
5.	एकलव्य पॉलिटेक्निक योजना के अंतर्गत शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य, खंडवा	32,02.00/ 18.09.13	2014	2017	100.00%	--	32,01.92	--	--	--
6.	शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का निर्माण कार्य जटारा, टीकमगढ़	7,87.00/ 25.01.12	2012	2014	76.16%	--	5,99.36	--	--	--
7.	संजय गाँधी मेमोरियल अस्पताल, रीवा में एच-टाईप की 30 इकाइयों तथा आई-टाईप की 30 इकाइयों का निर्माण कार्य, बहुमंजिला में जल आपूर्ति, स्वास्थ्य संबंधी फिटिंग तथा विद्युतीकरण	8,57.34/ निरंक	2017	2018	70.99%	40.91	6,08.60	--	--	--
8.	जिला उज्जैन में प्रशासनिक भवन का निर्माण कार्य	27,16.00/ 18.06.13	2016	2019	35.24%	2,04.66	9,57.17	--	--	--
9.	जिला सागर में संयुक्त जिला कार्यालय भवन का निर्माण कार्य	17,57.00/ 18.06.13	2016	2018	75.39%	2,01.12	13,24.64	--	--	--
10.	जिला बालाघाट में एक एफ-टाईप, दो-जी टाईप, छ-एच टाईप, आठ-आई टाईप, कुल 17 आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण कार्य	1,51.26/ 28.06.13	2014	2016	56.64%	--	85.67	--	--	--

(क) राज्य सरकार से प्राप्त आंकड़ों की प्रविष्टि इस परिशिष्ट में की जा चुकी है। स्तम्भ क्र.6 कार्य की भौतिक प्रगति का प्रतिशत प्रदर्शित करता है जिसकी गणना प्रगामी व्यय से निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/पुनरीक्षित लागत पर की गई है।

परिशिष्ट – IX – जारी
सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तारीख	प्रारंभ होने का वर्ष	पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, अगर कोई हो/पुनरीक्षण की तारीख	लागत में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	शाहपुरा, जिला जबलपुर में दो एफ-टाईप, चार एफ-टाईप, आठ आई-टाईप, कुल 14 आवासीय क्वार्टर्स का निर्माण	2,30.38/ 28.06.13	2014	2016	44.97%	--	1,03.60	--	--	--
12.	जिला उज्जैन में मध्यम स्तरीय क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय भवन परिसर का निर्माण	6,00.00/ 25.03.13	2015	2017	51.30%	1,39.24	3,07.78	--	--	--
13.	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय उकावा, जिला बालाघाट	12,00.00/ 20.05.11	2015	2017	83.95%	1,82.93	13,82.90	--	16,47.37/ 21.03.18	4,47.37
14.	अनुसूचित जाति प्री-मैट्रिक बालिका छात्रावास, उछेरा जिला सतना	1,94.00/ 01.10.14	2016	2017	99.96%	19.62	1,93.93	--	--	--
15.	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुर्सी (विधानसभा जय सिंह नगर) जिला शहडोल	1,11.00/ 10.06.13	2014	2015	67.94%	--	75.41	--	--	--
16.	नसरुल्लागंज जिला सीहोर में नए न्यायालय का निर्माण	11,03.08/ 10.04.13	2013	2015	57.09%	1,90.54	6,29.72	--	--	--
17.	अबापानी – सिनगुनसाली फाटा मार्ग का उन्नयन कार्य, बड़वानी	10,91.91/ 06.04.16	2016	2018	80.31%	3,90.35	8,76.87	--	--	--
18.	दवाना – खुरमपुरा – मदरानिया – खरगोन मार्ग, बड़वानी का उन्नयन तथा विस्तारीकरण	28,94.78/ 28.10.15	2015	2018	83.54%	7,16.66	24,18.17	--	--	--
19.	रहगुन – तलवाड़ा – बिलवा मार्ग, बड़वानी	2,45.95/ 28.12.17	2017	2018	70.41%	1,73.17	1,73.17	77.30	--	--
20.	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रतलाम	45.00/ 06.08.09	2009	--	--	--	--	--	--	--
21.	100 बिस्तरों वाले अस्पताल का निर्माण सारंगपुर जिला राजगढ़	10,98.91/ --	2014	2016	89.39%	--	9,82.35	--	--	--
22.	जिला अस्पताल सीधी के 100 बिस्तरों वाले एम.सी.एच. विंग के भवन का नवीनीकरण कार्य	14,36.36/ 14.01.16	2016	2019	0.04%	--	0.63	--	--	--

परिशिष्ट – IX – जारी
सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तारीख	प्रारंभ होने का वर्ष	पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, अगर कोई हो/पुनरीक्षण की तारीख	लागत में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
सिंचाई										
23.	बारियारपुर परियोजना, छतरपुर	18,40.00/ 30.06.78	1979	2019	93.95%	1,39.81	5,12,87.35	--	5,45,90.00	5,27,50.00
24.	सिंहपुर परियोजना, छतरपुर	94,38.00/ 30.07.07	2007	2019	103.30%	15.48	2,69,23.76	30.00	2,60,63.00	1,66,25.00
25.	श्यामरी बाँध, छतरपुर	1,14,75.67/ 06.11.12	2013	--	36.62%	9.62	42,01.96	--	--	--
26.	सेलतिया जलाशय, छिंदवाड़ा	17,42.78/ 01.10.16	2017	2018	72.81%	3,80.48	12,68.90	4,73.88	--	--
27.	खापरकाला जलाशय, छिंदवाड़ा	26,43.25/ 01.10.16	2017	2019	54.06%	4,70.19	14,28.83	12,14.42	--	--
28.	कुदम-2 जलाशय, छिंदवाड़ा	4,68.24/ 14.03.18	2018	2019	--	--	--	4,68.24	--	--
29.	पेनडोनी जलाशय, छिंदवाड़ा	7,95.51/ 17.08.16	2016	2018	102.53%	1,23.97	8,15.65	20.14	--	--
30.	सेनदुर्जना जलाशय, छिंदवाड़ा	8,62.20/ 17.08.16	2016	2018	76.57%	3,63.30	6,60.15	2,02.05	--	--
31.	बांधनी जलाशय, छिंदवाड़ा	11,41.51/ 01.10.16	2017	2018	89.48%	3,44.74	10,21.41	1,20.10	--	--
32.	केकड़ा जलाशय, छिंदवाड़ा	12,39.78/ 01.10.16	2017	2018	98.49%	3,34.00	12,21.00	18.78	--	--
33.	मोहगाँव जलाशय, छिंदवाड़ा	83,33.00/ 08.04.13	2013	2015	77.30%	11,40.84	1,04,03.97	30,55.03	1,34,59.00	51,26.00
34.	गोंदीबडोना जलाशय, छिंदवाड़ा	11,10.34/ 11.02.13	2013	2014	89.73%	4.54	15,55.41	1,78.04	17,33.45/ 23.02.16	6,23.11
35.	रोहनाखुर्द जलाशय, छिंदवाड़ा	6,41.81/ 03.03.18	2018	2019	--	--	--	6,41.81	--	--
36.	साईखेड़ा जलाशय, छिंदवाड़ा	3,92.84/ 05.04.18	2018	2019	--	--	--	3,92.84	--	--

परिशिष्ट – IX – जारी
सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तारीख	प्रारंभ होने का वर्ष	पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, अगर कोई हो/पुनरीक्षण की तारीख	लागत में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	जखावड़ी जलाशय, छिंदवाड़ा	2,88.84/05.04.18	2018	2019	--	--	--	2,88.84	--	--
38.	सवालखेड़ा बाँध, छिंदवाड़ा	2,17.45/06.01.18	2017	2018	--	--	--	2,17.45	--	--
39.	झिरना बाँध, छिंदवाड़ा	2,14.30/06.01.18	2018	2019	--	--	--	2,14.30	--	--
40.	तेन्धार प्रवाह योजना									
	सुरंग कम फीडर चैनल का निर्माण कार्य, सिरमौर, जिला रीवा	67,32.00/18.09.14	2014	2017	4.54%	1,73.44	3,05.44	--	--	--
	क्वाडकट/संतुलन जलाशय का निर्माण कार्य, सिरमौर, जिला रीवा	1,02,82.00/13.08.13	2013	2016	2.12%	31.46	2,18.46	--	--	--
	तमस मुख्य नहर, शाखा नहर और वितरिका नहरों का निर्माण कार्य सिरमौर, जिला रीवा	2,25,79.00/20.09.13	2013	2016	20.24%	15,69.18	45,69.18	--	--	--
41.	शहीद भीमा नायक सागर (निचला गोई) परियोजना, जिला बड़वानी	3,60,37.00/16.09.08	2009	2018	73.82%	1,07.36	4,02,55.98	--	5,45,36.00/15.01.16	1,84,99.00
42.	इंदिरा सागर परियोजना, खरगोन की मुख्य नहर के आर.डी. 107.741 से 114.073 के मध्य निर्माण कार्य	20,55.08/19.07.06	2007	2018	103.10%	--	21,18.79	--	--	--
43.	इंदिरा सागर परियोजना, खरगोन की मुख्य नहर का आर.डी. 114.073 से 125.00 के मध्य निर्माण कार्य	37,67.04/19.07.06	2006	--	104.21%	--	39,25.62	--	--	--
44.	इंदिरा सागर परियोजना, खरगोन की मुख्य नहर का आर.डी. 125.00 से 130.935 के मध्य निर्माण कार्य	16,84.41/05.01.07	2007	--	103.85%	--	17,49.18	--	--	--
45.	“टर्न” आधार पर खरगोन नहर लिफ्ट सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, खरगोन	5,50,88.99/17.03.11	2011	2017	94.66%	--	5,21,44.90	--	शेष कार्य के लिए निविदा प्रक्रिया में है	--

परिशिष्ट – IX – जारी
सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तारीख	प्रारंभ होने का वर्ष	पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, अगर कोई हो/पुनरीक्षण की तारीख	लागत में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	इंदिरा सागर परियोजना, सनावद की मुख्य नहर का आर.डी. 42.00 से 82.350 के मध्य निर्माण कार्य	46,75.75/निरंक	2003	2018	0.34%	15.69	15.69	--	--	--
47.	बरगी नहर, जबलपुर के दायें किनारे का आर.डी. 102 कि.मी. से 104 कि.मी. तक के मध्य निर्माण कार्य	12,13.54/निरंक	--	2016	46.91%	--	5,69.33	--	--	--
48.	मुख्य बरगी नहर के दायें किनारे का आर.डी. 63 कि.मी. से 72 कि.मी. के मध्य निर्माण कार्य और उससे उत्पन्न हुए वितरण प्रणाली मिट्टी सी.सी. लाईनिंग, फुटपाथ निर्माण कार्य इत्यादि	25,79.12/निरंक	--	2016	8.61%	--	2,22.05	--	--	--
49.	मझौली मुख्य नहर जबलपुर का आर.डी. 16.50 कि.मी. से 27.27 कि.मी. के मध्य निर्माण कार्य और उसके अंतर्गत वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य	29,02.33/निरंक	--	2012	89.25%	--	25,90.43	--	--	--
50.	बारगी नहर परियोजना के दायें किनारे पर स्लीमाबाद कैरियर नहर का 104 कि.मी. से 129 कि.मी. के मध्य में सुरंग का निर्माण कार्य शामिल करते हुए डायवर्जन का कार्य, जबलपुर	7,99,00.00/निरंक	--	2011	57.53%	--	4,59,67.56	--	--	--
51.	विजयराघवगढ़ शाखा नहर का 0.00 कि.मी. से 57.170 कि.मी. तक का वितरण कार्य सहित निर्माण तथा बरगी डायवर्जन परियोजना, कटनी का 0.00 कि.मी. से 7.93 कि.मी. का पिलौजी वितरण नहर का निर्माण कार्य	1,76,10.00/निरंक	--	2017	0.06%	--	10.00	--	--	--

परिशिष्ट – IX – समाप्त
सरकार की वचनबद्धता – अपूर्ण पूंजीगत कार्यों की सूची

(₹ लाख में)

स. क्र.	परियोजना/निर्माण कार्य का नाम	निर्माण कार्य की अनुमानित लागत/स्वीकृति की तारीख	प्रारंभ होने का वर्ष	पूर्ण होने का लक्षित वर्ष	कार्य की भौतिक प्रगति (प्रतिशत में)	वर्ष के दौरान व्यय	वर्ष के अंत तक प्रगामी व्यय	लंबित भुगतान	पुनरीक्षित लागत, अगर कोई हो/पुनरीक्षण की तारीख	लागत में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	बरगी डायवर्जन परियोजना, जबलपुर अमरपत्तन की रीवा शाखा नहर का 24.00 कि.मी. से 33.00 कि.मी. के मध्य निर्माण कार्य	1,23,08.00/निरंक	--	2014	21.57%	--	26,55.36	--	--	--
53.	बरगी डायवर्जन परियोजना नागोद नहर, सतना के आर.डी. 0.00 से 33.175 कि.मी. के मध्य संपूर्ण वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य	1,83,94.81/निरंक	--	2015	120.45%	--	2,21,57.03	--	--	--
54.	बरगी डायवर्जन परियोजना नागोद नहर, सतना के आर.डी. 33.300 कि.मी. से 55.600 कि.मी. के मध्य संपूर्ण वितरण प्रणाली का निर्माण कार्य	1,31,42.96/निरंक	--	2015	0.28%	--	36.89	--	--	--
55.	बरगी डायवर्जन परियोजना, नागोद नहर, सतना की संपूर्ण वितरण प्रणाली के आर.डी. 55.600 कि.मी. से 83.000 कि.मी. का निर्माण कार्य	1,26,00.00	--	2014	0.60%	--	76.15	--	--	--

परिशिष्ट – X
वेतन एवं अवेतन हिस्से के पृथक्करण सहित अनुरक्षण व्यय

(₹ लाख में)

मांग स.	मांग संख्या का नाम	व्यय के शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
राजस्व अनुभाग											
03	पुलिस	2059	01	053	2631	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	6,33.72	6,33.72
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	0183	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	76,35.96	76,35.96
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	1024	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	16.91	16.91
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	1481	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	2,47.18	2,47.18
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	2449	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	2,62.23	2,62.23
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	2956	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	13.10	13.10
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	3383	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	7,87.23	7,87.23
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	3387	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	3,77.11	3,77.11
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	3645	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	2,17.64	2,17.64
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	3859	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	0.90	0.90
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	4220	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	13,19.54	13,19.54
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	5009	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	1,48.97	1,48.97
67	लोक निर्माण कार्य-भवन	2059	01	053	5459	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	4,01.63	4,01.63
22	शहरी विकास एवं पर्यावरण	2059	01	053	5464	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	4,10.68	4,10.68
22	शहरी विकास एवं पर्यावरण	2059	01	053	5465	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	1,41.39	1,41.39
22	शहरी विकास एवं पर्यावरण	2059	01	053	6720	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	13,65.05	13,65.05
55	महिला एवं बाल विकास	2059	01	053	5508	33	001	स्थायी सम्पत्ति का रखरखाव	--	1,08.03	1,08.03
योग-मुख्य शीर्ष 2059									--	1,40,87.27	1,40,87.27
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	11	001	वेतन एवं भत्ते	33,77.84	--	33,77.84
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	11	003	वेतन एवं भत्ते	1,96.86	--	1,96.86
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	11	004	वेतन एवं भत्ते	0.54	--	0.54
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	11	006	वेतन एवं भत्ते	53.81	--	53.81
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	11	008	वेतन एवं भत्ते	31.70	--	31.70
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	11	009	वेतन एवं भत्ते	26.44	--	26.44
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	11	012	वेतन एवं भत्ते	(-) 0.01	--	(-) 0.01
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	11	028	वेतन एवं भत्ते	0.03	--	0.03
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	12	--	मजदूरी	--	35,58.89	35,58.89
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	19	001	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	81,33.44	--	81,33.44
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	19	003	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	5,42.10	--	5,42.10
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	19	004	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	2.00	--	2.00
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	19	006	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	2,19.41	--	2,19.41

परिशिष्ट X – जारी

(₹ लाख में)

मांग स.	मांग संख्या का नाम	व्यय के शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
राजस्व अनुभाग – जारी											
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	19	008	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	1,17.92	--	1,17.92
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	19	009	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	54.66	--	54.66
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	19	012	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.03	--	(-) 0.03
64	शहरों को वित्तीय सहायता	2215	01	101	0545	19	028	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	2.82	--	2.82
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	052	0693	33	002	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	9.54	9.54
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	101	0545	33	001	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	--	2,19.46	2,19.46
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	101	5300	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	2,65.78	2,65.78
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	1194	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	50,64.60	50,64.60
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	1194	33	005	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	13,99.66	13,99.66
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	11	001	वेतन एवं भत्ते	47,44.80	--	47,44.80
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	11	003	वेतन एवं भत्ते	3,03.13	--	3,03.13
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	11	004	वेतन एवं भत्ते	0.93	--	0.93
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	11	006	वेतन एवं भत्ते	51.38	--	51.38
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	11	008	वेतन एवं भत्ते	31.22	--	31.22
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	11	009	वेतन एवं भत्ते	1.40	--	1.40
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	11	011	वेतन एवं भत्ते	0.48	--	0.48
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	11	028	वेतन एवं भत्ते	1.83	--	1.83
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	12	--	मजदूरी	--	54,79.44	54,79.44
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	001	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	1,47,06.68	--	1,47,06.68
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	003	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	10,04.96	--	10,04.96
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	004	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	8.29	--	8.29
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	006	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	1,97.11	--	1,97.11
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	008	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	94.10	--	94.10
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	009	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	17.22	--	17.22
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	011	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.08	--	0.08
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	012	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.14	--	(-) 0.14
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	19	028	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	2.03	--	2.03
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	01	102	2219	33	005	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	14,79.75	14,79.75
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	11	001	वेतन एवं भत्ते	91.55	--	91.55
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	11	003	वेतन एवं भत्ते	6.32	--	6.32
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	11	004	वेतन एवं भत्ते	0.12	--	0.12
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	11	006	वेतन एवं भत्ते	1.79	--	1.79

परिशिष्ट X – जारी

(₹ लाख में)

मांग स.	मांग संख्या का नाम	व्यय के शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
राजस्व अनुभाग – जारी											
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	11	008	वेतन एवं भत्ते	0.58	--	0.58
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	11	009	वेतन एवं भत्ते	0.58	--	0.58
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	12	--	मजदूरी	--	84.03	84.03
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	19	001	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	8,30.65	--	8,30.65
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	19	003	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	54.24	--	54.24
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	19	004	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.10	--	0.10
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	19	006	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	22.32	--	22.32
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	19	008	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	6.58	--	6.58
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	19	009	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	3.82	--	3.82
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	107	1249	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	10,53.06	10,53.06
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2215	02	800	1249	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	6,00.00	6,00.00
योग—मुख्य शीर्ष 2215									3,49,43.68	1,92,14.21	5,41,57.89
10	वन	2216	05	053	6218	12	--	मजदूरी	--	6,56.02	6,56.02
10	वन	2216	05	053	6218	32	--	लघु निर्माण	--	1,92.46	1,92.46
03	पुलिस	2216	05	053	6395	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	28,98.18	28,98.18
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	0183	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	56,25.33	56,25.33
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	1316	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	70,99.90	70,99.90
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	1481	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	18.78	18.78
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	2450	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	2,40.10	2,40.10
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	3859	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	6.59	6.59
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	4090	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	7,60.81	7,60.81
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	5466	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	2,08.20	2,08.20
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	5469	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	2.30	2.30
67	लोक निर्माण भवन	2216	05	053	5470	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	2.74	2.74
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास – नगरीय निकाय	2216	05	053	8069	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	28,98.18	28,98.18
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास – नगरीय निकाय	2216	05	053	5486	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	9.45	9.45
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास – नगरीय निकाय	2216	05	053	6218	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	2,98.38	2,98.38
22	नगरीय प्रशासन एवं विकास – नगरीय निकाय	2216	05	053	6989	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	5,99.93	5,99.93
योग—मुख्य शीर्ष 2216									--	2,15,17.35	2,15,17.35

परिशिष्ट X – जारी

(₹ लाख में)

मांग स.	मांग संख्या का नाम	व्यय के शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
राजस्व अनुभाग – जारी											
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	12	--	मजदूरी	--	29,04.71	29,04.71
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	10,70.96	--	10,70.96
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	58.71	--	58.71
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	4.90	--	4.90
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1.70	--	1.70
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	19	009	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	2.22	--	2.22
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.46	--	0.46
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	4,39.61	4,39.61
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	22.91	22.91
23	जल संसाधन विभाग	2700	11	101	2894	43	--	योगदान	--	4,00.00	4,00.00
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	12	--	मजदूरी	--	13,89.41	13,89.41
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	7,08.87	--	7,08.87
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	47.72	--	47.72
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	005	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.20	--	0.20
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	3.05	--	3.05
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.81	--	0.81
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	009	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1.85	--	1.85
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	012	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.01	--	(-) 0.01
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	017	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.01	--	(-) 0.01
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.51	--	0.51
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	6,29.61	6,29.61
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	10.92	10.92
23	जल संसाधन विभाग	2700	13	101	2894	34	001	सामग्री और आपूर्ति	--	8.91	8.91
23	जल संसाधन विभाग	2700	15	101	2894	12	--	मजदूरी	--	6,52.78	6,52.78
23	जल संसाधन विभाग	2700	15	101	2894	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	4,68.27	--	4,68.27
23	जल संसाधन विभाग	2700	15	101	2894	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	29.78	--	29.78
23	जल संसाधन विभाग	2700	15	101	2894	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1.16	--	1.16
23	जल संसाधन विभाग	2700	15	101	2894	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.63	--	0.63
23	जल संसाधन विभाग	2700	15	101	2894	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.12	--	0.12
23	जल संसाधन विभाग	2700	15	101	2894	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	4,12.81	4,12.81
23	जल संसाधन विभाग	2700	16	101	2894	12	--	मजदूरी	--	65.60	65.60
23	जल संसाधन विभाग	2700	16	101	2894	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1,13.58	--	1,13.58

परिशिष्ट X – जारी

(₹ लाख में)

मांग सं.	मांग संख्या का नाम	व्यय के शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
राजस्व अनुभाग – जारी											
23	जल संसाधन विभाग	2700	16	101	2894	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	7.81	--	7.81
23	जल संसाधन विभाग	2700	16	101	2894	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.08	--	0.08
23	जल संसाधन विभाग	2700	16	101	2894	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.72	--	0.72
23	जल संसाधन विभाग	2700	16	101	2894	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	15.04	15.04
23	जल संसाधन विभाग	2700	17	101	2894	12	--	मजदूरी	--	3,99.67	3,99.67
23	जल संसाधन विभाग	2700	17	101	2894	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	2,64.76	--	2,64.76
23	जल संसाधन विभाग	2700	17	101	2894	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	15.91	--	15.91
23	जल संसाधन विभाग	2700	17	101	2894	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.58	--	0.58
23	जल संसाधन विभाग	2700	17	101	2894	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.40	--	0.40
23	जल संसाधन विभाग	2700	17	101	2894	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	59.41	59.41
23	जल संसाधन विभाग	2700	17	101	2894	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	1,34.09	1,34.09
23	जल संसाधन विभाग	2700	18	101	2894	12	--	मजदूरी	--	4,69.25	4,69.25
23	जल संसाधन विभाग	2700	18	101	2894	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	2,31.45	--	2,31.45
23	जल संसाधन विभाग	2700	18	101	2894	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	12.77	--	12.77
23	जल संसाधन विभाग	2700	18	101	2894	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.99	--	0.99
23	जल संसाधन विभाग	2700	18	101	2894	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.26	--	0.26
23	जल संसाधन विभाग	2700	18	101	2894	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.16	--	0.16
23	जल संसाधन विभाग	2700	18	101	2894	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	34.10	34.10
23	जल संसाधन विभाग	2700	18	101	2894	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	17.93	17.93
23	जल संसाधन विभाग	2700	19	101	2894	12	--	मजदूरी	--	2,04.95	2,04.95
23	जल संसाधन विभाग	2700	19	101	2894	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1,23.54	--	1,23.54
23	जल संसाधन विभाग	2700	19	101	2894	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	8.11	--	8.11
23	जल संसाधन विभाग	2700	19	101	2894	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.93	--	0.93
23	जल संसाधन विभाग	2700	19	101	2894	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.09	--	0.09
23	जल संसाधन विभाग	2700	19	101	2894	19	009	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1.18	--	1.18
23	जल संसाधन विभाग	2700	19	101	2894	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	25.70	25.70
23	जल संसाधन विभाग	2700	20	101	2894	12	--	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	--	1,09.51	1,09.51
23	जल संसाधन विभाग	2700	20	101	5320	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	28.94	--	28.94
23	जल संसाधन विभाग	2700	20	101	5320	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1.97	--	1.97
23	जल संसाधन विभाग	2700	20	101	5320	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.19	--	0.19
23	जल संसाधन विभाग	2700	20	101	5320	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.07	--	0.07

परिशिष्ट X – जारी

(₹ लाख में)

मांग स.	मांग संख्या का नाम	व्यय के शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शोर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
राजस्व अनुभाग – जारी											
23	जल संसाधन विभाग	2700	20	101	5320	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	29.99	29.99
23	जल संसाधन विभाग	2700	21	101	2894	12	--	मजदूरी	--	24.63	24.63
23	जल संसाधन विभाग	2700	27	101	1573	12	--	मजदूरी	--	58.87	58.87
23	जल संसाधन विभाग	2700	27	101	1573	19	001	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	33.75	--	33.75
23	जल संसाधन विभाग	2700	27	101	1573	19	003	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	2.30	--	2.30
23	जल संसाधन विभाग	2700	27	101	1573	19	006	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.34	--	0.34
23	जल संसाधन विभाग	2700	27	101	1573	19	008	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.05	--	0.05
23	जल संसाधन विभाग	2700	27	101	1573	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	14.97	14.97
23	जल संसाधन विभाग	2700	27	101	1573	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	1.66	1.66
23	जल संसाधन विभाग	2700	28	101	1574	12	--	मजदूरी	--	13.96	13.96
23	जल संसाधन विभाग	2700	28	101	1574	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	1.93	1.93
23	जल संसाधन विभाग	2700	30	101	6507	12	--	मजदूरी	--	60.45	60.45
23	जल संसाधन विभाग	2700	30	101	6507	19	001	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	11.58	--	11.58
23	जल संसाधन विभाग	2700	30	101	6507	19	003	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.49	--	0.49
23	जल संसाधन विभाग	2700	30	101	6507	19	008	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.01	--	0.01
23	जल संसाधन विभाग	2700	30	101	6507	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	5.58	5.58
23	जल संसाधन विभाग	2700	31	101	7050	12	--	मजदूरी	--	3,38.92	3,38.92
23	जल संसाधन विभाग	2700	31	101	7050	19	001	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	73.36	--	73.36
23	जल संसाधन विभाग	2700	31	101	7050	19	003	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	5.23	--	5.23
23	जल संसाधन विभाग	2700	31	101	7050	19	006	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	1.63	--	1.63
23	जल संसाधन विभाग	2700	31	101	7050	19	008	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.30	--	0.30
23	जल संसाधन विभाग	2700	31	101	7050	19	028	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.02	--	0.02
23	जल संसाधन विभाग	2700	31	101	7050	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	63.26	63.26
23	जल संसाधन विभाग	2700	32	101	2894	12	--	मजदूरी	--	7,15.77	7,15.77
23	जल संसाधन विभाग	2700	32	101	2894	19	001	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	2,80.47	--	2,80.47
23	जल संसाधन विभाग	2700	32	101	2894	19	003	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	18.72	--	18.72
23	जल संसाधन विभाग	2700	32	101	2894	19	006	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	1.96	--	1.96
23	जल संसाधन विभाग	2700	32	101	2894	19	008	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.28	--	0.28
23	जल संसाधन विभाग	2700	32	101	2894	19	028	कार्यभारित वेतन/आकस्मिक कर्मचारी	0.19	--	0.19
23	जल संसाधन विभाग	2700	32	101	2894	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	2,33.50	2,33.50
23	जल संसाधन विभाग	2700	32	101	2894	43	--	योगदान	--	18,00.00	18,00.00
योग-मुख्य शीर्ष 2700									36,47.07	1,17,70.41	1,54,17.48

परिशिष्ट X – जारी

(₹ लाख में)

मांग स.	मांग संख्या का नाम	व्यय के शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
राजस्व अनुभाग – जारी											
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	12	--	मजदूरी	--	6.47	6.47
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	34,82.69	--	34,82.69
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	2,33.15	--	2,33.15
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	63.96	--	63.96
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	9.96	--	9.96
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	009	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	7.42	--	7.42
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	011	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.15	--	(-) 0.15
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	012	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	--	6.47	6.47
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	017	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.17	--	(-) 0.17
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	018	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	3.00	--	3.00
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.74	--	0.74
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	33	002	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	1,57.15	1,57.15
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	052	0693	33	003	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	30.49	30.49
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	800	5837	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	4,30.04	4,30.04
23	जल संसाधन विभाग	2701	80	800	5837	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	20.59	20.59
योग-मुख्य शीर्ष 2701									38,00.60	6,51.21	44,51.81
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	12	--	मजदूरी	--	60,05.41	60,05.41
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	57,45.32	--	57,45.32
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	3,58.00	--	3,58.00
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	005	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.60	--	0.60
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	63.86	--	63.86
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	13.00	--	13.00
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	009	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	29.95	--	29.95
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	012	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.01	--	(-) 0.01
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	016	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.04	--	0.04
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	017	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.01	--	(-) 0.01
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	018	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.50	--	0.50
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	6.94	--	6.94
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	21,38.37	21,38.37
45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	2702	80	800	0207	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	6,69.02	6,69.02
योग-मुख्य शीर्ष 2702									62,18.19	88,12.80	1,50,30.99

परिशिष्ट X – जारी

(₹ लाख में)

मांग स.	मांग संख्या का नाम	व्यय क शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
राजस्व अनुभाग – समाप्त											
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	01	337	0134	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	3,41.60	--	3,41.60
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	01	337	0134	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	40.85	--	40.85
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	01	337	0134	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	3.23	--	3.23
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	01	337	0134	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1.01	--	1.01
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	01	337	0134	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1.39	--	1.39
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	01	337	0134	33	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	--	7.43	7.43
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	03	337	0134	33	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	--	24,62.30	24,62.30
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	12	--	मजदूरी	--	29,61.96	29,61.96
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	001	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	4,58,68.98	--	4,58,68.98
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	003	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	23,23.08	--	23,23.08
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	006	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	2,09.30	--	2,09.30
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	008	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	2,30.28	--	2,30.28
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	009	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	52.67	--	52.67
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	011	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.64	--	0.64
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	012	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.29	--	(-) 0.29
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	016	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	0.20	--	0.20
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	017	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	(-) 0.11	--	(-) 0.11
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	018	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	1.00	--	1.00
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	19	028	कार्यभारित वेतन / आकस्मिक कर्मचारी	3.58	--	3.58
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	0134	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	84,01.67	84,01.67
24	लोक निर्माण कार्य—सड़कें और पुल	3054	04	337	4557	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	23,10.02	23,10.02
योग—मुख्य शीर्ष 3054									4,90,77.41	1,61,43.38	6,52,20.79
योग—राजस्व अनुभाग									9,76,86.95	9,21,96.63	18,98,83.58

परिशिष्ट X – समाप्त

(₹ लाख में)

मांग स.	मांग संख्या का नाम	व्यय के शीर्ष						विवरण	व्यय के घटक		
		मुख्य शीर्ष	उपमुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष	उद्देश्य शीर्ष		वेतन	गैर वेतन	योग
पूँजी अनुभाग –											
26	संस्कृति	4202	04	800	7073	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	4,00.00	4,00.00
20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय	4215	01	001	1854	33	003	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	51.69	51.69
14	पशुपालन	4403	--	101	5093	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	50.31	50.31
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	41	001	2872	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	1.38	1.38
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	43	001	2428	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	47.10	47.10
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	43	001	8808	33	002	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	0.70	0.70
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	45	001	9091	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	62,88.82	62,88.82
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	51	001	2428	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	84.39	84.39
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	51	001	2428	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	1,07.66	1,07.66
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	51	001	8191	33	003	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	0.08	0.08
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	65	001	5090	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	46.69	46.69
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	65	001	5090	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	11.89	11.89
48	नर्मदा घाटी विकास	4700	80	800	6398	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	9,10.46	9,10.46
48	नर्मदा घाटी विकास	4701	11	001	5223	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	57.43	57.43
48	नर्मदा घाटी विकास	4701	12	001	4647	33	001	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	86.64	86.64
48	नर्मदा घाटी विकास	4701	12	001	6715	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	2.54	2.54
23	जल संसाधन विभाग	4701	80	800	8808	33	002	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	17.23	17.23
48	नर्मदा घाटी विकास	4801	01	206	4654	33	003	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	0.96	0.96
48	नर्मदा घाटी विकास	4801	80	800	4406	33	002	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	53.84	53.84
48	नर्मदा घाटी विकास	4801	80	800	4406	33	003	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	8.61	8.61
48	नर्मदा घाटी विकास	4801	80	800	4406	33	004	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	3,89.81	3,89.81
48	नर्मदा घाटी विकास	4801	80	800	8808	33	002	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	6.07	6.07
48	नर्मदा घाटी विकास	4801	01	206	5287	33	003	मशीनों और उपकरणों का रखरखाव	--	1.00	1.00
योग-पूँजी अनुभाग									--	86,25.30	86,25.30
महायोग (राजस्व + पूँजी)									9,76,86.95	10,08,21.93	19,85,08.88

परिशिष्ट – XI
वर्ष के दौरान सरकार के मुख्य नीतिगत निर्णय अथवा बजट में प्रस्तावित नई योजनाएं

(₹ लाख में)

नीतिगत निर्णय की प्रकृति/नई योजना	प्राप्ति/ व्यय/ दोनों	आवर्ती / एक बार	आवर्ती की स्थिति में निवल नगद प्रवाह पर वार्षिक अनुदान को दर्शावे ^(क)		वार्षिक व्यय		नई योजनाओं पर व्यय से मिलने वाले संभावित स्रोत ^(क)		
			निश्चित अवधि (अवधि का उल्लेख करें)	स्थायी	राजस्व	पूँजीगत	राज्य के अपने संसाधन	केन्द्रीय अंतरण	लिया गया ऋण (उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गृह विभाग (पुलिस)									
03-4055-207-2303	व्यय	आवर्ती	--	--	--	40,00.00	--	--	--
कृषि									
13-2401-800-0101-2343	व्यय	एक बार	--	--	23,70,41.31	--	--	--	--
13-2401-800-0102-2343	व्यय	एक बार	--	--	11,73,75.20	--	--	--	--
13-2401-800-0103-2343	व्यय	एक बार	--	--	8,33,28.18	--	--	--	--
पशुपालन									
14-2403-109-0101-2293	व्यय	आवर्ती	--	--	4,22.84	--	--	--	--
14-2403-109-0102-2293	व्यय	आवर्ती	--	--	1,53.75	--	--	--	--
14-2403-109-0103-2293	व्यय	आवर्ती	--	--	1,16.35	--	--	--	--
सहकारिता									
17-2425-107-0101-2341	व्यय	एक बार	--	--	3,00,00.00	--	--	--	--
17-2425-107-0102-2341	व्यय	एक बार	--	--	30,00.00	--	--	--	--
17-2425-107-0103-2341	व्यय	एक बार	--	--	20,00.00	--	--	--	--
श्रम									
18-2230-01-112-0101-2340	व्यय	आवर्ती	--	--	10,00.00	--	--	--	--
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण									
19-2210-01-110-0701-2315	व्यय	आवर्ती	--	--	20,00.00	--	--	--	--
19-2210-01-110-0702-2315	व्यय	आवर्ती	--	--	38,79.42	--	--	--	--
19-2210-01-110-0703-2315	व्यय	आवर्ती	--	--	27,71.02	--	--	--	--
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय									
20-4215-01-102-1201-2316	व्यय	एक बार	--	--	--	3,10,00.00	--	--	--
20-4215-01-102-1202-2316	व्यय	एक बार	--	--	--	6,00,00.00	--	--	--
20-4215-01-102-1203-2316	व्यय	एक बार	--	--	--	6,10,00.00	--	--	--

(क) राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट – XI – समाप्त

(₹ लाख में)

नीतिगत निर्णय की प्रकृति/नई योजना	प्राप्ति/ व्यय/ दोनों	आवर्ती / एक बार	आवर्ती की स्थिति में निवल नगद प्रवाह पर वार्षिक अनुदान को दशावे ^(क)		वार्षिक व्यय		नई योजनाओं पर व्यय से मिलने वाले संभावित स्रोत ^(क)		
			निश्चित अवधि (अवधि का उल्लेख करें)	स्थायी	राजस्व	पूँजीगत	राज्य के अपने संसाधन	केन्द्रीय अंतरण	लिया गया ऋण (उल्लेख करें)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
जनजातीय कल्याण									
33-2225-02-102-0102-2326	व्यय	आवर्ती	--	--	2,19,76.52	--	--	--	--
33-4225-02-277-0102-0494	व्यय	एक बार	--	--	--	17,32.67	--	--	--
33-4225-02-277-0102-0495	व्यय	एक बार	--	--	--	2,40.01	--	--	--
33-4225-02-277-0102-1398	व्यय	एक बार	--	--	--	13,37.92	--	--	--
स्कूल शिक्षा									
40-4202-01-202-0101-6970	व्यय	एक बार	--	--	--	1,11,68.79	--	--	--
40-4202-01-202-0102-6970	व्यय	एक बार	--	--	--	43,62.83	--	--	--
40-4202-01-202-0103-6970	व्यय	एक बार	--	--	--	28,27.99	--	--	--
40-4202-01-202-0101-0816	व्यय	एक बार	--	--	--	12,34.75	--	--	--
40-4202-01-202-0102-0816	व्यय	एक बार	--	--	--	7,43.60	--	--	--
40-4202-01-202-0103-0816	व्यय	एक बार	--	--	--	3,84.03	--	--	--
नर्मदा घाटी विकास									
48-4700-80-800-0102-2332	व्यय	एक बार	--	--	--	62,30.00	--	--	--
48-4700-80-800-0101-2334	व्यय	एक बार	--	--	--	1,04,98.65	--	--	--

टीप:- इस परिशिष्ट में ₹ 10 करोड़ एवं इससे अधिक की योजनाएं शामिल हैं।

(क) राज्य सरकार से जानकारी प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट – XII
सरकार की प्रतिबद्ध देयताएं

(₹ लाख में)

स.क्र.	दायित्व की प्रकृति	दायित्व राशि	संभावित स्रोत जिससे पूरा किया जाना प्रस्तावित है			विमुक्ति का संभावित वर्ष	चालू वर्ष में विमुक्त दायित्व	बचा हुआ शेष
			राज्य का स्वयं का संसाधन	केन्द्रीय अंतरण	ऋण में बढ़ोत्तरी (उल्लिखित करना)			
I	भुगतान योग्य लेखा							
1.								
	योग							
II	केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में राज्यांश							
1.								
	योग							
III	आयोजना योजनाओं का आयोजनेत्तर शीर्षों में अंतरण के रूप में दायित्व							
1.								
	योग							
IV	अपूर्ण परियोजनाओं से उत्पन्न दायित्व							
1.								
	योग							
V	अन्य/विविध							
1.								
	योग							
	महायोग							

टीप :- राज्य सरकार से इस परिशिष्ट के लिए जानकारी प्रतीक्षित है।

परिशिष्ट – XIII

राज्यों के पुनर्गठन – शेषों की मदें जिनका बंटवारा राज्यों के मध्य/बीच अंतिम रूप से नहीं किया गया है

(₹ लाख में)

स.क्र.	लेखाशीर्ष	उत्तरवर्ती राज्यों में आवंटन योग्य राशि	
		पुनर्गठन के समय	वर्तमान में
आवंटन के लिए कोई मद लंबित नहीं है			